खण्ड–484, अंक–10
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(19 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-13
जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण (जारी)	13-14
प्रश्नोत्तर (जारी)	14-57
जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण (जारी)	57
श्री सतीश महाना के स्थगित प्रश्नों के सम्बन्ध में सुरक्षित किये गये निर्णय को सुनाए जाने का अनुरोध	57-58
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	58-60
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत विजथुआ धाम में गुदरा गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद इलाहाबाद स्थित आई0ई0आर0टी0 डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला स्थित सिकन्दरपुर की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद आगरा स्थित मोतीगंज मार्केट की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
विधान सभा क्षेत्र निघासन के कस्बा निघासन स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन में फायर ब्रिगेड गाड़ी व फायर कर्मी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद मेरठ सहित सम्पूर्ण प्रदेश के महाविद्यालयों/विद्यालयों में तत्काल नियुक्तियां कर संस्कृत भाषा को बनाये जाने एवं उन संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों को यू0जी0सी0 के वेतनमान सहित अन्य सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत ककोड़ में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में विगत कई वर्षों से बी0एस0सी0 (फायर) डिग्री धारकों की अग्निशमन सेवा में भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
प्रदेश के वैकल्पिक शिक्षा आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद पीलीभीत की सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर की कतिपय सड़कों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में राज चौराहे के पास मुलतानी मल मोदी पार्क में केदारनाथ मोदी की प्रतिमा न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-67
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील टहरौली में नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	67
जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार एवं सैदनगर की कतिपय सड़कों तथा नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
जनपद मिर्जापुर के धान क्रय केन्द्रों द्वारा किसानों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां अन्तर्गत तैयार पानी की टंकी से सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद रामपुर के थाना स्वार में पंजीकृत मुकदमा संख्या-68/13 के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के ग्राम बीरापुर के श्री विनोद कुमार की गुमशुदगी सम्बन्धी थाना जार्ज टाउन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-401/09 के प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के तरयासुजान के विद्युत सब-स्टेशन पर 5 एम0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	70
दिनांक 20 जुलाई, 2012 को परिवहन बस से टकराकर मृत हुए कृषक सत्य प्रकाश दूबे के परिजनों को अब तक कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद मुरादाबाद की कांठ अन्तर्गत नगर पंचायत उमरी कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	71
जनपद शाहजहांपुर की बलदेवपुर ग्राम सभा में बड़ी पुलिया के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र छावनी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज, औरास तथा नवाबगंज की विभिन्न जर्जर एवं गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
श्री काशीनाथ शुक्ला, उप निबन्धक द्वारा नीतिश्री ग्रुप, नोएडा के चेयरमैन एवं उनके तकरीबन 5000 आवंटियों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
मथुरा शहर के सदर बाजार स्थित मोहल्ला अहीरपाड़ा में स्थापित ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	75
जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
ए0आर0एम0 अकबरपुर द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76
युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद से 1991 में सेवानिवृत्त हुए श्री केशव सिंह को जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मौन नाले पर पक्का पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के ब्लाक बड़हलगंज के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव की सड़कों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद महोबा में उद्यान विभाग एवं पान अनुसंधान केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा स्थित चीनी मिल द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतेहपुर में ग्राम चांदपुर से रामपुर के मध्य की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
जनपद हापुड़ में स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा लम्बित गन्ने का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण	80-81
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	81-82
विधान सभा सदस्यों को 3 या 2 निःशुल्क अंगरक्षक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82-83
देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के सदस्य श्री गोरख यादव के निधन की सूचना अभी तक विधान सभा सचिवालय को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में जानकारी	83
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	84
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित) ...	84-85
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	85-100
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	100-128
सूचना विभाग की डायरी में हमीरपुर जनपद के माननीय सदस्यों के नाम छपे न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	129
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	129-162
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	163-167
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	167-187
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	187-188
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	188-191
जनपद उन्नाव के प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति करनईपुर के किसानों द्वारा अदा की गयी ऋण की धनराशि को समिति के सचिव द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	191-192
जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा की परीक्षा मूल्यांकन पद्धति से छात्र-छात्राओं में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	192-193
प्रदेश में अन्य जनपदों के अतिरिक्त अलीगढ़ व आगरा मण्डल के गरीबों को वितरित किये जाने वाले सरकारी मिट्टी के तेल की हो रही कालाबाजारी एवं पेट्रोल व डीजल में मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	194
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	194-195

विषय					पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा में पावर लाइन के विद्युतीकरण में किसानों की तैयार फसलों को उजाड़े जाने एवं पीड़ित किसानों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	...			...	195-196
जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड अखण्डनगर के ग्राम पंचायत पाराबासूपुर में 2005-2006 से 2010-2011 तक विकास कार्यों हेतु प्राप्त धन में की गयी अनियमितता में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	...			...	196
जनपद बस्ती स्थित कुआनों नदी को जल प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...			...	198
नत्थियां	...	...	...	...	199-227

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-344

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी' श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
46. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
51. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री — उन्नाव

54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
62. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
63. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
64. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
71. कैलाश, श्री गाजीपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
84. गोरख पासवान, श्री बलिया
85. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
86. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
87. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
88. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
94. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
95. जफर आलम, श्री अलीगढ़
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
99. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
100. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
101. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
102. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
103. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
104. तसलीम, श्री बिजनौर
105. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
106. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
107. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
108. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
109. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
110. दलजीत सिंह, श्री बांदा
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
113. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
114. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
115. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली

120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्मराज, श्री बाराबंकी
122. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
124. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
125. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
126. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
133. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
134. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
135. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
136. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
137. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
138. पीतमराम, श्री पीलीभीत
139. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
140. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
143. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
144. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
145. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
146. प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
147. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
148. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
149. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
152. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
153. फेरन लाल, श्री ललितपुर
154. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
155. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
156. बदलू खां, श्री उन्नाव
157. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
158. बाबू खां, श्री हरदोई
159. बाबूलाल, श्री गोण्डा
160. बावन सिंह, श्री गोण्डा
161. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
162. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
165. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
166. बैजनाथ, श्री मऊ
167. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
168. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
169. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
170. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
171. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
172. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
173. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
174. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
175. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
176. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
177. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
178. मनबोध, श्री देवरिया
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
182. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
183. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
184. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
185. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
186. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
187. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
188. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर

189. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
190. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
191. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
192. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
193. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
194. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
195. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
196. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
197. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
198. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
199. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
200. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
201. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
202. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
203. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
204. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
205. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
206. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
207. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
208. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
209. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
212. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया', श्री गोण्डा
213. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
214. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
215. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रणजीत सुमन, श्री एटा
218. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
219. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
220. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
221. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
222. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
223. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
224. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
225. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
226. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
227. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
228. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
229. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
230. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
231. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
232. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
235. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
236. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
237. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
238. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
239. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
240. राम करन आर्य, श्री बस्ती
241. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
242. राम गोविन्द, श्री बलिया
243. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
244. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
245. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
246. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
247. राम मगन, श्री बाराबंकी
248. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
249. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
250. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
251. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
252. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
253. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
254. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़

255. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
256. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
257. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
258. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
259. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
260. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
262. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
263. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
264. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
265. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
266. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
267. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
268. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
269. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
270. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
271. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
272. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
273. विजय सिंह, श्री रामपुर
274. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
275. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
276. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
277. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
278. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
279. वीरपाल राटी, श्री बागपत
280. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
281. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
282. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
283. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
284. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
285. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
286. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
287. शाकिर अली, श्री देवरिया
288. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
289. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
290. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
293. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
294. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
295. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
296. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
297. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
298. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
299. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
301. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
302. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
303. संजय कपूर, श्री रामपुर
304. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
305. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
306. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
307. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
308. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
311. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
312. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
313. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
314. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
315. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
316. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
317. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
318. सियाराम सागर, डा0 बरेली
319. सीमा, श्रीमती जौनपुर

320.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर	333.	सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
321.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा	334.	सुल्तान बेग, श्री बरेली
322.	सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज	335.	सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
323.	सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद	336.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
324.	सुधाकर, श्री मऊ	337.	सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
325.	सुधीर कुमार, श्री उन्नाव	338.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
326.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र	339.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ
327.	सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी		रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
328.	सुब्बा राम, श्री गाजीपुर	340.	हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
329.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली	341.	हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
330.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी	342.	हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
331.	सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर	343.	हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
332.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर	*344	रिक्त इलाहाबाद

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11-00 बजे] तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने की मांग

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस गणना कार्य में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं तथा सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार गणना कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके मार्च, 13 तक गणना कार्य पूरा कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'')-

जी हां। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना की जा रही है।

(1) गणना कार्य में उ0 प्र0 से अपेक्षित कार्यवाही में कोई कठिनाई नहीं है। सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़े टैबलेट पी0सी0 पर दर्ज किये जाने का दायित्व भारत सरकार द्वारा आई0टी0आई0 पालक्काड़ इकाई, केरल को सौंपा गया है जो 09 ठेकेदारों (वेण्डर्स) के माध्यम से यह कार्य करा रही है।

(2) आई0टी0आई0 द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त संख्या में तकनीकी कार्मिकों की अनुपलब्धता और उन्हें समय से यथोचित पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के कारण जनगणना कार्य की गति प्रभावित हुई। भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों तथा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 ग्रामीण विकास मंत्री जी, भारत सरकार से अनुरोध करके कठिनाइयों का निराकरण करा लिया गया है तथा वर्तमान में अवशेष प्रगणना का कार्य प्रगति पर है।

जी हां। 31 मार्च, 2013 तक गणना कार्य पूर्ण कराकर 30 जून, 2013 तक दावों/आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् जनगणना के अन्तिम आंकड़े भारत सरकार को भेजे जाने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

यहां पर प्रश्न से सम्बंधित मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियमानुसार एक कैबिनेट मंत्री तक बैठा रहता है तो मान लिया जाता है यहां पर तीन-तीन कैबिनेट मंत्री बैठे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

सम्बंधित विभाग के मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप हुकुम सिंह जी से पूछिए वह संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं मिनिस्टर भी रहे हैं उनसे पूछिए वह आपको बता देंगे।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील की व्यवस्था

*02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील की व्यवस्था एन0जी0ओ0 के माध्यम से करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कार्य रूप में कब तक परिणित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

जी हां।

शासनादेश सं0-394/79-6-06-1(5)/2006, दिनांक 17-2-2006 द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह पोषाहार योजना के तहत गर्म पका-पकाया भोजन उस दशा में वितरण की अनुमति प्रदान की गयी, जब ग्राम पंचायतें/स्थानीय निकायों द्वारा स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने की असमर्थता व्यक्त कर दी जाय।

वर्तमान में 36 जनपदों में कुल 275 स्वयं सेवी संस्थाएं मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1112/79-6-2012-1(2)/2012, दिनांक 28-9-2012 द्वारा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं कन्नौज में मध्यान्ह भोजन वितरण कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आप अब आ रहे हैं आप कहां बाथरूम में बैठे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बंध में दो प्रश्न करना चाहता हूं। नम्बर:1 एन0जी0ओ0 को किन शर्तों पर मिड-डे-मील योजना की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और क्या शाहजहांपुर इस विचार में शामिल है आगामी महीनों में या आगामी साल में जो अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें क्या शाहजहांपुर को भी इस श्रेणी में लाएंगे ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं उत्तर में ही बता चुका हूं कि जहां पर ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय मध्याह्न भोजन वितरित करने में असमर्थता व्यक्त करती हैं वहीं एन0जी0ओ0 को देने का प्राविधान रखा गया है और एन0जी0ओ0 को उसी आधार पर दिया जाता है कि वह भोजन समय से गुणवत्तापरक, गरम, स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराएगी उसी एन0जी0ओ0 को दिया जाएगा और इसमें जो भी कमी पायी जाती है उसका कांट्रेक्ट निरस्त कर दिया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो सवाल पूछ थे, दूसरे का उत्तर तो आया नहीं। पहले में मान्यवर, उस एन0जी0ओ0 की अर्हता क्या होनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरिएन्स तो इस प्रकार

का रहा नहीं वह तो नया एन0जी0ओ0 होगा तो मान्यवर, उसकी अर्हता क्या हो और क्या इसके बारे में शाहजहांपुर के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर बता चुका हूं कि एन0जी0ओ0 की शर्त वही है जो मिड-डे-मील की शर्त है कि आपको गुणवत्तापरक भोजन देना पड़ेगा, गर्म भोजन देना पड़ेगा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना पड़ेगा, यही शर्त है इसके अलावा और शर्त क्या हो सकती है। जहां तक शाहजहांपुर की बात है तो अक्षयपात्र जो संस्था है वह देश की नम्बर-1 की संस्था है भोजन सप्लाई करने में, उसकी आटोमैटिक मशीन है तो अभी पहली बार में चार जनपद लिये गये हैं, कानपुर नगर, कन्नौज, आगरा और लखनऊ, इसमें जमीन मिलने पर ही हो पायेगा, लखनऊ की जमीन चिन्हित हुई थी अब दूसरी जगह चिन्हित हो रही है, अगर अक्षयपात्र संस्था स्वीकार करेगी तो और भी जनपदों में इसके विस्तार की कार्रवाई करा देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी का कमरा कहां है, हम खोज नहीं पा रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आते हैं तो निर्णय लेने में परेशानी होती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट है कि यह जो योजना है स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह पोषाहार योजना के तहत् गर्म पका-पकाया भोजन उस दशा में वितरण की अनुमति प्रदान की गई, जब ग्राम पंचायतें/स्थानीय निकायों द्वारा स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने की असमर्थता व्यक्त कर दी जाय। मान्यवर, यह सारी चीजें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है आपके उत्तर से यह स्पष्ट है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां कौन सी योजना संचालित है या वहां भी यह जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एन0जी0ओ0 हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और यदि नहीं दी गई है तो यह किसके द्वारा वितरित किया जा रहा है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, गांवों में तो ग्राम सभा के माध्यम से होता है, नगरों में उत्तर में ही स्पष्ट है कि जहां पर नगर पंचायतें और ग्राम सभा एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि हम यह नहीं चला पायेंगे वहां एन0जी0ओ0 को दिया जाता है। जहां शहरों या गावों में प्रधान या सभासद चलाने की स्थिति में हैं वह चला रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि वह वृन्दावन गये थे अक्षयपात्र संस्था में और उससे प्रभावित हो करके उन्होंने प्रदेश के चार जनपदों का चयन किया कार्य को देने के लिए। मान्यवर, अक्षयपात्र संस्था से मैं भी काफी अच्छी तरह से परिचित हूं। वह जरूर अच्छा काम करेंगे परन्तु मुझे पता है कि आप भूमि देने के बाद जो उनकी किचेन की जो कास्ट आती

है वह 5 से लेकर 10 करोड़ तक है। सरकार जब इस मामले में अक्षयपात्र को इनवाइट कर रही है तो क्या उसको किचेन बनाने के लिए भी पैसा आवंटित करेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने तो दूसरा ही प्रश्न पूछ लिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, बैठ जाइये यह कोई सवाल नहीं है। किचेन वह अपना बनायेगा, उससे सरकार से क्या मतलब है ?

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, वह बड़ा कास्टली प्लान्ट होता है उसे इम्पोर्ट करते हैं। मान्यवर, यह योजना साकार रूप ले सके तो उसमें सरकार कुछ कन्ट्रीब्यूशन करे और कुछ वह खर्च करके लायें। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं तो इसमें मैं चाहूंगा कि शासन इसमें कुछ सहयोग करे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, यह कोई प्रश्न ही नहीं बनता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है उसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जहां ग्राम सभायें और स्थानीय निकाय अपनी असहमति व्यक्त करती हैं वहां हम निजी लोगों को देते हैं। मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। जो जमीनी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है जिसकी चर्चा हम लोग उस दिन बजट में भी कर रहे थे। हम लोगों ने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को समाप्त कर दिया इस मिड-डे-मील से। मैं सिर्फ दो बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई जांच करायेगी जिसके माध्यम से हम यह पता कर सकें कि इस मिड-डे-मील के नाते शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा है ? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपने मिड-डे-मील शुरू भी नहीं किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हो रहा है इसलिए जवाब में यह कहने की जरूरत भी नहीं है, यह सब हम लोग समझ रहे हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का कोई अध्ययन करायेगी कि यह जो मिड-डे-मील की व्यवस्था जो हम लोगों ने दी है उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है ? इस पर एक अध्ययन हो जाए। दूसरी चीज, यह जो शर्त हमने लगायी है कि स्थानीय निकाय जब मना करेंगे तब हम निजी लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए कहेंगे। इसके स्थान पर यह जो प्रयोग चला है, वह सफल हो जाए तो क्या इस प्रयोग को ऑटोमेटिकली ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों और टीचरों के हाथ से ले करके सीधे इन संस्थाओं को देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में ही मैंने बता दिया था कि शहरी क्षेत्रों में वार्ड कमेटियां एवं एन0जी0ओ0 के माध्यम से मिड-डे-मील का वितरण हो रहा है। जहां तक माननीय सदस्य, गोरखपुर ने सवाल पूछा कि इसका हम सर्वे करायेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका क्या असर पड़ता है ? यह महत्वपूर्ण सवाल है और पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे मा0 सदस्यों का हमेशा यह आरोप रहता

है कि प्राथमिक स्कूल या मिडिल स्कूल में लड़के मिड-डे-मील की लालच में पढ़ने जाते हैं और खाने की लालच में रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हालांकि श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर दिन भर उसी में उलझे रहते हैं, मास्टर से भी कोई मतलब नहीं है, रसोईयों की नियुक्ति हुई है। किचेन अलग से बनाने का प्राविधान हो रहा है। इसका हम जरूर सर्वे करायेंगे कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर मिड-डे-मील के वितरण का प्रभाव पड़ रहा है ? हम इसकी जांच भी करवायेंगे और इसका सर्वे भी करवायेंगे। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि मिड-डे-मील के कारण से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है लेकिन हम इसकी जांच करवा लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जब आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि मिड-डे-मील के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो जांच क्या करायेंगे ? मान्यवर, मंत्री जी से कहिये कि निष्पक्ष हो जांए और जांच करा लें।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि समाज का जो सबसे कमजोर और सबसे अशिक्षित वर्ग है, जो तालीम में काफी पीछे है, मुसलमान वर्ग है उसके सबसे कमजोर बच्चे मदरसों में तालीम लेते हैं जहां स्कूल नहीं हैं। तो ऐसे गरीब बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, मंत्री जी ने अभी बताया कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल में मिड-डे-मील उपलब्ध कराते हैं। समाज का सबसे गरीब तबका जो मदरसों में पढ़ता है क्या सरकार उन्हें भी मिड-डे-मील प्रोवाइड करेगी ? क्योंकि समाज में उनका सबसे ज्यादा हक है और उनको सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या सरकार मदरसों में मिड-डे-मील प्रोवाइड करायेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, इसको हम दिखवायेंगे। मकतबों में तो हो रहा है कुछ मदरसों में भी हो रहा है अगर कहीं नहीं हो रहा है तो मा0 सदस्य बतायेंगे हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे छावनी क्षेत्र में दो व्यवस्थायें हैं। छावनी क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उन पर छावनी क्षेत्र अलग से क्रियान्वयन करता है, पढ़ाई कराता है, अपने विद्यालय खोलता है। छावनी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं क्या उनमें भी मिड-डे-मील की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह मूल प्रश्न से अलग है। इस पर देखा जायेगा कि क्या व्यवस्था हो सकती है।

प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

*03-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को 3500 रु0 प्रतिमाह मानदेय लगभग 10 वर्षों से मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई

को देखते हुए शिक्षा मित्रों को मिलने वाले मानदेय में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

शिक्षामित्रों को दिनांक 09 फरवरी, 2009 से रु0 3500/-की दर से प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

जी हां।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का मानदेय वर्ष 2013-14 में रु0 5000/-प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2013-14 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले 28 जनवरी को धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों के द्वारा किया गया था और माननीय मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन उन लोगों को दिया गया था कि नहीं आप लोगों का 8500/- रुपये का मानदेय बनाकर हम प्रस्ताव भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि यह प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है ? क्या उसकी कोई समय सीमा तय की जायेगी ? क्योंकि इसमें लिखा है कि भेजा जा रहा है। भेजा गया है कि नहीं भेजा गया और कब तक भेजा जायेगा, सिर्फ यह बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, पूरा सदन गवाह है श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जितना शिक्षा मित्रों का बड़ा काम हुआ वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। उनको हम ट्रेनिंग कराकर नियमित अध्यापक बनाने हेतु कार्यवाही कर रहे है। भारत सरकार ने तो शिक्षा मित्र योजना बन्द कर दिया। उनका भविष्य अंधकार में चला गया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहल की और शिक्षा मित्रों का यह हुआ कि उनको ट्रेनिंग कराकर इनको पूर्णतया अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। इतना माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर हुआ कि जो डिग्री होल्डर हैं वह तो हो ही जायेंगें ट्रेनिंग के आधार पर लेकिन जो इन्टरमीडिएट पास हैं उनको भी ट्रेनिंग दे दी जायेगी और जब वह डिग्री हासिल कर लेंगें उनको भी नियुक्त कर दिया जायेगा। इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर हुआ किसी स्टेट में ऐसा हुआ नहीं इसके वावजूद भी कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि यहां पर एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में हम नहीं गये, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने आश्वासन दिया। हम नहीं गये, वह लोग यहां पर आये। आये तो मैंने यही प्रश्न किया कि जब पिछला बजट पास हुआ तो पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र हमारे यहां आये और कहा कि हम लोग जीवन में सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा काम हो जायेगा। आप मुख्य मंत्री जी को हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद दीजियेगा। मान्यवर, इसके बाद यह खेल खेला गया। उसके पहले श्रीमन् मैंने

5000 रुपया बढ़ाने के लिये पत्र केन्द्र सरकार को भेज दिया था धरना प्रदर्शन के पहले और जब मैंने उनको पत्र दिखलाया तो उनके साथ ये जितने लोग भी आये थे उन लोगों को डांटने लगे कि तुम लोगों ने भारी गलती की। हमने भेजा मंत्री की हैसियत से और बाद में विभाग ने भी उनको 5000 करने का केन्द्र सरकार को भेज दिया है। अब जब केन्द्र सरकार स्वीकृति करेगी क्योंकि योजना पूर्णतया उसकी है केन्द्र सरकार की, तब ही बढ़ोत्तरी हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार जल्दी उसको भेजे ताकि बढ़ोत्तरी हो सके।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जवाब में केवल यह आया है कि भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, यह उत्तर स्पष्ट नहीं आया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री संजय कपूर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य तेज पाल सिंह भी खड़े होकर बोलने लगे)

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तेजपाल जी, इनको पूछ लेने दीजिये, तब आप पूछिये। आप बैठ जायं। यह खड़े हैं, यह पूछ लें तब आप पूछियेगा।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, जैसा यह बताया गया कि शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग की बात है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह इनकी ट्रेनिंग कब तक समाप्त हो जायेगी। कब तक इनको पूर्ण रूप से अध्यापक बना दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

ट्रेनिंग में भेजे जायेंगें। जितना समय होगा उसमें पूरी हो जायेगी। कोई बढ़िया सवाल पूछो।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, यह ट्रेनिंग एक साथ नहीं कर रहे ट्रेनिंग, शिफ्ट वाइस हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि कब तक करा लेंगे ?

जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण

श्री तेज पाल सिंह-

मान्यवर, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौजूद हैं। मान्यवर, मथुरा जनपद में एक थाना पड़ता है शेरगढ़, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। किसान जो तूरी .....

श्री अध्यक्ष-

अब आप यह प्रश्न में कहां पूछ रहे हैं ?

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, प्रश्न नहीं। मैं सूचना दे रहा हूं वहां किसान जो है तूरी लेकर जा रहे थे पुलिस से कहा सुनी हो गई। पुलिस ने गोली चला दी।

श्री अध्यक्ष-

अभी थोड़ी देर में प्रश्न खत्म हो जाय, तब सूचना दीजिये। यह नहीं कि जब चाहे तब बोलने लगें। प्रश्न खत्म हो जाय तब कहियेगा। अभी आप थोड़ी देर में जब प्रश्न खत्म हो जाए तब सूचना दीजिए यह थोड़े ही है कि जब चाहें तब सूचना देंगे। एक प्रश्न खत्म हो जाए तब सूचना दें। यह नहीं जब चले आएं तब बोलने लगे। कोई भी सूचना नियमों के अन्तर्गत दी जाती है, आप लोग नियमों को मानते नहीं हैं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री प्रदीप चौधरी-

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षामित्रों को जो ट्रेनिंग के बाद अध्यापक का दर्जा देने की बात है तो क्या उनको सहायक अध्यापक के तहत उनको वेतन दिया जाएगा या वही मानदेय के आधार पर रखने का काम किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, जरा पढ़कर आया करो, जब टीचर हो जाएंगे तो पूरा वेतन दिया जाएगा या मानदेय दिया जाएगा। इतना तो समझ में आना चाहिए। पूरा प्रश्न पढ़कर रखा जाना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि प्राथमिक शिक्षा में लाखों की तादाद में शिक्षा मित्रों से संबंधित यह प्रश्न है और पूर्व में जब सपा सरकार थी तो शिक्षामित्रों के लिए पांच सौ रुपया मानदेय बढ़ाया था विगत ब0स0पा0 सरकार में भी, पांच सौ रुपया एक बार, पांच सौ रुपया एक बार एक हजार रुपये की वृद्धि की गई थी, उसी प्रकार से तमाम कल्याणकारी योजनायें सरकार चला रही है और विशेष रूप से नौजवानों के लिए, तो चूंकि लाखों की तादाद में शिक्षामित्र के रूप में आज प्राथमिक शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, यह कार्य कर रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं उनको शिक्षक बनाए जाने का प्राविधान तो कर दिया गया है लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं है। आप कह रहे हैं कि इण्टर के बाद इनको प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनायेंगे। अभी यह बहुत दूर की बात है क्योंकि अभी ग्रेजुएट का ही सिलसिला प्रारम्भ नहीं हुआ। तो जब तक इण्टर के लोगों को प्रशिक्षित करके अध्यापक के रूप में उनको स्थापित न किया जाए तब तक क्या इनका मानदेय संतोषजनक बढ़ाने की कृपा मा0 मंत्री जी करेंगे। तमाम कल्याणकारी योजनायें सरकार द्वारा संचालित हैं, तो उस कल्याणकारी भावना से, और उदार भावना से, कम से कम एक हजार रुपये की वृद्धि शिक्षामित्रों के मानदेय में करने की कृपा करेंगे। इसमें मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जिस ओर इशारा किया। मान्यवर, शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2000 द्वारा ढाई हजार मानदेय दिया जाता था। शासनादेश दिनांक 1 अक्टूबर 2005 द्वारा 2400 मानदेय दिया गया। शासनादेश दिनांक 15 जून 2007 द्वारा तीन हजार मानदेय दिया गया, शासनादेश दिनांक

9 फरवरी 2009 के द्वारा 3500 सौ मानदेय दिया गया। फिर मैंने सदन को आश्वस्त किया कि इसकी कार्य योजना हम पांच हजार रुपया करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजे हैं अलग से करने के लिए मैंने भी चिट्ठी लिखा है कि तत्काल इसको बढ़ाया जाए और जहां तक इण्टरमीडिएट की बात आपने कही, तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और यह छूट दे दी गई है मान्यवर, कि ट्रेनिंग पीरिएड में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों को जितनी सहूलियत उ0प्र0 सरकार ने दी है किसी सरकार ने नहीं दी, शिक्षा मित्र ट्रेनिंग भी करते रहेंगे और ग्रेजुएशन भी करते रहेंगे यह छूट दी गई है। आप जानते हैं आप सरकार में रहे हैं कि मानदेय केन्द्र सरकार ही बढ़ाएगी और आपके जमाने में दो बार मानदेय बढ़ा वह भी वहीं से बढ़ा है और मेरे जमाने में दो बार बढ़ा है वह भी वहीं से बढ़ा है यह योजना ही केन्द्र सरकार की है तो ज्यों ही केन्द्र सरकार से आ जाएगा बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जो बात आयी थी तो 60 हजार की 2013 के अन्त तक नियुक्तियां हो जानी हैं ट्रेनिंग विलम्ब से शुरू हुआ लेकिन इनकी ट्रेनिंग पूरी होते ही इनको अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मानदेय पर ही रहेंगे, अब तो बुद्धि की बलिहारी है। मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेनिंग करा करके अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में दुग्ध डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना

*04-श्री हुकुम सिंह एवं श्री लोकेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

जी हां।

दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दुग्ध डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान दुग्ध सहकारी समितियों को प्रदान किया जाता है। सम्बन्धित योजनाएं निम्नवत् हैं :-

अ-राज्य सेक्टर की योजनाएं

1-दुग्ध सहकारिताओं को सहायता (रिहैबिलिटेशन प्लान)

2-दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

3-ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध विकास कार्यक्रम हेतु अवस्थापना सुविधा।

4-सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटीकरण।

ब-जिला सेक्टर की योजनाएं

5-दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार योजना।

6-दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों, समितियों को तकनीकी निवेश सुविधा।

7-कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, लगता ऐसा है कि दुग्ध विकास, प्रदेश सरकार की न्यूनतम प्राथमिकता पर है और उसी से परेशान होकर मैंने प्रश्न किया था कि अनुदान देने की आपकी कोई योजना है या नहीं ? आपने इस योजना को सीमित कर दिया, केवल सहकारी क्षेत्र तक। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि राज्य स्तर पर कितनी सहकारी समितियां हैं, जिनको आप अनुदान दे रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, राज्य स्तर पर कुल 59 दुग्ध संघ हैं। पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर 59 दुग्ध संघ हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, आपका संरक्षण मिल जाए। इन्होंने कहा कि दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दुग्ध डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान दुग्ध सहकारी समितियों को प्रदान किया जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि कितनी आपकी राज्य सेक्टर की सहकारी समितियां हैं, राज्य स्तर पर जिनको आप अनुदान दे रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

59 दुग्ध संघ हैं, हमारे प्रदेश में। इन 59 दुग्ध संघों के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम इस व्यवसाय को चला रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि राज्य स्तर पर, राज्य सेक्टर में कोई सहकारी समिति है या नहीं ? मुझे जो जानकारी है कि कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह 59 जो दुग्ध संघ हैं, यह राज्य सेक्टर के हैं, क्योंकि इन्होंने दो सेक्टर अपने प्रश्न में बताया है, एक राज्य सेक्टर, दूसरा जिला सेक्टर तो यह जो 59 दुग्ध संघ हैं, यह राज्य सेक्टर के हैं या जिला सेक्टर के हैं, समितियां तो छोटी-छोटी बनेंगी तो वह पूरे राज्य भर में रहेंगी, अकेले जिले की नहीं रहेंगी तो वह बता दीजिए।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, इन 59 दुग्ध संघों को राज्य सेक्टर के द्वारा भी सुदृढ़ीकरण के लिए धन दिया जाता है और जिला सेक्टर के लिए भी दिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने केवल यह पूछा है कि राज्य सेक्टर स्तर पर कोई सहकारी समिति दुग्ध विकास के लिए या डेरी विकास के लिए स्थापित है, जिसको आप अनुदान दे रहे हैं।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

हमारे प्रदेश में कुल जो सहकारी समितियां हैं, गांव में वह 12608 हैं। इन्हीं समितियों को राज्य सेक्टर से भी और जिला सेक्टर की योजनाओं से सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, किया जाता है, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मान्यवर, आप मेरी रूचि समझ गए होंगे, मैंने किसी आलोचना के लिए प्रश्न नहीं किया है। मैं सिन्सियर्ली इस बात में रूचि ले रहा हूं कि डेरी सेक्टर का विकास होना चाहिए और डेरी सेक्टर के विकास के लिए जब तक सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं होगा तो नहीं हो पायेगा। चूंकि हमारे हर पड़ोसी प्रदेश में भारी अनुदान दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां पर डेरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है और हम पीछे हट रहे हैं। हमारे यहां तो डेरी सेक्टर जैसी कोई योजना ही नहीं है, न डेरी सेक्टर है। एक ले दे करके पराग है और पराग के ऊपर भी आपने आक्रमण शुरू कर दिया कि हम गुजरात से अमूल लायेंगे, पराग यहां समाप्त हो जायेगा। अमूल लायेंगे। जिस डेरी सेक्टर को इतने श्रम के बाद खड़ा किया गया था और जो अमूल की टक्कर देने वाला था उसको समाप्त करके आप अमूल ला रहे हैं। मैं उस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता मैं सवाल करना चाहता हूं। अभी प्रदेश सरकार ने अपनी उद्योग नीति घोषित की और उस उद्योग नीति में आप जो भी विभिन्न आकार के उद्योग लायेंगे उसी आकार के अनुरूप उनको अनुदान देंगे। जमीन खरीदने में भी सहायता करेंगे, बिजली में भी अनुदान देंगे जो वैट है उसमें भी अनुदान देंगे। तो डेरी भी एक उद्योग है जो किसान से जुड़ा हुआ है। जो आम जनता को दूध देने वाला है आम जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है। उस उद्योग के बारे में भी अनुदान की कोई योजना हो तो बता दें। दूसरे उद्योगों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दे रहे हैं। तो डेरी उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों का जो 55 करोड़ रुपये दूध का मूल्य बकाया था उसको सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पूरा पैसा देने का काम किया है। इसके अलावा जो हमारे कमजोर दुग्ध संघ हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सेक्टर से और जिला सेक्टर से भी धन देने का काम हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

जो बकाया कभी का था वह आपने दिया। मैं उद्योग की बात कर रहा हूं। मैं डेरी उद्योग के विकास और स्थापना की बात कर रहा हूं।

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मंत्री जी कहना चाह रहे थे कि जो पिछली सरकार का बकाया था हमने उसका भुगतान कर दिया। यही तो प्रोत्साहन होता है और क्या होता है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय ओम प्रकाश जी बहुत विद्वान हैं मैं उनकी विद्वता का लोहा मानता हूं। मैं सवाल करूंगा उत्तर प्रदेश का यह जवाब देंगे हरियाणा का और यह आपका जो विकसित ज्ञान है उसका आप

प्रमाण दे रहे हैं। मेरा तो यह सवाल ही नहीं था। और यह पूर्ववर्ती सरकार ने कोई उधार नहीं दे रखा था। पेमेंट नहीं हुआ होगा तो अब हो गया। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं केवल डेरी उद्योग के विकास की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप डेरी विकास के लिए कुछ कदम बढ़ायें, अनुदान दें। जब हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश डेरी उद्योग के लिए अनुदान दे सकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी बात सुनें। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं यह बड़ा नीतिगत सवाल है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बार-बार आपकी तरफ देख रहा हूं। आशा भरी निगाहों से मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। और मैं तब से आपकी तरफ ही निहार रहा हूं कि आपका इशारा उनकी तरफ जाये। क्योंकि मैं कहूंगा उसका प्रभाव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

मेरी तरफ मत देखिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इस बात की चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि कभी देश में उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर होता था। आज निम्न स्तर पर पहुंच रहा है। आप जनसंख्या के आधार पर, पशुओं की संख्या के आधार पर कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा दूध बना रहे हैं। मान्यवर, आज मदर डेरी का दूध यहां शुद्धिकरण के लिए आता है। दूध कलेक्शन वहां होता है जाता उत्तर प्रदेश से ही है। मैं खुद इतने केंद्र गिनवा सकता हूं जहां से दिल्ली के डेरी दूध कलेक्शन कर रही है। दूध ले जाते हैं मेरठ के प्लांट में भेजते हैं वहां उसका प्रोसेसिंग होता है फिर दूध वापस जाता है। एक दिन वह था जब मेरठ से प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध दिल्ली जाता था। कलकत्ता, महाराष्ट्र जाता था। आज कहीं दूध जा रहा है ? इसलिए नहीं जा रहा है कि आज हमारा डेरी उद्योग समाप्त हो गया है। जब आपने अपनी उद्योग नीति घोषित की उसमें आपने अनेक सुविधायें दीं, कंसेशन दिये, अनुदान दिये तो डेरी उद्योग की क्या खता थी जो सीधा-सीधा किसान से जुड़ा हुआ था। अल्पजोत होते हुए भी उसकी आमदनी बढ़ाने का साधन यह था। उसमें आपने क्यों नहीं किया ? मैं यह सवाल करना चाहता हूं। मान्यवर इसी का नोटिस ले लिया जाये कि सरकार इस पर ध्यान दें। इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी, जो यहां के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ हो, करोड़ों ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हो जो दूध के उपभोक्ता हैं, जिनको चाय के लिए दूध नहीं मिलता। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंनें कहा था कि दूध में मिलावट नहीं है, मिलावट तो तब होगी, जब दूध यहां मिलेगा, केवल केमिकल आधार पर दूध बनाया जा रहा है यहां पर। दूध बनाने का कारण क्या है ? कारण यही है कि हमने इस सेक्टर की पूर्णतः उपेक्षा कर दी। आज मैं उसी दर्द को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मा0 सदन के सामने खड़ा हुआ हूं। इस क्षेत्र के बारे में गम्भीरता से सोंचना चाहिए और हमें

किसान की दुग्ध उत्पादक की, जो सबसे उपेक्षित किसान होगा, छोटा होगा मान्यवर दूध उत्पादन का काम वही करेगा, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है वह। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि आप इस पर चिन्ता व्यक्त करें और सरकार को निर्देश दें कि इस उद्योग के लिए अनुदान की व्यवस्था करे।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, डेयरी कार्य को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा इसकी योजना बनाई गई है और इसका सम्बन्ध सीधे-सीधे पशुपालन विभाग से है। यह लघु उद्योग के रूप में हमारे घोषणा-पत्र में भी है और हम लोग इसको लघु उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रहे हैं, पशुपालन के द्वारा यह हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

चलिये मान्यवर, मेरा कुछ मार्ग दर्शन हुआ, क्योंकि यह सरकार सबसे ज्यादा इसी बात के ऊपर बल दे रही थी कि जो घोषणायें हमने की हैं घोषणा-पत्र में, उनको हम पूरा कर रहे हैं। अगर यह घोषणा आपके घोषणा-पत्र में थी कि आप डेयरी उद्योग को विकसित करेंगे, उनको अनुदान देंगे तो आज यह तथ्य हमारे सामने आया है। आपने 30 हजार के चेक भी दे दिये, पेन्शन भी दे दी, लैपटाप भी दे दिये, दूध पर आपका ध्यान नहीं गया क्या, डेयरी पर ध्यान नहीं गया क्या। मान्यवर, वह तो एक बच्चे तक मिल गया या एक बेटी तक मिल गया, यह तो यहां की 19 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुछ उत्पादक हैं और कुछ उपभोक्ता हैं मान्यवर, दोनों ही क्षेत्र इससे वंचित हो रहे हैं। चिन्ता इसलिए है कि इस डेयरी उद्योग के विकास के लिए सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, यह मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर और अगर अनुदान देने की बात है, विभिन्न राज्यों का एक अध्ययन करा कर के इसके बारे में एक निर्णय लेना चाहिए, यह मेरा आग्रह है मान्यवर, आपके माध्यम से।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अलीगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश का सबसे ख्याति प्राप्त संघ है, उसमें काफी सम्पत्ति है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है। पिछली सरकार ने उसको बेंचने का स्टीमेट बनवाया, भगवान की कृपा से बेंच नहीं पाये, उस पर कम से कम हजारों किसानों की रोजी-रोटी चलती है, बहुत कर्मचारी उसमें हैं और पिछले कई सालों से वह ठप पड़ी है, मैंनें मा0 मुख्य मंत्री जी से भी पूछा था, कई ऐसे संघ जो फेल हो गये थे, चलाये गये हैं, क्या अलीगढ़ जनपद में स्थापित जो संघ है और उसके साथ एक फैक्ट्री है, उसे सरकार चलाने पर विचार कर रही है, तो जवाब दे दें, या उसे बेंचने का प्रोग्राम हो तो बता दें। पिछली सरकार तो बेंच नहीं पाई थी, चलते-चलते छोड़ गई थी वह। तो मैं इसमें जानना चाहता हूं कि उस संघ को चलाने का क्या इरादा है ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, अलीगढ़ में सासनी हमारा दुग्ध संघ है, उसको चलाने के लिए हमने धनराशि आवंटित कर दिया है और बहुत शीघ्र ही वह चलना शुरू हो जायेगा ।

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत हो गये सवाल, अब आप लोग बैठिये, महाना जी, आप तो कानपुर शहर से आते हैं, शहर के बारे में पूछिये, कहां दूध के बारे में पड़े हैं, बैठिये। अब सवाल सब खत्म हो गये, अब कोई सवाल नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के ग्राम प्रधानपुर में पशु चिकित्सालय बनवाये जाने की मांग

01-श्री उमाशंकर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानपुर में पशु चिकित्सालय हेतु भूमि सुरक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम प्रधानपुर में पशु चिकिसालय की अपनी सुरक्षित भूमि पर चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हां।

विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण पशुचिकित्सालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

02-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

03-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने हेतु जिला योजना की बैठक में मा0 स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में ब्लाकवार हैण्ड पम्प लगाने की अनुमति के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा मांगी गयी सूची दिनांक 08-10-2012 को पत्रांक 074 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी किन्तु आज तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत विकास खण्ड चन्दौली एवं नियमताबाद में कुल 200 हैण्डपम्प अधिष्ठापित/रि-बोर कराये गये हैं। वर्तमान में विकास खण्ड चन्दौली की जनसंख्या 217885 तथा नियमताबाद की जनसंख्या 288975 के सापेक्ष क्रमशः 2958 एवं 2735 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। 150 की जनसंख्या पर मानकानुसार 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित होना चाहिए परन्तु इसके विपरीत चन्दौली विकास खण्ड में 74 तथा नियमताबाद में 106 की औसत आबादी पर 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

नोट :-नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

इस प्रकार पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानक के दृष्टिगत अतिरिक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का औचित्य नहीं है। फिर भी पत्रांक 074 से प्राप्त सूची परीक्षणाधीन है और यदि यह पाया जाता है कि सूची में कोई असेवित बस्ती है तो अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री बब्बन सिंह चौहान-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

05-श्री जय प्रकाश निषाद-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

06-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में बीमारी की रोकथाम के लिए तथा इलाज की समुचित व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह जैन-

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं इलाज की समुचित व्यवस्था विभागीय संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में बजट एवं भूमि उपलब्ध होने की दशा में 15000 पशुओं की संख्या पर, 09 कि0मी0 की दूरी पर पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाता है। इसी व्यवस्था के क्रम में सोनभद्र जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पशुओं की बीमारी की रोकथाम एवं इलाज की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चकगंजरिया डेयरी फार्म की क्षमता बढ़ाकर संचालित करने का विचाराधीन प्रकरण

07-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चकगंजरिया में 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले डेयरी का शिलान्यास किया गया है ? यदि हां, तो उक्त डेयरी का संचालन कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नये हैण्डपम्प की स्थापना की मांग

08-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र तिलहर के सैकड़ों गांवों में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर तथा पानी की गम्भीर

समस्या को देखते हुए सरकार 1000 नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर, निगोई तथा सिधौली की वर्तमान जनसंख्या 496500 के सापेक्ष कुल 5884 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार औसत 84 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है जबकि मानकानुसार 150 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित होना चाहिए। अतएव अधिष्ठापित हैण्डपम्प के दृष्टिगत प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र संतृप्त होने के कारण अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामों में निर्मित पानी की टंकियों को चालू कराये जाने की मांग

09-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामों में निर्मित शुद्ध पीने के पानी की टंकियों द्वारा आज तक पानी सप्लाई न होने से आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ग्रामीणों को गम्भीर बीमारी व कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 31 नग पाइप पेयजल योजनाओं में कुल 34 नग टंकियां निर्मित की जा चुकी हैं। जिनमें से 22 नग टंकियां आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में निर्मित हैं। उक्त टंकियों से शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। शेष आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में 85 नग अत्यधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चक गंजरिया फार्म को शिफ्ट किये जाने का विचाराधीन प्रकरण

10-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकगंजरिया फार्म की लुप्तप्राय साहिवाल गायों को बाराबंकी के नेबलेट फार्म में शिफ्ट किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त फार्म में टी0बी0 और बिर्सुला जैसे लाइलाज रोग से ग्रसित पशुओं को रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में डार्क जोन घोषित जिलों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठान व रि-बोरिंग की कार्यवाही

11-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वाराणसी सहित राज्य के डार्क जोन घोषित जिलों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन रि-बोरिंग आदि पर सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में शीतल पेय कम्पनी अथवा अन्य प्रकार से जल शोधन कर बोतल में बिक्री किये जाने वाले संयंत्रों पर भी रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी नहीं। प्रदेश में वाराणसी सहित राज्य के डार्क जोन घोषित जिलों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठान रि-बोरिंग पर सरकार द्वारा रोक नहीं लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित गांवों में विकास कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में विकास कार्यों को करने के लिए किन-किन विभागों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गयी है तथा इन विकास कार्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कुल 22 विभागों के माध्यम से 36 कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। चयनित ग्रामों में विकास कार्यों को करने के लिए नामित कार्यदायी विभागों का विवरण निम्नवत् हैं :-

लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, लघु सिंचाई, राजस्व, मत्स्य, व्यवसायिक शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, खाद्य एवं रसद विभाग एवं कृषि विभाग।

उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कुल धनराशि रु0 206.88 लाख स्वीकृत हुई है। सभी कार्यों को दिनांक 31-3-2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐरायां में ब्लाक का कार्यालय बनाये जाने की मांग

13-श्री मो0 आसिफ-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ऐरायां विकास खण्ड का कार्यालय वहां से 15-20 कि0मी0 दूर खागा में स्थित है, जबकि ग्राम ऐरायां में ब्लाक का कार्यालय

बनाये जाने हेतु भूमि की रजिस्ट्री हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में उपलब्ध भूमि पर विकास खण्ड कार्यालय का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

ऐरायां विकास खण्ड का कार्यालय वहां से लगभग 10 कि0मी0 दूर नगर पंचायत खागा में स्थित है। ग्राम ऐराया में ब्लाक कार्यालय बनाये जाने हेतु भूमि की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड का कार्यालय भवन इसी विकास खण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत खागा में पहले से निर्मित है।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा के ग्राम चौहट्टा में फ्लोराइट युक्त पानी की समस्या के समाधान के उपाय

14-श्री मो0 आसिफ-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा के ग्राम चौहट्टा में हैण्डपम्प का फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ''फ्लोरोसिस'' के प्रकोप से सैकड़ों लोग विकलांगता के शिकार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां। कुछ लोग प्रभावित हैं।

वर्तमान में चौहट्टा में नलकूप के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। चौहट्टा में 04 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प भी स्थापित तथा क्रियाशील है। इन हैण्डपम्पों पर फ्लोराइड रिमूवल प्लान्ट लगाये गये हैं ताकि शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार फ्लोराइड की समस्या का समाधान कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ से लखनऊ स्थानान्तरित अध्यापकों के रुके वेतन का भुगतान की कार्यवाही

15-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 के अन्तिम महीनों में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं का सत्यापन न होने से लगभग पांच माह का वेतन रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद आजमगढ़ से जनपद लखनऊ में स्थानान्तरित हुये उ0मा0 विद्यालय के कितने अध्यापकों का सत्यापन न होने से वेतन अभी तक नहीं मिला है ? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए स्थानान्तरित अध्यापकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वर्ष 2103 के अन्तिम महीने नहीं अपितु वर्ष 2012 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरित शिक्षकों का सत्यापन सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त हो गया है। उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

उ0 मा0 विद्यालय (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद मथुरा में प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पिछले 2 वर्षों के अन्तराल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कितनी नई सड़कों का निर्माण हुआ है एवं किन-किन सड़कों पर (अनुरक्षण) रख-रखाव के अन्तर्गत कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि पिछले 2 वर्षों में (अनुरक्षण) रख-रखाव सिर्फ कागजों में करके विभाग द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जनपद मथुरा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के अन्तराल में किसी नई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। विगत दो वर्षों (वर्ष 2011-12 व 2012-13) में जनपद मथुरा में वर्ष 2011-12 में 77 मार्गों पर कराये गये अनुरक्षण कार्यों पर रु0 87.09 लाख तथा वर्ष 2012-13 में 88 सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव पर रु0 25.10 लाख व्यय किये गये हैं। उक्त मार्गों से सम्बन्धित मार्गवार व्यय का विवरण संलग्नक-1* पर अंकित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जिन मार्गों का अनुरक्षण कराया गया है, उनका स्थलीय निरीक्षण स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा धनराशि के दुरुपयोग का कोई उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्याओं में नहीं किया गया है। संलग्नक-1 में मार्गों के सम्मुख स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा किये गये निरीक्षण की तिथियां भी अंकित कर दी गयी है।

जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी की ग्राम सभा शिवरामपुर के जू0 हाई स्कूल की भूमि के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट, तहसील कर्वी, ग्राम सभा शिवरामपुर स्थित जू0 हाई स्कूल की भूमि पर स्कूल कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा कर अपना निजी निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-199-202 पर)

पूर्व माध्यमिक विद्यालय, शिवरामपुर में विद्यालय भूमि पर किसी भी विभागीय कर्मचारी व स्कूल कर्मचारी द्वारा अवैध कब्जा/निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

प्रदेश में पशुओं के बांझपन निवारण की योजना

18-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुओं में हो रही भीषण बांझपन की समस्या के निराकरण की सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

पशुओं के बांझपन निवारण की योजना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वरिष्ठ लिपिक द्वारा शादी अनुदान की आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच कार्यवाही की मांग

19-श्री राम सरन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ लिपिक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बहराइच द्वारा शादी अनुदान योजना में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की कमेटी गठित कर जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0-10139014/2012, प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में तैनात विशेष कार्याधिकारी से प्रारम्भिक जांच करायी गयी है। जांच में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बहराइच कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध कतिपय अनियमितताएं प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई हैं। प्रारम्भिक जांच के आधार पर दोषी पाये गये कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

20-कुंवर भारतेन्द्र-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनेक मार्गों के निर्माण की मांग

21-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राजमल से ढकऊ मार्ग, जामपुर मार्ग से हुलासपुर तक, लखनऊ के कुंवरपुर मार्ग, नलगा धनवन्त मार्ग से गणीदया मार्ग, राजमल से नगला करन सिंह

मार्ग, एटा अवागण मार्ग से रूदगणी मार्ग, पमारी से लालगणी मार्ग तथा छितरई से वाजराई गणी मार्ग का नवनिर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का नव निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-4.6 के अनुसार योजनान्तर्गत मात्र उन्हीं मार्गों का निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है जो जनपद के ''कोरनेटवर्क'' में सम्मिलित हो। प्रश्न में उल्लिखित 08 मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् हैं :-

(क) जनपद के ''कोरनेटवर्क'' में सम्मिलित न होने वाले मार्ग :-

(1) राजमल से ढकऊ मार्ग।

(2) जामपुर मार्ग से हुलासपुर मार्ग।

(3) लखनऊ से कुंवरपुर मार्ग।

(4) छितरई से वाजराई गयी मार्ग।

(ख) अन्य मार्ग से 500 मी0 की दूरी से कम दूरी पर स्थित बसावट/मार्ग :-

(5) नगला धनवन्त मार्ग से गणीदया मार्ग जनपद के कोरनेटवर्क में एत्मादपुर देवखेरा मार्ग से गढ़ी दयाराम मार्ग के नाम से अंकित है तथा इससे जुड़ने वाली बसावट दयाराम मुख्य मार्ग से मात्र 400 मी0 की दूरी पर स्थित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3.3 के अनुसार योजनान्तर्गत उन्हीं बसावटों के लिये मार्ग निर्माण प्रस्तावित किये जा सकते हैं, जो किसी सर्वऋतु मार्ग से कम से कम 500 मी0 की दूरी पर स्थित हो।

चूंकि उक्त मार्ग से जुड़ने वाली बसावट मात्र 400 मी0 दूरी पर स्थित है, अतः योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।

(ग) शेष अन्य तीन मार्गों :-

(6) राजमल से नगला करन सिंह मार्ग।

(7) एटा अवागढ़ मार्ग से रूदगणी मार्ग।

(8) पमारी से लालगढ़ मार्ग।

(''कोरनेटवर्क'' में एत्मादपुर देवखेरा मार्ग के नाम से अंकित) से जुड़ने वाली बसावटें नगला करन सिंह, रूदगणी तथा लालगढ़ी की ''कोरनेटवर्क'' में अंकित आबादी क्रमशः 240, 350 व 62 हैं तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-2.1 के अनुसार मैदानी प्रदेशों में (नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/जनपदों को छोड़कर) 500 या इससे अधिक आबादी को गैर-जुड़ी बसावटों को ही सर्वऋतु मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव ही योजना में किये जा सकते हैं। चूंकि उक्त तीनों मार्गों से जुड़ने वाली बसावटों की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद के कोरनेटवर्क में दर्शित आबादी

500 से कम है, अतः प्रश्नगत मार्गों का निर्माण योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अनेक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य

22-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद पचवान आवास से मिलिक जलेसर रोड तक, एटा अवागण मार्ग से कुतकपुर होते हुये नगला पार होते हुये ऐरई तक, एटा अवागण मार्ग से चिलासनी तक, हसन चौराहे से निहाल सिंह की पुलिया तक तथा ढारपूढा से भीकनपुर होते हुये साती रोड तक सड़कों का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

प्रश्न में उल्लिखित मार्ग या तो जनपद के कोरनेटवर्क में सम्मिलित नहीं है अथवा ''काम्प्रेहेन्सिव अपग्रेडेशन प्रायोर्टी लिस्ट'' (सी0यू0पी0एल0) में काफी नीचे हैं, के दृष्टिगत वर्तमान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त मार्गों का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(क) जनपद के कोरनेटवर्क में सम्मिलित न होने वाले मार्गों के विवरण निम्नवत् है :-

(1) फिरोजाबाद पचवान आवास से मिलिक जलेसर रोड तक।

(2) हसन चौराहे से निहाल सिंह की पुलिया तक का आंशिक भाग (आनन्दपुर से हसन चौराहे तक)

(ख) जनपद फिरोजाबाद की ''काम्प्रेहेन्सिव अपग्रेडेशन प्रायोर्टी लिस्ट'' (सी0यू0पी0एल0) में काफी नीचे अंकित होने वाले मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) एटा अवागढ़ मार्ग से कुतकपुर होते हुए नगला पार होते हुए ऐरई तक।

(2) एटा अवागढ़ मार्ग से चिलासनी तक।

(3) हसन चौराहे से निहाल सिंह की पुलिया तक।

(उक्त मार्ग के नाम से कोरनेटवर्क में अंकित है, जिसका एक भाग आनन्दपुर से हसनपुर चौराहे तक कोरनेटवर्क में सम्मिलित नहीं है।)

(4) ढारपूढ़ा से भीकनपुर होते हुए साती रोड तक।

(उक्त मार्ग फिरोजाबाद कोटला मार्ग से भीकनपुर मार्ग के नाम से कोरनेटवर्क में अंकित है।)

उपरोक्तानुसार।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-4.6 में किये गये प्राविधानों के अनुसार मार्गों के जनपद के कोरनेटवर्क में सम्मिलित होने तथा जनपद की ''काम्प्रेहेन्सिव अपग्रेडेशन प्रायोर्टी लिस्ट'' (सी0यू0पी0एल0) में अंकित वरीयता के अनुसार मार्गों के उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद में उक्त सूची के क्रमांक-1 से 9 तक के ही मार्ग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जबकि प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का क्रमांक उक्त सूची में काफी नीचे अंकित है अथवा जनपद के कोरनेटवर्क में सम्मिलित ही नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त मार्गों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा में बालू खनन का कथित प्रकरण

23-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा अन्तर्गत लक्ष्मीपुर पडरहवा बन्धे से बड़े पैमाने पर बालू ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से खनन किये जाने के कारण नारायणी नदी से सटे बन्धे जर्जर होते जा रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से बालू खनन के दोषियों को दण्डित करते हुये खनन बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या के निराकरण के उपाय

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प जहरयुक्त (आर्सेनिक) पानी दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस-किस विकास खण्ड में तथा किन-किन ग्राम सभाओं में आर्सेनिक युक्त जहरीला पानी पीने को मिल रहा है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं में डीप बोरिंग कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

संलग्न* सूची के अनुसार जनपद के 05 विकास खण्डों की कुल 165 बस्तियों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मानक से अधिक पाई गयी थी, परन्तु इनमें से 108 बस्तियों में गहरे नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनाओं तथा 57 बस्तियों में अधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि समस्त ग्राम सभाओं की आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। इस प्रकार आर्सेनिक युक्त जहरीला पानी मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद में आर्सेनिक प्रभावित समस्त ग्राम सभाओं में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-203-204 पर)

जनपद खीरी के विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम सोठियाना के प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की तैनाती की मांग

25-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-खीरी के विकास खण्ड-रमियाबेहड़ के ग्राम सोठियाना में प्राथमिक स्कूल के भवन का निर्माण हो चुका है, किन्तु शिक्षकों की तैनाती अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रमियाबेहड़ स्थित ग्राम सोठियाना में प्राथमिक स्कूल के भवन निर्माण के उपरान्त उक्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालय को संचालित कराया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री जय प्रकाश निषाद-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षकों के भुगतान की मांग

27-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कितने सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षकों के राशिकरण (पेंशन बेची नामा) का भुगतान कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार द्वारा शेष का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद मऊ में वर्ष 2011-12 में 124 शिक्षक तथा वर्ष 2012-13 में 133 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं जिसमें वर्ष 2011-12 के सेवानिवृत्त समस्त 124 शिक्षकों को राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 के सेवानिवृत्त 133 शिक्षकों के राशिकरण का भुगतान किया जाना शेष है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री रोशन लाल वर्मा-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचल के ग्रामों में हैण्डपम्प स्थापित करने के आदेश

29-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में पेयजल निदान हेतु ब्लाक राया, बलदेव व फरह के ग्रामीण अंचल के ग्रामों में जनपद मथुरा के प्रभारी मंत्री द्वारा 50-50 हैण्डपम्प स्थापित कराने के निर्देश/आदेश प्रश्नकर्ता के द्वारा जिलाधिकारी मथुरा को दिनांक 14-02-2013 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो क्या हैण्डपम्प स्थापित कराने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

उपर्युक्त पत्र दिनांक 14-2-2013 में उल्लिखित वि0ख0 में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

उक्त विकास खण्डों की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एवं वर्तमान में अभिकल्पित जनसंख्या के अनुसार अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

वि0ख0	2001 की जनसंख्या	2013 की अभिकल्पित जनसंख्या	अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या	प्रति हे0प0 सेवित औसत जनसंख्या
राया	166143	206017	2849	72
बलदेव	155935	193421	2971	65
फरह	126824	156021	1710	91

उपरोक्त विकास खण्ड निर्धारित मानकानुसार (150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प) हैण्डपम्पों से संतृप्त है। फिर भी सर्वेक्षणोपरान्त यदि कोई असेवित बस्ती पायी जाती है तो निर्धारित मानकानुसार हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की कतिपय ग्राम सभा में नाला बनवाये जाने की मांग

30-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा सतपोखरी व दुलहीपुर मुस्लिम बस्ती में पानी निकासी की जटिल समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों के पानी निकासी के लिये नाला बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

ग्राम सभा सतपोखरी एवं दुलहीपुर मुस्लिम बस्ती में कुल 1000 मीटर नाला निर्माण कार्य कराये जाने पर लगभग 20.00 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। जल निकासी हेतु नाला के मार्ग पर जगह-जगह घर बने हैं। प्रश्नगत कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की मांग

31-श्री ओम कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में पेयजल की भीषण समस्या को ध्यान में रखते हुये कम से कम 2000 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में निर्धारित मानक के अनुसार इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में स्टेडियम स्थापना कराये जाने की मांग

32-श्री ओम कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में खेल-कूद हेतु स्टेडियम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुये नहटौर या हल्दौर में स्टेडियम की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

33-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के बी0एन0 इण्टर कालेज अकबरपुर की प्रबन्ध समिति को भंग करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

34-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वी0एन0 इण्टर कालेज, अकबरपुर, जिला-अम्बेडकर नगर की प्रबन्ध समिति को भंग करने के सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), इलाहाबाद का पत्र संख्या-4431, दिनंक 28-02-2011 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अपर शिक्षा निदेशक (मा0) इलाहाबाद के पत्र दिनांक 28-2-2011 द्वारा वी0एन0 इण्टर कालेज, अकबरपुर अम्बेडकर नगर की प्रबन्ध समिति को भंग करने के सम्बन्ध में नहीं अपितु प्रकरण को पुंजित करने की संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी थी।

निदेशालय की उक्त संस्तुति के आलोक में प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही को पुंजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री राजकुमार रावत-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल में इन्दिरा आवास दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ग्राम रोशननगर, ग्राम पंचायत शहबाजनगर, ब्लाक ददरौल के 5 पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-250 दिनांक 04-01-2013 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य विधान सभा का सन्दर्भित पत्र सं0-250 दिनांक 04-01-2013 मुख्य मंत्री कार्यालय, सांसद/विधायक प्रकोष्ठ सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0आई0ओ0 202290/2013 दिनांक 17-1-2013 द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कार्यालय, शाहजहांपुर को दिनांक 31-1-2013 को प्राप्त हुआ है।

सन्दर्भित पत्र में अंकित ग्राम रोशननगर, ग्राम पंचायत शहबाजनगर के पांचों व्यक्तियों के नामों की पात्रता आदि की जांच खण्ड विकास अधिकारी, ददरौल से करायी गयी, जिसमें यह पाया गया है कि उपलब्ध पांचों नामों में से कोई भी व्यक्ति स्थायी पात्रता सूची में मौजूद नहीं है। इसलिये इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के समाज कल्याण विभाग में कतिपय कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण

37-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-25 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-25 के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच द्वारा पत्र सं0-1880, दिनांक 06-03-2013 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विधान सभा पयागपुर के ग्राम पंचायतों से स्वीकृति के उपरान्त बी0पी0एल0 सूची धारक विकास खण्ड पयागपुर के 69, विशेश्वरगंज के 95 हुजूरपुर के 42, कैसरगंज के 218 एवं जरवल के 146, कुल 570 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिसमें विकास खण्ड पयागपुर के पात्र 69, विशेश्वरगंज के पात्र 84, हूजुरपुर के पात्र 03, कुल 156 पात्र लाभार्थियों के आवेदन-पत्रों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विकास खण्ड कैसरगंज के 218 एवं जरवल के 146 प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त विकास खण्ड कैसरगंज के पात्र 110 एवं जरवल के 146 के सापेक्ष 120 पात्र कुल 230 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच द्वारा पत्र सं0-724-25, दिनांक 06-03-2013 के माध्यम से अवगत कराया है कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर से प्राप्त 43 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 02 आवेदन-पत्र अपात्र पाये गये तथा 41 पात्र आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 06 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है। 35 आवेदन-पत्रों की स्वीकृति शासन से धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी। विकास खण्ड विशेश्वरगंज से प्राप्त 44 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 05 आवेदन-पत्र अपात्र पाये गये तथा 39 पात्र आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 14 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है। 25 आवेदन-पत्रों की स्वीकृति शासन से धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी। विकास खण्ड जरवल से 31 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा 31 पात्र आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 01 आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जा चुका है। 30 आवेदन-पत्रों की स्वीकृति शासन से धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी। विकास खण्ड कैसरगंज से प्राप्त 76 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 13 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है। 63 आवेदन-पत्रों की स्वीकृति शासन से धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी। विकास खण्ड हुजूरपुर से प्राप्त 22 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 01 आवेदन-पत्र अपात्र पाया गया तथा 21 पात्र आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 05 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है। 16 आवेदन-पत्रों की स्वीकृति शासन से धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, बहराइच द्वारा पत्र संख्या-1543-44, दिनांक 6-3-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायतों से स्वीकृति के उपरान्त बी0पी0एल0 सूची धारक विकास खण्ड पयागपुर के 32, विशेश्वरगंज के 23, जरवल के 27, हुजूरपुर के 76 तथा कैसरगंज के 24 कुल 182 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदन-पत्रों के लाभार्थियों की धनराशि दिनांक 26-9-2012 को लाभार्थियों के बैंक बचत खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज-10 में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

38-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-24 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 सम्पर्क मार्गों का निर्माण प्रधान मंत्री

ग्रामीण सड़क योजना फेज-10 में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

फेज-10 के अन्तर्गत उक्त मार्गों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 20-6-2012 को भेज दिया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 2-11-2012 को प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

39-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0नं0 138674/1051, दिनांक 20-8-2012 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा 70 हैण्डपम्पों के रि-बोर हेतु सूची प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण कराने पर 43 नग हैण्डपम्प रि-बोर योग्य पाये गये, जिसकी रि-बोरिंग जनपद हेतु निर्धारित वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था विषयक पत्र पर कार्यवाही

40-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0 102185/1362, दिनांक 28-9-2012 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, कार्यालय, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 365/एम0एस0/एम0एल0ए0/12, दिनांक 09-10-12, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

उक्त संदर्भित पत्र में जनपद बहराइच के 04 विकास खण्डों क्रमशः विशेश्वरगंज, जरवल, हुजूरपुर एवं कैसरगंज में कुल 631 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु सूची उपलब्ध कराई गयी है।

उक्त विकास खण्डों की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एवं वर्तमान में अभिकल्पित जनसंख्या के अनुसार वांछित तथा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

वि0ख0	2001 की जनसंख्या	2013 की अभिकल्पित संख्या	मानक के अनुसार हैण्डपम्प की संख्या	अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
विशेश्वरगंज	166831	216880	1446	3361
जरवल	139803	220484	1470	2897
हुजूरपुर	150662	195809	1305	3119
कैसरगंज	147613	191897	1279	2806
योग--	634669	825070	5500	12183

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संदर्भित विकास खण्ड हैण्डपम्प को निर्धारित मानकों में संतृप्त हैं एवं अतिरिक्त हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में इन्दिरा आवास में घोटाले विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

41-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर में इन्दिरा आवास में घोटाले विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 07-12-12 पर मुख्य मंत्री कार्यालय का कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0/0179059/2012 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 5-12-2012, जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय का कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0/0179059/2012, दिनांक 7-12-2012 अंकित है, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है।

शासन के अर्द्ध0शा0प0सं0-विधा0-133/38-4-12-13 (जांच)/12, दिनांक 2-1-2013 द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश आयुक्त, ग्राम्य विकास को दिये जा चुके हैं और कृत कार्यवाही से शासन के पत्र दिनांक 11-1-13 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को भी अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम गौहनिया के पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

42-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम गौहनिया में 08 वर्ष पूर्व निर्मित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सक की तैनाती कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम सभा चौकवा के ग्राम गौहनिया के पशु चिकित्सालय के संचालन हेतु अंशकालिक रूप से उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रामनगर को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तैनात किया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने की मांग

43-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक कुल 153 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के अनेक ग्रामों में निर्मित पेयजल टंकियों को चालू कराये जाने की मांग

44-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम उम्मरगण व ग्राम भैसा बृजपुर, कुतुकपुर व ग्राम मौहवल्ली में पेयजल टंकियों का निर्माण काफी वर्ष पूर्व कराया गया था जो वर्तमान में बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों का पुनर्गठन का कार्य कराकर पेयजल सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड टूण्डला में स्थित रामगढ़ उर्फ उम्मरगण पेयजल योजना में ग्राम उम्मरगण सम्मिलित है। यह योजना काफी पुरानी है। इस योजना के नलकूपों का जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी नहीं दे रहे हैं तथा योजना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

ग्राम भैसाबृजपुर की पेयजल योजना वर्ष 2007-08 में निर्मित की गई थी, जिसमें एक शिरोपरि जलाशय भी सम्मिलित है। पेयजल योजना जल निगम द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

ग्राम कुतुकपुर की पेयजल योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है।

पहाड़ीपुर भौंडेला पेयजल योजना में ग्राम मोहवल्ली सम्मिलित है। यह योजना काफी पुरानी है। इस योजना के नलकूपों का जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी नहीं दे रहे हैं तथा योजना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की कार्य योजना बनाई गयी है। तद्नुसार चरणबद्ध रूप से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के साथ-साथ उपर्युक्त गांवों में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण/पुनर्गठन प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सक्रिय करने सम्बन्धी जानकारी

45-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी मत्स्य जीवी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? क्या निष्क्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सक्रिय करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कुल 1032 मत्स्य जीवी सहकारी समितियां पंजीकृत है।

वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पशुओं में फैल रही बीमारियों की रोकथाम हेतु पशु चिकित्सक एवं कर्मचारियों की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी

46-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुओं में फैल रही बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में रिक्त पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जिन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं वहां स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत अंशकालिक रूप से पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील धौरहरा की ग्राम पंचायतों के खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की मांग

47-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जनपद खीरी की तहसील धौरहरा में स्थाई रूप से कुल 1581 हैण्डपम्प खराब हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 150 हैण्डपम्प रि-बोर किये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधन के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष 1431 हैण्डपम्प रि-बोर किये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार की भांति राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा भत्ता देने की मांग

48-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति क्या सरकार राज्य कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अलावा चिकित्सा भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

राज्य सरकार के पेंशनरों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर होने वाले व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश राज्य सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में है। अतः पृथक से चिकित्सा भत्ता दिये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापना कराये जाने की मांग

49-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्रीय लड़कियों को शिक्षण सम्बन्धी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में शिक्षण हेतु पर्याप्त विद्यालय संचालित है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में पानी की समस्या के निराकरण के उपाय

50-श्री तसलीम-

या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत पीने के पानी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए 500 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में निर्धारित मानकानुसार इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र हैण्डपम्प से संतृप्त है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में विधायक निधि से कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

51-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में विधायक निधि योजना से विभिन्न विकास कार्य कराये जाने के प्रश्नकर्ता द्वारा लगभग 07 माह पूर्व दिये गये प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी बदायूं द्वारा आज तक प्राक्कलन नहीं बनाया गया है और न ही कोई धनराशि ही अवमुक्त की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में विकास सम्बन्धी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01-10-2012 को 39 कार्यों का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इन 39 कार्यों में से 12 कार्यों के लिये रु0 61.155 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था को रु0 36.693 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में मुख्य विकास अधिकारी बदायूं द्वारा दिनांक 7-3-2013 को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 3-12-2012 को 106 सोलर लाइटों के अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इन 106 सोलर लाइटों की स्थापना हेतु रु0 7,20,270 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं द्वारा दिनांक 21-2-2013 को स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था यू0पी0 नेडा को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-12-2012 को 10 वाटर रेफ्रिजरेटर लगाये जाने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित 155 कार्यों में से 118 कार्यों पर धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष कार्यों के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन मांगे गये हैं।

औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अवशेष कार्यों के सापेक्ष धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कराये जाने की मांग

52-श्री जाकिर अली-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा हेतु कोई संस्थान न होने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

जनपद गाजियाबाद में 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 27 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। अतः पूरे जनपद में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की पर्याप्त संख्या है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कराये जाने की मांग

53-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थान न होने से क्षेत्रीय छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जनपद सोनभद्र में 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 21 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। अतः पूरे जनपद में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री बब्बन सिंह चौहान-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम पंचायत चन्दाइत में पोखरे के सौन्दर्यीकरण की मांग

55-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चन्दाइत में छठ पूजा हेतु पोखरे का सुन्दरीकरण जनहित में अति आवश्यक है ? क्या पोखरे का सुन्दरीकरण एवं पक्का घाट सरकार बनवा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

ग्राम सभा चन्दाइत में छठ पूजा हेतु पोखरे की कुल माप 130x70 मीटर है जिसको बनवाने पर लगभग 14.00 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मानदेय देने सम्बन्धी जानकारी

56-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 3000/- रुपये मानदेय दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद वाराणसी में कितने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी चिन्हित किये गये हैं तथा उनमें से कितनों को उक्त मानदेय दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ?

श्री रामकरन आर्य-

जी नहीं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आवेदन करने पर रुपये 3000/- प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जनपद वाराणसी के 06 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता आवेदन के उपरान्त दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच व श्रावस्ती के कर्मचारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी धन का गबन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

57-श्री राम शरन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच व श्रावस्ती में कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सरकारी धन का गबन करने के विरुद्ध संयुक्त सचिव के पत्र संख्या-878/64-2-11, दिनांक 14-07-11 द्वारा जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 14-7-2011 द्वारा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

जी हां।

(1) जांच में पाया गया कि जनपद बहराइच में रु0 44.00 लाख की अनियमितता में प्रधानाचार्य, राम दुलारे, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्यामपुर नदौना तथा सह खातेदार दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात बहराइच में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19-10-2011 को दर्ज करायी गयी है जिसकी विवेचना वर्तमान में आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

(2) केनरा बैंक में फर्जी खाता खोलकर धनराशि निकाले जाने के सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ में तत्कालीन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध दिनांक 7-4-2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसमें विवेचना उपरान्त फाइनल रिपोर्ट दिनांक 19-3-2012 को क्षेत्राधिकारी नगर के कार्यालय में प्रेषित की गयी है।

(3) जिलाधिकारी, श्रावस्ती ने अवगत कराया है कि जनपद श्रावस्ती में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र वरोली अहीर की ग्राम पंचायत ककूआ के क्षतिग्रस्त पशु चिकित्सालय की मरम्मत कराये जाने की मांग

58-श्री काली चरन सुमन-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र वरोली अहीर आगरा की ग्राम पंचायत ककूआ पशु चिकित्सालय का भवन क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त चिकित्सालय भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम भुण्डाखेड़ी के सरकारी गर्ल्स इण्टर कालेज के भवन निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

59-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुन्डा खेड़ी की तहसील-कांठ, जनपद-मुरादाबाद में स्थापित सरकारी गर्ल्स इण्टर कालेज का भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अपूर्ण भवन को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत करने विषयक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परीक्षाणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित निर्णयानुसार मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने की मांग

60-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपील सं0 7533/2012 के क्रम में पारित निर्णय दिनांक 07-01-2013 के अनुपालन में दिनांक 11-08-97 तक प्राप्त मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को वर्ष 2004 व 2005 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर सरकार समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रकरण में निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

उक्तक्त्।

उक्तवत्।

जनपद झांसी की तहसील टहरौली के नगर पंचायत टोडीफतेहपुर में आगंनबाड़ी केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग

61-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी की तहसील टहरौली के अन्तर्गत नगर पंचायत टोडीफतेहपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना किए जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

नगर पंचायत टोडी फतेहपुर बाल विकास परियोजना, गुरूसराय, जनपद झांसी के अन्तर्गत आती है। इस परियोजना हेतु 11 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के कतिपय ग्रामों में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की मांग

62-श्री अली यूसुफ अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा ताण्डा व दीकेपुरी ताण्डा में राजकीय इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शिक्षण सम्बन्धी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) खोले जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश सचिवालय स्तर के विभागों के लिपिकीय सवर्ग में लिए गये निर्णयों के कार्यादेश जारी करने सम्बन्धी जानकारी

63-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप उ0प्र0 सचिवालय स्तर के राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश-वे0 आ0-2-2105/ दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर 2011 निर्गत, किया गया है ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा निदेशालय से इतर उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उसका लाभ प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

निदेशालय के पत्र दिनांक 11-01-2013 तथा 12-02-2013 द्वारा अपेक्षित सूचना मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से मांगी गयी है।

पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश एवं नियुक्ति/पदोन्नति प्रक्रिया तथा पद उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी सूचना मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अनेकों ग्रामों में चैकडेम निर्माण के सम्बन्ध में जनकारी

64-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम विठरी, रनगुवां, आरी पोहरा, वैदोरा, पलीदां, परवई के मध्य प्रवाहित पहुंज नदी पर जल संरक्षण एवं सिंचाई साधन हेतु एवं वाटर लेवल बढ़ाने हेतु चेकडैम निर्माण की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहुंज नदी पर रनगुवां एवं आरी पोहरा के मध्य ग्राम पोहरा में एक चेकडैम कम रपटा प्रस्तावित है। ग्राम आरी पोहरा एवं बिठरी के मध्य ग्राम खिरियापाली में लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक चेकडैम पूर्व से निर्मित है तथा ग्राम बिठरी में

एक चेकडैम प्रस्तावित है। इसी प्रकार पहुंज नदी पर ग्राम बैदौरा-परवई के मध्य ग्राम वैदौरा में दो, ग्राम मुरारी में एक तथा अठौदना में एक चेकडैम पूर्व से विभाग द्वारा निर्मित है तथा ग्राम बरूआपुर (ग्राम पंचायत अमरपुर) में एक चेकडैम एवं ग्राम पलीदां में समोगर नाला जोकि पहुंज नदी का सहायक नाला हैं, पर एक चेकडैम प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में खनन कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

65-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों से खनन का कार्य बंद होने के कारण खनन कार्य में लगे मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेरोजगार मजदूरों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सर्वे कराकर खनन कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में विद्यालयों का निर्माण कराये जाने की मांग

66-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड-सरदार नगर में कुल प्रा0 विद्यालयों व उच्च प्रा0 विद्यालयों में से कितने का भवन निर्माण हो गया है एवं कितने शेष हैं ? शेष विद्यालयों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 से अद्यतन कुल 11 प्राथमिक एवं 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। इन सभी विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा कोई विद्यालय भवन निर्माण हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री सुरेश राणा-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में पेयजल समस्या के निराकरण के उपाय

68-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड जगनेर में अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण भू-गर्भ जल स्तर काफी नीचे होने के कारण पेयजल की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बड़ी टंकी बनवाकर पीने के पानी की सप्लाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड-जगनेर के अन्तर्गत कुल 122 ग्राम हैं जिनमें से 38 ग्राम पाइप पेयजल योजना व 80 ग्राम मिनी पेयजल योजना (टी0टी0एस0पी0) से लाभान्वित हैं। 02 ग्राम गहरे हैण्डपम्प के माध्यम से संतृप्त हैं तथा अवशेष 02 ग्रामों हेतु पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामों में गहरे तथा सामान्य गहराई पर अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के माध्यम से भी जलापूर्ति हो रही है।

69-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[4थे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के कतिपय ब्लाकों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु टंकियों का निर्माण कराये जाने की मांग

70-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही, तमकुही राज व दुदही के ग्रामों में जल निगम द्वारा पानी की टंकियों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों ब्लाकों में निर्माणाधीन टंकियों का निर्माण कार्य पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। विकास खण्ड-सेवरही, तमकुही राज एवं दुदही में निर्माणाधीन 08 पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

प्रश्नगत योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च, 2014 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों के बकाये भुगतान की मांग

71-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों में से ग्राम सभा रूपनारायणपुर गोरियों में रुपये 33, 133 ग्राम शमसाबाद में रुपया 1,48,719 ग्राम सभा विदनपुर ककोढा में रुपया 59,463 ग्राम सभा बमरौली में रु0 77,830 व ग्राम सभा भदुंआ में रु0 68,832 का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो बकाये का भुगतान सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। उक्त ग्राम सभाओं में मनरेगा योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराया गया है उसका भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में भारतीय गो-वंश के विकास के प्रयास हेतु प्रयास सम्बन्धी जानकारी

72-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय गो-वंश के विकास और संरक्षण के लिए सरकार की क्या नीति है ? यदि हां, तो सरकार जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में इसके लिए क्या-क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार प्रदेश में गो-वंश की रक्षा के लिए कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

भारतीय गो-वंश के विकास एवं संरक्षण के लिये कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा गो-वंशीय पशुओं का संरक्षण एवं सम्वर्धन राजकीय फार्मों एवं गोशालाओं पर किया जाता है।

जनपद में कार्यरत पशुपालन संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है जिसमें प्रजनन नीति के अनुसार पशु का गर्भाधान उसी नस्ल के सांड के वीर्य द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक रूप से खराब नस्ल के बछड़ों का बधियाकरण कर अवर्णित प्रजनन की रोकथाम की जाती है।

जी हां, गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित 2002) द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में गो-वंशीय पशुओं का वध पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0एड0 डिग्री के शिक्षकों के रूके हुए वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

73-डा0 धर्मसिंह सैनी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-06-2012 के लिए निर्धारित वक्तव्य में पत्राचार के माध्यम से प्राप्त बी0एड0 डिग्री के शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई गयी रोक को परीक्षणोपरान्त भुगतान का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

एरियर के भुगतान के प्री आडिट की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा बबुरी के पोखरे के घाट निर्माण कराये जाने की मांग

74-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-बबुरी वि0ख0-चन्दौली में स्थित पोखरे के पश्चिमी ओर घाट न होने से इस क्षेत्र के लोगों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर पक्के घाट का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरबिन्द कुमार सिंह 'गोप'-

ग्राम सभा-बबुरी में स्थित पोखरा काफी पुराना है, जिसके चारों तरफ रिटेनिंग वाल पूर्व से ही बनी हुई है। पोखरे के पूरब तथा उत्तर दिशा में क्रमशः दो तथा एक घाट बना हुआ है। पोखरे के पश्चिम दिशा में दीवार की सुरक्षा हेतु दो टी-वाल बनी हुई है, घाट निर्मित नहीं है। पोखरे के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 43.07 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्तमान में उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत-सेमरा में जल निकासी की मांग

75-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सेमरा में पिच रोड से रतनपुर सरहद तक जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप द्वारा नाली बनाने का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरबिन्द कुमार सिंह 'गोप'-

ग्राम पंचायत-सेमरा में पिच रोड से रतनपुर सरहद पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण कार्य पर लगभग 9.00 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत की वर्तमान कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नियमित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी जानकारी

76-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा/मानदेय/नियत वेतन पर विगत 15-20 वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को नियमित करने हेतु एवं रिजवी वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारकों को एक सुनिश्चित नीति बना कर नियमित पदों के विरुद्ध समायोजित करने की संस्तुति वेतन समिति (2008) द्वारा दी गयी है।

वेतन समिति की उक्त संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में शहद उत्पादन को वैट से मुक्त करने की मांग

77-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मौन पालन से उत्पादित शहद पर सरकार द्वारा वैट लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि भारत सरकार की कृषि सचिव द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2006 के अपने पत्र में शहद को कृषि उत्पाद माना है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहद को कृषि उत्पाद मानते हुये शहद उत्पादन से वैट हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं। भारत सरकार की कृषि सचिव के पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2006 में उल्लेख है कि मौन पालन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा एक समेकित कृषि कार्यक्रम की तरह चलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आय और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत उक्त उत्पाद पर कर की दर युक्तिसंगत रूप से निर्धारित की गयी है।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लाक की ग्राम सभा भटगांव व उसके मजरों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य

78-श्री राम शरन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ब्लाक सरोजनी नगर के ग्राम सभा भटगांव एवं उसके मजरों में सजल धारा स्कीम से निर्मित पानी की टंकी को चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक चालू किया जायेगा ? क्या उक्त गावों में पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जो चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में अन्य जनपदों की भांति उच्चीकृत विद्यालयों के प्रवक्ताओं एवं कर्मियों को वेतन भुगतान करने के आदेश

79-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं कर्मियों को विगत दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जब कि पूर्व में प्लान मद से वेतन प्राप्त हो रहा था ? क्या सरकार अन्य जनपदों की भांति झांसी जनपद के उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं कर्मियों को भी वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

निदेशालय के पत्र दिनांक 14-3-2013 द्वारा धनावंटन करते हुए आहरण वितरण अधिकारी, झांसी को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

80-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

ग्रामीण स्टेडियम की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी की ग्राम पंचायत रिसौली में इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

81-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी की ग्राम पंचायत रिसौली आबादी लगभग 25 हजार है जिसमें शिक्षा का कोई केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत रिसौली में शिक्षा सम्बन्धी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए एक इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) खोले जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में विलासो देवी इण्टर कालेज बलेली को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की मांग

82-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केन्द्र हेतु वर्ष 2012-2013 के मानक क्या हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर में विलासो देवी इण्टर कालेज, बलेली ब्लाक ददरौल निर्धारित सभी मानक पूरा कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलासो देवी इण्टर कालेज बलेली जनपद शाहजहांपुर को इस वर्ष परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2013 की बोर्ड परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति विषयक शासनादेश संख्या-1480/13-7-2012-1(118)/2010, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जी हां।

जनपदीय/मण्डलीय समिति द्वारा आवश्यकता एवं औचित्य न पाये जाने के कारण केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायकों को सेवा से पृथक करने के उपरान्त पुनः बहाली करने के आदेश

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका को कितनी बार लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त करने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर जनपद में मात्र एक बार की अनुपस्थिति पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को बहाल किये जाने हेतु मा0 मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार ने दिनांक 01-11-12 को जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका की सेवा मानदेय आधारित सेवा है। अतः सरकारी कार्मिकों के नियम उन पर लागू नहीं होते। निदेशालय परिपत्र संख्या-सी-253 (1) दिनांक 20-2-13 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुनने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से अन्तिम निर्णय लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर में अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के विरुद्ध बचाव का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सक्षम स्तर से कार्यवाही की गयी है।

प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका/विशेष अपील में पारित निर्णय दिनांक 13-7-2012 एवं दिनांक 17-8-2012 के क्रम में नैसर्गिंक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप मानदेय सेवा से पृथक की गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के सर्वेक्षण के उपरान्त लोहिया ग्राम सूची के ग्रामों को लोहिया ग्राम विकास योजना में शामिल करने की मांग

84-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में जिले के अधिकारियों द्वारा बनाई गई लोहिया ग्राम सूची के अनुसार क्रम संख्या 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 26, 28, 31, 33, 38, 42, 44 तथा 48 पर अंकित सबसे पिछड़े 17 गांवों का चयन लोहिया ग्राम विकास योजना में नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त गांवों को लोहिया ग्राम विकास योजना में शामिल करने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

जनपद बुलन्दशहर के राजस्व ग्रामों में कराये गये आधारभूत सुविधाओं के सर्वेक्षण के उपरान्त तैयार की गयी सूची में क्रमांक 9 पर अंकित ग्राम नगला नाउ व 13 पर अंकित ग्राम गोकुलपुर खादर का चयन डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में किया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर ग्रामों के चयन का अधिकार शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा जनपद के प्रभारी मंत्री जी को प्रदान किया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, आन्तरिक गलियां, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, प्राथमिक/उच्च पाठशाला, स्वच्छ शौचालय एवं पंचायत घर के आधार पर सर्वेक्षण कराते हुए अंकों का निर्धारण किया गया। जनपद के राजस्व ग्रामों को प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार की गयी।

उक्त सूची में से जनपदवार ग्रामों की संख्या के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19 जून, 2012 के अनुसार जनपद हेतु निर्धारित ग्रामों की संख्या के तीन गुने गांवों की सूची जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा उस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की सूची जिलाधिकारी, को उपलब्ध करायी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची शासन को उपलब्ध करायी जाती है।

शासनादेश दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में जनपद बुलन्दशहर में 138 राजस्व ग्रामों का चयन किया जाना है। इसमें से वर्ष 2012-13 में 22 तथा अनुवर्ती 4 वर्षों में 29-29 राजस्व ग्रामों का चयन जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जगनेर रोड से नाला निर्माण कराये जाने की मांग

85-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जगनेर रोड खेरिया मोड़ से धनौली से आगे जाने वाला मलपुरा तक नाला अधूरा होने के कारण धनौली, अजीजपुर आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनौली से मलपुरा तक नाला निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

धनौली से मलपुरा तक नाला अधूरा होने के कारण जल भराव की समस्या रहती है। इस कार्य के लिए मार्ग के दोनों ओर 2300 मीटर लम्बाई में नाला निर्माण की आवश्यकता है जिसके बनवाये जाने पर लगभग रु0 460.00 लाख व्यय अनुमानित है। प्रश्नगत निर्माण में श्रम एवं सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक होने के दृष्टिगत उक्त कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पानी सप्लाई चालू कराये जाने की मांग

86-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव ऊदर, अकोला यादवेद काका के खेत के पास लगी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई बन्द है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है एवं पानी की सप्लाई कब तक चालू हो जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

नलकूप से ग्राम के बीच पड़ी पाइप लाइन में जगह-जगह लीकेज हो गये हैं। पाइप लाइन की लीकेज मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक ठीक कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में पेयजल समस्या को दृष्टिगत हैण्डपम्प लगाये जाने का निर्धारित लक्ष्य

87-श्री सुरेश राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल की समस्या को देखते हुए विधान सभावार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वर्ष 2012-13 में जनपद शामली की थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाएगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रि-बोर हेतु जनपदवार/विकास खण्डवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा सेमरा में मिट्टी निर्माण का कार्य

88-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरा में पिच रोड से ईदगाह तक सम्पर्क मार्ग में नाली तथा चौका/मिट्टी निर्माण का कार्य हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

ग्राम पंचायत सेमरा में पिच रोड से ईदगाह तक सम्पर्क मार्ग में नाली तथा चौका कार्य की लम्बाई लगभग 500 मीटर है जिसे बनवाये जाने पर लगभग 11.00 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। वर्तमान में उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जाली स्टैम्पों के दृष्टिगत ठेकों में लगने वाले फर्जी स्टैम्पों पर अंकुश लगाये जाने की योजना

89-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जाली स्टैम्पों के कारोबार में व्यापक वृद्धि हुई है ? क्या सरकार ठेकों में बनने वाले सहमति-पत्रों में लगने वाली स्टैम्पों की नियमित जांच करती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी नियमित जांच करेगी ? क्या सरकार

ठेकों में लगने वाले फर्जी स्टैम्पों पर अंकुश लगाने की कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

नहीं।

हां।

नियमित जांच की जा रही है।

फर्जी स्टैम्पों पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व से ही ठोस कार्य योजना बनी हुई है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा बहादुरपुर के पोखरी घाट को पक्का किये जाने की मांग

90-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बहादुरपुर में स्थित पोखरी धोबी समाज के लोगों को रोजी-रोटी का साधन मुहैया कराने हेतु सरकार उक्त पोखरी पर पक्के घाट का निर्माण कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

ग्राम सभा बहादुरपुर में स्थित तालाब की लम्बाई व चौड़ाई लगभग 50x50 मीटर है जिसके पक्का घाट निर्माण हेतु लगभग 12.00 लाख का व्यय अनुमानित है। वर्तमान में यह कार्य, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी को बी-2 श्रेणी का दर्जा प्रदान करने की मांग

91-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात अभी तक उसे बी-2 श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार झांसी नगर को बी-2 श्रेणी का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1997 एवं शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2004 में झांसी ''सी'' श्रेणी में वर्गीकृत है। पंचत केन्द्रीय वेतन आयोग के सन्दर्भ में प्रदेश में गठित वेतन समिति (1997-99) द्वारा मकान किराया भत्ते की अनुमन्यता हेतु नगरों का वही वर्गीकरण अपनाये जाने की संस्तुति की गई थी जो भारत सरकार द्वारा पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में अपने कार्मिकों को मकान किराया भत्ते की अनुमन्यता

हेतु अपनाया गया था जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। वेतन समति (2008) द्वारा पूर्व में किये गये वर्गीकरण को ही अपनाये जाने की संस्तुति की गई है। जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नगरों के नवीन वर्गीकरण में तीन श्रेणियां ''एक्स'' ''वाई'' एवं ''जेड'' निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा अभी भी झांसी को श्रेणी ''जेड'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में झांसी का ''बी-2'' श्रेणी में वर्गीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप तेजपाल सिंह जी क्या सूचना देना चाहते हैं। आपकी जो भी सूचना है वह नियमों में आना चाहिये था। चाहे नियम-301 में देते नियम-51 में देते, नियम-56 में देते। बैठ जाइये अभी नियमों में हम आपको बुलवाते हैं।

(कतिपय मा0 सदस्यों के लगातार खड़े रह कर बोलने का प्रयास करने पर)

अब प्रश्न खत्म हो गये हैं। अब कोई सवाल नहीं चलिये।

(मा0 सदस्य तेजपाल सिंह के लगातार खड़े रहने पर)

मा0 तेजपाल जी आपको क्या कहना है ?

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, एक मिनट सुन लें जरा।

श्री अध्यक्ष-

ये नियमों में आना चाहिये था। चाहे नियम-301 में देते, चाहे नियम-51 में देते, चाहे नियम-56 में देते। आप बैठ जाइये हम आपको नियमों में बुलवा देंगे।

(मा0 सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

नियमों में लिख के देना चाहिये, ऐसे खड़े होकर केवल जुबानी नहीं कहना चाहिये।

श्री सतीश महाना के स्थगित प्रश्नों के सम्बन्ध में सुरक्षित किये गये निर्णय को सुनाए जाने का अनुरोध

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक व्यवस्था है। आपने मेरे प्रश्नों के सम्बन्ध में एक निर्णय सुरक्षित किया था।

श्री अध्यक्ष-

वो सुनायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सत्र तो खत्म हो रहा है। केवल दो दिन बाकी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं खत्म हो रहा है, क्यों घबरा रहे हैं। दो दिन तो सत्र रहेगा न। 22 तारीख तक तो सत्र है ही। क्यों चिन्ता करते हैं, वो तो आयेगा ही। अभी सत्रावसान होगा तब न, देखिये ये तो सरकार का काम है।

(मा0 सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा लगातार खड़े रह कर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया साहब बैठो। अरे भाई ये सदन है, आपको लिख के देना चाहिये। जब कोई सूचना देता है तो आप ऐसे ही खड़े होकर बोलने लगते हैं, ये गलत बात है। आप लिख कर दीजिये, उसकी कापी सरकार को भिजवा देते हैं। इसके बाद आप सूचना दीजिये।

[11.40 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19.03.2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 17 सूचनायें स्वीकार की गईं:-

पहली सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत विजुआधाम में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी की जनपद आगरा स्थित मोतीगंज मार्केट की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री बावन सिंह जी की प्रदेश के वैकल्पिक आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

बावन सिंह जी, ये फिर गायब हैं। ये रोज सूचना देते हैं और रोज गायब हो जाते हैं, उसके बाद आकर बैठते हैं। बावन सिंह जी, नहीं हैं।

चौथी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय जी की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरामऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

श्री रामवीर उपाध्याय जी, ये भी देते हैं, गायब रहते हैं। अब इन लोगों का हस्ताक्षर प्रमाणित कराना पड़ेगा कि इनका खुद का रहता है या नहीं।

पाँचवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी जी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के तरयाँसुजान के विद्युत सब-स्टेशन पर 5 एम0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी की जनपद शाहजहांपुर की बलदेवपुर ग्राम सभा में बड़ी पुलिया के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

आठवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुवेश जी की जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र छावनी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री राधेलाल रावत जी की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज, औरास तथा नवाबगंज के विभिन्न जर्जर एवं गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

दसवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया जी की नीतिश्री ग्रुप, नोएडा के चेयरमैन एवं तकरीबन 50000 आवंटियों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

ग्यारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी जी की जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

बारहवीं सूचना श्री लक्ष्मीकान्त ''पप्पू निषाद'' जी की जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल की विद्युत समस्याओं को निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह जी की युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद से 1991 में सेवानिवृत्त हुये श्री केशव सिंह को जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

श्री सुधाकर सिंह हैं ही नहीं।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा सदन में अपने आसन पर वापस आ जाने पर)

अब आप आ गये, कहां रहते हैं। आपका कट गया अब। ये तो रहते ही नहीं हैं। दिन भर इधर उधर [x x x] दौड़ते रहते हैं आप। सदन में रहते नहीं हैं। अच्छा अब आपका ले लिया बैठ जाइये लेकिन यहां रहने की भी कोशिश करिये। आप घूमते रहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ये आज आपने उपाधि दी है माशाअल्लाह तो इनका बिल किधर है ?

श्री अध्यक्ष-

जहां बैठते हैं, समझ लीजिये वही उनका सब कुछ है लेकिन वो घूमते रहते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनको बचा के रखियेगा, वरना इनकी नजर बिल्ली की तरह है मान्यवर। बचाना मुश्किल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चौदहवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह जी की जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मौन नाले पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी जी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के ब्लाक बड़हलगंज के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

सूचना देते हैं, टाइम से नहीं आते हैं।

सोलहवीं सूचना श्री रामहेत भारती जी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव की सड़कों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सत्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की जनपद हापुड़ में स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास से शोर की स्थिति)

अच्छा आप लोग शोर मत मचाइये, हम ये लास्ट डे जो सारी सूचनाएं ली जाती हैं, उसी हिसाब से मैं 43 सूचनाओं को ले रहा हूं। हो गया, सबका हो गया जाओ, अब बैठ जाएं। अब हो गया, सबका कर दिया लेकिन अब लास्ट डे सबकी सूचना नहीं ली जायेगी।

(सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत विजथुआ धाम में गुदरा गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विजथुआ धाम में गुदरा गोमती नदी पर पुल नहीं बना है। आवागमन बहुत बाधित हो रही है। जिससे आवागमन में असुविधा होती है हर मंगलवार और शनिवार को विजथुआ धाम तक आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। गोमती नदी के उस पार लुम्भा से आने-जाने वाले लोग नाव से नदी पार करते हैं। इससे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गोमती नदी पर जब तक पुल का निर्माण न हो जाय। तब तक पीपे का पुल बनाकर आवागमन चालू किया जाय।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त पुल के निर्माण कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद स्थित आई0ई0आर0टी0 डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह

[महोदय,

इलाहाबाद स्थित आई0ई0आर0टी0 इस समय आर्थिक, शैक्षिक एवं गम्भीर अनुशासनहीनता के दौर से गुजर रहा है। 09 मार्च, 2013 को डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के तृतीय सेमेस्टर के परिणाम में 60 प्रतिशत छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित होने के बाद पूरे परिसर में तोड़-फोड़, आगजनी, पथराव व हिंसा फैल गयी। छात्रों की बात कोई सुनने वाला नहीं था। यह हिंसा छात्रावास व टीचर्स कालोनी तक फैल गयी। आई0ई0आर0टी0 स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश चन्द्र सहित कई अध्यापकों के घरों, गाड़ियों में आगजनी, तोड़-फोड़, होती रही और स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ये अध्यापक किसी भी तरह परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित नहीं थे। इस घटना में 02 कार तथा कई गाड़ियां आग के हवाले हो गई हैं। इस संस्थान में भारी आर्थिक गोलमाल भी व्याप्त रहा है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों में असन्तोष व्याप्त है तथा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। इस घटना ने आग में घी का काम किया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर इलाहाबाद स्थित आई0ई0आर0टी0, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन कराने तथा हिंसा के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला स्थित सिकन्दरपुर की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

आंवला विधान सभा में स्थित ग्राम बरसेर सिकन्दरपुर गांव के पार बरसेर फीडर नाम से बिजली घर बना है जो लगभग बहुत बड़े क्षेत्र 100 ग्राम को व टाउन एरिया सिरौली को विद्युत आपूर्ति करता है। यह बहुत पुराने फीडर हैं। पुराना फीडर हो जाने के कारण लाइन लॉस होता रहता है। जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा बनी रहती है और दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। आये दिन तार टूट-टूटकर गिरते रहते हैं। इससे तारों की चोरियां भी होती हैं विद्युत आपूर्ति निर्बाधगति से हो इस हेतु जर्जर लाइन को बदलकर नई विद्युत लाइन बनना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्युत की नई लाइन लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा स्थित मोतीगंज मार्केट की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के मोतीगंज मार्केट, जमुना किनारे की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा के मोतीगंज मार्केट की आन्तरिक सड़कें विगत 05 वर्षों से बहुत ही जर्जर व गड्ढायुक्त हैं। राहगीरों के वाहन आये दिन पलट जाते हैं व चुटैल हो जाते हैं। हजारों की जनता का पैदल निकालना भी दूभर हो गया है। जिसके कारण राहगीरों व दुकानदारों में बहुत रोष है। जनहित में इन सड़कों का बनना अति आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र निघासन के कस्बा निघासन स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन में फायर ब्रिगेड गाड़ी व फायरकर्मी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र ''टेनी''-

[महोदय,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में निघासन कस्बे स्थित एक फायर स्टेशन है जिस पर दो तहसीलों की जिम्मेदारी है। एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 100 कि0मी0 से अधिक है इस फायर स्टेशन के क्षेत्र में थाने, 10 पुलिस चौकी, 2 तहसील, एक टाउन एरिया, एक नगर परिषद् सहित दुधवा नेशनल पार्क भी है। लगभग 800 से अधिक गांव इस क्षेत्र में है। विधान सभा क्षेत्र व 12 लाख लगभग आबादी की आग बुझाने की जिम्मेदारी निघासन फायर स्टेशन की मात्र एक गाड़ी पर निर्भर है।

गौरतलब है कि इस फायर स्टेशन पर 2000 लीटर पानी क्षमता व 20-25 साल पुरानी मात्र एक गाड़ी है जो अक्सर खराब रहती है तथा अनुमन्य फायर अधिकारी सहित 25 स्टाफ के सापेक्ष मात्र 8 कर्मी ही तैनात है। कस्बा तिकुनियों से लेकर दुधवा तक जहां भी आग लगती है निघासन फायर स्टेशन से गाड़ी जब तक पहुंची है तब तक अक्सर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। विगत वर्ष इस कमी के चलते सैकड़ों अग्निकाण्डों में तीन करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। गर्मी के मौसम में अधिक अग्निकाण्ड में घटनायें होती हैं इसलिए अविलम्ब गाड़ियों की व्यवस्था एवं स्टाफ को तैनात किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब फायर ब्रिगेड गाड़ी एवं स्टाफ की तैनाती किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ सहित सम्पूर्ण प्रदेश के महाविद्यालयों/विद्यालयों में तत्काल नियुक्तियां कर संस्कृत भाषा को बनाये जाने एवं उन संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों को यू0जी0सी0 के वेतनमान सहित अन्य सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध स्नातक स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को भी संविधान के भाग-3 व भाग-4 के अन्तर्गत सम कार्य समान वेतन नियम के अनुसार अन्य स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षकों के सम यू0जी0सी0 वेतनमान, प्रोन्नति व अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। संस्कृत भारत वर्ष की प्राचीन भाषा है। संस्कृत से ही देश में बोली जाने वाली सभी भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा देश की अमूल्य धरोहर है। लेकिन धीरे-धीरे यह भाषा गर्त में समाती जा रही है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है। वर्ष 2009 में संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संस्कृत भाषा के शिक्षकों के एक दल ने महामहिम राष्ट्रपति जी से इस विषय पर गुहार लगायी थी। जिसके सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय ने पत्रांक सं0 डी-8834 दिनांक 3-3-2009 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को कार्यवाही हेतु लिखा गया था लेकिन खेद है कि चार साल बीत जाने के उपरान्त भी इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपरान्त अधिकतर पद खाली हैं। जिसके कारण संस्कृत का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। उदाहरण स्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैण्ट में वर्ष 1927 से श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हैं जिसमें स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में संचालित व्याकरण, साहित्य एवं ज्योतिष तीन विषयों में आचार्य पर्यन्त स्थल मान्यता है। इस विद्यालय में अध्यापकों के कुल 11 पद स्वीकृत हैं। 30 जून, 2009 से 8 अध्यापक के पद सेवानिवृत्ति/मृत्यु के कारण रिक्त हो गये हैं। इस कारण विद्यालय में प्रथमा से लेकर आचरण तक का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। मेरठ सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश विद्यालयों/महाविद्यालयों में तत्काल नियुक्तियां कर संस्कृत भाषा को बचाने का कार्य होना चाहिए तथा उन विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को यू0जी0सी0 के वेतनमान सहित अन्य समस्त सुविधा मिलनी चाहिए।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत ककोड़ में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत ककोड़ काफी बड़ा नगर है तथा इसके आस-पास भी 60-70 गांव लगते हैं। जिनकी आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। इनकी चिकित्सा हेतु कोई राजकीय चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है इनको चिकित्सा हेतु 20-25 कि0मी0 दूर बुलन्दशहर अथवा सिकन्द्राबाद जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति तो आने-जाने का किराया वहन कर लेते हैं तथा आने-जाने का साधन जुटा लेते हैं लेकिन गरीब तथा साधन विहीन व्यक्ति आने-जाने का किराया भी वहन नहीं कर पाते तथा चिकित्सा के अभाव में असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अपने घरों में दम तोड़ देते हैं। कई बार इस क्षेत्र के निवासी प्रदेश सरकार से राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग कर चुके हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में विगत कई वर्षों से बी0एस0सी0 (फायर) डिग्री धारकों की अग्निशमन सेवा में भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड में काफी समय से नियुक्तियां नहीं हैं और प्रदेश में फायर कर्मचारियों की कमी भी हैं गर्मी का मौसम निकट है और इस मौसम में भीषण आग की घटनायें भी होती हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण अग्निशमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रदेश में बहुत से बी0एस0सी0 (फायर) डिग्री धारक है तथा अग्निशमन सेवा के तीन वर्ष कोर्स उत्तीर्ण बेरोजगार भी हैं। परन्तु अभी तक इनकी तैनाती नहीं की गयी है जिससे इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय है। जनहित में विशेष भर्ती के तहत इनकी नियुक्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रशिक्षु युवकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

प्रदेश के वैकल्पिक शिक्षा आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[महोदय,

डी0पी0ई0पी0/सर्वशिक्षा अभियान में संचालित वैकल्पिक शिक्षा/इ0जी0जी0एस0 केन्द्रों पर योगदान देने वाले शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों शासनादेश संख्या-2505/15-5-99-94/99 दिनांक 29 मई, 1999 एवं शासनादेश संख्या-4388/15-5-1999-44/99 दिनांक 18-8-1999 के क्रम में निरन्तर सरकार/विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना 06 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं जोड़े जा सके थे ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर विभिन्न असेवित बस्तियों में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर अध्यापन के उपरान्त शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का सबसे महत्व कार्य करते हुए अपने दायित्वों का अनवरत निर्वाहन किया गया है। परन्तु शासन द्वारा 2009-10 में उपरोक्त केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया जिससे समस्त शिक्षा आचार्य/अनुदेशक बेरोजगार हो गये हैं।

सभी वे0शि0 आचार्यों/अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों को एक साथ समान प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है लेकिन वे0शि0 आचार्यों/अनुदेशकों को वंचित किया जा रहा है। जबकि कई राज्यों में शासनादेश जारी कर वे0शि0 आचार्यों/अनुदेशकों को स्वतः शिक्षा मित्र मानकर शिक्षक बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए उ0 प्र0 में भी इस प्रकार का लाभ दिया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत की सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव खमरिया नवदिया की सार्वजनिक भूमि संख्या-521, 522, 523, 524, 525, 526, 532 एवं 559 जल प्लावित तालाब भूमियों पर श्रेणी परिवर्तित कराकर अवैध कब्जा करके निर्माण कराना, विवेकानन्द विद्यालय के उत्तर में तालाब पर अवैध निर्माण कराना तथा राजस्व गांव करनाई में भी तालाब भूमि पर अवैध कब्जा करना चिन्तनीय है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं0-4787/2001 एस0एल0जी0 (सी) सं0-13695/2000, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन सं0-38910/2003, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ की रिट पिटीशन सं0-4313 (एम0/एस0)/2006 तथा उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-3088 (1)/1-2-2006 रा-2 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 की अवमानना एवं उपेक्षा है। राजस्व गांव ग्यासपुर की भूमि संख्या-390, राजस्व गांव कस्बा पट्टी में बिहारी जी न्यास तथा राजस्व गांव खमरिया नवदिया में बाला जी महराज न्यास की भूमियों, राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि संख्या-635, 640 एवं 641 सहकारिता विभाग की भूमियों, भूमि संख्या-638 एवं 639 खलिहान की भूमियों तथा राजस्व गांव बिलासपुर में खलिहान की भूमियों पर भी अवैध कब्जे हैं। नगर बीसलपुर में मीट मार्केट पर गैराज बनाना तथा पौण्ड की भूमि (पुलिस थाने के निकट पूरब) पर साजिशन अवैध कब्जा है। जिला पंचायत पीलीभीत की भूमियों को भी विनाश करके क्षति पहुंचाई गयी है। तहसील पीलीभीत के राजस्व गांव सूरजपुर, कटैया पड़री, भरा पचपेड़ा, पड़री कटैया, पकड़िया नौगवां एवं बेलापुखरा, तहसील पूरनपुर के राजस्व गांव बमनपुर-भागीरथ, बूंदीभूड़, नौजलिहा, गभिया सहराई, रमनगरा, पुरैनीदीपनगर, धुरिया, कटैयालालपुर तथा राजपुर महराजगंज तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव अहिरवाड़ा, भौरूआ, रमपुरा नौगवां, नगरिया फत्तेपुर, भगवन्तपुर करोड़, मुड़िया करोड़, बढ़ेपुरा धारम, करनाई एवं रायपुर में भी अवैध कब्जे हैं। राजस्व गांव बसारा, उगनपुर मरौरी एवं उचसिया में अवैध पट्टे कराकर कब्जे किये गये हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर की कतिपय सड़कों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर निम्न गांवों की सड़कों का लेपन कार्य जनहित में कराया जाना है।

1-प्रेमपुर से विजन नगलिया।

2-विजन नगलिया से पलसेड़ा की सीमा तक।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में राज चौराहे के पास मुलतानी मल मोदी पार्क में केदारनाथ मोदी की प्रतिमा न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 सुदेश शर्मा-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के राज चौराहे के पास मुलतानीमल मोदी पार्क के नाम से स्थित है। इस पार्क में मुलतानी मल मोदी की एक भव्य तथा विशाल प्रतिमा कई वर्षों पूर्व स्थापित की गई थी जो कि आज भी उसी स्थान पर लगी हुई है। पार्क में लगी यह प्रतिमा शहर की न केवल एक प्राचीन धरोहर है। अपितु मुलतानी मल मोदी शहर के संस्थापक भी है। अब इस पार्क परिसर में केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्षेत्रीय जनता केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को लगाये जाने का विरोध कर रही है तथा क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर केदार नाथ मोदी की प्रतिमा न लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ को स्थापित करने की आकर्षित कराना चाहता हूं। यह तहसील जनपद रामपुर से लगभग 35 कि0मी0 की दूरी पर है तथा इसका क्षेत्र जनपद मुख्यालय से लगभग 70 कि0मी0 की दूरी तक फैला हुआ है और उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा पर यह तहसील स्थित है। सरकार का वादा सस्ता व सुलभ न्याय देने का है, जनपद मुख्यालय आने-जाने में गरीब तबके के लोगों का काफी धन व समय दोनों नष्ट होता है।

तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने की मांग विगत काफी समय से हो रही है। यहां पर धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं तथा ज्ञापन दिया जा रहा है। यहां पर पुरानी तहसील का भवन खाली है जिसमें मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो सकती है, इसका प्रस्ताव जनपद मुख्यालय पर आ चुका है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना न होने से जनता में काफी रोष एवं चिन्ता व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय-

[मान्यवर,

आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ में कई गांव की सड़कें अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं उक्त सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। बारिश के दिनों में उक्त सड़कों पर पैदल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। इन सड़कों पर हजारों ग्रामवासी, क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। सम्बन्धित सड़कों का विवरण निम्नवत् है :-

1-पी0वी0 मार्ग से टीकरी खुर्द मार्ग तक।

2-टीकरी खुर्द से ईशैपुर होते हुए बाजीपुर मार्ग तक।

3-पचों से टीकरीकला होते हुए कुठीला कासिमपुर मार्ग तक।

इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील टहरौली में नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 222 बबी (झांसी) में तहसील टहरौली का क्षेत्र सम्मिलित है जो वर्तमान विकासखण्ड विहीन है जबकि नियमतः तहसील में दो विकास खण्ड होना चाहिए, इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता कई बार इस सम्बन्ध में मांग भी कर चुकी है कि तहसील मुख्यालय टहरौली तथा एक मात्र नगर पंचायत टोड़ीफतेहपुर को विकास खण्ड मुख्यालय बनाया जाए। इस तहसील में विकास खण्डों का गठन तहसील गठित होने के वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अब तक नहीं किया गया है जिसे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस तहसील में जल्द से जल्द मानक अनुरूप टहरौली तथा टोड़ी फतेहपुर को विकास खण्ड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार एवं सैदनगर की कतिपय सड़कों तथा नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अली यूसुफ अली-

[कृपया अवगत कराना है कि जनपद रामपुर के वि0ख0 स्वार के बिलासपुर स्वार मार्ग इमरताराय के मजरे कल्यानपुर, वि0ख0 सैदनगर में लालपुर ताण्डा मार्ग से शिकारपुर पहाड़पुर वि0ख0 स्वार के रजानगर मिलक खानम मार्ग से अव्वास नगर होते हुए हमीरपुर तक डामर रोड एवं रपटा पुल का निर्माण, वि0 ख0 स्वार में बिजड़ा रजपुरा तक डामर रोड, वि0ख0 स्वार के भोट शिवपुरी मार्ग से मजरा विराम तक डामर रोड, वि0ख0 सैदनगर में इमारता गांव मजरा बीच वाला में रोड व नाला का निर्माण आदि उक्त विकास खण्डों में सड़क न होने से किसानों, छात्र-छात्राओं एवं क्षेत्रीय जनता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विकास खण्डों की सड़क व नाला जनहित में निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के धान क्रय केन्द्रों द्वारा किसानों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि तहसील चुनार जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत यू0पी0 एग्रो सेन्टर के नारायणपुर क्रय केन्द्र में वहां के सैकड़ों गरीब किसान द्वारा अपने धान का विक्रय किया गया, क्रय केन्द्र अधिकारियों द्वारा धान को क्रय करके कृषकों के क्रय किये गये धान का भी भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया गया किन्तु किसानों द्वारा जब उस चेक को बैंक में अपने खाते में लगाया तो पैसे का भुगतान नहीं मिल पाया क्योंकि यू0पी0 एग्रो उ0 प्र0 सरकार की संस्था में है, के खाते में पैसे ही नहीं थे। किसानों द्वारा उक्त प्राप्त चेक को 2 से 3 बार लगाया किन्तु प्रत्येक बार वह चेक यू0पी0 एग्रो के खाते में धन न होने के कारण वापस लौट आया। एक वर्ष ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। किन्तु अभी तक सैकड़ों गरीब किसानों को अपने धान की कीमत नहीं मिल पायी है। जिसके कारण किसानों का भुगतान किये जाने से क्षेत्रीय जनता/किसानों में अत्यधिक आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त किसानों का भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां अन्तर्गत तैयार पानी की टंकी से सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत उनवल कस्बा संग्रामपुर बांसगांव में एक साल से ऊपर हो गया है जोकि पानी की टंकी तैयार है। आधे गांव में पानी की सप्लाई की लाइन पड़ गयी है। किन्तु अधूरा होने के कारण लोगों को पीने के पानी की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पानी सप्लाई की टंकी को यथाशीघ्र ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर,

अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह के निम्न ग्रामों कल्लपुर राजपूत में तालाब से राजेन्द्र के मकान तक 240 मीटर नाला अम्बेहटी में रजनीश के मकान से मंदिर तक 800 मीटर ग्राम दरियापुर ब्लाक नकुड़ में अजय के मकान से तालाब तक 300 मीटर, ग्राम डूभर किशनपुर में प्रेम के मकान से पक्की सड़क तक शमशान की तरफ 400 मी0 नाला, ग्राम ढलावली में खुमरो की बस्ती से तालाब तक 8 मी0 व ग्राम कोटड़ा में बंदे नाई के घर से खाले तक 350 मीटर व सिन्ना पुत्र शफी के घर से तालाब तक 100 मीटर, घाटमपुर में मस्जिद से नाले तक 250 मीटर, नाला निर्माण होने से उक्त ग्रामों में पानी की निकासी अच्छी प्रकार से हो पायेगी। जनहित में उक्त कार्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के थाना स्वार में पंजीकृत मुकदमा संख्या-68/13 के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 आसिफ जाफरी-

[महोदय,

अवगत कराना है कि ग्राम सवाई की मडैया, थाना स्वार, जनपद रामपुर के अन्तर्गत श्री पृथ्वी सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाटव (अनुसूचित जाति) की लड़की उम्र 14 वर्ष के साथ गांव के ही वसीम पुत्र जहुरी लहसन द्वारा घर के अन्दर घुसकर छेड़खानी किया गया। जिसके विरुद्ध दिनांक 17-2-2013 को थाना स्वार, जनपद रामपुर में मु0अ0सं0-68/13 धारा-452, 323, 506, 354 आई0पी0सी0 दर्ज की गई किन्तु राजनीतिक दबाव के कारण नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उनके हौसले बुलन्द हैं।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि उक्त मु0आ0सं0-68/13 धारा-452, 323, 506, 354 आई0पी0सी0 में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराये।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम बीरापुर के श्री विनोद कुमार की गुमशुदगी सम्बन्धी थाना जार्ज टाउन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-401/09 के प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय,

जनपद इलाहाबाद ग्राम बीरापुर धोबहा, पोस्ट पूरेकान्ता थाना हण्डिया निवासी श्री अमरनाथ कुशवाहा के पुत्र विनोद कुमार को 13-9-2009 को टाटा इंडिकाम के अल्लापुर स्थित टावर में नौकरी दिलाने की बात कहकर बुला लाया और जब श्री अमरनाथ कुशवाहा अपने लड़के को खाने-पीने का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामान लेकर अल्लापुर (इलाहाबाद) पहुंचे तो विनोद कुमार गायब था जिसकी शिकायत थाने से लेकर प्रधान मंत्री तक करते-करते पूरी तरह टूट चुके अमरनाथ कुशवाहा के लड़के का आज तक पता नहीं चल सका और न ही दोषी नामजद पिन्टू मिश्रा निवासी ग्राम धरमपुरा थाना हंडिया के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अमरनाथ कुशवाहा के गायब किये गये लड़के विनोद कुमार को बरामद कराने के लिए कार्यवाही एवं दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के तरयासुजान के विद्युत सब-स्टेशन पर 5 एम0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

[आपके संज्ञान में लाना है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में विगत कई वर्षों से विद्युत सम्बन्धी समस्याओं से क्षेत्रवासियों को जुझना पड़ता है। इस सम्बन्ध में काफी प्रयासोपरान्त कुछ कार्य पूर्व में हुए हैं परन्तु अभी भी इस क्षेत्र में विद्युत के ढेरों कार्य कराये जाने अति आवश्यक हैं। यदि इस क्षेत्र के विद्युत कार्य के सुचारु के लिये प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं में सम्मिलित करा दिया जाये तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की गरीब जनता एवं निवासियों को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं से कुछ हद तक राहत मिल जायेगी। सेवरही ब्लाक के अन्तर्गत जवहीदयाल जिसका पहले विद्युतीकरण किया गया था, में वर्ष 2007 में आग लगने के कारण पूरा तार व ट्रांसफार्मर जल गया था तबसे लेकर आज तक विद्युत पोल, तार एवं जर्जर ट्रांसफार्मर को बदलकर पुनः चालू नहीं किया गया है, इसका अविलम्ब विद्युतीकरण कराया जाय। इसी के साथ तमकुहीराज के निम्न गांव जैसे कि लक्ष्मीपुर बुजुर्ग, पुराना कटेयां व तमकुहीराज आदि ग्रामसभाओं में लकड़ी के पोल तथा जर्जर तार लगे हुए हैं जिससे यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तमकुहीराज के खानशामा टोला व ग्राम सभा विशुनपुरा के तार व पोल जर्जर हो गये हैं जिसे अविलम्ब बदला जाना जनहित में अति आवश्यक है। तमकुहीराज के तरयॉसुजान में विद्युत सब-स्टेशन पर 05.00 एम0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाना लोक हित में अति आवश्यक है जिस हेतु मा0 मुख्य मंत्री के कार्यालय पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10158923/2012 द्वारा आदेश पारित किया गया है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा उपकरणों यथा पोल, तार एवं आवश्यक ट्रांसफार्मर्स इत्यादि अविलम्ब लगाकर जनता को बिजली की समस्या से राहत दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 20 जुलाई, 2012 को परिवहन बस से टकराकर मृत हुए कृषक सत्य प्रकाश दूबे के परिजनों को अब तक कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दूबे-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर, विकास खण्ड मोती चक अन्तर्गत फर्द मुडेरा ग्राम सभा के सत्य प्रकाश दूबे पुत्र श्री राघवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी का गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर खोराबार थाना के अन्तर्गत N. H. पर परिवहन बस से टकराकर दिनांक 2-7-2012 को मृत्यु हो गया था। मृतक के नाम खेत होते हुए भी और सभी कागजात स्थानीय प्रशासन को जमा कराने के बावजूद मृतक को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से अनुदान न मिल सका है। **घर के एकलौते चिराग सत्य प्रकाश दूबे के परिजन को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से अनुदान दिलाना अति आवश्यक है।**

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद की कांठ अन्तर्गत नगर पंचायत उमरी कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की नगर पंचायत उमरी कलां की आबादी लगभग 35000 है जिसमें 95% आबादी अल्पसख्यक बाहुल्य है। यहां पर बीड़ी बनाने का काम घर-घर में होता है। इतनी बड़ी आबादी में एक भी प्राईवेट M.B.B.S. डाक्टर नहीं है। प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र उमरी कला से लगभग 10.00 कि0मी0 दूर नगर पंचायत कांठ में है तथा किसी भी अनहोनी घटना के समय उमरी कलां से 40 कि0मी0 दूर मुरादाबाद के सिवा कोई चारा नहीं है। क्षेत्रीय जनता काफी परेशान रहती हैं। यहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण में स्वयं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को लिख कर प्रा0 स्वा0 केन्द्र की स्थापना हेतु अनुरोध कर चुका हूं। परन्तु स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संभव में कोई कार्यवाही अभी तक न किये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है।

अतः मैं उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नगर पंचायत उमरी कलां (मुरादाबाद) में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यचाही की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर की बलदेवपुर ग्राम सभा में बड़ी पुलिया के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्राम ढाइ से हेतमपुर मार्ग पर एक बड़ी पुलिया बनी है। जो टूट गयी है इससे यह मार्ग पूर्णतः बाधित हो गया है। इस मार्ग से हजारों लोगों का आवागमन है। इस रोड से बहुत से गांव भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जुड़ते है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम ढाई से हेतमपुर मार्ग पर एक बड़ी पुलिया बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र छावनी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल (दुवेश)-

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत शहीद नगर में भगत सिंह की मूर्ति के पास बिजलीघर वाली गली में गुल्लू की दूकान से राशिद टेलर की दुकान तक एवं मो0 उमर खान के घर से शाहिद भाई के कारखाने तक की सड़क अत्यधिक जर्जर एवं गढढायुक्त होने के साथ-साथ नालियां पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण देश-विदेश से आगरा आने वाले सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में जल भराव होने के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसके निर्माण कराये जाने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2013 को उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से भी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा चुका है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों का पुनर्निर्माण तत्काल कराने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज, औरास तथा नवाबगंज की विभिन्न जर्जर एवं गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे लाल रावत-

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज में नवई सम्पर्क मार्ग से चांदपुर से झलिहई ग्राम सभा तक, विकास खण्ड औरास में औरास मोहान सम्पर्क मार्ग से तेरवा सिवाला तक तथा विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम सभा मकूर से नवाबगंज तक कुसम्भी स्टेशन होते हुए नवाबगंज के मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढेयुक्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विभिन्न जर्जर एवं गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व पर मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनहित की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विभिन्न जर्जर एवं गढ्ढेयुक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चन्दौली के मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत न0 पा0 परिषद् मुगलसराय में स्थित वार्ड नं0-1 नई बस्ती वार्ड नं0-10 मुगलचक व वार्ड पं0-13 अलीनगर इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से हो रही है। जबकि इनको नगरीय क्षेत्र से बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में कई बार शिकायत पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधक निदेशक को एवं सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मुगलसराय को लिखित एवं मौखिक तौर पर किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगरी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति अतिशीघ्र करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री काशीनाथ शुक्ला, उप निबन्धक द्वारा नीतिश्री ग्रुप, नोएडा के चेयरमैन एवं उनके तकरीबन 5000 आवंटियों के साथ हुई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व की घटना सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री अनिल जैन, चेयरमैन, नीतिश्री ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ सन् 2004 में श्री काशीनाथ शुक्ला एवं उनकी पत्नी ने सम्पर्क करके उनका विश्वास हासिल किया तथा अपनी पृष्ठभूमि से श्री जैन को अनजान रखा क्योंकि श्री शुक्ला उत्तर प्रदेश में उप निबन्धक के पद से निलम्बित चल रहे थे जो आज भी सरकार के अभिलेखों में दर्ज है।

उल्लेखनीय है कि श्री शुक्ला नीतिश्री ग्रुप से पहले एम0जी0एफ0, जयपुरिया, गोल्ड डेवलपर्स इत्यादि कई बिल्डरों के साथ धोखा-धड़ी करके तकरीबन 10000 आवंटियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मान्यवर, प्रत्येक व्यक्ति का सपना अपना मकान बनाना होता है जिसमें वह अपनी सारी जिन्दगी की कमाई लगाकर मकान की किश्तों का भुगतान करता है तथा उसी कड़ी में श्री अनिल जैन केवल माध्यम बनकर इन लोगों के सपनों को पूर्ण करने में लगे हुए थे परन्तु श्री शुक्ला ने इस नेक कार्य को बाधित ही नहीं किया बल्कि अपने राजनैतिक सम्बन्धों के माध्यम से श्री अनिल जैन को फर्जी केस में फंसाया। दिनांक 18-01-2010 को चोरी की एफ0आई0आर0 थाना सेक्टर-20 नोएडा में दर्ज करवा दी जबकि श्री अनिल जैन द्वारा दिनांक 16-01-2010 को उसी चेक के बाउन्स होने की लिखित सूचना थाना सेक्टर-20 नोएडा को दी थी जिसकी प्रति संलग्न है। मान्यवर, देखिये विडम्बना हमारे पुलिस अधिकारियों एवं पिछली सरकार की कारगुजारियों की 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट करने वाले अनिल जैन पर चेक चोरी के इल्जाम की एफ0आई0आर0 उक्त थाने में दर्ज कराकर छः माह

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारावास में डाल दिया जाता है क्योंकि श्री शुक्ला गत सरकार में अनिल जैन की कम्पनी के पैसे के दम पर ऐशो आराम की जिन्दगी बसर करने के साथ-साथ ब0स0पा0 सरकार के उच्च अधिकारियों को भी ऐश करा रहा था जिसके फलस्वरूप वह आज महाराजगंज सीट से ब0स0पा0 की संसदीय सीट का उम्मीदवार भी है।

मान्यवर, श्री काशी नाथ शुक्ला ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके विभूति खण्ड लखनऊ स्थित कम्पनी की 100 करोड़ रुपये की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली एवं अमृतसर स्थित 220 एकड़ जमीन जिसकी वर्तमान कीमत तकरीबन 700 करोड़ रुपये है, श्री शुक्ला ने मात्र 2 लाख 20 हजार रुपये में अपने नाम करा ली है जिससे कम्पनी के आवंटियों के साथ-साथ श्री जैन को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दण्ड दिया गया है।

मान्यवर, श्री अनिल जैन के कारावास के दौरान श्री शुक्ला ने नीतिश्री ग्रुप को ही नहीं बल्कि उन 5000 आवंटियों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया जो वर्षों से अपने घर का सपना संजोये हुए थे।

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण आपके संज्ञान हेतु संलग्न है।

मान्यवर, इस लोक महत्व की घटना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य एवं सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की मांग करता हूं।]

मथुरा शहर के सदर बाजार स्थित मोहल्ला अहीरपाड़ा में स्थापित ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मथुरा शहर के सदर बाजार स्थित मोहल्ला अहीरपाड़ा जिसमें सदर बाजार थाने बाउन्ड्रीवाल से सटा एक 250 के0वी0ए0 विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह ट्रांसफार्मर मेन से तथा गली के मुहारे पर लगा होने के कारण यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई लोग इसके चपेट में आ चुके हैं तथा तमाम जानवरों की विद्युत स्पर्शाघाट से मौत तक हो चुकी है। यहां आये दिन ट्रांसफार्मर में आग लगती है, सड़क पर चलने वाले कई राहगीर इसकी चपेट में आ चुके हैं। बच्चे यहां खेलते हैं उन्हें भी इससे करेण्ट लगने का डर बना रहता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उक्त ट्रांसफार्मर को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने खर्चे पर सदर थाने के तरफ खाली पड़ी नगर पालिका की जमीन पर जनहित में शिफ्ट किया जाना नितान्त आवश्यक है। क्या यह प्रकरण स्थानीय जनता तथा जानवरों के जीवन सुरक्षा से सम्बन्धित है। किसी भी दुर्घटना होने से जिम्मेदारी सरकार की होगी। अतः जनहित में मथुरा के सदर थाने के एक मुहाने पर लगे ट्रांसफार्मर को थाने के दूसरी तरफ स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। अतः जनहित में शासन अविलम्ब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, मथुरा को उक्त ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 283, नानपारा, जनपद बहराइच की निम्नलिखित सड़कें अति जर्जर स्थिति में हैं। इस क्षेत्र के कुछ नये मार्ग हैं जिनको बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। विवरण निम्नलिखित है ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत 1-चकिया रोड से शिवपुर मोहरनियां मार्ग का मरम्मत/पुनर्निर्माण, 2-करीराम गांव सम्पर्क मार्ग से सहाबा नहर की पुलिया से उत्तर गोकुलपुर पोजरा मार्ग तक पेन्टिंग कार्य, लम्बाई 02.00 कि0मी0, 3-रूपईडिहा सम्पर्क मार्ग से वाया चौरी कोटिया चितरहिया सम्पर्क मार्ग, शून्य से लेपन का कार्य, 4-गंगापुर सम्पर्क मार्ग से वाया नहर तिगड़ा तक, शून्य से लेपन तक का कार्य, 5-रग्धू पुरवा सम्पर्क मार्ग से शंकरपुर वाया गडरहवा तक खड़न्जा से लेपन तक का कार्य, 6-किगहरियन पुरवा पेण्ट मार्ग से जिगरिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन तक का कार्य। **विकास खण्ड बलहा के अन्तर्गत** 1-बड़ी नहर बसहरिया से गंगा पुरवा पेण्ट तक खड़न्जा से लेपन तक का कार्य, 2-रेलवे डगरा से डलई पुरवा तक शून्य से पेन्टिंग का कार्य, 3-दोबज्झा गांव से सिसवारा तक पेण्टिंग का कार्य एवं 4 नहर से अहिरनपुर (हांडा बसेहरी) गांव तक पेन्टिंग का कार्य।

जनहित में उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत करने तथा उक्त सड़कों के निर्माण/पेन्टिंग कार्य शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत सैकड़ों गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जहां आजादी के 63वें वर्ष के बाद भी लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इनके पास इतना भी संसाधन नहीं हैं कि अपने पक्के मकान बना सकें तथा जीवन यापन करने में भी काफी कठिनाई हो रही है। गर्मी के दिनों में हर वर्ष दर्जनों गांव आग की विभीषिका के शिकार होते हैं। आगजनी से जानमाल एवं पशुओं के जलकर मरने की घटनायें अक्सर होती रहती हैं। इससे गरीबों को प्रत्येक वर्ष अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय पर अग्निरोधक यंत्र (फायर ब्रिगेड) की सुविधा न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिकन्दरपुर तहसील से जनपद मुख्यालय की दूरी लगभग 25 कि0मी0 है जहां से फायर बिग्रेड के आते-आते गांव के गांव जल जाते हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र खोलकर फायर बिग्रेड की गाड़ियां उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा मेंहदावल, जनपद सन्तकबीरनगर में विस्तारित बिजनेस प्लान के तहत विद्युत के तार कहीं-कहीं खम्भे एवं ट्रांसफार्मर लगाकर अधूरा कार्य बन्द कर दिया गया है इससे ग्राम बेलहर कला, छिबरा, अकोल्ही, देशवाल, बेलहर खुर्द, कैथवलिया, बटसरी, बटसरा, गुजौली, रसूलपुर आदि गांव छूटे पड़े हैं। यह पिछड़े हुए क्षेत्र में आते हैं और इन गांवों की विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से ठीक कराये जाने की आवश्यकता है। यह जनहित का विषय है एवं जनता से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

ए0आर0एम0 अकबरपुर द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ए0आर0एम0 अकबरपुर डिपो में तैनात श्री एस0एन0 शुक्ला जो पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के निवासी हैं द्वारा बड़े पैमाने पर विभाग में अनियमितातायें की जा रही है। यही नहीं आर0एम0 फैजाबाद के यहां तैनात प्रदीप उपाध्याय को अकबरपुर डिपो में गलत तरीके से अपने साथ सम्बद्ध करके धन उगाही करने का कार्य पिछली सरकार से करते चले आ रहे हैं। मेरे द्वारा लिखित रूप से शिकायत पर जांच अधिकारी आर0एम0 फैजाबाद बगैर मौके पर गये विभागीय ड्राइवरों व कण्डक्टरों को ए0आर0एम0 के सामने बैठाकर ही जांच की खाना पूर्ति कर ली। स्थानीय लोगों से जांच पूछताछ कर होती तो सही तथ्य सामने आते। मेरे लिखित शिकायत जो जांच के लिए भेजा गया जिसमें प्रदीप उपाध्याय का जिक्र मेरे द्वारा किया गया था उसे तुरन्त कार्यवाही के बजाय नियमित रूप से अकबरपुर डिपो में तैनात कर दिया गया है जो सदन की अवमानना है। श्री उपाध्याय जनपद अम्बेडकर नगर के ही मूल निवासी हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अकबरपुर डिपो में ए0आर0एम0 द्वारा सभी कार्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनके कार्य व्यवहार से परिवहन निगम के तमाम कर्मियों में असन्तोष है। इन्हें तत्काल हटाया जाये और इनके कार्य-कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराकर इन्हें दण्डित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने एवं दोषी को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद से 1991 में सेवानिवृत्त हुए श्री केशव सिंह को जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधाकर-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री केशव सिंह, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मऊ से वर्ष 1991 में सेवानिवृत्त हो गये हैं परन्तु आज तक उनका जी0पी0एफ0 कटौती से सम्बन्धित धन अभी तक नहीं प्रदान किया गया है। जबकि कार्यालय जिला युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल अधिकारी जनपद मऊ का कहना है कि इनके द्वारा वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0 प्र0 को भेजे हैं। जबकि श्री केशव सिंह का बैंक पास बुक कार्यालय मऊ के पास जमा है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए श्री केशव सिंह के जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि ब्याज सहित दिलाये जाने एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मौन नाले पर पक्का पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सवागी पट्टी सिगना व सहवालपुर के बीच मौन नाले पर पक्का पुल न होने से पचासों गांव के लोगों को तहसील हाटा मुख्यालय पर आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाटा विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा है उक्त मौन नाले पर पुल बनना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सवागी पट्टी सिगना व सहवाजपुर के बीच मौन नाले पर पक्का पुल के निर्माण कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के ब्लाक बड़हलगंज के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के तहसील गोला के ब्लाक बड़हलगंज के अन्तर्गत ग्राम विमुटी, ग्राम बसावनपुर यादव टोला, ब्लाक गोला के अन्तर्गत ग्राम बिसरा एवं गोपालपुर, कोसवा तथा उरुवा ब्लाक अन्तर्गत ग्राम धुरियापार के जोलाहा टोला, पुराना घाट मल्लाह टोला, वासुदेवपुर दलित बस्ती, डीह स्थान पर तथा गगहा ब्लाक अन्तर्गत रामपुर गड़री का साहनी टोला तथा ग्राम सभा रामपुर बधौरा के चेरूवा टोला, 214 का पोखरा टोला,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विरती टोला, डीह टोला, ग्राम पंचायत भूपगढ़ के दहियक टोला में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ये सभी गांव अंधेरे में रहते हैं। उक्त गांवों में दहियक विसरा, विमुटी, गोपालपुरा में कुछ कार्य भी हुए हैं, विभाग द्वारा पोल आदि उपलब्ध कराया गया है, परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव की सड़कों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[कृपया संज्ञान में लाते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव के विकास खण्ड हरगांव में हरगांव से लहरपुर रोड से महानदपुर जाने वाला सम्पर्क मार्ग कच्चा है, कुछ भाग पर खड़न्जा लगा हुआ है। कच्चा मार्ग होने के कारण गांव तक आने-जाने की सुविधा नहीं है। जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गन्ना क्षेत्र होने के कारण अवध शुगर मिल्स तक ट्रेक्टर ट्रालियां तथा बैल गाड़ियां ले जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

अतएव लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हरगांव लहरपुर मार्ग से महानन्द पर तक डामर रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा में उद्यान विभाग एवं पान अनुसंधान केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद महोबा में स्थापित उद्यान एवं पान अनुसंधान केन्द्र के उच्च अधिकारी के संरक्षण में व्यापक भ्रष्टाचार की जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। क्षेत्र के पान किसानों को एक सम्बन्धित योजनाओं के लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जनपद के सबसे लोकप्रिय पान उद्योग से सम्बन्धित सभी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार है, इसी प्रकार किसान योजनान्तर्गत अक्टूबर, 2012 में किसानों के लिए अच्छी प्रजाति का जो आलू महोबा आना था, उसे लखनऊ में बेच डाला गया मात्र कुछ कुन्टल आलू किसानों को दिया गया। इसी तरह मिशन योजना के अन्तर्गत अच्छी प्रजाति की कलमी नीबू इत्यादि की जगह बीज युक्त नीबू किसानों के विरोध के बाद भी दिया गया तथा तालाबों का निर्माण बेहद घटिया तरीके से कराया गया है। कुछ ही माह पक्का निर्माण टूट गया। उद्यान अधिकारी का रवैया आम जनता, किसानों एवं जन प्रतिनिधियों तथा अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों के प्रति खराब एवं तानाशाही पूर्ण है। जिससे क्षेत्रीय लोगों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने तथा उद्यान विभाग एवं पान अनुसंधान केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा स्थित चीनी मिल द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर खीरी की मेरी विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ऐरा चीनी मिल स्थित है जिसके द्वारा प्रदूषित एक केमिकलयुक्त जहरीला पदार्थ संक्रमित पानी सरैया नाला में डाला जा रहा है। जिससे ग्राम मटरिया, अल्लीपुर, दिलावलपुर, समैसा, चौरा सुरजनपुर, जगदीशपुर, दरिगापुर, राजापुर आदि गांवों का पानी अत्यधिक विषैला हो गया है। वहां के ग्रामवासियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रदूषित पानी प्रयोग करने से अनेक प्रकार के संक्रमित रोग से पीड़ित हो रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीणों के पशु एवं पक्षियों द्वारा दूषित पानी के प्रयोग से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, किसानों की फसलें दूषित पानी से नष्ट हो रही हैं। जिसके कारण किसानों को अत्यधिक आर्थिक एवं शारीरिक क्षति हो रही है। क्षेत्रीय किसानों एवं जनता द्वारा उक्त ऐरा चीनी मिल द्वारा प्रदूषित पानी सरैया नाला में गिराये जाने से रोकने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक प्रदूषित पानी की समस्या के निदान हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतेहपुर में ग्राम चांदपुर से रामपुर के मध्य की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदपुर स्थित है जो कि पूर्णतया अल्पसंख्यकों की ग्राम सभा है। ग्राम चांदपुर से रामपुर होते हुए पिच रोड तक सड़क (लम्बाई लगभग 2.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। उस सड़क पर हजारों ग्रामवासियों, क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। उक्त सड़क के निर्माण हेतु जुलाई, 2011 में मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत भी हुई थी परन्तु अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। क्षेत्रीय जनता द्वारा सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बालू माफियाओं द्वारा नदी के घाटों अकटहा से लोहेपार, हसनगंज, कप्तानगंज, शाहबगंज, सेमरा, बालूघाट, सुअरहा, बालूघाट से अवैध रूप से बालू निकाल कर सेतु निगम से बने हुए पुलों को क्षति पहुंचा रहे हैं तथा अगल-बगल के गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन के कटान से जनता में काफी आक्रोश है। समय रहते अवैध बालू खनन नहीं रोका गया तो नदियों का कटान और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। ग्रामीणों द्वारा दिये गये शिकायती-पत्रों का अधिकारियों ने गम्भीरतापूर्वक संज्ञान नहीं ले रहे हैं जिससे स्थिति भयावह होती जा रही है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल अवैध बालू खनन को रोके जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ में स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा लम्बित गन्ने का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र गन्ना उत्पादक बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने की खेती पर किसानों की जीविका निर्भर करती है। आज गन्ना किसान शुगर मिल द्वारा भुगतान न होने से अत्यन्त परेशान हैं। विद्युत बिल, बैंक ऋण भुगतान आदि में असमर्थ हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी तमाम आवश्यक कार्य प्रभावित हैं। यह सूचना अत्यन्त लोकमहत्व की व अविलम्बनीय है। मैं सरकार से तत्काल भुगतान कराने हेतु कड़ी कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद मथुरा के शेरगढ़ में पुलिस द्वारा आम किसानों पर गोलाबारी किये जाने विषयक प्रकरण

*श्री तेजपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी ये गंभीर मामला है.....

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दें न, यदि कोई गंभीर मामला है तो ऐसा तो कोई नियम-नहीं है कि जब भी आप आएं तो विधान सभा में सूचना दें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, नियम-300 और 301 जाने के बाद सूचना मिली है, यह तात्कालिक सूचना है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ये लिखकर भेज दें, मैं सरकार को भेज दूंगा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेजपाल सिंह-

मैं आपके माध्यम से चाह रहा हूं कि सरकार सूचना मंगा ले और सदन को अवगत करा दे, वहां गोली चल गई है पुलिस से और आदमी मर गए हैं, वहां पर।

श्री अध्यक्ष-

आप बता दें, बताइये।

श्री तेजपाल सिंह-

और आप सुनना नहीं चाहते हैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वहां से सूचना मंगवायें।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, गोली चल गई है, किसानों के ऊपर....

श्री तेजपाल सिंह-

मा0 दलवीर सिंह जी, एक मिनट आप बैठ जाएं। मान्यवर, शेरगढ़ थाना पड़ता है, जनपद मथुरा में, वहां के किसान जो लाए की तुरी ले जा रहे थे, शेरगढ़ पुलिस से किसी बात में कहासुनी हो गई, पुलिस ने गोली चला दी, दो आदमी मौके पर मर गये और चार-पांच घायल पड़े हैं, थाने में आग लगा दी। थाना फूंक दिया है, आस-पास के 10 हजार गांवों के लोग कम-से-कम थाने को घेर के बैठे हैं। वहां पर स्थिति खराब है लॉ एण्ड आर्डर की, तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार सूचना मंगा ले और सदन का अवगत करा दे।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन के संज्ञान में ले आए हैं। सरकार का काम है, अब वो जाने।

[11.45 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, पहली सूचना आप जरा सुन लीजिए, कोई भी सुनने लायक नहीं है, हम आपको सुना दें नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की विधान सभा के सदस्यों को 3 या कम से कम 2 निःशुल्क अंगरक्षक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, इसमें कहां नियम-300 बनता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप नियम-300 पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष-

हम खूब पढ़े हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम तो आज पहली बार पढ़ रहे हैं। हम पढ़ लें। मान्यवर, अच्छा आप एक चीज सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा पहले मुझे और आगे पढ़ लेने दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

अच्छा, तब ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा रामचन्द्र यादव का दिनांक 19 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के आधार पर स्थानान्तरित जनपद-फैजाबाद की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड फैजाबाद की पूर्वांचल राज्यांश की परियोजना, रूदौली के अवर अभियंता को पुनः रूदौली में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में, ये कहां नियम-300 में आता है। मान लें कि सदन में कोई बात कही भी गई हो तो उसके लिए अलग नियम-बने हैं, नियम-63 बना हैं, नियम-167 बना है, तमाम नियम-बने हैं, यह नियम-300 में नहीं आता, हर बार नियम-300 में भेज देते है। आप पढ़िये आप को किताबें दी गई हैं, संविधान दिया गया है, नियमावली दी गई है। ये नहीं बनता है, तो इसमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए। तीसरी सूचना है, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी का कि जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 16 मार्च, 2013 को जिला स्तर पर गठित समितियों की बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थित न होने के सम्बन्ध में है। मैं सरकार का इसमें ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं।

विधान सभा सदस्यों को 3 या 2 निःशुल्क अंगरक्षक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक दिन तो न बोलिये पंडित जी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, केवल डेढ़ मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुसार, सबको अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है, मान्यवर, आप देख लें अनुच्छेद-300 देख लें, 15,16,17 देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका गनर का मामला है न कि तीन गनर दिए जाएं, ये तो मिल ही नहीं पायेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप मुझे डेढ़ या 2 मिनट बोलने दें आप कन्वेन्श हो जायेंगे। मान्यवर, सबको अपने धर्म की उपासना का अधिकार है, इसके लिए अनुच्छेद-24, 25 देख लें, तो जो अंगरक्षक हमारे साथ लगेगा मान्यवर, विधायक के साथ, वह या तो मुसलमान होगा या हिन्दू होगा या सिख होगा या इसाई होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलेंगे तो सब कहेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, होली-दीवाली में वह छुट्टी जायेगा कि नहीं जायेगा और अगर मुसलमान होगा तो ईद, ईदुल्लजुहा में छुट्टी जायेगा कि नहीं जायेगा। अगर मान्यवर, वह अपने धर्म को मानने के लिए जायेगा, तो उस समय क्या विधायक के पास गनर होगा मान्यवर, यह संविधान का उल्लंघन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा क्यों विधायकों के पास ही गनर रहे, सबके पास जो असुरक्षित हैं, सबके पास गनर रहने चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर ऐसा नहीं है, तो दूसरा अंगरक्षक देने का प्राविधान है, लेकिन पेमेण्ट पर....

मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक गनर देने का प्राविधान है अगर वह हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, इसाई है अपने धर्म को करने जायेगा मान्यवर, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी किसी की ले नहीं सकते तो 24 घंटे कैसे ड्यूटी करेगा। तो अगर दो हो जायें, 3 से चलिये समझौता कर लेते हैं 2 हो जाय तो कम से कम एक छुट्टी पर जायेगा तो एक तो रहेगा इसमें कौन सी दिक्कत है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें आपने अपनी बात कह दी।

देखिये, यह 300 का प्रश्न नहीं है लेकिन हम लोग जिसके बीच से चुनकर आते हैं उनके दर्द को भी समझना चाहिए। सारी फोर्स हमीं लोगों के साथ रहे तो साधारण जनता का क्या होगा इस पर तिवारी जी आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह नियम-300 में नहीं आता है खत्म।

देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के सदस्य श्री गोरख यादव के निधन की सूचना अभी तक विधान सभा सचिवालय को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमारे देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा के पूर्व विधायक श्री गोरख यादव थे एक सप्ताह उनकी डेथ हुए हुआ, कोई अभी तक यहां सूचना नहीं आई न कंडोलेंस हो रही तो उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप दे रहे हो। हमने अखबारों में पढ़ा था, हम पूछते हैं डीएम से, नहीं देंगे टाइम से तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी , मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-13) का तृतीय प्रतिवेदन, जो उर्जा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2007-2008, 2008-2009 तथा 2009-2010 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री बंशी सिंह पहाड़िया का वह [x x x] कार्यवाही से निकाल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5, 6, 7 में कुछ नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, एक बार [x x x] और दूसरी बार [x x x] से निकालना यह तो दो बार हो गया।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रोसीडिंग का अंग नहीं माना, वह निकाल दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013†

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छापे नहीं गये।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापे नहीं गये।

† दिनांक 19 मार्च, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

[11.54 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री संगीत सिंह सोम, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री बावन सिंह, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सुश्री सावित्री बाई फूले, श्री संत प्रसाद, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री धर्मपाल सिंह की प्रदेश में भीषण पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था कराने अथवा मा0 विधायकों को हैण्डपम्प आवंटित किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री राधेश्याम की प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में पुरानी पाइप लाइनों, सीपेज और पुरानी सड़कों के जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुये उनके पुनर्निमार्ण कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की इलाहाबाद के बेगम सराय स्थित भू-खण्ड सं0-40 क्षेत्रफल 3 बीघा 13 बिस्वा को नवीन शिशु मन्दिर, जू0 हाई स्कूल के नाम आवंटित किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद बस्ती व सिद्वार्थनगर की सीमा से होकर गुजरने वाली नदी के अस्तित्व को अठदमा स्थित बजाज शुगर मिल द्वारा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अब इसके आगे हम बाद में ले लेंगे पूरा पढ़ने में बहुत समय लग जायेगा। अब हुकुम सिंह जी अपनी बात रखें।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गर्मी के दिन हैं, मार्च का महीना समाप्त होने की ओर है और अप्रैल के बाद में भीषण गर्मी शुरू हो जायेगी और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी का संकट बढ़ता जायेगा। आज 98 हजार गांवों की संख्या उत्तर प्रदेश में हो गयी है। यह किसी भी सरकार के लिये चुनौती है कि 98 हजार गांव में पानी की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि हर गांव में पानी की टंकी स्थापित होना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि शुद्व जल का मिलना भी एक संकट हो गया है। एक समय वह था जब सामान्य से नल बाजार से खरीद कर हम लोग लगा लेते थे, ऊपर के स्ट्रेटा से पानी आता था वह भी एकदम शुद्व होता था और कोई स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं होती थी। जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ा, प्रदूषण के साथ-साथ ऊपर के स्ट्रेटा का पानी खराब होता गया। जैसे-जैसे समस्या बढ़ती गयी और यह स्थिति आई कि सामान्य हैंडपंप जो थे, या तो उनमें पानी उपलब्ध नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा और आयेगा भी तो पीने लायक नहीं रहेगा और यदि पानी पियेगा तो निश्चित रूप से आदमी बीमार हो जायेगा। इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प का समय आया, जो सरकार आई उसने कोशिश की कि हम इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प ज्यादा से ज्यादा लगवायें। उसके मानक निर्धारित हुये कि इतने फासले पर लगेगा। मान्यवर, जो लगे थे पहले, वह इंडिया मार्का-2 समस्त पंप या तो खराब हो चुके हैं या सूख चुके हैं। रि-बोरिंग की व्यवस्था उस समय होनी चाहिये थी, जितनी होनी चाहिये अभी तक उतनी रि-बोरिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, परिणाम यह हुआ कि जहां इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प इन्होंने लगवा भी दिये, वह नल भी आज प्रभावी नहीं है, उसमें से आज पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो वंचित क्षेत्र था, वहां हैण्डपम्प की व्यवस्था करने का आग्रह बार-बार माननीय विधायकों द्वारा किया जाता है।

मान्यवर, लगभग 19 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व यहां बैठे 403 विधायकों के रूप में होता है चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष में बैठे हों। मान्यवर, प्यास यह नहीं देखती कि कौन सत्ता पक्ष का है और कौन विपक्ष का है, प्यास सभी को लगती है। अगर प्यास सभी को लगती है तो व्यवस्था सभी के लिये होनी चाहिये। मान्यवर, यह स्थिति हम पिछले एक साल से देख रहे हैं हमें पता नहीं वह हैण्डपम्प कहां जा रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लग रहे हैं या नहीं लग रहे। कम से कम प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बैठे हैं, स्वामी प्रसाद जी, यह भी इस बात के साक्षी होंगे, माननीय नेता काग्रेंस भी इस बात के साक्षी होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी बैठे हुये हैं, आखिर सदन का यह हिस्सा और जितनी जनसंख्या को यह हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है, वह जनसंख्या आज पानी से वंचित क्यों रखी जा रही है और अगर रखी जा रही है, भेदभाव है, तो यह अन्याय है कि नहीं। केन्द्र सरकार ने कई योजनायें चलाई, सबका जिक्र न करते हुये मैं एक दो योजना का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। उसमें क्या क्या अपेक्षाएं प्रदेश सरकार से की गई हैं उसका भी उल्लेख मैं करना चाहूंगा। यह है राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति उसमें उल्लेख है कि 97 हजार 942 जो आबाद गांव हैं उनमें सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति की जानकारी की और यह अपेक्षा की कि उनमें जलापूर्ति होना चाहिए शुद्ध पानी मिलना चाहिए। उसके मानक भी दिए। ग्रामीण पेयजल हेतु आपूर्ति की दर पीने हेतु 3 ली0 स्वच्छता रखने के लिए भी रखा गया है। भोजन पकाने हेतु 5 लीटर स्नान करने के लिए 15 लीटर कम से कम 22 लीटर उसमें प्रति व्यक्ति का मानक दिया गया है। जो राजीव गांधी मिशन योजना थी उसके अन्तर्गत। इसमें कई जिम्मेदारी बढ़ाई गई कि पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से प्राथमिकता पर पेयजल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। अब हम यह समीक्षा करें कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव पांच हजार से अधिक आबादी के हैं उनमें हमने क्या व्यवस्था की है। क्या वहां हम टंकियां लगा सके हैं। नहीं लगा सके तो आगे उसमें व्यवस्था है कि कम से कम 75 मीटर की दूरी पर हर गांव में एक हैण्डपम्प उपलब्ध होना चाहिए। क्या वह हम कर पाए। क्या आगे जो हम योजना बना रहे हैं वह मानकों के अनुरूप बना रहे हैं। यह तो राष्ट्रीय नीति है राष्ट्रीय नीति तो तमाम राष्ट्र की बनाई हुई है राष्ट्र के लिए बनाई हुई है। उस राष्ट्र में यह भी लोग शामिल हैं। इसी प्रकार मान्यवर, 2010 से लेकर अब तक कभी 82 हजार हैण्डपम्प लगाए गए कभी 75 हजार लगाए गए जो भी सरकार आई

प्रयास सबने किया कि जितनी आवश्यकता है उसके अुनरूप हैण्डपम्प की स्थापना हो जाय। यही स्थिति नगरीय क्षेत्र की है जहां पर लगभग 4 करोड़ आबादी आंकी गई है वहां पर भी यह अपेक्षा की गई है कि आप टंकी लगाकर पानी का टैंक लगाकर शुद्ध जल की आपूर्ति करेंगे। मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है अभी दो विभाग हैं ग्राम्य विकास विभाग का बजट पेश हुआ और जो भी व्यवस्था का उल्लेख है उसका भी मैं वर्णन कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कल हो चुका है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं दो लाइन का उल्लेख करना चाहता हूं। इस बात का ध्यान रखा गया है सरकार द्वारा कि इसके बारे में न कुछ करना है न कुछ लिखा जाय। पूरे लिटरेचर में दो पंक्ति पेयजल की हैं। उसमें क्या है राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश परियोजना के प्रबन्धन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय गठित शीर्ष समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास हैं। हम इनका क्या करें। आपने मुख्य सचिव को उसका अध्यक्ष बनाया या प्रमुख सचिव को उसका सदस्य बनाया आम जनता को इस समिति से क्या लेना देना। आम जनता तो इस बात के इंतजार में हैं कि कब उनको गर्मी से छुटकारा देने के लिए नल लगेंगे या पानी की टंकी लगेगी। आखिर एक वर्ष में सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका प्रतिनिधित्व इधर है। क्यों चोरी इसमें की जा रही है। इसमें लुका छिपी का खेल क्यों किया जा रहा है। आप पारदर्शिता की बात करते हैं ट्रांसपैरेंसी का युग है कि हर चीज का पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हैण्डपम्प भी छिपाकर दिए जाएंगे चोर दरवाजे से दिए जाएंगे और एक बहुत बड़े भाग को उससे वंचित रखा जाएगा यह उचित नहीं है। श्री प्रमोद तिवारी ने कई बार दक्षता के आधार पर यह सवाल भी पेश किया नल कितने मिलेंगे वह याची के रूप में खड़े हुए हमने उनका समर्थन किया लेकिन मैं इस रूप में सरकार का वर्णन करूं कि एक साल से इन्होंने पूरा प्रयास इस बात का किया कि प्रतिपक्ष के किसी सदस्य को उस क्षेत्र को पूर्णतया स्वच्छ पानी पीने से वंचित रखा जाय और उन्होंने रखा अगर आने वाला समय है जो शुरू होने वाला है अप्रैल के महीने से 2013-14 तक आपकी हालत यही रहेगी तो क्या प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस सुविधा से वंचित नहीं रहेगी। मान्यवर, आप उस आसन पर आसीन हैं मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज प्रदेश सरकार इस बात पर गंभीरता के साथ उत्तर दे। कि क्या सभी सदस्यों को समान मानते हुए उनके क्षेत्र में भेदभाव न करते हुए पेयजल की सुविधा हेतु जो नल देंगे वह समान रूप से देंगे और जो भी व्यवस्था करेंगे वह समान रूप से करेंगे और किसी के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं किया जायेगा, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने कुछ प्रश्न रखे हैं क्या इस पर आप जवाब देंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी जवाब देंगे।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हुकुम सिंह साहब ने जो चिन्ता जाहिर की है, कल बजट में बड़े विस्तार से इस पर चर्चा हुई। अब दुर्भाग्य से आप नहीं थे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत कुछ आपसे सीखता भी हूं। सरकार ने कल भी कहा और आज भी उस बात को दोहरा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के तुरन्त बाद गर्मी का सीजन था, 50 नये हैण्डपम्प और 50 रि-बोर माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर लगाये गये हर ब्लॉक में।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

एक सेकेण्ड, अरे सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, पहले सुन तो लीजिए।

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्यवाही लिखा-पढ़ी में है और इसका जी0ओ0 जारी हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 50 नये और 50 रि-बोर के आदेश किये गये माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, पहले सुन लीजिए।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कम बोलता हूं लेकिन जब बोलता हूं तो जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के टीका-टिप्पणी करने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

संसदीय भाषा बोलो, तुमसे ज्यादा अच्छी आवाज बोल लेते हैं कायदे से। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले महीने 50 हजार हैण्डपम्प की पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार लगेगा। शुद्ध पेयजल का न कोई संकट है और न सरकार यह संकट होने देगी। हमारी सरकार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है वह उपलब्ध करायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि 50 हजार हैण्डपम्पों की व्यवस्था आप करेंगे। क्या वह 50 हजार नल निष्पक्षता के आधार पर सभी सम्मानित विधायकों की संस्तुति के आधार पर लगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आवश्यकतानुसार लगेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह जनता के साथ धोखा है, यही तो मैं कह रहा हूं। 50 हजार नहीं एक लाख लगा दें आप, लेकिन वह नल आप कहां लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आपका नियम-56 है, कल जल निगम पर चर्चा हुई है। आप जानते हैं कि जब एक बार विधान सभा में किसी विषय पर चर्चा हो जाती है तो वह दोबारा नहीं आना चाहिए। कल चर्चा हुई और आज आप लाये, फिर भी हमने उसे स्वीकार कर लिया।

(भारतीय जनता पार्टी एवं लोकदल के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

बिजली पानी दे न सके जो वह सरकार बदलनी है।

यह असत्य वचन कह रहे हैं, तानाशाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। आपने अपना प्रदर्शन कर लिया। अब आप लोग अपने आसन पर जाएं। माननीय हुकुम सिंह जी आपने अपनी बात कह ली अब आप अपने सदस्यों को बुला लें।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य बिजली पानी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है के नारे लगाते रहे)

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में पूरी तरह से गलत बात बोली गयी है।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप इतने सीनियर हैं, चलिये अपनी सीट पर बैठिये। आपके यहां तो गवर्नमैंट वाला वाटर सप्लाई है।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य प्यासी जनता करे पुकार, बदलो, बदलो यह सरकार, बिजली पानी दे न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

जब चुनाव होगा, तब कहना अभी क्यों हल्ला कर रहे हो, बैठो। आपकी बात हो गयी, मेरा निवेदन है कि अब आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम सारे 403 विधायक आपको संरक्षक मानते हैं। जनता की जो न्यूनतम आवश्यकता है पीने का पानी, अगर हम उसको भी न दे सकें तो यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने सीट पर चलिये, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ? अब मंत्री जी ने जवाब दे दिया, कल भी बहस हुई, आज यहां बहस नहीं होनी चाहिए,

नियम के विरुद्ध बहस हो रही है। आप लोग अपने-अपने सीट पर चलिये। जितनी देर असेम्बली का काम रुकेगा आप ही का नुकसान होगा, आप लोगों को बोलने का समय कम मिलेगा और दूसरे माननीय सदस्यों के नियम-56 की सूचनायें हैं वह कब आयेंगी ? मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें। (वेल में आये हुए मा0 सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष का आग्रह न मानने पर)

मैं 5 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

12 बजकर 15 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट और बढ़ा दिया है।

12 बजकर 25 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।

12 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर चलें और आज हम सभी नेताओं के साथ बैठकर और मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे।

(भाजपा के मा0 सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

मैंने इस पर माननीय हुकुम सिंह जी को और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इस पर अपना निर्णय दे चुका हूं। मैं इसे नियम-56 में अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुददे पर लाना चाहता हूं। हालांकि यह मामला हमारी विधान सभा से रिलेटेड है। मान्यवर, मथुरा पुरातन नगरी है और वहां हजारों बस्तियां टीलों पर बसी हैं और वहां पुराने जमाने के मकान बने हुए हैं वहां पेयजल की पुरानी पाइप लाइनें बिछी हुयी हैं। वहां की जो नालियां हैं वह भी पुरानी हो चुकी हैं और उनके सीपेज से वह टीले रोज दरकते रहते हैं उसका नतीजा यह होता है कि आए दिन वहां 50-100 मकान दरकते रहते हैं। वहां सब अधिकतर निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह उन मकानों की मरम्मत करा सकें और सरकार भी उन्हें उस पर कोई कम्पनसेट नहीं कर पाती है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि किसी दिन आप सुनेंगे कि मथुरा में हजारों लोग, भगवान न करे कि ऐसी कोई घटना हो कि हजारों लोग शहादत के शिकार हुए, मकानों के गिरने से, छतों के गिरने से, मकानों के चिटकने से। वहां सभी समाज के लोग रहते हैं वहां पर मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, चतुर्वेदी समाज व अन्य समाज के लोग रहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं नगर विकास मंत्री जी से

कहूंगा कि यह उनके विभाग का मामला है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में ऐसा प्राविधान बनवायें, डी0पी0आर0 भिजवायें जिससे कि वहां नालियां बन सकें वहां पेयजल की जो 50-100 साल पुरानी पाइप लाइनें हैं और जो गल चुकी हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दे दें और मुख्य रूप से टीलों पर बसे हुए मुहल्ले जिसमें चौबिया पाड़ा, ककारान घाटी, हनुमान टीला, गजा पाइसा, शीतला घाटी, गुर्जर घाटी, सतघड़ा, महोली की पौर, सहगलपुरा होलीगली, मनोहरपुरा, शीतला पाइसा, नगला पाइसा, चौबच्चा मोहल्ला, गताश्रम टीला।

हाथीगली, तुलसी चबूतरा, ठेक नारनौल तथा मण्डी रामदास, गली राजकुमार आदि मोहल्ले हैं। तो मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, इसकी गम्भीरता पर यदि आपने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसी भी दिन आप नेशनल न्यूज़ पेपर में पढ़ेंगे कि एक बड़ी त्रासदी मथुरा में घटी, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर टीले पर बसी हुई बस्तियों को बचाने के लिए, उन पुराने मकानों को बचाने के लिए, आप इस तरह का पैकेज दिलवाने की बात करें और इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें और इस बिन्दु पर गम्भीरता से ध्यान दें। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहते हैं तो और गम्भीर है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गम्भीरता तो कोई भी नहीं है, अशुभ बोले हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी भी दिन सूचना मिल जायेगी कि हजारों लोग शहीद हो गये। यह अशुभ नहीं है ? शुभ-शुभ बोलिये। मान्यवर, जहां तक टीलों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, जिले हैं, पूरा बिजनौर आप देखेंगे सब टीलों पर बसा है, झांसी आप जाइये और दूसरे भी बहुत से जिले, एक चौथाई ऐसे जिले हैं जिनकी आबादियां टीलों पर हैं और वहां पर भी पानी की व्यवस्था है, टंकियां भी हैं, पाइप लाइन्स भी हैं, इण्डिया मार्का-2 नल भी हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था है, नालियां हैं, ड्रेन्स सिस्टम है, सीवर सिस्टम है और बहुत पुरानी पाइप लाइन्स हैं। अब जितने संसाधन होते हैं, उतनी पाइप लाइन को बदलते भी हैं। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है और वहां पाइप लाइन काफी पहले बिछी थी, धार्मिक शहर भी है। हमारी प्राथमिकता थी बनारस के लिए, पिछली सरकार में हमने काम शुरू कराया था, अभी तक उस काम में लगे हैं, वह काम चल रहा है। गली हुई पाइप लाइन्स को बदलना कोई बहुत आसान काम नहीं है, यह कोई पतंग की डोर नहीं है, खींच लिया और दूसरी डोर पतंग में बांध दी और उड़ाने लगे। आबादियां हैं, मकान बने हैं, बेल्डिंग्स हैं, मैं जो प्रैक्टिकल प्राब्लम्स हैं उनको बता रहा हूं, नाली हैं, नाले हैं, तो समस्या है। दूसरा आपने जेएनएनयूआरएम के बारे में बतलाया, जवाहर लाल नेहरू योजना के तहत, उसमें तो जो आप खैरात दे देते हैं, वह हम आपके हुक्म के हिसाब से खर्च कर लेते हैं, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। अब अगर इसमें आपकी तरफ से कृपा हो जायेगी, 2014 का चुनाव भी सामने है, मथुरा से भी कोई न कोई आपके कण्डीडेट लड़ेंगे ही, प्रदेश का तो ख्याल आपको है नहीं, न बिजनौर का, न बुलन्दशहर का, न झांसी का, ले-दे कर मथुरा है, हर मर्ज की दवा है, ''सल्ले अल्लाह मुहम्मद'' तो बस आपको तो, वैसे इतना लगाव मथुरा से होना अच्छी बात है, अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से अगर हमें इतना लगाव हो जाय

तो पूरा उत्तर प्रदेश मथुरा हो जायेगा, यह अच्छी बात है। तो आप कुछ जेएनएनयूआरएम से दिलवा दीजिए, तो आपके यहां भी लग जायेगा, प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लग जायेगा, वैसे दिखवा लेंगे, फिर भी जहां गम्भीर स्थिति होगी, ऐसी जगह जहां पर पाइप लाइन्स बहुत डैमेज हो गई हैं, उनको दिखवा लेते हैं, उसके बारे में कोई कार्य योजना तैयार करते हैं। ऐसे शहरों में बनारस है, फैजाबाद है, इलाहाबाद, मथुरा जो रिलीजेन्स प्लेसेस हैं, मजहबी, धार्मिक जहां वास्ता है, उनकी खासतौर से कार्य योजनाएं बनती हैं, ख्याल भी रखा जाता है और आपका तो मथुरा भी है और फिर माथुर साहब भी हैं आप, फिर आप नेता भी हैं कांग्रेस के, तो कुछ आपके डर से, कुछ आपकी मोहब्बत में, आपका दोनों तरह से ख्याल रखा जायेगा। नियमों में नहीं आता, नियमों में तो आपकी तकरीबन कोई बात नहीं आती है, ये क्या।

श्री अध्यक्ष-

मैंनें प्रदीप माथुर जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को रामपुर से भी बहुत लगाव है। मामला यह है कि डी0पी0आर0 प्रदेश सरकार की बनाकर भेजती है और जब डी0पी0आर0 आप बनाकर भेजेंगे तभी केन्द्र सरकार पैसा देती है। दूसरी बात यह है कि अन्य शहरों से मामला इसलिये भिन्न है कि वहां मकान गिर रहे हैं और वहां मकान खिसक रहे हैं। मान्यवर, इसकी गम्भीरता को समझिये। इन्होंने पूरे प्रदेश का गिन डाला और पूरे प्रदेश के शहरों के नाम ले लिये। मैं बात कर रहा हूं वहां की स्पेशफिक घटना की। मा0 अध्यक्ष जी, तो मैं मा0 मंत्री जी से ये चाहूंगा कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया हो और इसके लिये अगर कोई विशेष पैकेज दिला दें इसलिये मान्यवर, इस मामले की गंभीरता को देखिये। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं और नियमों के अन्तर्गत ही कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देखिये, जहां तक पैकेज की बात है। इतना बड़ा पैकेज अगर तैयार किया जाये तो अकेले मथुरा के लिये नहीं पूरे प्रदेश के लिये न। देखिये न्याय हो। प्रदेश में और जगहों की भी बहुत बुरी स्थिति है। जहां-जहां आपकी समस्या है उसको दिखवा लेंगे। उस काम को शुरू कराते हैं। अब किसी साहब को छूरी का लाइसेंस चाहिये था तो उन्होंने तोप का मांगा था। आप तोप से चले हैं तो आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जहां-जहां स्थिति खराब है उस काम को शुरू करा देंगे, हम कोशिश करेंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मामला सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या संज्ञान में आप बार-बार लाते हैं। नियमों में लाओ न। देखिये, ऐसे नहीं बोला जायेगा और न वो लिखा जायेगा। आप जब मर्जी होती है, बोलते हैं। उसका नियम-होता है, नियम-में लिखकर दो।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, आप बहुत दयालु हैं, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, ये ऐसे नहीं, दयालु-वयालु नहीं। आप चाहते क्या हो।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, नियम-56 में दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप दो पर दस्तखत किये हुये हैं। इस सूचना पर भी आपका हस्ताक्षर, उस पर भी आपका हस्ताक्षर है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, 26 तारीख से मेरठ में धरना चल रहा है। अध्यक्ष जी, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पीठ का सम्मान करता हूं इसलिये मैं बैठ जाऊंगा लेकिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, वो महत्वपूर्ण है तो मैं उस पर आकृष्ट करा दूंगा। आप ये बताओ कि या तो मैं इसकी जांच कराऊं कि आपने दस्तखत किया कि नहीं किया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, मैंने आपसे व्यक्तिगत आकर अनुरोध किया था। मैं बार-बार कह रहा हूं कि मैं पीठ से दिये गये निर्देश का सम्मान करता हूं। इस पीठ का सम्मान करता हूं। आपका आदेश होगा तो बोलूंगा। इतने में तो मैं अपनी बात कह भी देता।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। अब केशव प्रसाद मौर्य जी का है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। आपने मुझे नियम-56 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में एक मोहल्ला नीमसराय है। किसानों की बस्ती थी, सारे किसान परिवार वहां रहते थे। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा उनकी पूरी जो पैतृक भूमि लगभग 15 बीघे थी, उसको अधिग्रहीत किया गया। ठीक है, योजना की आवश्यकता थी तो अधिग्रहण कर लिया। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण जब बना नहीं था, उस समय यहां पर एक नवीन शिशु मन्दिर के नाम से विद्यालय चलता था। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के चलते हुये कि हमारी भूमि तो चली गयी, आवेदन किया इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को कि जो शिक्षण संस्था है, हमारा जो विद्यालय चल रहा है। इसके लिये भूमि छोड़ दी जाये और उसका नियमानुसार जो भी शुल्क होता है, हम जमा करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, एक शासनादेश है 01 फरवरी, 1999 का। उस शासनादेश के अनुसार जो भूखण्ड शिक्षण संस्थाओं के लिये आवंटित किया जायेगा।

उसमें 40 प्रतिशत की छूट दी जायेगी और जो खेल के मैदान के लिये आवंटित किया जायेगा उसे एक रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 100 साल के लिये लीज पर दे दिया जायेगा लेकिन मा0 अध्यक्ष महोदय, यह परिवार ऐसी स्थिति में है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसका 1979 से विद्यालय चल रहा हो और आज तक चल रहा हो। इतना उत्पीड़ित कर दिया इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने, इतना परेशान कर दिया इस परिवार को और वह एक गरीबों का मोहल्ला है, उस गरीबों के मोहल्ले में जहां बहुत गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं और वहां न खेलने का मैदान छोड़ा है और न पढ़ने के लिये भूमि का आवंटन किया है। प्राधिकरण ने विद्यालय के लिये भूमि आरक्षित करने के बाद भी उस भूमि का आवंटित नहीं किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, 28 सितम्बर, 2004 को एक लाख रुपये पंजीकरण शुल्क उस व्यक्ति ने जमा कर दिया, उस समय वहां का सर्किल रेट 2300 रुपये वर्गमीटर था और इन्होंने उनको परेशान करते हुए मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण में इतना भ्रष्टाचार है कि यहां अगर वे एक बड़ी राशि प्राधिकरण में रिश्वत के रूप में अदा कर दिए होते तो आज तक ये परेशान नहीं हुए होते। वर्ष 2004 में पंजीकरण का शुल्क जमा करने के बाद भी आज तक उस विद्यालय के लिए, उस भू-खण्ड का आवंटन नहीं किया गया और उसी भूखण्ड में से कई लोगों को, वहां पर मा0 अध्यक्ष जी, रजिस्ट्री कर दी गई। वहां जो बहुत पुराने लगे हुए वृक्ष हैं, जिसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, उनको नित्य काटने के लिए वहां पर इलाहाबाद प्राधिकरण के अधिकारी जाते हैं, अनेक प्रकार से तंग करते हैं। मैंने भी कई बार इस पर बात की। मा0 अध्यक्ष महोदय, आज नियम-56 के अंतर्गत इस विषय को लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भूखण्ड वहां पर इसके लिए आरक्षित था, जिस तिथि को उन्होंने पंजीकरण शुल्क यानि 2004 में जमा किया है, उस समय का जो सर्किल रेट था, उस रेट पर उस विद्यालय के लिए और विद्यालय के खेल मैदान के लिए, जो भूखण्ड उनके पुरखों का था, उनके पूर्वजों का था, जो उनका स्वयं का था। उसको आप जबरदस्ती अधिग्रहीत कर लिये और उसके बाद वह शुल्क देकर लेना चाहते हैं, उसको दिया नहीं जा रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विद्यालय के लिए जो आरक्षित भूमि है, वह विद्यालय को दी जाए। वर्ष 2004 का जो सर्किल रेट था, जब पंजीकरण शुल्क जमा हुआ, तब के हिसाब से दिया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गरीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और इसमें कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं आ सकी है, पूरी जानकारी ले लेंगे मान्यवर, लेकिन यह बात थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही है, आपने बताया, आखिर में कि पुरखों की जमीनें थीं ये, पुरखों की जमीनें हैं तो उसकी कोई रजिस्ट्री, कोई सबूत होगा। पैतृक का भी तो कोई रिकर्ड होगा, नाजायज कब्जे को पैतृक थोड़े कहेंगे। पैतृक का कोई तो सबूत होगा, खसरा-खतौनी, रजिस्ट्री कोई सबूत तो होगा, अगर आप पैतृक का कोई सबूत देंगे, तो आपका मामला ज्यादा मजबूत होगा और अगर कोई कब्जा है और आप चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि नियमानुसार एक रुपया वर्गमीटर अलॉटमेंट वगैरह या लीज पर दिया जाना। इसमें देख लेंगे कि आपने प्रॉपरली अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अब जहां तक सरकार में पैसा जमा करने की बात है, आप जाकर विधान सभा की रजिस्ट्री

कर आइये जो जायेगी। यह सच है पैसा लेने में कोई मना नहीं करेगा, वापसी जरा आसानी से नहीं होगी, तो आपने जो जमा कर दिया, वह आपकी शराफत है, नेकी है, चलिए सरकार का कुछ भला हुआ। शैक्षिक संस्था का मामला है, पूरी हमदर्दी से दिखवाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 जय प्रताप सिंह जी, ध्यान आकर्षण कर लें कि पढ़ेंगे।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

हां तो पढ़िये।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आप यह भी जानते हैं कि इसमें जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर का सीमांकन करते हुए ये आमी नदी जो निकली है बहराइच से, गोण्डा होकर फिर जाकर घाघरा में मिलती है। कई बार इस सम्मानित सदन में भी इस मामले को उठाया गया था। पूर्व में कोई भी सरकार रहीं, उस बार भी इस बात को उठाया गया था, परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई। जनपद बस्ती में जो अगमा स्थित बजाज सुगर मिल है, उसका जो रसायनयुक्त पानी निकलता है, जो अवशेष उसका निकलता है। उसमें एक ठेके से सम्बन्धित है, जो ठेकेदार होते हैं, उनको उसको ले जाकर कहीं अलग जगह रखना होता है। वे सीधा-सीधा उसको पानी में डाल देते हैं, वह पूरा पानी काला हो गया है और आमी नदी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया है, जितने भी गांव उसके अगल-बगल हैं, उनमें लगे हैण्डपम्प में भी काला पानी निकलने लग गया है। बाढ़ आती है तो मान्यवर, उनके खेत डूब जाते हैं, उनकी फसल जल जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जो प्रश्न इन्होंने रखा है, उसके बारे में हम बता दें आपको कि उस फैक्टरी में ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता थी। पिछली जब इनकी सरकार थी, तो मैंने इस सवाल को असेम्बली में उठाया था और ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण, वह पानी एकदम जहरीला हो गया है, उसमें कोई नहाता नहीं है, पशु पानी पीते नहीं हैं और हम लोग भी उधर से गुजरते हैं तो लोग रोककर, उस नदी के किनारे वाले गांव के लोग हम लोगों से भी शिकायत करते हैं, जो मा0 सदस्य श्री जय प्रताप सिंह ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपको यह बताना है और आपसे आग्रह करना है कि इसमें ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगवा दें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है, कि आपने भी इस पर कहा है सरकार की ओर से मैं यह कहना चाहता हूँ इसलिए कि मान्यवर, आपके पीठ से यह आदेश ही है

आपका मान्यवर। अगर यहां ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट है और चल नहीं रहा है तो गम्भीर बात है और अगर नहीं है तो और गम्भीरतम् है। मान्यवर, ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगना चाहिए इसको दिखवा लेंगे।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना .....

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां जनपद महाराजगंज में थाना पनियारा के ग्राम जंगल बरहरा के ग्राम प्रधान जो वर्तमान में थे श्री रवीन्द्र यादव जी मान्यवर, उनकी 11/12 तारीख को घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गयी। अज्ञांत लोगों के द्वारा लगभग 10 बजे हत्या हो गयी। मान्यवर, लेकिन आज भी महाराजगंज की पुलिस एक भी हमलावरों के नामों को उजागर नहीं कर पायी है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। मान्यवर, इसका दूसरा पक्ष यह है कि वह पूरा परिवार सदमें में है उनके माता-पिता, 35 वर्षीय पत्नी और उनके दो बच्चे हैं आज वे सब सड़क पर हैं। मान्यवर, कहीं न कहीं इस बात को लेकर, उनके मन में सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति आक्रोश है। मान्यवर, प्रदेश में ऐसी कुछ घटनायें और जगहों पर भी हुई हैं और उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी संवेदना व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए उनके घर तक गये हैं। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कि एक बहुत बड़ा जीवन होता है उनके दो बच्चे, पत्नी और माता-पिता आज निश्चित रूप से दो राहे पर खड़े हैं। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि एक तरफ तो प्रशासन यहां हत्यारों का पता लगाये और उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करे, वहीं मानवीय संवेदना के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी उस की पत्नी को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

मान्यवर, यह घटना दुःखदायी है, और इसमें सरकार कार्यवाही करते हुए मृतक के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। यह ज्ञात हुआ है कि दरोगा लाइन हाजिर हो गया है और पांच लाख रु0 की सहायता दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको आप दिखवा लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, ठीक है दिखवा लेंगे।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना पर बोलने का अवसर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर पूर्वांचल का एक अति पिछड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र बिहार प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। वर्ष 2005-2006 में पनियहवा वाया छितौनी तमकुहीरोड नई रेल परियोजना के लिये प्रस्तावित है। इस रूट पर नई रेल लाइन बिछने से बाढ़ एवं गरीबी से निजात मिलने की उम्मीद है। इस रेलखण्ड की आधी जमीन बिहार प्रान्त में पड़ती है जिसका अधिग्रहण हो गया है। जबकि पडरौना तहसील एवं तमकुहीराज तहसील की लगभग 200 एकड़ जमीन का चिन्हांकन रेलवे द्वारा किया गया है, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाना है। रेलवे के अधिकारी विगत तीन-चार महीने से भागदौड़ कर रहे हैं। तहसीलदार, लेखपाल, कानून-गो का दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन अभी तक उक्त भूमि का सत्यापन नहीं किया जा सका है। राजस्व विभाग के सत्यापन के उपरान्त ही भूमि अध्यापित अधिकारी, देवरिया से 4/6, 7/17 की कार्यवाही करने के उपरान्त मुआवजे की राशि रेलवे द्वारा बैंक के माध्यम से की जायेगी। अतः जनहित में उक्त चिन्हांकित भूमि का राजस्व विभाग द्वारा अविलम्ब सत्यापन कार्य कराया जाय जिससे इस पिछड़े क्षेत्र से गुजर रही रेलवे लाइन के कार्य को गति मिल सके तथा बेरोजगार एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार आदि हेतु दूर क्षेत्रों में जाने हेतु साधन उपलब्ध हो सके।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसको लेकर आज रेलवे प्रशासन के लोग पिछले लगभग छः माह से जिला अधिकारी, तहसीलदार और एस0डी0एम0 के कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं कि उनको भूमि मिल जाय। मान्यवर, एक तरफ तो बिहार ने 200 एकड़ जमीन अपने क्षेत्र की दे दी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मान्यवर, कुशीनगर के पडरौना तहसील और तमकुहीराज में जमीन चिन्हांकित नहीं हो पाई है। मान्यवर, अगर जनपद कुशीनगर में समय रहते जमीन के चिन्हांकन का काम नहीं हो पाया तो उसमें कार्य आगे नहीं बढ़ पायेगा। मान्यवर, रेलवे प्रशासन किसानों को उनकी जमीन का पैसा नहीं देगा तो उन किसानों के सामने भी दिक्कत आयेगी। मान्यवर, इस नई परियोजना पर रेल प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष भी धन का आवंटन हुआ था और इस साल भी हुआ है वह पूरा पैसा ऐसे ही पड़ा रह जायेगा और रेल परियोजना अधर में लटक जायेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारा इलाका पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है एक विकास की किरण रेल लाइन के बिछने से दिख रही है। इसमें राज्य सरकार को आगे बढ़कर जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही में रेल प्रशासन को मदद करनी चाहिये। मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश के भाग में हमारे जनपद कुशीनगर में पडरौना में और तमकुहीराज में 200 एकड़ जमीन दी जारी है उसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें। माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री आर0पी0एन0 सिंह जी के प्रयास से यह परियोजना स्वीकृत हुई है। इस पर जमीन उपलब्ध हो जाने से यह परियोजना अमल में आ जायेगी जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसका अपना एक नियम-है एक्वायर की जाती है जमीन और कितने किसान जागरूक हो गये हैं और होना भी चाहिए उनकी अपनी जमीन है। थोड़ी सी भी जमीन है उसे कोई छीन ले, मेड़ के मामूली झगड़े पर जाने चली जाती हैं तो जमीन से एक लगाव हो जाता है। बंजर भी है तो अच्छी लगती है उपजाऊ के मुकाबले में। अब जमीन को सख्ती से कहीं भी अब नहीं लिया जा सकता। डन्डे से नहीं लिया जा सकता, मनाकर और उतना ही मुआवजा देकर जितनी सरकार की

नीति है अगर किसान तैयार होते हैं तो ली जा सकती है अन्यथा नहीं ली जा सकती है। उसकी कोशिश कर ली जाय और मुआवजा तो आप भारत सरकार से दिलवायेंगे ही, बढ़ाकर दिलवा दीजिए तो खुशी से दे देंगे।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, किसान तैयार है विभागीय अधिकारी देर कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर किसान तैयार है, विभागीय अधिकारियों की तरफ से अगर कोई देरी हो रही है तो उसे अवश्य दिखवाया जायेगा।

(श्री महावीर सिंह राणा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महावीर सिंह राणा जी, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर ले रहा हूं बस उल्टी है, घायल हुए हैं एक्सीडेन्ट है कोई गोली नहीं चली है, कुछ नहीं है आपने लिखा है 5-5 लाख रुपया घायलों को मुआवजा दिया जाय मृतकों को और उनको एक-एक लाख रुपया दिया जाय। यह बस का एक्सीडेन्ट है हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर देते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, यह सूचना है यद्यपि कि इसमें कहीं सरकार की जवाबदेही नहीं है। यह चूंकि बहुत ही दर्दनांक घटना हुई है और 9-9 लोगों की जाने गयी है तो हम केवल इतना चाहते हैं कि उदारतापूर्वक सरकार इसमें जो मृतक परिवारीजन हैं उनको कुछ सहायता राशि देने की कृपा करे ताकि उनके परिवारीजन का भरण-पोषण हो सके और जो 29 लोग घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

किसान बीमा योजना से लेकर के सब तो है।

श्री महावीर सिंह राणा-

मान्यवर, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है 3 आदमी कल सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में हैं सीएमसी में और 29 लोग जीवन मौत से लड़ रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके परिवार की समुचित मदद की जाय और इलाज का पूरा प्रबन्ध किया जाय 29 लोगों के। 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 29 का है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बड़ी हैरत की बात है राणा जी कमजोर बात कह रहे हैं। इतनी मजबूत स्थिति है आपकी वहां राजनैतिक स्थिति उसके बाद आप यह कहें कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर जनप्रतिनिधिनियों की क्या जिम्मेदारी है। आप, आपके भाई साहब, इतना लम्बा राजनैतिक इतिहास, ऐसा परिवार, इतनी मजबूत जड़े, इतनी पहुंच और आप अगर 19-20-29 लोगों के इलाज में मदद नहीं कर सकते तो फिर हम और आप राजनीति क्या करेंगे। आप तो खुद में सक्षम हैं, बहुत मजबूत

हैं आप राजनैतिक तौर पर, मेरे ख्याल से यह जिम्मेदारी खुद भी लेना चाहिए और आप सक्षम हैं इसमें, आप बहुत बा-सलाहियत हैं, हमारे तो परिवार जैसे रिश्ते हैं हमारे आपके, यह अलग बात हैं कि आप वहां हैं। मान्यवर, इसे देख लेंगे, और बिलकुल कोई इसमें पक्षपात नहीं होगा। मगर याद है बसपा सरकार में आगरे में एक फैक्ट्री जली थी उसमें आपने मुआवजा दिया था नहीं दिया था, अच्छी बात है। जूता बनाने की फैक्ट्री थी उसमें आपने अच्छा मुआवजा दिया था उस वक्त बहुत अच्छा मुआवजा, अब से काफी अर्सा हो गया और फिर कुछ दिन बाद बहराइच में एक बस जा रही थी हाईटेंशन वायर से उसमें लोग जल कर मर गये थे उसमें आपने नहीं दिया था। इसमें मान्यवर, देख लेंगे और जो भी बेहतर हो सकता है, करेंगे।

(श्री पंकज मलिक के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पंकज मलिक जी, दो नोटिस पर दस्तखत किये हो, इसको अकेले कल अपना प्राथमिकता पर दे देना, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। नियम-आप पढ़ लो सूचना। दो-दो पर दस्तखत कर देते हो।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, किसानों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा मैं पढ़ देता हूं। यह आपका है कि किसान जो हैं, वह कमिश्नरी, मेरठ में धरना दे रहे हैं और उनका गन्ने का भुगतान वह फैक्टरी है, इसमें फैक्टरी लिखा ही नहीं है यह किस फैक्टरी का पैसा है, बताओ ...

श्री पंकज कुमार मलिक-

यह पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

अब हमारे यहां भी गन्ना फैक्टरी है। गन्ने पर पूरी चर्चा हो गयी, नियम-56 में भी हो गयी। अब बार-बार नहीं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

हाईकोर्ट, लखनऊ बेन्च द्वारा आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

हमें पता है आदेश। यह ऐक्ट का संशोधन हुआ 1977 के बाद 15 दिन का, लेकिन यह भी हाईकोर्ट का फैसला है, मैं कन्फर्म नहीं हूं कि जो सरकार गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है, उसी पर ब्याज पाओगे जो सरकार बढ़ाकर देती है, उस पर नहीं पाओगे तो क्यों ऐसी लड़ाई लड़ते हो, कानून पढ़कर आया करो। अब खत्म। सुरेश खन्ना जी की स्वास्थ्य विभाग नेशनल पोलियो सर्विलान्स प्रोग्राम में लगे कर्मचारियों के समायोजन न किये जाने सम्बन्धी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं माननीय तिवारी जी, आपका जो है ...

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठो, अब यह आप लोगों की आदत बन गयी है। माननीय तिवारी जी, आपका जो प्रश्न है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसे आप न प्रस्तुत करते तो अच्छा होता।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है मान्यवर, जो मेरा लगा हुआ है, जिसमें हमने प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात की है, मैं उसको नही रखता हूं, मैनें इतना ही तो कहा था कि प्रधानों का मानदेय बढ़ा दिया जाय और प्रधानों का मानदेय इसलिये बढ़ा दिया जाय कि वह जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं रखूंगा।

(श्रीमती विमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप नियमों के अन्तर्गत लिखकर दीजियेगा तो सब लिया जायेगा।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका कुछ इसमें लिखकर आया नहीं है, ठाकुर दलवीर सिंह जी।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकेंड, एक सूचना बड़ी महत्वपूर्ण आई है। आप मुझे केवल एक मिनट दे दें। अलीगढ़ जनपद, अलीगढ़ शहर बहुत संवेदनशील है। वहां यूनिवर्सिटी के बच्चे 10 दिन से...

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप फिर नहीं माने हमारी बात। मैनें कहा, कल इसको लिखकर दीजिये नियम-56 में, अब आप कोई बात मानते ही नहीं। यह सूचना नहीं ली जायेगी और न कुछ लिखा जायेगा। आप कल नियमों में दीजिये और अपनी पूरी बात कहिये। सरकार से कल जवाब भी लीजिये। अब बजट चलने दो। अब क्या इतना नियम-56 चलेगा। सोलंकी जी मैं आप की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं।

[श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 11(1) पुकारे जाने एवं श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष-

आप इस तरह कुछ नहीं जवाब पाइयेगा, आप कल दीजियेगा, उस पर बहस होगी। आपको पहले भी समझा दिया कि जब नियमों में देंगे तो उसका समुचित जवाब आयेगा।

[1.06 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,98,70,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आवास विभाग का बहुत महत्वपूर्ण बजट है और बढ़ती हुयी जनसंख्या में आवासों की बहुत जरूरत है और प्रदेश में प्रदूषणरहित आवास होना चाहिये और मनुष्य के जीवन में रोटी कपड़ा और मकान बहुत आवश्यक है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में आवास विकास बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। इस बीच में पूरे प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मान्यवर, एक साल में जो उत्तर प्रदेश में बहुत जमीनों पर जैसे सिंचाई विभाग की जमीन थी जेलों की जमीन थी उन जमीनों पर कब्जा करके जबकि उन विभागों को उस जमीन की कीमत मिलनी चाहिए थी वह कीमत न मिलकर पूरे प्रदेश में कहीं कहीं खासकर लखनऊ में जिस तरह से प्रदूषण फैलाया गया था उसकी वजह से लखनऊ के लोगों को बहुत दिक्कतें हुईं। बीमारी भी फैली बहुत से लोग दमा के रोग से पीड़ित भी हुए आज भी बहुत सी दिक्कतें हैं पानी की भी दिक्कतें हैं। जबकि सिंचाई विभाग का बड़े पैमाने पर बजट खर्च कर दिया गया था स्मारकों पर तो आज हमको और स्मारकों की सुरक्षा के लिए आज बड़े पैमाने पर बजट की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है।

मान्यवर, मैं आज एक महत्वपूर्ण बजट आपके सामने रख रहा हूं और हम इस उत्तर प्रदेश में सभी को आवास की सुविधा मिले बढ़िया सड़कें भी मिलें और सभी सुविधाओं से जहां तक पर्यावरण भी अच्छा हो तो हम ऐसी योजना ला रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश का पर्यावरण भी अच्छा हो और प्रदूषण से भी हमें निजात मिले। यह सभी सुविधाओं से युक्त उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बने जिसमें सभी के पास मकान होना चाहिए। गरीब के पास मकान होना चाहिए बिना मकान के बिना छत के कोई उत्तर प्रदेश में न रहने पाए। हमारे विधायकों को भी बहुत जरूरत है। हमारे विधायक जब पूर्व विधायक हो जाते हैं तो उनको और भी जरूरत है। इसलिए मैं एक ऐसा बजट लाया हूं और इस उत्तर प्रदेश में गोमतीनगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना किया जाना वर्तमान सरकार की मुख्य प्राथमिका है। इस परियोजना के अन्तर्गत भव्य आडीटोरियम, लाइब्रेरी, बैंक्वेट हाल, इंडोर स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, कांफ्रेंस हाल एवं अनुसांगिक पब्लिक यूटीलिटी का प्राविधान प्रस्तावित है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपया 20 करोड़ से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस कार्य की प्रगति बनाये रखने के लिए इस परियोजना पर 20 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कराया गया है। इसके अन्तर्गत लखनऊ में निर्माणाधीन डालीगंज आर0ओ0बी0, पुरनियॉ आर0ओ0बी0, लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अर्जुनगंज के पास आर0ओ0बी0 व लखनऊ नगर में सड़कों, नालियों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण के लिए चालू कार्य पूर्ण किये जायेंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ का विकास किया जायेगा व अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित नये कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे। प्रदेश के अन्य नगरों में जन सामान्य की सुविधा हेतु अवस्थापना विकास के अपरिहार्य कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे। लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में निवर्तमान सरकार के शासनकाल में निर्मित स्मारकों, पार्कों आदि के निर्माण में सिंचाई विभाग की प्रयुक्त भूमि के मूल्य तथा ब्याज के भुगतान हेतु 165 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान कराया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान उत्तर प्रदेश के अधिष्ठान कार्यों गैर वेतन के

लिए 1 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्राविधान कराया गया है। लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में निर्मित स्मारकों पार्कों आदि के अनुरक्षण रख-रखाव हेतु स्मारक अनुरक्षण समिति, लखनऊ के अधीन कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु रुपया 117 करोड़ 29 लाख के बजट का प्राविधान कराया गया है। इस प्रकार आयोजनागत पक्ष की उक्त परियोजना हेतु 553 करोड़ 98 लाख रुपए की बजट व्यवस्था करायी गई है।

विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों एवं पी0पी0पी0 मॉडल पर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं कार्यक्रमों का विवरणः- प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय योजनाओं के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण की योजनाओं एवं संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों से क्रियान्वित की जायेंगी। लखनऊ में 400 करोड़ रुपए की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीड़ा-शंकुल का निर्माण गाजियाबाद में रुपया 450 करोड़ की लागत से नार्दर्न पेरीफेरल रोड का विकास तथा आगरा में रुपया 11 सौ करोड़ की लागत से इनर रिंग रोड का विकास सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्राथमिकता पर प्रारम्भ किया जायेगा। गाजियाबाद शहर में दिल्ली की ओर जाने के लिए हिण्डन नदी पर तीन पुलों का निर्माण 50 करोड़ रुपए से किया जायेगा तथा वैशाली मेट्रो रेलवे स्टेशन पर मल्टीलेबिल पार्किंग का निर्माण, एन0एच0-58 को एन0एच0-24 से जोड़ने के लिए 6 लेन सड़क एवं रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जायेगा। बरेली शहर में बरेली-बदायूं मार्ग पर लाल फाटक रेलवे क्रासिंग पर एवं आई0बी0आर0आई0 के निकट नैनीताल मार्ग पर रेलवे की सहभागिता से रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जायेगा। गाजियाबाद शहर में पर्यावरण, संरक्षण की दृष्टि से सिटी फारेस्ट का विकास किया जायेगा। ताज नगरी योजना के फेज-2 में 6.7 हेक्टेयर भूमि पर लगभग रुपया 15 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण/विकास किया जायेगा। आगरा शहर की शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना में 5 एकड़ भूमि पर साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जायेगा। मथुरा शहर के गोवर्धन में सात पार्किंग स्थलों का विकास। विकास तथा मथुरा वृन्दावन महायोजना की सीमा के अंतर्गत पानी के निकासी की समस्या के दृष्टिगत एक काम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज प्लान्ट तैयार कर परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। इसके अतिरिक्त गोरखपुर नगर में रामगढ़ताल का सौन्दर्यीकरण तथा विकास के क्रम में रामगढ़ताल में मिलने वाले नालों का डायवर्जन अन्यत्र सुनिश्चित किया जायेगा।

मान्यवर, आयोजनेत्तर मद में, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्षों व सदस्यों के मानदेय व आनुषांगिक व्यय हेतु रु0 41.40 लाख तथा संस्थान में कार्यरत निदेशक व अन्य कार्मिकों के वेतन-भत्तों के भुगतान हेतु रु0 49.79 लाख की बजट व्यवस्था करायी गयी है। लखनऊ में गोमतीनगर में सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट ट्रांजिट हांस्टल के आवासीय भवनों के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत में रु0 50 लाख नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, पेट्रोल, कार्यालय साज-सज्जा आदि के लिए रु0 2438.51 लाख व विहित अधिकारियों के अधिष्ठान हेतु रु0 677.68 लाख की बजट व्यवस्था करायी गयी है। समाज के निर्बल वर्गों के लिए भवन निर्माण हेतु पूर्व में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु रु0 365.888 लाख उक्त दोनों कम्पनियों से लिये गये ऋण के

मूलधन के प्रतिदान हेतु रु0 708.69 लाख की बजट व्यवस्था करायी गयी है। नजूल भूमि के प्रबन्धन हेतु जनपदों में जिलाधिकारियों के अधीन कार्यरत कार्मिकों के वेतन-भत्तों आदि के भुगतान हेतु रु0 108.5 लाख तथा नगर भूमि सीमा रोपण विभाग/निदेशालय एवं जनपदों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन-भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिए रु0 1106.73 लाख (रु0 ग्यारह करोड़ छः लाख तिहत्तर हजार) की बजट व्यवस्था करायी गयी है। इस प्रकार आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रु0 5546.73 लाख की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

इस तरीके से यह बजट उत्तर प्रदेश आवास विकास के द्वारा लाया गया है और इस उत्तर प्रदेश के सड़कों और हराभरा और पूरी सुविधाओं को उत्तर प्रदेश के हर शहर और जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनमें सभी सुविधाओं से युक्त इस उत्तर प्रदेश को इस बजट के द्वारा बनाना है इसलिए यह बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है इसलिए हम निवेदन करेंगे कि इस बजट को सर्व-सम्मति से पास करायें।

(कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये माननीय सदस्य श्री सतीश महाना और माननीय सदस्य श्री शमशेर बहादुर के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कटौती कौन रखेगा ? आप नेता विरोधी दल से बात कर लें। शमशेर जी आप जरा रूक जायं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पहले मेरे लिये बात हुई, यह नहीं होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

शमशेर जी कटौती का प्रस्ताव रख लें उसके बाद महाना जी को मुख्य वक्ता के रूप में बुलवा लें ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा तो होता नहीं है।

*श्री सतीश महाना-

नहीं नहीं, यह नहीं होता। माननीय नेता प्रतिपक्ष यह विषय नहीं है। बात यह है कि आपको स्पष्ट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। मैं इस विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी इस बात के लिये कहना चाहता हूं क्योंकि इस कटौती के लिये मेरे से कहा गया था। मैं नेता प्रतिपक्ष के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान, कोई माननीय सदस्य कहने लगे कि मान्यवर, आप टॉस करवा दीजिये।)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप यह जानते हैं कि यह कटौती का प्रस्ताव या बजट रखने का नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की सहमति से होता है और इसमें नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पार्टी के इन्हीं के लिये लिखा है, तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो आपका निर्देश है उस पर हमारे को कुछ बोलने का इश्यू नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब उसमें यह है कि जो नेता प्रतिपक्ष कहेंगें वह हम करेंगें, उनको ही हमको निर्देशित करना है। उन्होंने इनको लिख दिया है। अब यह कटौती रख रहे हैं, बाद में आप भी बोल लीजियेगा।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपसे इतना निवेदन है कि इनके कटौती रखने के बाद आप मेरी पूरी बात सुन लेंगें, मेरे लिये कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे, बस इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जहां तक आवास एवं शहरी नियोजन का सवाल है, आवास मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जनसंख्या चूंकि तेजी से बढ़ रही है, उसकी वृद्धि हो रही है खास कर शहरी क्षेत्रों में इसलिये नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या मान्यवर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसके समाधान हेतु समय समय पर सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाते रहे हैं। मान्यवर, आवासीय समस्या के सुनियोजित निदान एवं विकास हेतु भी स्वायत्त शासन विभाग स्थापित किया गया था कालांतर में यह आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हो गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग जो नगरीय एवं उसके आस पास के क्षेत्रों के समाज में सभी वर्गों के लिये विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोग होते हैं उनकी आवासीय सुविधा मुहैया कराने का काम करता है। मान्यवर, एक महायोजना तैयार करके सुनियोजित तरीके से विकास की नीति निर्धारण किया जाता है। प्रदेश में नगरों में आवास उपलब्ध कराने के लिये मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् अधिनियम-1965 के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का गठन हुआ। इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में आवास वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश आवास संघ को भी स्थापित किया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अधीन 1974 में केवल 5 कबाल टाउन्स में विकास प्राधिकरणों को शुरू किया गया कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 25 विकास प्राधिकरण हो चुके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं विशेष प्राधिकरणों का भी निर्धारण किया गया है। मैं मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में यह नगर विकास विभाग के साथ था, इसको अलग से बनाया गया है। कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ मंत्रियों को एडजेस्ट करना रहा होगा। बहुत सारे विभागों को तोड़ा गया मान्यवर, कुछ न कुछ तो वजह रही होगी। आवासीय व्यवस्था को बेहतर करना, नागरिकों के जीवन को बेहतर करना, उनके जन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करना, कुछ वर्तमान के लिये, कुछ भविष्य के लिये। आवासीय सुविधा के लिये उनको ढेर सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना है तो दोनों को अलग रखने का मान्यवर कोई औचित्य नहीं बनता है। तब विशेष रूप से नगर विकास का एक मंत्री होता था और जो स्थानीय निकाय होते हैं वो उसके जनप्रतिनिधि का काम करते थे। सभासद होते हैं, जिला पंचायत सदस्य, नगर प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता था। मान्यवर, विकास को लेकर गांव तक की सारी व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नियंत्रित करने का काम करते थे।

(इस समय 01 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए।)

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

एक माननीय मंत्री को छोड़ दें लोकतंत्र की परिभाषा के अन्तर्गत एक ऐसा भी सदस्य नहीं होगा जो इसके अन्तर्गत आता हो, जिससे अधिकारियों ने एक रणनीति के तहत अपने लिए छिपाकर रख लिया। इसमें जनप्रतिनिधि की कोई भूमि का आवास विभाग में नहीं है मान्यवर, उन्होंने समितियां प्रदेश के स्तर पर बना रखी हैं आवास विकास परिषद् के स्तर पर बनी रखी हैं, जो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बनाए गए हैं उनके स्तर पर बनी रखी हैं, सहकारी संघों के स्तर पर बनी हुई हैं आवास विकास स्तर पर बने हुए विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बनाए गए हैं मान्यवर, उनके विभाग की पुस्तक को पढ़ने पर पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे तक की सारी प्रक्रिया सारे प्राधिकरणों में, सारी समितियों में केवल आधिकारी हैं मान्यवर, इसमें अभियन्ता से लेकर आई0ए0ए0 तक होते हैं यह लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है यह किस प्रक्रिया के तहत हमने तय किया है, मा0 मंत्री जी ने लगभग 6 अरब बजट रखा है जो आज प्रस्तावित है। जो आज इन्होंने बजट रखा है उसी पर संशोधन रखने और उसी की आलोचना करने के लिए, मैं यहां पर खड़ा हूं मान्यवर, विकास प्राधिकरणों में नगर निगमों के दो प्रतिनिधि लिए जाते हैं बा-हैसियत सभासद, जिस नगर विकास की योजना बनती है उसमें नगर का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है मान्यवर, किसी महानगर में अगर पांच विधायक होते हैं तो उनमें से कोई भी विधायक विकास प्राधिकरण का सदस्य नहीं होता है और न ही उसे बुलाया जाता है और न ही उसे निर्णय की सूचना दी जाती है। न मान्यवर, उससे सुझाव लिए जाते हैं और विकास प्राधिकरण उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य करता है।..

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं आप शायद पहली बार आए हैं आपको हमसे ज्यादा सीखना है और यह सीखने का तरीका नहीं है आप कम बोलिए, अटककर बोलिए, लोग हंसते हैं हंसे, सीखिए, पढ़िये मत, कम बोलिए आप, जितना याद है आपको उतना बोलिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोल नहीं सकेंगे। धन्यवाद।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, विधायक की स्वीकृति और उनके सुझाव लिए जाते हैं ऐसे विभाग प्रस्ताव पारित करते हैं जिनके बारे में सदस्य लोग कतई नहीं जानते हैं। यह पैसा लेकर क्या करने जा रहे हैं इसके लिए आवश्यक है इन प्राधिकरणों में जनता से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं जो जाते हैं सरकार उसमें व्यवस्था करे। जो भी जानकारियों हों उनको देने का कार्य करे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस दौर में आप भी यह महसूस कर रहे होंगे कि निगमों में ढेर सारे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राजनीतिक दलों को बिठाने का कार्य हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह तो जन्म होना ही चाहिए कि विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र के जो विकास प्राधिकरण हैं उसमें चयनित जो विधायक हैं इनकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले,उनको संस्तुति करने का मान्यवर, अधिकार मिले, राज्य वित्त आयोग भी यह कहता है, राज्य वित्त आयोग भी 61 संस्तुति में से 26 प्राधिकरणों के लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में है, प्रथम वित्त आयोग ने भी संस्तुति दी थी मान्यवर, जल संस्थानों और प्राधिकरणों को स्वतंत्र चलाने की जगह स्थानीय निकायों में उनको समाहित किया जाए। तृतीय राज्य वित्त आयोग ने भी उस पर बल दिया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

61 संस्तुतियों में से 3 संस्तुतियां आधी मानी गईं। आधी नहीं मानी गई मान्यवर उसमें से जल संस्थान ने यह कहा गया जहां जल संस्थान हैं वहां नगर निकायों से जोड़ा जाए लेकिन विकास प्राधिकरणों के बारे में यह कह दिया कि प्रशासनिक रूप से इस पर अध्ययन किया जाएगा। अब जिनके अधिकार छिनने वाले हैं वह अध्ययन करके आपको यह नहीं बता पाएंगे मान्यवर, कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों को विकास प्राधिकरणों में स्थान दे दिया जाए। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्राधिकरणों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के तहत दो या इसे नगर विकास विभाग को दे दिया जाए या नगर निगमों में समाहित कर दिया जाए। मान्यवर, इस लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करके चयनित विधायकों को उसमें स्थान दिया जाए। और न देने से क्या हो रहा है आवास विभाग और नगर विकास विभाग काट रहा है...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

दस साल बाद कालोनियों को हैण्डओवर करते हैं। कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। मान्यवर, वहां तालमेल का अभाव है। पाइप लाइन डालने वाले सड़क एक दिन खोदते हैं, टेलीफोन लाइन डालने वाले सड़क एक दिन खोदते हैं अगर उनमें आपस में तालमेल हो तो एक ही बार में खुदाई करके इन सब केबिलों को डाला जाए जिससे वहां पर बार-बार सड़क खोदने का काम न हो।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गई है, कृपया समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, अब कटौती रख रहे हैं तो कुछ बातें तो आयेंगी ही। मान्यवर, जहां तक आवास और शहरी नियोजन का सवाल है, आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, चूंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आवासों को भी उसी रेसियो में बढ़ाने की जरूरत है। मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से जो लोग दुर्बल हैं, जो लोग मध्यम आय वर्ग के हैं और जो लोग उच्च आय वर्ग के हैं, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो यहां गोमती नगर है, बड़ी कालोनियां हैं, बड़े लोगों ने उनको रहने के लिए आवासीय स्तर पर उनको एलाट कराया लेकिन उसमें रहने के बजाय, हम देखते हैं कि गोमती नगर में पूरा उसका व्यावसायीकरण हो गया है, पूरी उसमें दुकानें खोली गई हैं। 250-300 मकान उसमें ऐसे हैं कि जिनका उन लोगों ने बिल्कुल व्यावसायीकरण करके, उसमें दुकानें बना कर और दूसरे प्रतिष्ठान बनाकर उन मकानों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, अगर कोई छोटा आदमी छज्जा निकाल दे, किसी छोटे आदमी को कोई दिक्कत आ जाए, सामने पेड़ लगा दे, सामने अपने गाड़ी खड़ा कर दे तो मान्यवर, वहां पर जांच करने के लिए इंजीनियर पहुंच जाते हैं, एलडीए के अधिकारी पहुंच जाते हैं। मान्यवर, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, दिल्ली में एक अभियान चलाया गया और अभियान चलाने के बाद में ग्रेटर कैलाश में आवासीय घरों में जिन घरों को लोग रहने के लिए आवंटित कराये थे, अगर उसमें उन्होंने दुकानें बना दी तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया। मान्यवर, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यहां पर भी कुछ इस तरीके की कार्यवाई करायें, इसके कारण जो राजस्व की हानि हुई है, वह राजस्व की हानि न हो। मान्यवर, गरीबों के लिए मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना चलायी गई थी, उसमें ढाई-तीन लाख बेघर लोगों को, वह मजलूम लोग जो यह नहीं सोच सकते थे कि उनको एक टाइम खाना मिल पायेगा, उनको कपड़े मिल पायेंगे, उनके साइकिल की व्यवस्था हो पायेगी, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो पायेगी, मान्यवर, हमारी सरकार ने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में प्रत्येक कस्बे में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना चलाकर अच्छी जगहों पर ढ़ाई लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के आवास देना का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस योजना को चलायें, नाम बदल दें, चाहे जिस नाम से चलायें लेकिन शहर में रहने वाले गरीबों के लिए चलायें। आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोहिया ग्रामीण आवास योजना चला रहे हैं, आप उसको चला पायेंगे, आप उसको देंगे तो निश्चित रूप से जो प्रदेश की गरीब जनता है, वह इस बात का संज्ञान लेगी और आपको धन्यवाद करेगी। इसी तरीके से जो शहरों में गरीब लोग रह रहे हैं क्योंकि मान्यवर, 27-28 परसेण्ट आबादी शहरों की है और अगर भारत का दिल गांव में है तो भारत का शरीर भी शहरों में रहता है। मान्यवर, सड़क के किनारे झुग्गी-झोपड़ी लगी हुई हैं, झिल्लियां-पन्नियां तानकर लोग रह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, समय हो गया है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता जी, कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं, कम से कम सभी बातें आ जानी चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अधिष्ठाता जी, कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब क्या है, जब सुझाव नहीं आ पायेगा, वह अपनी राय नहीं दे पायेंगे तो क्या मतलब कटौती प्रस्ताव रखने का। मान्यवर, आपकी कृपा चाहिए, आप उतने ऊंचे पर पहुंचे हैं तो दिल भी ऊंचा होना चाहिए और उसी उदारता के साथ थोड़ा अवसर देना चाहिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बजटीय भाषण में कुछ योजनाओं का जिक्र किया है, कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा है, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहां पर नगर विकास का बजट पढ़ा था, उसमें भी मंत्री जी द्वारा कहा गया था और इस बार भी मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है, मान्यवर, जो योजनाएं अच्छी हैं, अच्छी योजनाएं आप चलायेंगे, अच्छी तरह से उनके रख-रखाव की बात आप करेंगे, प्रदेश के बढ़ोत्तरी की बात आप करेंगे, तब कतई हम आपका समर्थन करेंगे, हम कतई आपकी अच्छी चीज को अच्छी कहेंगे, हम कतई आपकी खराब चीज को तभी खराब कहेंगे, जब वह खराब होगी। आपकी अच्छी चीज को हम गुण-दोषों के आधार पर करेंगे। आपने चुनाव के समय क्या कहा, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता, जिस तरीके से आपने चुनाव में बातें की, मैं उनमें नहीं पड़ना चाहता लेकिन एक दिन अम्बेडकर पार्क में बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिमा विखण्डित हुई थी, उसको आपने 24 घण्टे के अन्दर नहीं बल्कि 18 घण्टे के अन्दर लगाया, इसलिए मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भले ही आपने अपने चुनावी भाषण में यह कहा हो कि हम इन पार्कों पर बुल्डोजर चलायेंगे। मैं उन बातों में नहीं जाता। लेकिन आपने यहां पर 18 घण्टे के अंदर लगवाया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिलकुल बिगड़ने जा रही थी। मान्यवर, महापुरुष समाज, देश के होते हैं उन पर किसी का अधिपत्य नहीं होता है। आप भी आगे बढ़कर बाबा साहब के मिशन पर आगे चलें लोहिया जी के काम को आगे बढ़ायें नेता जी के, गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ायें तो कोई भेद नहीं रहेगा। आपने पिछली बार गोमती नगर लखनऊ में श्री जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की बात कही थी इस परियोजना के अंदर आडिटोरियम, लाइब्रेरी, बेंकिट हाल, इंडोर स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, बेडमिंटन कोर्ट, कान्फ्रेंस हाल एवं अन्य अनुषांगिक पब्लिक युटिलिटी का प्राविधान किया था। आपने भी मेट्रो रेल परियोजना द्वितीय चरण गाजियाबाद की बात की थी। नार्दन फेरिबल बाईपास सिटी फारेस्ट तथा सिटी लेक विकास का मुददा आपने मुख्य रूप से उठाया था। इनको पिछली बार चिंता थी कि हराभरा प्रदेश हो। आपकी वही चिंता इस बार भी दिख रही है। आपकी इस योजना में प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर सहित सभी बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गयी थी। आपने गोरखपुर वाली झील की बात की थी। तालाब व झीलों को प्रदूषण मुक्त करने एवं अवैध कब्जों से मुक्त कराने की बात की थी। आपने पिछले भाषण में भी महापुरुषों के सम्मान की बात की थी। वही बातें इस बार हुयी हैं। साल भर में क्या प्रगति हुयी है। यह लैण्ड बैंक की बात करते हैं, विकास प्राधिकरण कहां से आवास बनायेंगे। आवास विकास परिषद्

कहां से आवास बनायेंगे। एक साल में एक इंच जमीन लैंड बैंक के रूप में नहीं खरीदी गयी। किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा एक इंच भी जमीन नहीं खरीदी गयी। जब जमीन आपके पास नहीं है तो आवास बनाने की बात आपकी कोरी कल्पना है। इसी तरीके से श्री जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बनवाने की बात कही। 95 प्रतिशत हरेभरे पेड़ लगाने की बात कही थी। लखनऊ को हराभरा बनाना चाहते हैं सड़कों के चौड़ीकरण की बात कही थी। आपने फ्लाई ओवर बनाने की बात कही थी लेकिन हम जब देखते हैं कि प्रगति के मामले में कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। शुरू कैसे होगा जब विभाग का बजट 30-35 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं हो पाया है। आपके विभाग का बजट विभागों में नहीं पहुंचा है। जब विभाग का बजट नहीं पहुंचेगा तो खर्च कहां होगा। हमारे द्वारा सुन्दरीकरण के लिए जो पार्क बनाये गये उसकी बहुत आलोचना की गयी। लेकिन मुझे हर्ष होता है कि बहन कुमारी मायावती जी के नक्शेकदम पर चलते हुए अब आपने भी सोचा कि अब बिना पार्क बनाये काम होने वाला नहीं है। इसलिए आपके मंत्री जी द्वारा इस बार जो दो-तीन पार्कों की घोषणा की गयी है मैं उसका स्वागत करता हूं। आर्य जी आप जिस वर्ग से आते हैं वह समाज का बहुत पीछे का वर्ग है। उसकी पीड़ा मुझे मालूम है कि आपके दिल में है। लेकिन अगर इस बजट में शहरी आवास में 10-20 हजार आवास बनाने की भी बात की गयी होती। अगर 5 हजार आवास बनाने की भी घोषणा की होती तो मैं यह समझता कि मंत्री जी बहुत ज्यादा संजीदा हैं और वह चाह रहे हैं कि आवास का काम हो। मान्यवर, प्राइवेट बस्तियां बन रही हैं। इससे दो चीजों की हानि हो रही है। शहर के आसपास के गांव उसी में मिलते जा रहे हैं। किसानों की जमीन को सोसाइटी के लोग खरीद लेते हैं और गांवों से आने वाले जो लोग शहरों में रहना चाहते हैं उनको महंगे दर पर बेचते हैं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे राजस्व की हानि होती है, वह लैण्ड यूज चेन्ज नहीं कराते, आज आप जांच करा लें कि लखनऊ के आस-पास और बड़े शहरों के आस-पास की ज्यादातर जमीनों का लैण्ड यूज चेन्ज नहीं हुआ है और कृषि योग्य भूमि पर ही वह प्लाटिंग करके राजस्व की हानि, सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं।

मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अपने यहां जमीन है, हमारा भारत देश ऐसा है कि सारे मौसम हैं, हर जगह बराबर की जमीन है, लेकिन उन देशों को देखें मान्यवर जापान की, इंग्लैण्ड की, हांगकांग की, जहां पर जमीन उनके पास है ही नहीं, वह हरिजेण्टली अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। आज विधायक लोग 17 महली, 15 महली आवासीय भवनों में रहते हैं, जो उनके लिए आवंटित किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कृषि योग्य भूमि है, इसको अब न बर्बाद किया जाय और अब जो भी बिल्डिंगें बनाई जायं वह कम से कम 10 महला, 12 महला हरिजेण्टल बिल्डिंगें बनाई जायं। एक और चीज की मैं तारीफ करूंगा कि आवास विकास परिषद् और एल0डी0ए0 के द्वारा 20 साल पहले जो मकान बनाये जाते थे, उनको तोड़ने के बाद ही फिर आदमी उसमें रहने लायक दोबारा बनवाता था, लेकिन उसकी गुणवत्ता सही हुई है। आज विश्व प्रसिद्ध और भारत प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा फ्लैट बनवाये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शौचालयों का निर्माण उन्ही विश्व प्रसिद्ध जो कम्पनियां हैं उनके द्वारा कराया जाय, जिससे उनको शौचालय मुहैया हो, उनको घर मुहैया हो, यह चीज मान्यवर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज जो बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए उनकी निगाह में एक सपना आया है कि उनका अपना घर हो सकता है, जो बहन कुमारी मायावती

जी ने एक सपना दिखाया कि तुमको घर मिल सकता है, तो उनको घर मिलने का जो एक कार्यक्रम चल रहा था, इसको मान्यवर बन्द न किया जाय, आप उसका नाम बदल दें, योजनाओं का तो आप नाम बदल देते हैं, चला वही योजना रहे हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि उस योजना का नाम बदल कर के और शहर में रहने वाले गरीबों को, शहर में रहने वाले बेसहारों को, शहर में रहने वाले मजलूमों को, गंदे नालों के किनारे कब्जा कर के रहने वाले, पुलियों के किनारे रहने वाले, सड़कों के किनारे रहने वाले, इस तरीके से जो लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और अगर आप गरीबों की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप गरीबों का कोई काम करेंगे, गरीबों के ऊपर एहसान करेंगे, अपना कर्तव्य निभाने का कार्य करेंगे, तो गरीब भी उस चीज का संज्ञान लेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि कुछ सुझाव हमारे यहां पर है उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक फैसला किया था, समीक्षा बैठक हुई थी, अपट्रान की परिसम्पत्तियों को उन्होंनें कहा था कि डी0एम0 के सक्रिल रेट पर देंगे, डी0एम0 के सक्रिल रेट पर एल0डी0ए0 को दिया जायेगा। अब मुख्य मंत्री जी से बड़ा कौन है प्रदेश में, समझ में नहीं आता कि उनकी बात को दरकिनार करते हुए, उनकी बात को न समझते हुए, उनकी बात को बिल्कुल ठेंगा दिखाते हुए, उस जमीन की नीलामी करने की कार्यवाही की गई। सदन में मांग उठी थी, मंत्री जी यहां पर मौजूद थे, उनके संज्ञान में लाया गया, तो यह जो करीब एक हजार करोड़ रुपये की घपलेबाजी हुई है, अरबों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जो बिल्डिरों के हाथ में बेंचने की साजिश रची जा रही है, मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे आईएफसीआई हो, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, इनको जो जमीन दी गई है, इसको मान्यवर, उनसे लेकर एल0डी0ए0 वगैरह को दिया जाय। मान्यवर, बड़ा विरोध हुआ था कि यमुना एक्सप्रेस-वे बना, लेकिन सुविधा कितनी हुई। गंगा एक्सप्रेस-वे को आप टेकअप कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने बहन कुमार मायावती जी ने जो सपना देखा था कि गति बढ़े, हमारे नेता भाजपा हुकुम सिंह जी ने कहा था कि अगर गति आपकी दो गुना होती है तो विकास तीन गुना, चार गुना हो जाता है। तो मान्यवर, प्रदेश का विकास तभी होगा, जब प्रदेश के कमजोर तबके के लोग आकर के बराबर खड़े हों और उनको बराबर सामाजिक न्याय मिले और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं में उनको एक सुविधा जो भवन बनाने की, जो मकान देने की, जो अपनी छत के नीचे रहने की, जो अपने बच्चों को सहारा देने की, जो सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, जो फुटपाथों पर लेटे हुए हैं, डिवाइडरों पर लेटे हुए हैं, जिनके रहने का कोई आसरा नहीं है, उनकी इस बन्द योजना को चालू कराया जाय और जो नोएडा और यहां पर लखनऊ में महापुरुषों के नाम पर जो पार्क बने हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उनकी साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए बजट में प्राविधान किया है, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, उसको अधिष्ठाता महोदय बढ़ाया जाय। बिजली जो काटी गई है, जो सौन्दर्यीकरण उसका हुआ है लखनऊ शहर का, बिजली न होने से अधूरा लग रहा है, उस बिजली व्यवस्था को वहां पर बहाल किया जाय। हमने कोई भेद नहीं रखा। मान्यवर, लोहिया जी के नाम से एक पार्क था। वहां पर बराबर जो व्यवस्था जैसी चल रही थी, उसमें कोई कमी नहीं होने दी गयी। हम चाह रहे है कि इन महापुरूषों के नाम पर चाहे जो भी विकास योजना आये, चाहे जो भी कार्य करें। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखा जाये और अब समय निकल गया है कि हम एक दूसरे पर

कीचड़ उछालने की बात करें। हम एक दूसरे की आंड़ लेकर आरोप लगाकर बचने की कोशिश करें। मान्यवर, अब नहीं एक साल सरकार का पूरा हो गया है। अब आप पिछली सरकार को, पिछली बातों को कहकर ध्यान नहीं हटा सकते, उस विषय से भटका नहीं सकते हैं इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इन सब चीजों से ऊपर उठ कर गरीबों के लिये, शहरी आवास के लिये और गरीबों के मकानों के लिये, उनके बच्चों के भविष्य के लिये इन सबसे ऊपर उठकर सोंचे। मान्यवर, मैं इसी के साथ अपने इस कटौती प्रस्ताव को रखता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ बातें सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी मा0 सदस्य महोदय ने जब कटौती प्रस्ताव रखना प्रारंभ किया। हमारी ओर से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के उप नेता मा0 सतीश महाना जी को यह दायित्व दिया गया था। एक परंपरा है कि जब कोई कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं तो विपक्ष के सभी दल मिल करके आपस में विभागों का वितरण करते हैं। इस संदर्भ में हम लोगों की एक बैठक भी हुयी थी। बैठक में नगर विकास एवं आवास ये दो विभाग भारतीय जनता पार्टी के हिस्से डाले गये थे। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मा0 महाना जी को अधिकृत किया गया था कि वे सम्पूर्ण विपक्ष की ओर कटौती प्रस्ताव के लिये सदन में रखें। आज जो कुछ सदन में हुआ, हम लोगों को इससे बहुत दुख है और विशेष दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 हुकुम सिंह को इस सदन में मिसकोट किया गया, गलत तरीके से कोट किया गया। चूंकि उनका नाम लिया गया था इसलिये मैं और मा0 महाना जी उस समय चुप हो गये। मैं अभी गया था सदन के बाहर मा0 हुकुम सिंह जी से बात करने। मा0 हुकुम सिंह जी से हम लोगों की बात हुयी। नेता प्रतिपक्ष जी से मा0 हुकुम सिंह जी की इस संदर्भ में कोई ऐसी वार्ता नहीं हुयी कि यह कटौती मा0 महाना जी नहीं बल्कि बसपा की ओर से रखी जायेगी। यह बात मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिये। ये कोई अन्तिम बजट नहीं है और इसके बाद हर सत्र में चीजें आनी हैं। रिकार्ड की दृष्टि से चीजें स्पष्ट होनी चाहियें।

*श्री सतीश महाना-

नाम लिया गया था, विषय यहां आना चाहिये। मा0 हुकुम सिंह जी का नाम लिया गया था।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

उनके बारे में गलत बातें कहीं गयीं। मा0 हुकुम सिंह जी का नाम लिया गया है। जब बात नहीं हुयी तो क्यों नहीं कहेंगे।

श्री सतीश महाना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास विभाग के इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। ये विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत निवेदन किया था कि जिस समय आवास का बजट हो तो वो सदन में उपस्थित रहें। ऐसा मैंने निवेदन किया था। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था और कहा था कि मैं रहूंगा। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं रहूंगा तो मेरी प्रोसीडिंग्स मंगाकर वो देखेंगे और उसका संज्ञान लेंगे। ऐसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था इसीलिये मैं बोल रहा हूं। अगर उन्होंने नहीं कहा होता कि वो संज्ञान नहीं लेंगे तो मान्यवर, आज इस इश्यू के ऊपर मेरे बोलने का न तो कोई औचित्य होता था और न मेरा स्वाभाव है क्योंकि विधान सभा की गरिमा और विधान सभा की परंपरा विधान सभा के अनुरूप चलनी चाहिये। किसी एक व्यक्ति का सम्मान हम सब लोग करते हैं लेकिन उसको भी दूसरों का सम्मान याद रखना चाहिये। सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये। ये पीड़ा की बात है क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया, उस व्यक्ति से बिना बात हुये, यह बात यहां पर कही गयी। मैंने जैसे कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखूंगा इसलिये बोल रहा हूं। नहीं तो मैं नहीं बोलता फिर इस बात को कह रहा हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट आवास का रखा गया और पिछले वर्ष भी मैंने इस पर कटौती रखी थी। कदाचित मंत्री जी भी किसी काम से चले गये हैं। नहीं तो मैं उनको याद दिलाता कि पिछले साल जो बजट रखा गया था तो उसमें मैंने कुछ सुझाव दिये थे और उनको शायद इस बात के लिये भी याद दिलाया था कि आवास विभाग का बजट है। किसी पर्यावरण या पर्यटन विभाग का नहीं है। आज भी जितनी बातें मान्यवर यहां पर कही गयीं। मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि मा0 मंत्री जी जिस समय बजट रखेंगे तो उस समय इस बात को बतायेंगे कि हम इतने ई0डब्ल्यू0एस मकान बना रहे हैं। प्राधिकरण क्यों बनाये हुये हैं।

शहरों की बढ़ती हुई आबादी को निवास, आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उसकी बढ़ती हुई आबादी को कैटर करने के लिए मान्यवर, प्राधिकरण बने थे और प्राधिकरण, शहरों की बढ़ती हुई आबादी, जिस प्रकार से हमें मालूम है कि वर्ष 1925 तक लगभग 40 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करेंगे, जिस समय 40 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करेंगे, तो उनके लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए थी, उस आवास की सुविधा के साथ-साथ उनका पूरा इन्फ्रास्ट्रेक्चर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। शहर का एक रोडमैप तैयार होता है, उस रोडमैप के अनुसार शहर का विकास हो यह प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, मैं पढ़कर इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं पढ़ा हुआ भाषण नहीं देना चाहता। कुछ आंकड़ों के लिए सिर्फ इस पुस्तक का इस्तेमाल करूंगा। मैं सरकार का धन्यवाद देने के लिए भी नहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ ऐसे सदस्य भी हैं, जिन्होंने जितनी देर कटौती रखी है, उससे ज्यादा देर धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देने का कारण मुझे समझ आ रहा था कि धन्यवाद क्यों दिया जा रहा है। धन्यवाद इसलिए दिया जा रहा था मान्यवर, जो भी बजट यह प्रस्तुत किया गया उसके लिए जो मदें की गई थी, जो पैसा है मान्यवर, 598 करोड़ का बजट यह प्रस्तुत किया गया है, 5 अरब 98 करोड़ एक ही बात है। मा0 ओम प्रकाश जी, आप मुझे ठीक कर दिया करो। मान्यवर, जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, इसलिए इस पर उन्होंने धन्यवाद दिया, कि जो इन्होंने अपने समय में बड़े-बड़े स्मारक खड़े किए थे, जनता का पैसा जो अपव्यय किया था, जिसके लिए इनको धन्यवाद दे रहे थे कि जो हम कर रहे थे, वही आप कर रहे हो, इस बात के लिए धन्यवाद दिया है, रिकार्ड में। उस धन्यवाद को ये क्यों न देते। इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहिए था मान्यवर, क्योंकि स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं और पार्कों, उपवन आदि की प्रबंधन सुरक्षा के लिए 5769 कर्मचारी हैं। अभी सवेरे मा0 प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि एक-एक मा0 सदस्य को, विधायक को एक-एक गनर दे

दिया जाए, तो सरकार के पास उनके लिए गनर नहीं था, 403 गनर मिलते एक्सट्रा, मंत्री लोगों के पास होता है, उनको भी कम कर दिया जाए तो लगभग 300 भी नहीं होंगे। और 5769 कर्मचारी हैं, मान्यवर, उन स्मारकों का रख-रखाव करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। क्यों न मान्यवर, ये धन्यवाद देते, धन्यवाद इन्होंने इसलिए इनको देना था कि 117 करोड़ 29 लाख रुपये उनके ऊपर दिया जा रहा है। इसलिए धन्यवाद दिया जा रहा है। दूसरा मान्यवर, मद- 5.3 स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों आदि के रख-रखाव के लिए उसके लिए मान्यवर, पैसा देना था, काम इन्हीं का कर रहे हैं, दूसरे और किसी का नहीं कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देना जरूरी था, मान्यवर, और इसीलिए बोलना जरूरी है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द)-

आप भी धन्यवाद दीजिए।

श्री सतीश महाना-

हम भी देंगे, मैं भी मान्यवर, दे रहा हूं। 598 करोड़ रुपये का मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें सारा-का-सारा बजट विकास प्राधिकरणों का, पूरे प्रदेश में 26 होंगे या जितने भी होंगे उनमें सिर्फ लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर इसमें 598 करोड़ रुपये की इसमें व्यवस्था है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। मैं मद गिनता हूं, स्मारकों के रख-रखाव के लिए मैंने बोल दिया, दूसरा वाला भी स्मारक बोल दिया, सिविल सर्विसेज के टॉवर, जो गोमती नगर में बनना है, मान्यवर, उसके लिए 50 लाख, ग्राम नियोजन विभाग का मुख्यालय लखनऊ में बनना है, उसके लिए 649 लाख, गोमती नगर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए 426 लाख, लखनऊ नगर के समग्र विकास के लिए 100 करोड़, गोमती नगर के दाये तटबंध और लॉमार्टिनियर स्कूल के ऊपर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए, उसके लिए मान्यवर, 500 लाख, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे खुशी हुई कि शायद कहीं लखनऊ से बाहर निकल कर कुशीनगर की तरफ गए होंगे लेकिन जब अंदर पढ़ा तो फिर वही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, उत्तर प्रदेश भवन निर्माण गोमती नगर लखनऊ में कराया जायेगा, जिसके लिए 250 लाख, फिर अगला मद में चलते हैं मान्यवर, गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए 2000 लाख और लखनऊ के स्मारकों के लिए 165 करोड़। इस तरह से सारा-का-सारा मान्यवर, बजट या तो उन स्मारकों के लिए है, या लखनऊ के लिए क्या मान्यवर, इसीलिए आवास विभाग बना था। इसके लिए ही आवास विभाग का उद्गम हुआ था कि आवास विभाग ये करेगा। मैंने पिछली बार बोला था कि शायद यह भूल गए हैं ई0डब्ल्यू0एस0 की चर्चा करना, शायद मंत्री जी भूल गए थे कि हम एल0आई0जी0 की चर्चा करें, शायद यह भूल गए थे कि हम मिडिल इनकम ग्रुप की चर्चा करें, शायद यह भूल गए थे कि एच0आई0जी के लिए चर्चा करें हायर ग्रुप के लिए मकानों की चर्चा करें। मान्यवर, हमने सोचा था कि मंत्री जी यह सोचेंगे कि पिछली बार यह कहा था अपने बजट भाषण में इस बार उसका जवाब देना होगा कि क्या-क्या प्रगति की है। मान्यवर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बजट साहित्य को यहां पर रखने का काम किया है। मान्यवर, आप मकान बनाना चाहते हैं और आप यह कहते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति मकान बिना नहीं रहेगा। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति मकान बिना नहीं रहे यह आपका संकल्प है। आपने

पिछली बार कहा था यह आपकी किताब में लिखा है कि 21 हजार मकान दुर्बल आय वर्ग के बनायेंगे लेकिन बनाये कितने हैं सिर्फ तीन हजार एक सौ पचहत्तर। मान्यवर अल्प आय वर्ग के लिए आपने कहा कि 7 हजार मकान बनायेंगे और बनाये केवल 986, यह आपकी प्रगति है। मान्यवर एक साल पुराना रिपोर्ट कार्ड तो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप पिछले पांच साल का पढ़ना चाहें तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। आप रिपोर्ट कार्ड देखें कि इस साल का आप पढ़ रहे हैं। मान्यवर, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कुछ करने की बात कहती, लेकिन क्या करती है यह इसका रिपोर्ट कार्ड सामने है। मान्यवर, जो शहरों में रहते हैं उनको सभी सुविधायें देना आपके लिए बहुत जरुरी हैं। आपने कहा कि मध्यम आय वर्ग के भूखण्डों की बात कही है कि आठ हजार भू-खण्ड विकसित करेंगे लेकिन आप विकसित कर पाये हैं केवल पन्द्रह प्रतिशत। मान्यवर आप टारगेट एचीव कर पा रहे हैं केवल पन्द्रह और बीस प्रतिशत। इस तरह से आप इस प्रदेश को कैसे सुन्दर और विकसित बना पायेंगे। आपके रिपोर्ट कार्ड में कोई सुधार नहीं होगा तो किसी भी सरकार को यहां पर बजट रखने का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, जो विकास प्राधिकरण के बने मकान हैं उनके चित्र यहां प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूं आपके पास भेज दूंगा आप उन्हें आप संबंधित मंत्री जी के पास भिजवा दीजियेगा संबंधित विभाग के पास भिजवा दीजियेगा। मान्यवर, यह कानपुर, बनारस, रामपुर, बलिया और गाजीपुर भी पुराने शहर हैं। यहां पर आपको सौ एक सौ पचास वर्ष पुराने निर्मित मकान भी मिल जायेंगे उनकी आप स्थिति को देख लीजिये। दूसरी तरफ आपके विकास प्राधिकरण के बने मकान हैं वह चाहे 1989 के बने हों, 1994-95 के बने हों। उनके चित्र हमारे पास हैं। क्या स्थिति है। मान्यवर, आपकी स्थिति यह है कि आपके विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् अपने निर्मित भवनों का रख-रखाव करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, कई कालोनियां है आपके विकास प्राधिकरण की बिना रख-रखाव की पड़ी हुई हैं। आपके जो प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् योजनायें घोषित करता है उसमें यह कहा जाता है कि हम अवस्थापना सुविधायें देंगें बिजली,पानी, नाली सीवर और खड़ंजा देंगें, लेकिन जो आपकी परफार्मेन्स है उसमें आप बीस साल से तो कालोनी ही बना रहे हैं। और यह कहते हैं कि जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगें तो अवस्थापना मद में व्यवस्था बाद में की जायेगी। तो मान्यवर, आप इस तरह से अवस्थापना सुविधायें लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। मकान आप दे नहीं पा रहे हैं। आपके पास शहरों की जिस तरह से योजनायें होनी चाहिए, बढ़ते शहरों के विकास के लिए आप जरूरी अवस्थापना सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं इस बजट में भी आपने कोई योजना नहीं दी हैं। मान्यवर, आपके द्वारा मकान की सुविधा न देने की स्थिति में लोग दूर-दराज के क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए विवश हैं। और उन मकानों को आप अवैध कहते हैं। सोसाइटी का रजिस्टेशन आवास-विकास परिषद् करता है। वह सोसाइटी वाले लोगों से कहते हैं कि हमारी सोसाइटी रजिस्ट्रर्ड है आप हमसे मकान ले लें। वह बेचारा गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है जहां नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एक दिन बारिश हो जाती है तो 2 महीने पानी की निकासी नहीं होती है वहां पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर जब वह कहता है कि हमारा रेगुलराइज कर दो तो आप कहते हो भू-माफिया। भू-माफिया वह हो सकते हैं जिन्होंने मिलजुल करके उस कालोनी को बसाने का काम किया था या जिन्होंने बेचा था वह गरीब आदमी जो सौ गज, डेढ़ सौ गज, 75 गज, 50 गज का

मकान बनाता है वह वहां रहने के लिए मजबूर होता है, नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होता है वह आदमी भू-माफिया नहीं है। उसके लिए हम कोई बात कहेंगे तो आप कहोगे कि यह सम्भव नहीं है, मैने सुझाव दिया था मान्यवर, कि कोई न कोई न्यूनतम शुल्क लगा करके, मान्यवर, उनका राइट है वह सारे टैक्सेज देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वह नगर निगम का टैक्स देते हैं वह नगर निगम का टैक्स तो देते ही हैं, गोमती नगर में रहने वाला व्यक्ति, कानपुर के स्वरूपनगर में रहने वाला व्यक्ति और एक बस्ती में रहने वाला व्यक्ति उतना ही टैक्स देता है जितना वे देते हैं। वह जब पेट्रोल भराने जाता है तो टैक्स उसके ऊपर भी लगता है और उसके ऊपर भी लगता है। हाउस टैक्स उसका घर छोटा है तो कम टैक्स देता होगा, उसका घर बड़ा है तो ज्यादा टैक्स देता होगा इतना ही तो अन्तर है इसके अलावा क्या अन्तर है, कोई अन्तर नहीं है। टैक्स देता है उसका अधिकार है उसके अधिकार हो हम कैसे देखेंगे यह हमारे विचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह जो भी बाते हैं, मैं कोई भी बात यहां पर ऐसी नहीं कहूंगा जो विषय से हटकर हो। सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन मान्यवर, आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तय करिये उसको करना पड़ेगा उसके बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने ले लिया और वह व्यक्ति कहता है कि हमारा रेगुलराइज करिये तो आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे उसका क्या कसूर है। आप जो नियमानुसार पैसे बनाते हैं उससे लीजिए और उसको रेगुलराइज करिये, आगे बढ़ाइये एक पास्टिव सोच चाहिए मान्यवर, वहां पर बैठकर फाइल पर अड़ंगा लगाना मान्यवर, आसान काम होता है किसी की मदद बड़े सौभाग्य से होती है और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार हो, चाहे बड़े अधिकारी हों हम सब लोग मान्यवर, अगर अपनी कलम का किसी के हित में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। मैं अब बात करना चाहता हूं फ्लोर एरिया रेशियो की। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने कहा था कि आप बैठियेगा चूंकि उन्होंने फ्लोर एरिया रेशियो देखा हुआ है पूरे वर्ल्ड का। हांगकांग में उतरो तो 150 मंजिल, 175 मंजिल, 65 मंजिल से कम का वह नक्शा ही नहीं पास करते थे हमारे यहां लोग करते हैं एफ0ए0आर0 देते हैं 1.25, ग्राउण्ड प्लस टू बनाओगे तीसरा नहीं बनाओगे तीसरा बनाओगे तो बन्द कर देंगे। एक परिवार में अगर किसी ने 4 लड़के पैदा कर दिये हों 200 गज का मकान हो तो उसको इस बात की इजाजत नहीं कि तीन मंजिल बना सके, नहीं है इजाजत, इसके ऊपर मान्यवर, हमें विचार करना है, सोच को बड़ा करना है। छोटी सोच से बड़े काम नहीं होते है, बड़ा काम को करने के लिए दिल को बड़ा करना होता है। नोएडा के लिए आपने दे दिया, एनसीआर के लिए आपने दे दिया। नोएडा में आपने दे दिया दूसरे शहरों, महानगरों का क्या कुसूर उनको क्यों नहीं दे सकते। एक मान्यवर, जो सबसे बड़ी समस्या इधर आई जो सक्रिल रेट है जैसे जो आदमी मकान खरीदने जाता है वह बिल्डर्स से बात करता है बिल्डर की बात हो या जो मकान खरीदता हो उसकी बात हो या सरकार की बात हो एक मान्यवर, जो सक्रिल रेट तय करते हैं उन्होंने यह तय कर दिया कि 2000 रुपये प्रति स्कावयर मीटर के हिसाब से वह कंस्ट्रक्शन कास्ट लगा रहे हैं। 2000 रुपये प्रति स्कवायर मीटर के हिसाब से लगभग 18-1900 रुपये प्रति स्कावयर फिट का कांस्ट्रक्शन कास्ट आती है यह जिसके ऊपर रजिस्ट्री का पैसा लेते हैं। बहुत सारी जगह मान्यवर, मेरा तो ख्याल है कि 2500, 2600, 3000 के नीचे तो मान्यवर, पूरी की पूरी फ्लैट मिलने के लिए तैयार होते हैं जिसमे

जमीन की भी कास्ट होती है और अब इनकम टैक्स ने उसके ऊपर यह कानून लगा दिया कि जो सक्रिल रेट होगा उसके ऊपर टैक्स बेचने वाले को भी देना पड़ेगा और खरीदने वाले को भी देना पड़ेगा। हम लोगों से मान्यवर, कोई भी मकान हम खरीदने की स्थिति में नहीं है। मकान का पैसा तो दे दो उसके ऊपर टैक्स उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो आपने सक्रिल रेट तय किया है। यह मान्यवर, बड़ा इम्पार्टेन्ट विषय है, माननीय मंत्री जी आ गये हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा इम्पार्टेन्ट विषय है आप इसको जरूर लिख लें। मान्यवर, सरकारे जो बड़े बड़े एयरकंडीशन में बैठकर नियम-बना देती हैं उनको जमीन की हकीकत क्या मालूम। अब मान्यवर, मंत्री जी ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बहुत सारी योजना बताई, मैं पूछ रहा था, गोरखपुर वालों से भी पूछ रहा था, मथुरा वालों से भी पूछ रहा था, आपने तमाम योजनायें गिना डालीं, मैनें कहा था उस दिन, जिस दिन मैं लोक निर्माण विभाग के बजट पर कटौती रख रहा था तो मैनें कहा था कि यह जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, यह महत्वपूर्ण मंत्रियों को दिये जाते हैं, सोचा कि क्यों दिये जाते हैं, कोई न कोई कारण तो होगा। आज कारण मुझे कुछ-कुछ समझ में आ गया कि जितने बढ़िया तरीके से आप गलत बात को भी सही ठहरा सकते हो और अच्छी तरह से बेवकूफ बना सकते हो, इसलिये आपको ये विभाग दिया जाता है। काम किसी का, पैसा किसी का, श्रेय आपको। गोरखपुर में मैनें पूछा तो कहा कि यह बड़ी पुरानी योजना है, इससे मतलब क्या। मथुरा वालों से मैनें पूछा उन्होंने कहा बड़ी पुरानी योजना है, इससे मतलब क्या। कुछ करके दिखाइये।

मान्यवर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है माननीय मंत्री जी, इसको आप प्लीज जरा दिखवा लेंगे कि जो डेवलपमेंट एथारिटीज हैं, जो मकान बनाकर बेचती हैं, अगर किसी ने इनसे मकान लिया तो वह यह सोचकर लेता है कि मैं जो ले रहा हूं, आगे मुझे पानी का कनेक्शन लेना होगा, बिजली का कनेक्शन लेना होगा, सीवर का कनेक्शन लेना होगा तो मुझे कठिनाई नहीं होगी, मैं जाऊंगा, उसका निर्धारित शुल्क जमा करूंगा और मुझे कनेक्शन मिल जायेगा। विकास प्राधिकरणों के द्वारा डेवलप्ड कालोनीज के सीवर का कनेक्शन लेने के लिये कहते हैं कि विकास शुल्क दो, क्यों दे भई, विकास प्राधिकरण ने हमसे किस बात का पैसा लिया है। विकास शुल्क आप किसी प्राइवेट कालोनी से ले लेंगे, यह बात तो समझ में आती है। विकास शुल्क आप किसी सोसाइटी से ले लेंगे, यह बात तो समझ में आती है लेकिन जो प्राधिकरणों के द्वारा मकान बनाये गये हैं, उनसे भी आप विकास शुल्क किस बात का लेंगे। यह सर्वथा अनुचित है और उत्पीड़न है, गुन्डागर्दी है। आज आदमी परेशान है जिसने कनेक्शन लिया हुआ है, मान्यवर, मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन्स हैं, इसे मैं आपके पास भिजवाऊंगा, मंत्री जी एक फोटो भी भिजवाऊंगा, आप थे नहीं। यह दिखाऊंगा कि विकास प्राधिकरणों की कालोनी का यह हाल है। मैं भेजता हूं आपके पास। मान्यवर, इधर जो हुआ, समझ रहे हैं, थोड़े दिन साल भर पहले एक बात की मुझे तारीफ करनी है पूरे बजट में, बाकी कोई बात तारीफ करने के लायक नहीं है। जो पहले नक्शा पास करने के लिये बड़े धन की उगाही की जाती थी, उसमें कमी आई है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) खत्म नहीं हुयी है, ताली किस बात की बजा रहे हो। मान्यवर, पहले जो एक छत डालनी होती थी, मैं एक बड़े अधिकारी से मिला, उन्होनें जो अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर यह अवैध निर्माण हुये तो विभाग के कर्मचारी के बिना मिले तो नहीं हो सकते। एक छत डालनी है तो लाख-दो लाख रूपया देना पड़ता है, प्रति छत के हिसाब से। नक्शा पास कराने

के लिये प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तीन सौ बिल्डिगें मान्यवर, कानपुर में सीज हो गयीं। तीन सौ नहीं यह तीन लाख से ज्यादा हैं। मैं आन रिकार्ड कह रहा हूं कि तीन सौ नही है, तीन लाख से ज्यादा हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो तीन सौ बिल्डिंग्स को सीज किया है, आप 10 सही वाली भी तो दिखाओ कि यह 10 बिल्डिंग सही बनी है, नहीं सही बनी होंगी। इसलिये नहीं बनी होंगी क्योंकि बिना सुविधा शुल्क दिये हुये कोई काम हो नहीं सकता। जब काम हो नहीं सकता तो बेचारा बनायेगा कहां से। उनको आप रेगुलराइज कैसे करेंगे, यह आपका विषय है। क्या नीति लायेंगे, यह आपका विषय है। आगे से आप सख्ती करेंगे, इसको करके दिखाइये। आगे से न होने दें, उसके लिये सख्ती करिये लेकिन जिसका पैसा लग गया है, नेशनल वेस्टेज तीन सौ बिल्डिंगों को गिराकर नहीं किया जा सकता। एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि मैं उस दिन श्रम विभाग की कटौती पर बोल रहा था, जिसके ऊपर मेरी रूचि कम थी, उस पर मुझे बुलवा दिया गया, जिसके लिये तैयारी करके आया, उसके लिये जो भी। मान्यवर, जब श्रम विभाग के बजट पर बोल रहा था तो मैनें कहा कि कानपुर की बी0आई0सी0 की मिलें हैं, इनको चलाना चाहिये उससे ढाई हजार मजदूर लाभान्वित होगें। वह अखबारों में छपा तब मैं कानपुर गया तो बी0आई0सी0 के मजदूर हमारे पास आये, उन्होंने कहा कि यह श्रम विभाग का मामला नहीं है, यह जो फ्री-होल्ड जमीन का, बी0आई0सी0 का और उत्तर प्रदेश सरकार का है, यह आवास विभाग में पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि यदि उसमें आपका कोई नुकसान न हो रहा हो केन्द्र सरकार द्वारा यह तय की गई थी उन्होंने बेची आपने बेची नहीं कुछ परपेक्चुअल लीज की होगी आप उसको क्लियर करवा दें तो जो केन्द्र सरकार जो यह कह रही है कि यह प्रदेश सरकार नहीं कर रही है जिस वजह से हम ढाई हजार मजदूरों को रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यह आपने किया है वोट मिलेगा या नहीं इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता लेकिन कह मैं जरूर दूंगा। इतने महत्वपूर्ण विभाग को इतने हल्के में लिया जाएगा। जो ई0डब्लू0एस0 कालोनी हैं जिनको इकोनामिक वीकर सेक्सन कहते हैं माननीय कांशीराम आवास योजना मैंने पिछली बार भी कहा था फिर आपको रिपीट करता हूं कि नालों के किनारे रहने वाले कितने विस्थापितों को आपने मकान दिया आपने सड़क से उठाकर कितने लोगों को मकान दिया। एक महापुरुष के नाम से कालोनी बनाई गई लेकिन जिस तरह के लोग उसमें आज रह रहे हैं उसके बारे में मैं विधान सभा में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। अपात्र लोग रह रहे हैं। वहां से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार किस चीज का कर रहे हैं यह मैं कहने की स्थिति में नही हूं। मेरी इस बात का बहुत सारे लोग समर्थन करेंगे। आप पीड़ा को समझिए और जिस गरीब आदमी के लिए बनाया है उसको दीजिए। जब ई0डब्लू0एस0 मकान बनाते हैं तो उसमें रहने वाले कालान्तर में किसी को दे देते हैं उसने दूसरे को दे दिया दूसरे ने तीसरे को दे दिया। पिछली बार आपने एक पालिसी बनाई थी कि उनका रजिस्ट्रेशन जो वर्तमान में काबिज है जिसके पास उसका राइट है ट्रांसफर का उसके नाम आप कर देंगे। यह आपने किया नहीं उसको कर दीजिए। गरीब आदमी का हित किसी भी प्रकार से हो कर दीजिए क्योंकि यह पद बड़े भाग्य से मिलता है। उसका हित करेंगे तो इससे बड़ा आर्शीवाद भी किसी का नहीं लगता और उससे बड़ी हाय भी किसी की नहीं लगती है।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी समय का ध्यान रखें आपके 20 मिनट हो गए हैं। अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप तो अच्छे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप तो हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

अधिष्ठाता जी मैं सबसे बाद में उन मकानों की बात कर रहा हूं जो आपने कहा है। आपने कह तो दिया आपको देखकर हम सारे विधायक प्रसन्न थे मैं तो ले चुका हूं मुझे नहीं मिलने वाला जिन्होंने नहीं लिया वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। बड़े वरिष्ठ विधायक जिन्होंने नहीं लिया वह भी प्रसन्न थे। मान्यवर, जब आप बोल रहे थे तो आपके पड़ोस में जो मंत्री बैठे थे उनकी तरफ देख रहा था। अबकी बार हिम्मत दिखाई है दे दीजिए। दीजिए ऐसी जगह जो शहर के आस पास हो। आप 20 कि0मी0 आगे दे देंगे जहां लखनऊ खत्म हो रहा है वह ठीक नहीं है। निपटाने के लिए मत दीजिए देने के लिए दीजिए।

मान्यवर यह बजट ऐसा है जिस पर जितना भी बोला जाए कम है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस लिए यह विभाग बना था उसकी ओर ध्यान दें। आज पर्यटन विभाग का था पर्यटन मंत्री से कहेंगे कि वह इस पर भी बोलेंगे। लखनऊ को पूरा प्रदेश मत समझिए पूरे प्रदेश को पूरा प्रदेश समझिए। बजट पूरा लखनऊ के लिए समर्पित मत करिए। कानपुर महानगर सबसे ज्यादा राजस्व देता है। सबसे ज्यादा पैसा देता है पिछली बार मैंने एक बात कही थी और मैंने यह भी कहा था कि अगले साल इसको जरूर याद कराऊंगा आपको न याद हो तो कार्यवाही निकालकर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि कोई एक आवास विकास की कालोनी कोई एक विकास प्राधिकरण की कालोनी को एक माडल कालोनी के रूप में बनाकर एक साल में दिखाएं कि यह माडल कालोनी है एक साल में एक कालोनी मैंने यह नहीं कहा कि पूरे शहर को बना दीजिए वह नहीं बना पाए। आप खड़े होकर बताएं कि हमने इस शहर में यह कालोनी माडल कालोनी बना दी जिसको देखकर लोग कहें कि हम तो आवास विकास के मकान लेंगे, हम तो प्राधिकरण के मकान लेंगे। नहीं बना सके। इस ओर चलिये और उस ओर चलने के लिए जहां तक आपको सहयोग की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ चलेंगे। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जो रोजी-रोटी के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, मिलों में काम करने के लिए आते हैं, उन गरीबों के लिए सोचिए और उनके लिए भी सोचिए जो उनको रोजगार देते हैं, नीचे से ऊपर तक सारी कड़ी को जोड़ते हुए शहरों का एक सुन्दर स्वरूप हो। जैसे आज हम गुजरात की बात करते हैं, सूरत की तो सूरत ही बदल गई, अहमदाबाद कहां चला गया, हैदराबाद कहां से कहां चला गया आज तो प्रतिस्पर्धा लगी है सुन्दर शहर बनाने की तो मैं चाहूंगा कि मान्यवर, एक-आध मॉडल बनाइये। इसी सुझाव के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

डॉ0 मो0 अयूब-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार का मैं ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है और यह सरकार के संज्ञान में है कि मुस्लिम वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और मुस्लिम वर्ग के साथ-साथ अति पिछड़ा समाज और अतिदलित समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यही समाज गरीब है और यही समाज 40 प्रतिशत से ज्यादा शहरों में रहता है और उन्हीं जगहों पर रहता है जैसा कि अभी माननीय महाना जी ने कहा कि नाली के किनारे झुग्गी-झोपड़ी में छोटे आवास में रहता है। मगर इसके लिए कोई खास न तो सरकार ने आंकड़े दिये और न ही कुछ बताया। मैं दूसरी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी ने कहा है कि एक तिहाई शासन और प्रशासन के फैसले मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और भेदभावपूर्ण होते हैं, यह मैं नहीं कहता बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है और यह सरकार के संज्ञान में है। यही वजह है कि जो गरीब मुसलमान हैं और जो गरीब अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग है, जो सही मायने में हर दशा से पिछड़ा हुआ है जिसके विकास के लिए आवास के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए मेरा सुझाव है कि जब तक उसका आरक्षण नहीं होगा और यह सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी कि उन गरीबों के लिए आवास और मकान दिये जाएं तब तक उनको मिलना मुश्किल है क्योंकि इसमें भेदभाव होता है और विशेषकर गरीबों के साथ। अभी जो बजट आया जैसा कि माननीय महाना साहब ने बताया कि ऐसा लगता है कि यह बजट पर्यावरण का है, बजट के सारे पैसे तो स्मारकों, पार्कों के रख-रखाव में खर्च हो रहे हैं। सरकार का ध्यान गरीबों के आवास पर, उनको पानी की, नाली की सफाई की ओर नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं एवं जिनकी रोजी-रोटी उन्हीं मकानों से चलती है, जैसे जो बुनाई का काम करते हैं, दस्तकार हैं, छोटे-छोटे काम धन्धे करते हैं, उनका मकान भी वही है और उनकी जीविका भी वहीं से चलती है। ऐसे में उनके जीविकोपार्जन के लिए मकान आवश्यक है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम एक बढ़िया पर्यावरण बनाना चाहते हैं। मगर उन मकानों के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि वहां वह बुनाई करते हैं, वहां वह दरी भी बुनते हैं, वहां वह बीड़ी भी बनाते हैं, वहां वह कालीन भी बनाते हैं और वहीं पर ताले भी बनाते हैं, चूड़ी का भी काम करते हैं, ऐसे सारे काम वह अपने घरों में करते हैं लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार बार-बार दावा करती है कि मुसलमान, गरीब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं उनकी सरकार की प्राथमिकता है मगर सरकार के बजट से उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं दिखायी देती है। हमारा सरकार को सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर उनके आवास का और उनके रहने के जगहों के विकास की एक स्पष्ट पॉलिसी हो और यह नीति पारदर्शी हो। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें भेदभाव होता है और शासन व प्रशासन में बैठे लोग धर्म के आधार पर, गरीब होने की वजह से उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो यह मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अगर सरकार सही मायने में उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनकी अपनी संवेदनशीलता की वजह से उनके लिए संवेदनशील है तो उनके लिए आरक्षित करे और यह सदन को बताये कि इतने प्रतिशत उनकी आबादी है। उनके लिए बजट में कितना आरक्षित करेगी, उनके मकानों को कितना देगी, उनके स्कूल बनाने के लिए कितना देगी और उनके रख-रखाव पर कितना खर्च करेगी ? मैं आपके माध्यम से सरकार का इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करे। धन्यवाद।

*श्री त्रिभुवन राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आवास विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव प्रतिपक्ष के द्वारा रखा गया है उस पर मुझे अपना पक्ष रखने का जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सबसे पहले जो हमारे दो साथियों ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जब विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ था 1973 में तो उसका आशय यही था कि टोटल इन्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट होगा। जो-जो प्राधिकरण जिन-जिन शहरों के लिए बने हैं उनका इन्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट किया जायेगा। लेकिन परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलती गयी और बहुत सीमित दायरे में विकास प्राधिकरण काम करने लगे। मान्यवर, आज अगर हम सिर्फ लखनऊ में देखें तो सीतापुर रोड पर अमानीगंज करीब 35 कि0मी0 की दूरी पर है, लखनऊ से देवा 25 कि0मी0 और बाराबंकी से भी 15 कि0मी0 दूर उधर और सुल्तानपुर रोड पर 30 कि0मी0 अमेठी तक, इसी तरह से रायबरेली रोड पर अगर हम देखें तो कम से कम 30 कि0मी0 मोहनलालगंज से आगे तक तमाम बड़े-बड़े लोगों ने जमीन किसानों से ले ली है और जमीन खरीदकर वह विकसित करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुविधाओं की बात नहीं की जाती है और वहां पर बहुत से गरीब लोगों को किसी न किसी रूप से प्रलोभन देकर बहुत सी जगहों पर तो ऐसा हो रहा है कि आप 10 प्लाट बिकवा दीजिए तो एक प्लाट आपको फ्री दे देंगे। इस तरह के प्रलोभन भी दिये जा रहे हैं। वहां पर न तो सेनेटरी की कोई व्यवस्था हो रही है, सीवर लाइन नहीं दी जा रही है, सड़कें नहीं बनायी जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटस की कोई बात नहीं की जाती है और पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां से निकलने वाले कूड़े की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस प्रकार से तमाम क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। अभी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी रहती है उसके लिए ग्रामीण आबादियों के विकास हेतु गाइड लाइन्स जुलाई, 2011 में जारी की है लेकिन वह गाइड लाइन्स बहुत सीमित दायरे में काम करती है। बहुत से गांव हैं बिल्कुल विकास प्राधिकरण की कालोनियों से सटे हुए हैं उनका भी विकास के नाम पर जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। उसमें भी गंदगी का वातावरण बना हुआ है, सड़कें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा दूसरा बिन्दु है कि जो शहरों में अपार्टमेण्ट्स बनाये जा रहे हैं जो अपार्टमेण्ट 10 मंजिल का सैंक्शन है वह 12 मंजिल का बना लेता है बाद में कहा जाता है कम्पाउडिंग करा लिया जायेगा। जो दो मंजिल ऊपर बनाते हैं उसमें अनावश्यक शोषण होता है आवंटियों का शोषण किया जाता है और उससे उनको परेशानी होती है। और एफ0ए0आर0 का भी जो मापदंड निर्धारित किया गया है वह 20 प्रतिशत है। विकसित क्षेत्र में 33 प्रतिशत किया गया है और अविकसित क्षेत्र में 50 प्रतिशत है। अगर एफ0ए0आर0 में इतना वैरिएशन है तो एफ0ए0आर0 रूल में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसको पहले ही निर्धारित कर दें कि आपको हम इतना तक एलाऊ करेंगें उसके ऊपर बिल्कुल एलाऊ नहीं करेंगें। होता क्या है इसमें। अगर एफ0ए0आर0 में 20 प्रतिशत है तो कोई 30 प्रतिशत बना लेता है, कोई 50 प्रतिशत बना लेता है और बाद में वह मुकदमा लड़ता रहता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसमें जो आवंटी होते हैं, जो लोग उसको खरीदते हैं उनको दिक्कतें हो जाती हैं, उनका पैसा फंस जाता है। बहुत सी बार उनको कब्जा लेने में दिक्कत होती है और हमेशा यह समस्या उनके सामने रहती है कि पता नहीं कब उसको तुड़वा दे विकास प्राधिकरण। तो मान्यवर, यह सब समस्याएं काफी जटिल हैं। एफ0ए0आर0 को फिक्स करना चाहिए। और इस तरह से एफ0ए0आर0 इतना वैरिएबुल नहीं होना चाहिए कि 50 प्रतिशत तक वैरिएबुल हो जाय। मान्यवर, तीसरी बात है अर्बन लैंड सीलिंग का। अर्बन लैंड सीलिंग ऐक्ट गर्वन0 आफ इंडिया का ऐक्ट है। यह जनवरी 1976 में पूरे हिन्दुस्तान में लागू हुआ था। और उत्तर प्रदेश के 12 नगरों में उत्तर प्रदेश अर्बन सीलिंग एक्ट लागू किया गया था उसमें जो शहर में बड़ी बड़ी जमीनें थीं उनमें जितनी जमीन उनको देनी थी उसके अलावा जो अपिर्टेंट लैंड थी उसको छोड़ते हुए बाकी जमीन को सरकार के अधिग्रहीत करने का नियम-था। मान्यवर, इस प्रकार उसकी धारा 10(3) में तमाम जमीन अधिग्रहीत की गई थी और यह जमीन करीब-करीब हजारों एकड़ में है इन बारह शहरों में। यह शहर थे इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, इन शहरों में जमीन अधिगृहीत की गई थी लेकिन आज तक उस जमीन का विधिवत् सुदपयोग नहीं हुआ। यही कारण है कि अर्बन लैंड सीलिंग ऐक्ट 1999 में समाप्त कर दी गई है उसके बावजूद भी 14 साल हो गया और अर्बन लैंड सीलिंग का विभाग अब भी चल रहा है और उसके लिये अभी भी बजट में प्राविधान किया गया था। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जितनी जमीन अधिग्रहीत की गई थी क्या उसका सदुपयोग हो रहा है ? क्या वह आवास विकास विभाग और नगर विकास विभाग ने उस जमीन को ले लिया और क्या उनकी जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी कागजात हैं उनको क्या अर्बन लैंड सीलिंग विभाग को समाप्त करते हुए नगर विकास विभाग को या नगर निगम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है इन नगरों में। मान्यवर, यह अनावश्यक रूप से सरकार पर बर्डन बढ़ता जा रहा है, इसको समाप्त होना चाहिए। अब 14 साल हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समय का ध्यान दें। कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट रखा गया है उसमें वाराणसी के विकास के लिये कोई भी नई योजना नहीं रखी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वाराणसी में कम से कम सारनाथ तक विकसित कर दिया जाय। वहां लाखों विजिटर्स विदेश से आते हैं हर साल और इसमें सरकार को तमाम आय भी होती है। अगर इसको सारनाथ तक विकास हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वाराणसी के लिये कोई न कोई योजना जरूर बनाई जाय। नहीं हो सकता है तो कम से कम वहां के स्टेडियम का विकास प्राधिकरण के माध्यम से कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

*श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का जो सुअवसर प्रदान किया है, इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं इस बजट भाषण पर जो माननीय आवास विकास मंत्री जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा रखा गया है, पर बल देता हूं। हमारी इच्छा है कि जब चतुर्दिश देखता हूं लखनऊ में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है उन योजनाओं पर जो चलाई जा रही हैं और हमारी सरकार इसके पहले भी जो सरकार रही 2004 से 2007 तक उसमें विभिन्न योजनाएं चलाई गईं और इतनी सुन्दर व्यवस्था है जो हमारे मंत्री जी ने बताया कि पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया गया। चाहे वृन्दावन कालोनी हो जिसमें 13 सेक्टर हैं उन सभी में हमने पाया और हम बहुत लालायित हैं जिस ढंग का वनीकरण हुआ है जिस ढंग से पर्यावरण का ध्यान दिया गया है, वह अत्यन्त रोचक है। नालियां देखीं सबसे सुन्दर और इससे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है जहां 12 मकान देने हैं वहां 12-12 हजार, 15-15 हजार आवेदन-पत्र दिए गए हैं और लाटरी सिस्टम से 12 लोगों को मिलना है अगर उनकी इच्छा बलवती न होती इस आकर्षण से प्रेरित न हुए होते तो क्यों इतने ज्यादा लालायित हैं। सारे के सारे लोग जो लखनऊ में रहते हैं वह अपने ललचाये लोचन से निरख रहे हैं आपकी कृपा पाने को, कि किसी भांति यह आवास हमें प्राप्त हो..(हंसी)

एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। जो 1990-92 में आवास दिए गए हैं उसमें कुछ न कुछ सट्टेबाजियां हो रही हैं। भ्रष्ट अधिकारी,भ्रष्ट व्यापारी अपने नाम से चार-चार, पांच-पांच, सात-सात मकान एलाट करा लिए हैं और वह डेवलपमेंट रोक रखे हैं। उस कालोनी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में धराशायी हो रहे हैं उन पर भी कुछ न कुछ थोड़े बहुत सुधार करने चाहिए और उनको विस्थापित करने की कोई व्यवस्था हो, ताकि उन कालोनियों डेवलपमेंट हो सके। मैंने एक चीज और वृन्दावन कालोनी में पाई है करीब दो सौ एकड़ में एक बसवाड़ा बना है जो बिल्कुल बेकार पड़ा है। आपके पास आलमबाग का बस स्टेशन जो है वह आवास विकास कालोनी की जगह है और आलमबाग का बस स्टेशन रेलवे में शायद आ गया है। आलमबाग वाले बस स्टेशन को अगर वृन्दावन कालोनी में कर दिया जाता है तो निश्चित है कि आवास विकास के प्रति लोगों की रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बजट में चार चांद लग जाएंगे। (मेजें थपथपाई गईं) आवास विकास की जो जमीन है इतनी कीमती,इतनी रोचक,इतनी सुन्दर है अगर उस पर बस स्टेशन हो जाता है तो मा0 मंत्री जी आप शतायू होंगे, श्रेय के भागीदार बनेंगे, निश्चितमेव आप उन नापाक इरादों से उनके चंगुल से छुड़ाकर क्योंकि वह बेवा मुसम्मात की भांति बेसहारापन कर रहा है कि हमें कोई आश्रय दे मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट भाषण पर विशेष बल देते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय,मैं आपके माध्यम से अपने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन्ट्रीगेटेड टाउनशिप और हाईटेक टाउनशिप जो चल रही थी उसकी प्रगति शून्य है मान्यवर, यह रोक दी गई है जबकि पिछली समाजवादी सरकार द्वारा शुरू की गई थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इसको निरंतर जारी रखा, लेकिन अब इसको रोक दिया गया है कारण सब जान रहे होंगे मंत्री जी को विकास कर्ता को सुविधा नहीं हो पाई होगी मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि कांसीराम जी के नाम पर जो अम्बेडकर स्थल हैं इसमें फव्वारों का काम बंद है। बिजली उसमें बिल्कुल नही जल रही है। मैं आपके माध्यम से यह चाह रहा हूं कि उसमें भेदभाव न बरता जाए। उसको चालू किया जाए और विधायकों को ब0स0पा0 सरकार द्वारा पूरे सदन के विधायक, चाहे विधान परिषद के

हों, भू-खण्ड गाजियाबाद में दिया गया था वह अभी तक नहीं मिल पाया है उस पर अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। वह नहीं मिल पाया है उसको दिलाया जाए। उसको दिलाया जाए और नए लोग जो आए हैं, उनको भी उसमें भागीदार बनाया जाए। मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि नगर विकास की बात तो बाद में होगी, अभी आवास विकास का यह बजट आया है, इसमें कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम जी शहरी आवास योजना में दिखा रहे हैं कि यह बन्द है, आप अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी योजना चलायें या उसी को चालू करें। मान्यवर, स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कों, उपवन आदि की साफ-सफाई और रख-रखाव का इसमें कोई प्राविधान नहीं है। गोमती नगर में जो इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान है, उसके लिए भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है, खैर वह लोग तो सहयोगी ही हैं। लखनऊ नगर का समग्र विकास होना था, उसके लिए भी कोई बजट नहीं है। गोमती नदी के बायें तटबन्ध से लामार्टीनियर स्कूल तक भूमि का अधिग्रहण एवं विकास के लिए भी कोई प्राविधान नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उ0प्र0 के लिए भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत् 40 हजार आवासीय भवनों का निर्माण होना था। आपकी ही किताब के पृष्ठ सं0-16 में बताया जा रहा है कि 20 प्रतिशत ही पूर्ण हैं। दुर्बल आय वर्ग आवास योजना में मात्र 15 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है। अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए भी 13 परसेण्ट काम हुआ है। मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी 4 हजार के सापेक्ष 33 परसेण्ट ही काम उसमें हुआ है। दूसरी एक और चीज कहना चाहता हूं कि 2002 में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने और सितम्बर, 2011 में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने का जो आदेश सरकार द्वारा दिया गया था, मान्यवर, दोनों बार यह निर्णय हमारी सरकार द्वारा बहन कु0 मायावती जी द्वारा लिया गया था। मान्यवर, पृष्ठ सं0-19 पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग और भू-जल रिचार्ज के लिए 300 मीटर से ऊपर के जो मकान बना रहे हैं, उनके लिए था कि वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें, उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। वृक्षारोपण के लिए पिछली बार और इस बार भी बहुत बृहद् जोर दिया गया कि वृक्षारोपण कराकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम किया जाएगा। हरियाली लाई जायेगी। मंत्री जी की चिन्ता थी कि पिछली बार 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है तो वृक्ष लगाने के बारे में भी इस पुस्तिका में है कि केवल 60 प्रतिशत काम हो पाया है और अल्पसंख्यकों के लिए कोई इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, वृक्षारोपण के लिए 12-13 में 20 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य था लेकिन 40 हजार पौधे ही लग पाए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपने पहले भी पूरी बात विस्तार से रखी थी, अब संक्षिप्त कर दें।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार भी सब्ज-बाग दिखाये थे और काम करने की बात हुई थी लेकिन वह काम अभी तक तो हो नहीं पायें हैं। इस बार भी मंत्री जी ने कहा है कि स्मारकों की सुरक्षा की जायेगी। आवास की सुविधा मिले, सड़कें मिलें, पर्यावरण मिले, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात पिछली बार भी कही गयी थी, इस बार भी बात कही जा रही है। मान्यवर, आपने जो पार्क बनायें हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें पेड़ आदि लगें, आप और पार्क बनायें और अधिक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण प्रदेश को दें और अच्छे काम में अगर उसको लिया जाए तो

उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि गरीबों का ध्यान अगर विशेष तौर से दिया जाए, जैसा कि बिल्डर्स के लिए प्राविधान है कि 15 प्रतिशत कम आय वाले लोगों के लिए प्राविधान किया जाता है, लेकिन मान्यवर, हमें तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। दूसरे यह देखा जा रहा है कि चाहे उसका पैसा भी ले लिए हों, वह पैसा भी उनके मकान बनाने में खर्च होना चाहिए। स्मारक और पार्क के जो कर्मी हैं, जो वहां 5 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी की तो व्यवस्था है लेकिन उनको समायोजित कर लिया जाए। मान्यवर, रजिस्ट्री आदि में इन लोगों का जो दोहन हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है, इसको रेगुलराइज कराया जाए। इललीगल कालोनी जो बन गई हैं, उसमें आप बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, सीवर दे रहे हैं, उन कालोनियों को भी रेगुलर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री शेर बहादुर मा0 सदस्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है इस पर सतीश महाना जी ने भी बल भी दिया है और कुछ विचार भी दिये हैं, श्री अयूब जी ने और श्री टी0 राम जी ने भी कुछ विचार और कुछ सुझाव दिये हैं। मैं श्री शेर बहादुर जी से बताना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने विकास प्राधिकरण का कितना पैसा खर्च किया था। मैं अगर एक-एक बताना शुरू कर दूं। पूरा विकास प्राधिकरण, पूरा संस्कृति विभाग, पूरा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग। शायद पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों का भला हो सकता था। जहां तक बताया कि इंटीग्रेड कालोनी, हाईटेक कालोनी बहुत अच्छी कालोनियां इस पैसे से बन सकती थीं लेकिन पूरा का पूरा पैसा अगर मैं एक-एक करके गिनाना शुरू कर दूं। मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत गैलरी भवन के निर्माण में कितना पैसा खर्च किया लगभग 132.6853 करोड़ रुपया। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत संग्राहलय स्तूप भवन के निर्माण में 223.83 करोड़। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत स्क्रीन वाल के निर्माण में 14 करोड़, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत 195 करोड़। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत 148 करोड़ 82 लाख। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत 9.65 करोड़। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत 404.63 करोड़। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंतर्गत समतामूलक चौराहे पर 42.72 करोड़। गोमती नदी के दांये तटबंध लामार्टिनियर की ओर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बंधे के फलस्वरूप रि-क्लेम भूमि के सौन्दयीकरण हेतु 434.64 करोड़। गोमती नदी के दांये तटबंध लामार्टिनियर की ओर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बंधे के फलस्वरूप रि-क्लेम भूमि के सौन्दयीकरण हेतु भूमि का अधिग्रहण/क्रय 4.36 करोड़ लगभग। डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर में जनसुविधा परिसर एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण 21 करोड़ 30 लाख। जनपद लखनऊ में समतामूलक चौक एवं प्रतीक स्थल के बीच डा0 अम्बेडकर पार्क जाने वाले मार्ग के बाई ओर जनसुविधा हेतु यूटीलिटी ब्लाक का विस्तार हेतु 36.013 करोड़, प्रतीक स्थल गोमती नगर लखनऊ पर निर्मित कैनोपी पर ब्रान्ज तथा प्रांगण के सम्मुख ग्रेनाइट फाउण्टेन व स्क्रीन वाले के पीछे अतिरिक्त नवीन कार्य 15 करोड़ लगभग। भीमराव अम्बेडकर गोमती पार्क, जियामऊ चौक पर 33 करोड़ लगभग। मान्यवर, कांशीराम जी स्मारक स्थल पर 531 करोड़ 48 लाख। मान्यवर, कांशीराम जी

ग्रीन इको गार्डन जेल रोड, कितनी कीमती जमीन थी। वैसे तो जेल हटना नहीं चाहिए था अगर जेल ही कहीं बनाना था तो इस जमीन की कीमत से शायद पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों का निर्माण हो सकता था। आधुनिक जेलें बनायी जा सकती थीं। कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एच में गौतम बुद्ध शान्ति उपवन विकास- 17.4623 करोड़, स्मृति उपवन विकास- 162.7171 करोड़ और फिर सिंचाई विभाग का पैसा कितना गया, सिंचाई विभाग के धन से पार्कों एवं स्मारकों के निर्माण हेतु 448.83 लाख के अधीन 421.19 की धनराशि अनियमित रूप से खर्च की गई, जिसका दुरुपयोग किया गया और केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय की कालोनी, जिसकी लागत लगभग 47 करोड़ की थी, बिना किसी कारण ध्वस्त कर दी गई। कोई कारण था उसके ध्वस्त करने का ? लगभग 18 हेक्टेयर जमीन जिसकी कुल कीमत थी 600 करोड़, उस जमीन पर स्मारक और पार्क बनाये गये और नई कालोनी पर कार्यालय बनाने हेतु लगभग 72 करोड़ अतिरिक्त धनराशि और सिंचाई विभाग की 17.779 हेक्टेयर भूमि आवास विकास एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियम-के विपरीत, जिसकी लागत है 600 करोड़ रुपया, तो यह कुल मिलाकर कितना हो गया, इतने लम्बे पैसे का दुरूपयोग हुआ और जहां तक पर्यावरण की बात है तो इसके नाम पर कितने पेड़ काटे गये और पत्थर लगाये गये और इन पत्थरों की रखवाली के लिए कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये 7265 और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई 5788 और कर्मचारियों की संख्या 5700 है और जिनका वेतन 6 करोड़ 20 लाख रुपये प्रतिमाह है और 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, इस तरह से लगभग 7.7 करोड़ रुपये प्रतिमाह और टिकट होने पर औसत आय है, इन पूरे पार्कों से आय कितनी है- इन कर्मचारियों का वेतन है 6.20 करोड़ जिन पर 7.7 करोड़ प्रति माह खर्च होता है और जिनसे टिकट से आता है केवल 7.50 लाख रुपये प्रति माह, यानी वेतन में जा रहा है लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये प्रति माह और आमदनी कितनी होती है, कुल साढ़े सात लाख रुपये प्रति माह की .....

(इस समय 2 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो बताओं अगर पूरे उत्तर प्रदेश में जितना खर्च किया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी विकास प्राधिकरण की कालोनियां थीं, इण्टीग्रेटेड कालोनियां थीं, हाई-टेक कालोनियां बनाई जा सकती थीं और पर्यावरण के नाम पर जितने यहां पेड़ काटे गये, वह तो आप सब जानते ही हैं। तो मैंनें इसलिए कहा कि पर्यावरण की बहुत जरूरत है, लखनऊ को पूरे उत्तर प्रदेश को, मनुष्य को सबसे पहले जरूरत है अच्छे पर्यावरण की, अगर पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कालोनियों में बसने वाले यहां के लोगों को रोग हो जायेंगें, बीमारी हो जायेंगीं। मान्यवर, इसलिए मैं महाना जी को बताना चाह रहा हूं। और जो बताई गई कांशीराम शहरी योजना। देखा होगा कि प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक शहर में नीली नीली कालोनियां बनी हैं। उन कालोनियों की हालत क्या है। जब भी पानी बरसता है तो पानी उसी में टपकता है। कोई रह नहीं सकता और रह इसलिये नहीं सकता है क्योंकि कांशीराम शहरी विकास योजना के द्वारा जो कालोनियां बनी थीं। उन कालोनियों में कितना कमीशन खाया गया है और आज उसमें कौन लोग रह रहे हैं। क्या हो रहा है उन कालोनियों में और वैसे तो पात्र लोगों को वह कालोनी मिली ही नहीं थी। अपात्र लोगों को दी गयी और यहां तक कि आप उसमें कुपात्र लोग रह रहे हैं। असामाजिक लोग रह रहे हैं। कौन लोग रह रहे हैं। अगर उन कालोनियों में जांच करा ली जाये, उसमें कुपात्र लोग रह रहे हैं 90 परसेण्ट कुपात्र लोग हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने अभी दो बातें कहीं। एक बात तो यह कही कि बहुत अनियमितितायें, बहुत घपला था, बहुत भ्रष्टाचार था। ये आपने कहा न मान्यवर और अभी आपने कहा कि 90 प्रतिशत कुपात्र लोग रह रहे हैं तो आपने यह कहा कि 90 प्रतिशत कुपात्र लोग रह रहे हैं तो क्या आप उनकी जांच करवा कर उनको खाली करवाने का काम आप करेंगे। देखिये, आप एक तो उनको खाली करवायें। बाकी जिन्होंने गड़बड़ी करी थी, लूटखसोट करी थी। करी थी कि नहीं करी थी मुझे नहीं मालूम। आप सरकार हो, आपको इसका पता है मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मैंने सुना है लेकिन जांच तो आप करवाओगे। जांच का अधिकार तो आपके पास है। जिन्होंने गड़बड़ करी थी क्या उनकी जांच करवा के, अगले बजट तक आप उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे और जो 90 परसेण्ट कुपात्र हैं, उनको हटवायेंगे। ये दो बातें हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी पूरी बात नहीं आयी है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि अपात्र को मिला। किस तरह के अपात्र को मिला ये भी बता दीजिये। अब कुपात्र रह रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं तो मान्यवर, थोड़ा प्रकाश डालिये। वहां कुपात्र जो रह रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, जरा बताइये न।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वही बात है न कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जायेगी। विषय यह है कि जो बात मैं जान रहा हूं। मेरे कहने के ऊपर अधिकांशतः सदस्य सिर हिला रहे थे। मेरी बात से सहमत तो थे। मैंने खोलकर नहीं रखा, प्रमोद भइया खुलवाकर रखना चाहते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा तो कमेटी बना दें इन्हीं की अध्यक्षता में।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सहमत हूं कि उसमें जो कुछ हो रहा है, मैं उसकी सच्ची सच्ची रिपोर्ट दे दूंगा। बिल्कुल सच्ची सच्ची रिपोर्ट दे दूंगा। समयबद्ध ढंग से दे दूंगा, दिन में क्या हो रहा है ये भी बता दूंगा, रात में क्या हो रहा है, वो भी बता दूंगा लेकिन फिर आप कार्यवाही करियेगा। इसका आश्वासन दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, खतरा ये है कि कहीं ये भी न शामिल हो जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक विषय एक्सपर्ट भी हो। एक विषय विशेषज्ञ भी चाहिये न। मान्यवर, फिर अम्बिका चौधरी जी को भी रख लें जिससे नापने में, खसरा, खतौनी में कोई गलती न होने पाये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, सतीश महाना साहब को तो इसलिये नहीं कहना चाहिये था क्योंकि कटौती आपको रखनी थी और आपसे छीन ली इन्होंने तो इसलिये मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आवास विकास परिषद् की तरफ से बहुत अच्छा बजट लायी है और जहां तक कि मैंने कहा

कि जो स्थापना करने जा रहे हैं जय प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान की उसमें ऑडोटोरियम, लाइब्रेरी, कैम्पस और इंडोर स्वीमिंग पूल है, ये मॉडल है और आप जानते हैं कि जो हमारी सरकार ने लोहिया पार्क बनाया है, शायद पूरे उत्तर भारत में ऐसा पार्क नहीं मिलेगा, ये भी एक मॉडल है। (मेजों की थपथपाहट) और दूसरा जो हम जय प्रकाश जी के नाम पर बनाने जा रहे हैं, यह भी एक मॉडल है और तीसरा जो पार्क बनेगा जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर, ये भी मॉडल है।(मेजों की थपथपाहट) इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, उसमें हमारी सरकार बहुत अच्छी कालोनियां बनायेगी और जहां पर शुद्ध पर्यावरण मिले और यहां तक की लखनऊ में जितने भी स्मारक बने हुए हैं, मान्यवर, मेरी तो राय है कि इसमें भी हरियाली हो जानी चाहिए। जो मैंने कहा कि यहां तापमान बढ़ा है, लखनऊ का, जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ा है लखनऊ का, इन स्मारकों में भी पेड़ लग जाने चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) वैसे तो जो ऐतिहासिक जेल थी, कितनी कीमती जमीन थी, आज उस जेल के हटने के कारण कहां जाना पड़ता है। अगर एक अधिकारी को वहां से यहां आना-जाना पड़े, तो पूरा दिन लग जाता है। अगर वहां पर किसी से मिलाई के लिए जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है, जहां हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाते थे, वहां अब पूरा दिन लग जाता है। कितनी असुविधाएं हो रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो भी काम करेगी, चाहे विधायकों के हो, जो मैंने कहा विधायकों के लिए आवास की जरूरत है, यहां के गरीबों के लिए भी आवास की जरूरत है। जैसा कि महाना साहब ने कहा मैं बताना चाहता हूं कि प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी में विकास शुल्क नहीं लिया जाता है, अगर कहीं लिया गया है, तो उसकी जांच करा दी जायेगी। वर्ष 2012-13 में 262 हेक्टेयर भूमि कुल 4609 हेक्टेयर भूमि हमारे पास उपलब्ध है, विभिन्न प्राधिकरणों एवं आवास-विकास परिषद् के पास लगभग 4609 हेक्टेयर जमीन है। अभी है जमीन और योजना हाईटेक आवास, मल्टीफ्लैट आवासों में विकसित भूखण्डों में 10 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग के लिए और 10 प्रतिशत अल्पआय वर्ग के लिए दिये जाने की व्यवस्था है और बहुमंजिली इमारतों को प्रोत्साहित किए जाने का प्राविधान किया गया है। आवास एवं शहरी पर्यावरण नीति वर्ष 2013-14 में घोषित कर दी जायेगी और ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों में 10163 और एल0आई0जी 5446 कुल मिलाकर 15609 भवनों का निर्माण हुआ है और जो बताई गई हैं, अवैध कालोनियां। अवैध कालोनियां 2465 चिन्हित हैं।

मान्यवर, जिसके सापेक्ष 539 कालोनियों का विनियमतीकरण किया जा चुका है और शेष 1926 का विनियमितीकरण कार्यवाही में है। तो इस प्रकार से हमारा आवास-विकास परिषद् काम कर रहा है। तेजी से काम कर रहा है और जहां तक है और तेजी लायेगी। और मॉडल कालोनियां बनाई जायेंगी। मान्यवर, यह आश्वासन मैं पूरे सदन को देना चाहता हूं। मान्यवर, इसलिए मैं माननीय शेर बहादुर जी से अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें और इसे सर्वसम्मति से पारित कराने का कष्ट करें।

श्री अमरपाल शर्मा-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद में बसुन्धरा कालोनी है। आपने कहा था कि उसे मॉडल कालोनी बनायेंगे और उसमें आडीटोरियम और स्टेडियम सभी जन सुविधायें देगें। यह 1989 में आपका लिखित आश्वासन है। मान्यवर, तो क्या आप उसके अनुरूप वहां पर स्टेडियम

आडीटोरियम और अस्पताल जैसी जन-सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, आज तक उस योजना में कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मान्यवर, उसमें 102 एकड़ जमीन है, उसमें भू-माफिया के द्वारा कब्जा था या सरकार से वाद-विवाद चला। मान्यवर, हमारी सरकार में वह विवाद निस्तारित हुआ। और आप लोगों को आये हुए सत्ता में एक साल हो गया है। क्या उस घोषणा के मुताबिक उसे मॉडल कालोनी बनाने के लिए आप सभी जन सुविधायें उपलब्ध करायेंगें। आप उस पर अमल करायेंगें। मान्यवर, वहां पर कोई नहीं है। बच्चों को खेलने के लिये व कोई राम लीला का मैदान नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। तो क्या आप जन सुविधायें उपलब्ध करायेंगें जो सरकार ने वादा किया हो।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जो विधायक पहली बार चुनकर आये हैं उनको आवास सुविधा आप उपलब्ध करायेंगे जैसे कि पहले की सरकारें उपलब्ध कराती रहीं। मान्यवर, जिन विधायकों के पास नोएडा और गाजियाबाद में आवास नहीं हैं आप उन्हें आवास उपलब्ध करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेगें ?

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ ''शेरू भैय्या''-

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे मैं आभारी हूं माननीय सतीश महाना जी का, टी राम जी का और माननीय सदस्यों जी का जिन्होंनें अपने सुझाव रखे हैं। मान्यवर, हमारी प्रार्थना है कि यहां पर हर गरीब व्यक्ति को घर मिले। जो दलितों के प्रेरणा स्थल हैं, उनका रख-रखाव और साज-सज्जा हो, वह बरकरार रहे और उसमें जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको विनियमित किया जाय। मान्यवर, जब पूरे प्रदेश में गरीबों को घर मिल जायेगा। तो मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जहां तक विधायकों के लिए यह आवास उपलब्ध कराने की बात है, मा0 प्रमोद तिवारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गयी है उसमें वह सर्वे करके जगह बता देंगें और प्रस्ताव दे देंगें तो उस पर हम सभी को आवास देंगें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-2 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-2 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,98,70,16,000 स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सूचना विभाग की डायरी में हमीरपुर जनपद के माननीय सदस्यों के नाम छपे न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो आज पटल कार्यालय से हम लोगों को सूचना विभाग की डायरी मिली है इसमें हमीरपुर के विधायकों का नाम नहीं छपा है। इसे सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इसे दिखवा लेंगें और जुड़वा देंगें।

[3.08 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,22,48,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत करने का आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया और वह तमाम सदस्य जो हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हैं वह आज दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह मान्य तथ्य है कि विदेशी पर्यटक जो भारत आता है उसमें से हर 4 में से एक पर्यटक का उत्तर प्रदेश में आने का रिकार्ड है। यही नहीं विविधतापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय-समय पर सम्पन्न होने वाले महोत्सव मेले इत्यादि के कारण उत्तर प्रदेश पयर्टन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र हैं इस प्रदेश में सभी आयु एवं वर्ग की अभिरूचि के अनुरूप आकर्षण विद्यमान है। यही कारण है कि यहां साल भर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, 2012 में लगभग 16 करोड़ 78 लाख 64 हजार भारतीय पर्यटक और 20 लाख 37 हजार विदेशी पर्यटक आने का काम किये हैं जो पिछले जब साहब लोग थे उससे 8 प्रतिशत अधिक है। इनसे पहले की जो स्थिति थी 15 करोड़ 54 लाख 30 हजार भारतीय पर्यटक तथा 18 लाख सत्तासी हजार विदेशी पर्यटक कुल 15 करोड़ 73 लाख सत्रह हजार पर्यटक भ्रमणार्थ आये थे।

मान्यवर, कहीं न कहीं वातावरण माहौल और पर्यटकों ने कहीं न कहीं इस बात को महसूस किया होगा, सुरक्षा का भाव तभी तो संख्या बढ़ी है 8 प्रतिशत। भारत में विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए जो सचमुच 4 विभाग हैं उसमें केमिकल, तेल, आटोमोबाइल प्रोडक्ट के बाद सबसे अधिक कहीं आय विदेशी धन हमें मिलता है तो पर्यटन से मिलता है, पर्यटन उद्योग है और यह मिलेगा आपको सब। विदेशी मुद्रा अर्जन से देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है विदेशी मुद्रा मिलने से श्रीमन्, कहीं न कहीं देश और प्रदेश को ताकत मिलती है। पर्यटन एक रोजगार परक उद्योग है यहां पर मात्र यह आंकड़ा है कि 10 लाख कोई इस उद्योग में लगाता है तो लगभग 78 लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है और ऐसा रोजगार जो पर्यावरण से मुक्त होगा और तमाम तरह का अवसर मिलेगा।

मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस उद्योग पर रोशनी और प्रकाश ही नहीं डाला बल्कि करने का संकल्प और सपना भी सजोने का काम किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश अधीन उत्तर प्रदेश में पर्यटन के चहुमुखी विकास की आधारशिला रखी गयी। पर्यटन विकास के अन्तर्गत वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग रु0 111.77 करोड़ की योजनायें क्रियान्वयन में हैं। जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर से 86.89 करोड़, राज्य सेक्टर में रु0 20.78 करोड़ तथा जिला सेक्टर में रु0 4.10 करोड़ की योजनायें क्रियान्वयन में है। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों यथा ब्रज, यहां हमारे मित्र बैठे हैं माथुर साहब ब्रज मथुरा में रु0 35.52 करोड़ आगरा में 23.12 करोड़ की योजना, वाराणसी में रु0 18.56 करोड़ की योजना बुन्देलखंड में 15 करोड़ 81 लाख, लखनऊ में 9 करोड़ 38 लाख की योजना कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत चालू योजनाओं में मुख्यतः आगरा में समन्वित विकास की योजना फेज-2 में मथुरा मेगा प्रोजेक्ट, प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम के पर्यटन विकास की योजना तथा बुन्देलखंड पर्यटन परिपथ की विकास योजना है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की योजना तथा सैफई, इटावा में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण की योजना प्रमुख रूप से है। यही नहीं श्रीमन्, धार्मिक नगरी अयोध्या में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करके उसे साफ सुथरा और अच्छी नगरी के रूप में भी विकसित करने का काम किया है। उक्त के अतिरिक्त कान्हा नेशनल पार्क की तरह दुधवा नेशनल पार्क कारीडोर के विकास हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने योजना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त चित्रकूट में रामघाट का विकास, मथुरा में प्राचीन ऐतिहासिक जलकुंडो, तालाबों का जीर्णोद्धार, जनपद ललितपुर में सुमेरा तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं जाखलौन में बोट क्लब का निर्माण तथा बहराइच में कतर्नियाघाट के पर्यटन विकास की योजनाओं की भी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है। इन योजनाओं के लिये श्रीमन् आगामी वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्था भी की गयी है। इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी और प्रदेश पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र होगा। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आगरा के समन्वित विकास हेतु 18.26 करोड़ की धनराशि की योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत शाहजहां पार्क के बनने से श्रीमन् ताज की खूबसूरती और बढ़ेगी, इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी, शिल्प ग्राम का विकास, ताज नेचर वॉक का कार्य प्रमुख है। आगरा में ताजगंज एरिया के विकास की योजना, ताजमहल के पूर्वी द्वार तथा पश्चिमी द्वार के पहुंच मार्ग तथा ताजमहल के दक्षिणी द्वार तक पहुंच मार्ग सहित ताजगंज के पर्यटन विकास के लिये 136 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसके लिये चालू वर्ष में 50 लाख और 2013-14 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया तो उसमें 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का काम किया है। इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात ताजमहल के आसपास का क्षेत्र और अधिक आकर्षक हो जायेगा, क्योंकि ताज का दुनिया में नाम है और ताज को सुनने, देखने और जानने के लिये लोगों के मन में जो इच्छाशक्ति है और जो हिन्दुस्तान में विदेशी आता है, वह कहीं जाये या न जायें लेकिन ताजमहल तक आने की जिज्ञासा उसके मन में अवश्य होती है। तो इसके महत्व को माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष तौर से पहचाना और उसे करने के लिये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। भारत सरकार द्वारा मथुरा

वृन्दावन के प्रोजेक्ट के लिये श्रीमन् 3178 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उसके प्रथम किश्त के रूप में 1589.3 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य रूप से गोकुल में घाटों का सुधार/सौन्दर्यीकरण, वृन्दावन में दावानल कुंड तथा प्रह्लाद कुंड का सौन्दर्यीकरण, मथुरा में माठ स्थित राधा रानी मानसरोवर का सौन्दर्यीकरण, महावन में चिन्ताहरण महादेव का सौन्दर्यीकरण और यमुना नदी में विश्राम घाट के निकट कंस किला की ओर तथा हसियारानी घाटों का निर्माण, परिक्रमा मार्ग का सुधार, गोवर्धन में छतरियों का सुधार, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में इको टूरिज्म का विकास, सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य इसमें सम्मिलित है। उक्त योजना के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि की विकास द्वारा स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वाराणसी के अन्तर्गत प्रथम फेज की योजना के अन्तर्गत श्रीमन् 4.50 करोड़ से घाट, गलियों एवं कुण्ड, शुलभ शौचालय आदि कार्य कराए गए हैं। वाराणसी फेज-2 योजनान्तर्गत 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सारनाथ के अन्तर्गत आन्तरिक सड़क का निर्माण शूल टंकेश्वर घाट का निर्माण वाराणसी में पांच प्रवेश द्वारों का निर्माण बुद्धा थीम पार्क लोटस पार्क भारत कला भवन जो काशी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थित है सुलभ प्रसाधन, सारनाथ की सड़कें सारनाथ के गेट रामनगर की सड़क जो प्राचीन रामलीला के नाम से दुनियां में जाना जाता है सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वाराणसी जैसे प्रमुख स्थल पर अभी भी पर्यटकों के लिए काफी कार्य किया जाना शेष है। जिसके अन्तर्गत मुख्यतः सारनाथ लेक राम नगर की लीला स्थलों पर पर्यटन विकास एवं डियर पार्क का सुन्दरीकरण, मार्कण्डेय महादेव घाट, गड़वाघाट पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का विकास जिसका दुनियां में नाम है उसके लिए भी इस योजना में रखने का काम किया गया है। सुधार तथा संत रविदास घाट का विकास 270 मीटर विभिन्न स्थलों के विकास का कार्य प्रस्तावित किया गया है। हमारे दादा जी चले गए वहां पर झांसी की रानी की जन्मस्थली का बहुत दिनों से चल रहा था उसको हम लोगों ने पैसा भी दिलवाया लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाया जैसा कि झांसी की रानी की जन्मस्थली भदैनी पर है जो अपूर्ण है उसको भी इस बार पूर्ण करने का सरकार ने संकल्प लेने का काम किया है। क्योंकि जो देश और समाज अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपने पुरखों की हिफाजत नहीं कर पाता वह बहुत दिनों तक महफूज नहीं रह पाता है। यही नहीं लोलारक घाट कुरुक्षेत्र घाट, पितरकुण्डा घाट जो बनारस के बहुत पौराणिक और जिनसे कई तरह के ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हैं उसको भी यह सरकार युद्धस्तर पर ठीक कराकर जो काशी दुनियां की प्राचीन नगरी है उसको पुनः उस बुलंदी पर पहुंचाने का काम करें। गोरखपुर से 53 कि0मी0 दूर कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटक स्थल है यहां पर भगवान बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त किया गया था। उक्त स्थल पर लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन करने आते हैं। कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सीमान्त जिला तथा कृषि प्रधान विशेषकर गन्ना एवं चावल उत्पादन का क्षेत्र है जहां से चीनी और चावल का व्यापार भी संभव है। इस क्षेत्र के अधिकतर घरों के लोग अरब देशों में सेवारत हैं तथा वर्ष भर उन लोगों का आना-जाना बना रहता है। इस प्रकार पर्यटकों के अलावा क्षेत्रीय लोगों को भी कुशीनगर में हवाई सेवा की आवश्यकता है। कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 615 एकड़ भूमि नागरिक उड्डयन विभाग से अधिग्रहण एवं

क्रय करके प्राप्त की गई है। इस हेतु 210 करोड़ व्यय अधिग्रहण एवं क्रय में किया गया है। बौद्ध परिपथ के प्रमुख पर्यटक स्थल कुशीनगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की परिकल्पना करते हुए रु0 354 करोड़ की योजना का प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु तैयार किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत जिसमें 15 आवेदन-पत्र आए हैं निम्नलिखित योजनाएं संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण की व्यवस्था चल रही है। जनपद मिर्जापुर मथुरा तथा चित्रकूट में रोप-वे के निर्माण की कार्यवाही पी0पी0पी0 के अन्तर्गत प्रचलित है। श्रीमन् पी0पी0पी0 के तहत् हम चाह रहे हैं कि रोप-वे के तहत् हमारे पर्यटकों को आने-जाने की सुगमता हो।

जनपद मिर्जापुर में शिल्पग्राम तथा फतेहपुर सीकरी एवं वाराणसी में सन्त रविदास घाट पर हीलियम बैलून राइडिंग की स्थापना। मान्यवर, देश-विदेश में इसका बड़ा प्रचलन है हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई महाना साहब हवा में उड़ें और दुनिया को देखें। इस योजना को भी लागू करने का हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी0पी0पी0 के अन्तर्गत तमाम लोगों को बुलाने और देखने का काम किया है। यह अपनी तरह का अद्भुत और अनोखी योजना हीलियम बैलून राइडिंग योजना है। लखनऊ रेजीडेन्सी में लाईट एण्ड साउण्ड शो कराया जाना। यह भी हमारे प्रस्ताव में है। उत्तर प्रदेश की मुख्य सड़कों पर स्थित ढाबों तथा होटलों आदि के पास जनसुविधाएं (शौचालय, शुद्ध पेयजल, पाक्रिंग आदि) उपलब्ध कराया जाना। मान्यवर, आपको तो हर साल बाहर जाने का सौभाग्य मिलता है और आप ठीक से जानते होंगे कि वहां सड़क के किनारे यह सुविधाएं रहती हैं। उसी पैटर्न पर मान्यवर, जो हमारे पर्यटक से जुड़े हुए मार्ग हैं उन पर उच्चकोटि के शौचालय, शुद्धपेयजल का बहुत बड़ा सेटअप तैयार कराने जा रहे हैं और उसके लिए धन की व्यवस्था हो गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है। जनपद आगरा में थीम पार्क के पर्यटन विकास की योजना है। नाईट सफारी ग्रेटर नोएडा और इसी के साथ-साथ श्रीमन् एक बहुत ही अद्भुत और क्रान्तिकारी योजना, जो अब तक के इतिहास में एक शानदार और बेहतरीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वबैंक के अध्यक्ष आये थे और वह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। इससे पर्यटन विभाग को एक अच्छी योजना मिली, विश्व बैंक परियोजना में बौद्ध परिपथ एवं मथुरा-वृन्दावन की प्रो-पुअर पर्यटन विकास की योजना। तमाम गरीब जो मेहनतकश लोग हैं जो अच्छी जगहों पर नहीं जा पाये हैं हम उनको भी दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। उनको भी महसूस हो, उन्हें भी अच्छी जगह पर घूमने, फिरने, देखने, चलने का हक है। इस योजना के अन्तर्गत दो चीजें हम लिये हैं एक तो बौद्ध परिपथ और दूसरा मथुरा-वृन्दावन परिपथ को चिन्हित किया गया है। पर्यटन उद्योग में लगभग 70 प्रतिशत लाभ होटल व्यवसाइयों एवं ट्रेवल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को हो जाता है। उस क्षेत्र के लोग पर्यटकों के आगमन से होने वाले लाभ से वंचित न रह जाएं इसे ध्यान में रखते हुए बौद्ध परिपथ एवं मथुरा-वृन्दावन परिक्षेत्र के विकास के लिए 410 मिलियन डालर लगभग 21 सौ करोड़ रुपए की एक प्रो पुअर पर्यटन विकास की योजना विश्वबैंक की सहायता हेतु तैयार कराई गई, जिस पर विश्वबैंक की समिति की सहमति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना पर माननीय मुख्य मंत्री जी से विश्वबैंक के अध्यक्ष के साथ दिनांक

12.03.2013 को लखनऊ में चर्चा भी हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। इस परियोजना से मान्यवर, पर्यटक रोज आयेंगे। बल्कि जो इस रोजगार से जुड़े हैं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा। श्रीमन्, मैं अपने पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं महाकुम्भ केवल प्रदेश का नहीं, देश का नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा मेला था इसमें 6 करोड़ 62 लाख केवल हिन्दुस्तान के लोग आये और 01 लाख विदेशी लोग यहां आये और डुबकी लगाये और उस महाकुम्भ में घूमे फिर। इतने बड़े सेटअप में 35 से 52 कि0मी0 के सेटअप में करोड़ों लोगों का आना और सही सलामत निकल जाना इस बात का सुबूत है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी थी। हालांकि इस कुम्भ के लिए कम समय मिला लेकिन कम समय में भी जितनी अच्छी योजना हमारे पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी तथा कुम्भ मेला के अध्यक्ष मा0 नगर विकास मंत्री जी इन तीनों ने मिलकर, प्रयास करके बनायी वह सराहनीय रहा। उस पर इतनी अच्छी व्यवस्था और खास करके पर्यटन विभाग का, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, वरिष्ठ पत्रकार माक्र टुली जिसे आप जानते हैं बी.बी.सी. वाले, हालैण्ड के और कई पत्रकार आये थे। सूचना विभाग के कैम्प में भी गया था वहां जो इण्टरनेशल स्तर का स्वीस कॉटेज जो 12 लगवाये थे वह अदभुत था। वही नहीं त्रिवेणी होटल जो हमारा पर्यटन विभाग का है उसको भी एक महीना के अंदर युद्धस्तर पर काम कराकर बहुत खूबसूरत बनाया गया। उसमें कुछ लोग अवैध कब्जा करने का काम किये थे उसे खाली कराया गया, वहां के जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में संगम को देखने और जानने, सोचने की बड़ी लालसा रहती है। महाकुम्भ के आयोजन को देश भर में ही नहीं समूचे विश्व में प्रशंसा की गयी। मैं खुद गया और यही नहीं हमारे विभाग का कॉटेज में जो कैंटीन थी, खानपान की जो व्यवस्था पर्यटन विभाग के द्वारा की गयी थी उसकी भी तारीफ हुई कि बहुत साफ-सुथरा था। वहां रहने वाले केवल दो-चार दिन नहीं रहते थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अभी कितना समय और लेंगें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, घुमाने, फिराने और डुलाने में थोड़ा समय लगेगा। इसमें घुमाना भी है, फिराना भी है और डुलाना भी है। कहियेगा तो 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, नेशनल जियोग्राफी चैनेल एवं बी0बी0सी0 लन्दन द्वारा होटल त्रिवेणी दर्शन में लगभग एक माह तक निवास किया गया तथा इस आयोजन की अच्छी व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। इस महाकुम्भ का पर्यटन विभाग द्वारा जो कार्य किया गया अपने विभाग को अपने मुख्य मंत्री की तारीफ करना चाहता हूं कि कम समय में सराहनीय कार्य किया। जो स्वीस कॉटेज था उसकी भी व्यवस्था की गयी। एक नई योजना जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, हमने चालू किया है। पर्यटन विभाग में जो एजेंसियां काम करती हैं हम स्थल तो बनवा देते हैं एजेंसियां हमारी नहीं होती हैं लेकिन जो बन करके पड़ा रहता है उस पर न रोशनी की व्यवस्था न रख-रखाव की व्यवस्था होती थी जिनको हम हैंडओवर करते थे उनके साथ हम उन स्थलों पर सोलर लाईट की खूबसूरत और बेहतरीन व्यवस्था करने जा रहे हैं। ताकि वह उसको

महसूस करें कि जिसने हमको दिया है उसके मन में कहीं न कहीं मेरे लिये भाव हो।श्रीमन्, इसी के साथ-साथ गोमुख से गंगा सागर के मध्य गहमर गांव है जिसके बारे में आप जानते होंगें 1857 के गदर में या 1942 का युद्ध हो उसके सेनापति मेंगर सिंह जो कुंवर सिंह के सेनापति थे उसी गांव के रहने वाले थे और गांव के नाम पर दुनिया में उतनी बड़ी आबादी कहीं नहीं होगी। आप जानते हैं कि यह टाउन एरिया 1977 में जब हमारी सरकार ने बनाया तो उसके बाद भी विरोध हुआ। तो गांव के रूप में उस गांव का दुनिया में नाम है और वहां गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां सेना में उस गांव का बच्चा और नौजवान न रहा हो। वहां भी हम जहां मां कामेक्षा की मूर्ति है उसी के बगल में हुमाऊं और शेरशाह सूरी का युद्ध भी हुआ था वह स्थल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर घाट उसी के साथ-साथ नहार है शायद गाजीपुर के सैदपुर में जौहरगंज घाट एवं प्रसिद्ध शमशान घाट है जो बहुत पुराना है कई जिलों के लोग आते हैं। श्रीमन् उसका भी प्रस्ताव इस बजट में है।

श्री अध्यक्ष-

शमशान घाट का ?

श्री ओम प्रकाश-

शमशान घाट नाम है श्रीमन्। लेकिन स्वीमिंग करने के लिये बाहर से लोग आते हैं उसको भी हम कहीं न कहीं विकसित करने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कपिलवस्तु पर कुछ है?

श्री ओम प्रकाश-

श्रीमन्, अब आप कहेंगें तो इसे जोड़ेंगे। यही नहीं श्रीमन्, सूफी पर्यटन स्थल के लिये किछौछा शरीफ, अम्बेडकरनगर एवं देवाशरीफ बाराबंकी के लिये प्रस्ताव गया है 284.05 करोड़ का और 498.28 करोड़ रुपये का। कुल 782.33 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके साथ-साथ श्रीमन दरगाह-ए-आलिया बाबुल मुराद गाजीपुर में है। हमारी शादाब फातिमा जी वहां की विधायिका हैं। उसके विकास के लिये जहां पर ईरान, ईराक से लोग आते हैं अपने आप में वह बहुत खूबसूरत स्थल है, उसको भी इस बजट में रखने का काम किया है।

मान्यवर, इसके साथ दूसरा मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक कारवां टूरिज्म सिस्टम है। हमारे यहां जिस तरह से हमारे देशी या विदेशी पर्यटक आते हैं तो हम उनके लिये कई तरह की गाड़ी खोजते हैं और व्यवस्था करते हैं। एक गाड़ी बनकर तैयार है माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन झंडी दिखा दें 10-5 दिन के अंदर उसमें हर तरह की व्यवस्था है खाने पीने से लेकर बाथरूम की सब व्यवस्था है। एक नई तरह की जीप। जिसमें पर्यटकों को सभी पर्यटक स्थलों को एक साथ टूर बनाकर दिखाया जा सके। इसके अन्तर्गत खान पान एवं सभी जरूरी सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करायी जायेंगीं। इस प्रकार कम खर्चे में ही पर्यटकों को अधिक से अधिक स्थानों का भ्रमण भी कराया जा सकता है। इसी के साथ साथ मान्यवर, जो मैंने आपसे कहा कि जो हमारे साइट कैन्टीन हैं

जो हमारे पर्यटन से जुड़े हुए रास्ते हैं उन व्यवस्थाओं के लिये भी हम लोग सुलभ प्रसाधन एवं जनसुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव कर रहे हैं। यह एक नये तरीके का प्रस्ताव है। जो भीड़ भाड़ बढ़ गई है। मैक्सिमम लोग सड़क के किनारे बस रहे हैं तो इस पर भी कहीं न कहीं पर्यटन विभाग ने ध्यान दिया है और इस ओर व्यवस्था करने का काम किया है। इसी के साथ-साथ लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों रूमी गेट तथा क्लाक टावर पर लाईटिंग की व्यवस्था करने के लिये इसी साल 1 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और इसको तत्काल कराने का काम किया जायेंगा। एडवन्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये जैसा मैंने आपसे कहा एयरो स्पोर्ट्स तो सरकार इसको कहीं न कहीं पर्यटन की दृष्टि से देश और दुनिया के पैमाने पर बढ़ाने का काम करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट स्थल के रूप में कुशीनगर को विकसित किये जाने हेतु विभाग द्वारा कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तथा इसके समीप ही संस्कृति विभाग द्वारा मैत्रेय प्रोजेक्ट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज नहीं तो कल प्रदेश और देश के लिए एक बहुत आकर्षक का केन्द्र बनेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से ये दुनिया के सबसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाएगा। यहां दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

कितनी देर और लगेगी। अभी तो बहुत कागज आपके पास दीख रहे हैं। मुख्य-मुख्य बात रख दें बाद में जवाब दे दें।

श्री ओम प्रकाश-

श्रीमन् आप इस मूर्ति के बारे में जानते हैं अपने आप में बेहतरीन और शानदार मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है जो आप कह रहे थे कपिलवस्तु और कुशीनगर, हम लोग कहीं न कहीं आसपास नजर ठीक से लगाए हैं। अध्यक्ष जी को जब तक हम खुश नहीं कर पाएंगे अपनी बात नहीं रख पाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

वहां पर बहुत विदेशी यात्री आते हैं। विदेशी लोग आएंगे तभी तो फायदा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यही नहीं इस विभाग में हम पर्यटन पुलिस की व्यवस्था किए हैं। जो हमारे टूरिज्म आएं उनके साथ कोई बदसलूकी न करे। सैनिक कल्याण निगम जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो अनुशासित हैं और देश और समाज के लिए उन्होंने सरहद पर लड़ने का काम किया है। उनको चार जगह रखा है आगरा में, उसमें निरीक्षक है उपनिरीक्षक है, बनारस, लखनऊ और कुशीनगर में रखने का काम किया है। (शोर) इसी तरह से मैं कह रहा था इन लोगों का पाप है, इटावा में सुमेर सिंह का किला, वहां एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था वन विभाग का, उसी के बगल में एक रेस्टोरेंट पर्यटक विभाग ने बनवाया। इसलिए हमारे भाई पांच साल वहां काम नहीं किए कि वह इटावा है मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

आगे चलें।

श्री ओम प्रकाश-

सब कुछ बनकर तैयार है केवल दस पांच लाख रुपये के लिए इतने बड़े काम को, जिसमें करोड़ों रुपया लगा है। उसमें श्रीमन् मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन काम्प्लेक्स सुमेर सिंह, जहां लाइन सफारी बनने का प्रपोजल है उसको भी हम तत्काल जल्दी ही सुमेर सिंह काम्पलैक्स पयर्टन विभाग इटावा के लिए सुमेर सिंह रेस्टोरेंट का निर्माण कराया रहा है जिसको हम तत्काल चालू करने जा रहे हैं। श्रीमन् डा0 साहब यह हमारे बड़े भाई हैं यह हमारे अध्यक्ष रहे हैं हमारे साथ काम भी किए हैं। हमारे अध्यक्ष रहे हैं...

श्री अध्यक्ष-

बी0एच0यू0 के।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी, हां समाजवादी में पहले थे बाद में उधर गए हैं। यह छात्र यूनियन के अध्यक्ष थे हमने इनके अण्डर में काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप उनको उनकी व्यवस्था के अनुरूप नहीं रखे इसलिए चले गए।

श्री ओमप्रकाश सिंह-

शिक्षक संघ के महासचिव थे हमको बी0एच0यू0 में चुनाव भी महासचिव का लड़ाए थे बी0एच0यू0 में। गोरखपुर में यह गए तो बदल गए। संगत का भी दोष होता है आप याद करिए, फतेहबहादुर जी हैं या चले गए, उस जमाने में गोरखपुर में 135 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लान का, अब आपको क्या बतावें।

श्री अध्यक्ष-

गोरखपुर में जो आपका पर्यटक आवास बना है उसी को ठीक करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पर्यटक आवास है, पर्यटन का, देखिए तो कितना बढ़िया था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। रामगढ़ ताल जो 22-23 साल पहले बना है, माननीय वीर बहादुर सिंह जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, बनवाने के साथ श्रीमन्, उसमें वाटर स्पोर्ट और उसमें 3 लान हैं, 7 एकड़ में बना है। इसके सम्बन्ध में हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हुई है, मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसको हर हालत में जिसको आपने कहा बनवाने के लिए, प्रस्ताव में हम उसे भी लेने जा रहे हैं और उसे तत्काल चालू कराना है। मान्यवर, स्कूटर स्पोर्ट, नौका आदि तमाम, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एनएचआई जो वाराणसी से गोरखपुर, कुशीनगर सड़क जा रही है, जब वहां कोई जायेगा तो केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं देश और दुनिया में गोरखपुर का इतिहास बनाने का काम करेगा। उसकी ओर भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने ध्यान देने का काम किया है। श्रीमन्, इसी के साथ-साथ भारत सरकार के सहयोग से इन्स्टीट्यूट

आफ होटल मैनेजमेण्ट बनाने की बात है जगदीशपुर में पर्यटन विभाग की जमीन भी थी, उसको देकर, होटल मैनेजमेण्ट की अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए हम इसको बनवाने जा रहे हैं उसके लिए हम जमीन का प्रस्ताव भी कर चुके हैं। श्रीमन्, एक और बहुत बड़ा काम हो रहा है और श्रीमन्, यह इसलिए हो रहा है कि हमारी याददाश्त नहीं, हमारे हिन्दुस्तान बनाने वालों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि हम अपने बाप के पांचवे पुस्तन के नाम भूल जाते हैं, पिता जी की बुआ का नाम भूल जाते हैं तो हमारे 52 देशों में 3 करोड़ से ऊपर जो हमारे हिन्दुस्तान के लोग चले गए, उनको याद करने के लिए एक अलग योजना ''योर रूट डिस्कवर योजना'' बनाकर हम लोग उनको याद करने का, उन्हें बताने का और वहां जाने की एक बहुत क्रान्तिकारी और अच्छी योजना चालू करने का काम कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं एक इतिहास रचने का काम करेगा। साथ ही श्रीमन्, बनारस में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, पर्यटन विभाग ने एक अच्छी योजना चालू की है। पर्यटन विभाग की यह पेइंग गेस्ट योजना, वेज एण्ड ग्रेट फास्ट योजना, जो आदमी अपने मकान को पेइंग गेस्ट के रूप में सेचुरेट करके बनारस जो घाटों की नगरी है, यहां यह बहुत कारगर हुआ है और जब तक अंग्रेज या विदेशी पर्यटक श्रीमन्, जब तक वह रजिस्टर्ड न हो, वह किसी घर में रहना नहीं चाहते हैं। तो पर्यटन विभाग ने उनको भी लाइसेंस दे कर उनकी भी व्यवस्था करने का काम किया है तो यह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और शानदार योजना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी करें, बहुत टाइम हो गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में कुल 01 अरब 22 करोड़ 48 लाख 57 हजार का प्राविधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में रु0 20 करोड़ 48 लाख 57 हजार तथा आयोजनागत मद में रु0 102 करोड़ का प्राविधान है। आयोजनागत मद में राजस्व पक्ष में 3.50 करोड़ की व्यवस्था अन्तर्निहित है। मान्यवर, हमारी सरकार एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगी। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पर्यटन उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के रूप में माना जायेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी ने अपने विभाग का बजट रखा है। हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में जितना धनी है उतना धनी देश का प्रदेश तो छोड़िये दुनिया का कोई देश शायद ही हो। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पर्यटन से उत्तर प्रदेश की जो हालत सुधारी जा सकती है रोजगार और यहां की अर्थव्यवस्था में जो सुधार किया जा सकता है पिछले वर्षों में वह काम नहीं किया गया है। अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि एक चौथाई विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आता है। यह खुशी की बात नहीं है। हम अगर

व्यवस्था करें तो तीन चौथाई विदेशी पर्यटक यहां आएगा। विदेशी पर्यटक की सबसे पहली प्राथमिकता ताजमहल देखने की होती है। पर्यटन के लिए तीन चार तरह के पर्यटन होते हैं। रमणीय स्थल, इको टूरिज्म, धार्मिक और आध्यात्मिक। यह तीनों साइट्स यहां पर हैं। मान्यवर, जैसे बौद्व परिपथ है। चीन, जापान और अमेरिका के जो सेकेण्ड उच्च धनी हैं वह सब बौद्ध हैं। आज से 25 साल पहले वहां पर एक संस्था है जिसका चेयरमेन हुआ करता था मिया बारा। वह आया था। वह एक लाख करोड़ रुपये यहां पर खर्च करना चाहता था। तत्कालीन सरकारों ने उदासीनता दिखायी। बहुत सी सरकारों ने हजारों करोड़ रुपये दिये। 1985 से लेकर सड़कों के लिए। हमें अभी भी याद है कि बहुत सी सड़कों के पैसे डाइवर्ट किये गये। बाद में उन लोगों ने देने से मना कर दिया। तो जो बौद्व परिपथ है। जैसे हम लोगों के लिए काशी है, अल्पसंख्यकों के लिए मक्का मदीना है उसी तरह से बौद्धों के लिए यहां हिन्दुस्तान में कौशाम्बी से लेकर कुशीनगर से लेकर बनारस, सारनाथ यह इलाका है। और वह .....

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

सिर्फ सुविधा न होने के कारण नहीं आ पाते हैं। कुशीनगर में पिछले 20 सालों से एयरपोर्ट बन रहा है। उस एयरपोर्ट के लिए साढ़े छः सौ एकड़ जमीन भी एक्वायर हो गयी। हर बार यह परियोजना चलती है लेकिन पता नहीं क्या है कि सरकार उस चीज को प्राथमिकता पर नहीं लेती है। यह हम लोगों की सोच में नही है कि पर्यटन से भी बहुत बड़ा रोजगार, व्यापार और धन अर्जन किया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। यह मानसिकता हमें बनानी होगी। जो विदेशी मुद्रा मिलती है उसके अलावा सैकड़ों तरह के रोजगार इससे मिलते हैं। हमारी जो छोटी-छोटी हस्तकलायें हैं जो उद्योग धन्धे हैं उसकी भी बिक्री बढ़ती है। जो गेस्ट आते हैं उनके रहने खाने के लिए बहुत बड़ा होटल चेन चलता है। अब आगरा में ताजमहल है। अब तो एक्सप्रेस हाई-वे भी बन गया। वह सुबह आते हैं शाम को चले जायेंगे। हम जब सुलभ सस्ता चीज उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके रूकने के लिए, रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए तो कैसे आयेंगे। जब तक हम उनको अच्छी जगह ठहरायेंगे नहीं, जब तक हम उनको कुछ और चीजों के, रमणीय स्थलों के बारे में बतायेंगे नहीं, वह जब तक ज्यादा से ज्यादा हमको समय नहीं देंगे, जब तक हम उनकी ज्यादा से ज्यादा जेब ढीली नहीं कर पायेंगे तब तक हमें क्या फायदा होगा और उसके लिए हमें सड़कों का जाल चाहिए, सड़कों के किनारे जो रोजमर्रा की सुविधायें हैं, वह चाहिए, हर रेन्ज की सुविधायें चाहिए, क्योंकि हर रेन्ज के यात्री आते हैं, उनके लिए अपनी-अपनी सुविधायें चाहिए। तो यह एक हमें कन्सेप्ट डेवलप करना होगा, हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मात्र 122 करोड़ का बजट है और पिछले बजट से 40 लाख इस बार कम है। जो इतना पोटेन्शियल विभाग है उसमें आज सिर्फ योजनाएं बना दी गईं हम कैसे इस पर्यटन उद्योग को और इन्वाल्व करें जिससे हमारे स्टेट की रेवेन्यु में हमारे देश की रेवेन्यु में यह पर्यटन उद्योग सहायक हो सके, यह दूरदर्शी योजना बनाकर काम करना होगा। विदेशों में लोग हमें बौद्ध परिपथ के नाम पर पैसे देने को तैयार हैं। वह सारी चीजें एक सुनियोजित तरीके से करनी होगी, लोग यह डरते हैं कि बाहर का इन्वेस्टमेण्ट है, बाहर के लोग हैं, हमारी बद्नामी न हो, तो यह भी थोड़ी चीजें हमें साइडलाईन कर के चलनी होंगी, सरकारों को कि हम जल्द से जल्द चीजों को पूरा करें, प्रोजेक्ट को पूरा करें।

मान्यवर, हम दूसरी बात आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है, वह भी यू0पी0 से बाहर ज्यादा जाने पर ध्यान देता है, हम उसको कैसे यू0पी0 में रोकें, उसको कैसे प्रचारित-प्रसारित करें कि हमारे जो यू0पी0 के टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे वह धार्मिक हों, चाहे वह पिकनिक वाले या दर्शनीय हों, वहां कैसे वह जायं। इसका सीधा सा तरीका है कि हम उन स्थानों को स्वच्छ और सस्ते रेट के ऐसे निवास स्थान बनायें, उनकी ऐसी देख-रेख करें कि जहां पर लोगों को लगे कि अपना घर सा है, वह रीजनेबुल रेट पर हैं, सुविधायें रीजनेबुल रेट पर हैं, उनकी कोई वहां पर लूट-खसोट न हो, उनकी वहां पर सुरक्षा हो, जो वहां पर गाईड हैं, वह उनको सही राय दें, वह भी बहुत तंग करते हैं टूरिस्ट को। मान्यवर, इसके बाद फिर तीसरा हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे यू0पी0 में इको-टूरिज्म, बहुत से बर्ड सेंचुरीज हैं, बहुत से फारेस्ट हैं, सेंचुरीज हैं, झील हैं, हमारे किले हैं, इसमें हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, दुधवा नेशनल पार्क है, मैक्सिमम झील, आप यहीं कानपुर रोड पर देख लें, सूख रही हैं, बर्ड सेंचुरीज सूख रही हैं। तो जो एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, जहां पर दसियों दुकानें आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थीं, सैकड़ों परिवारों का पालन-पोषण होता था, धन का अर्जन होता था, वह सब खत्म हो रहा है, लोग वहां जाना बन्द कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को डेवलप करना होगा, इनको इम्प्रूव करना होगा, इनको आगे कैसे सुधारें, लोगों को इनके प्रति कैसे आकर्षित करें, इसके लिए दीर्घकालीन योजनायें बनायी जायेंगी। यहां पर तो पिछले दस साल से मैं रोज यही पढ़ता हूं कि 25 होटल हैं टूरिज्म विभाग के और वह रोज बेंचे जा रहे हैं, डील नहीं हो पा रही थी, नहीं तो अब तक वह बिक गये होते। इतनी प्राइम लोकेशन पर वह होटल्स हैं, उन होटल्स को अगर पीपीपी मॉडल पर किसी बड़े, जैसे पहले टाटा था, सिर्फ फाईव स्टार होटल बनाता था, हिन्दुस्तान में बहुत थ्री स्टार, फोर स्टार होटल्स की चेन आ गई हैं, उन होटलों से अगर हम पीपीपी मॉडल पर कान्ट्रेक्ट करें, उनका नेटवर्क है, इनके साथ हम अपना एग्रीमेण्ट करें, इनको प्रोत्साहित करें, इतनी प्राईम लोकेशन पर हमारी यह लैण्ड हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमारी इस लैण्ड की इक्विटी से ही वह इतना ज्यादा वहां पर बना देंगें और हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, होटल भी मेन्टेन रहेंगे, बेंचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से इन सारी चीजों को किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। दुनिया के बड़े-बड़े ग्रुप आ गये हैं हिन्दुस्तान में होटेलियर्स के तो उनके साथ हमें बात कर के हमारे इस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कितने सक्रिट बना रखें हैं, अवध सक्रिट है, बुन्देल सक्रिट है, इस तरह के दर्जन भर सक्रिट बना रखे हैं, लेकिन इसमें सक्रिट बना कर हम कर क्या रहे है। हम जो यहां की चीजें हैं, उसको अगर ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, उसको सजा नहीं पा रहे हैं, उसमें लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या होगा। मैं बार बार एक बात को दोहराना चाहता हूं कि इस टूरिज्म उद्योग को सरकार प्रायऑरिटी पर एक बहुत बड़ा अर्निंग का माध्यम सरकार माने और अगर टूरिज्म उद्योग का अर्निंग का माध्यम मान लें तो 5 साल में हम गारण्टी के साथ कहते हैं कि यू0पी0 में सबसे ज्यादा कमाने वाला विभाग टूरिज्म विभाग होगा। जो इसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दे सकता है। उत्तर प्रदेश के लोगों के जो छोटे छोट उद्योग धंधे हैं, उनको फायदा दे सकता है और हम दुनिया में उत्तर प्रदेश की अपनी छवि भी पहुंचा सकते हैं कि यू0पी0 की कितनी अच्छी व्यवस्था है यहां पर। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे प्रदेश हमारे आगे, जहां कहीं कोई

ऐसा स्थान नहीं है वो हमसे टूरिज्म में बहुत आगे हैं। हम टूरिज्म की गिनती में 20वें, 25वें नम्बर पर आते हैं जबकि अयोध्या यहां है, काशी यहां है, मथुरा यहां है, तमाम हमारे इस्लामिक स्थान यहां हैं जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। यहां पर कितने लाखों में भक्त आते हैं, वे अरबपति भी हैं, करोड़पति भी हैं और फकीर भी हैं। उनके यहां रूकने की व्यवस्था हो, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, सही जगह चलाना चाहते हैं, सहयोग भी कहना चाहते हैं। उस माध्यम से भी हम लोग इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं और कर सकते हैं। इन सब चीजों को कहने का मेरा मतलब यह है कि हम सुनियोजित तरीके से इस टूरिज्म उद्योग को बढ़ा सकते हैं। अब कुशीनगर का एयरपोर्ट है जमीन ले ली गयी। अभी उस पर बिडिंग हो रही है पिछले 10 साल से। 10 में यू0पी0 में 12 एयरस्ट्रिप हैं, वो बिक गयीं, लीज पर दे दी गयीं। पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में इतनी एयरस्ट्रिप नहीं हैं। उस एयरस्ट्रिप का अगर हम टूरिज्म के लिये डेवलप करके उस एयरस्ट्रिप का फायदा करते। हम टूरिज्म के लिये प्लेन्स की लैण्डिंग की, प्राईवेट लैण्डिंग की या उसके लिये योजना बना के चलाते तो उन एयरस्ट्रिप को हम टूरिज्म में उपयोग में ले सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं, सिर्फ एयरस्ट्रिप लिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ली और सिविल एविएशन पायलट ट्रेनिंग कोर्स का एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिये बेस चाहिये होता है कि एयरस्ट्रिप होनी चाहिये। वो सिर्फ यूज करके एक-एक, दो-दो करोड़ में कौड़ी के भाव बेच दी गयीं, कौड़ी के भाव हो गया लेकिन उसका उपयोग हम अभी भी टूरिज्म से उसको जोड़ करके उसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे टूरिज्म में वो कैसे बढ़ावा दे सकता है वो एयरस्ट्रिप, उसको भी हम एक नीति का तरीका बनाकर कर सकते हैं। अब मैत्री परियोजना है, 30 साल से तो हम देख रहे हैं, वीरबहादुर सिंह के जमाने से, उसकी चर्चा शुरू हुयी। उस वक्त सबसे पहले बौद्ध परिपथ मा0 अध्यक्ष जी के इलाके से लेकर के बनारस तक की सड़कों का, सबसे पहले डबल लेन की सड़कें वहीं पर बननी शुरू हुयी थीं, 600 करोड़ रूपया तब दिया था। कई बार पैसे दिये, यहां वो लोग आये। उस पैसे का बंदरबांट भी हुआ, डायवर्जन भी हुआ, डिले भी हुआ। वो लोग नाराज हुये और अब इन्टरेस्ट कम दिखाते हैं। हमें दिखाना होगा कि हमारा इन्टरेस्ट है क्योंकि वो लोग चाहते हैं यहां आना। वो कहते हैं कि हमें सुविधा चाहिये। हम आपको सहायता देने को तैयार हैं। हमारी कमी है कि हम उनकी सुविधा न लेकर के उनको वो हाईक्वालिटी की सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहायता नहीं ले पा रहे हैं तो जो ये मैत्री परियोजना है। पहले वहां खेल हो गया, आवश्यकता थी 300 एकड़ की। नोटिफिकेशन कर दिया 700 एकड़ का। गांव वालों ने विरोध कर दिया। अभी आपकी सरकार ने फिर उसका सर्वे किया है और माना है कि 250 एकड़ ही चाहिये। अब जल्द से जल्द आंख मूंद करके उसको एक्वायर करें और ये परवाह कम करें कि अगर आप विकास का काम करेंगे तो कोई उंगली जरूर उठायेगा। अगर एक दम उंगली उठाने से बचेंगे तो वो काम हो नहीं पायेंगे इसलिये ये मत सोचें कि कोई उंगली न उठाने पाये। उंगली की परवाह मत करें। नीड ऐण्ड क्लीन, साफ रखिये। अपने आप से लोगों को लगेगा कि विकास हो रहा है। ठीक है, जहां विकास होता है वहां थोड़ा बहुत करप्शन हो ही जाता है लेकिन अपने लेवेल पर नहीं होना चाहिये। सरकार के लेवेल पर नहीं होना चाहिये। आप मेरी बात समझिये कि सरकार के लेवेल पर नहीं होना चाहिये। सरकार के लेवेल पर कहीं नहीं होना चाहिये, सख्ती होनी चाहिये लेकिन आप अगर यही सोचेंगे कि हम काम नहीं करेंगे कि कोई उंगली उठायेगा तो विकास नहीं हो सकता। जो उंगली उठाये,

उसको एकदम ट्रांसपैरेण्ट चीज दिखा दीजिये कि ये है। उसकी उंगली बंद होने भर का आपके पास प्रूफ होना चाहिये। आपका दिल साफ होना चाहिये, आपके पास कुछ छिपाने के लिये होना चाहिये।

हमारा कहना यह है कि ये जो योजनायें हैं, इन पर त्वरित काम करें और बहुत पोटेंशियल की योजना है ये पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। पूरे पूर्वांचल की यातायात व्यवस्था सुधर सकती है, पूरे पूर्वांचल की गरीबी सुधर सकती है। जिस इलाके में जो उद्योग हैं, चाहे वह रेशम से साड़ी बनाने का हो, कपड़े बनाने का हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का हो, हैण्डलूम का हो, बहुत-सी चीजें हैं, मुर्तस्य बनाने का हो, यह पूरा बेल्ट जब डेवलप करेगा, तो यह मार्केट अपने-आप इंटरनेशनल मार्केट डेवलप होगा, जो सारी चीजें यहां पर दिल्ली के और गोवा के आदमी खरीद लेते हैं। यहां के आदमी से 2 रुपये में खरीदते हैं और जाकर के वे लोग वहां पर 100-100 रुपये में बेच देते हैं, तो यहां का चीज यहीं बिके, यहां जो टूरिस्ट जो आए, वह यहीं खरीदे। वह अपनी जेब यहीं मैक्सिमम् हल्की करके जाए, हमारे प्रदेश को फायदा मिलें। यह जो कुशीनगर की चीज है, इसे आप करें और हमारे पूर्वांचल में, गोरखपुर में बहुत बड़ा तालाब है, वॉटर स्कीइंग की स्कीम थीं, कई और झीलें हैं, वहां वॉटर स्कीइंग की स्कीम्स हैं। ये जो टूरिज्म के नाम से बहुत से स्पोर्ट्स हैं, आज नौजवान इधर-उधर भाग रहा है। परिवार के लोग बच्चों को इधर-उधर ले जाते हैं, दिखाने के लिए, हम अगर इस तरह के नेचुरल स्पोर्ट्स को डेवलप करें तो आज हर परिवार, साल में एक-दो बार, अधिकतर परिवार यह चाहता है कि अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ हम कोई नई जगह जाएं, उनको दिखायें, उसको इंज्वाय करायें। हर कोई अपने जीवन में 24 घंटे इतना व्यस्त है कि वह इन सब चीजों को चाहता है। हमें इसकी तरफ भी ध्यान देकर हमें यही सुविधा अपने उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए। हर मण्डल पर ऐसी प्राकृतिक सम्पदा है, हम उसे उपलब्ध करवा सकते हैं, उसे दे सकते हैं और दूर न जाकर, यहीं पर उन चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। मान्यवर, इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जो सबसे ज्यादा गढ़ है दुनिया का, वह उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा लोग, मथुरा, काशी आते हैं। मथुरा में आते हैं, क्या व्यवस्था है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आते हैं, रहते हैं, इधर-उधर रहते हैं, चले जाते हैं। बहुत-बड़े स्तर पर कुछ लोगों ने निजी बना रखा है लेकिन हम उनको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तीर्थयात्री होते हैं, जो बहुत गरीब भी होते हैं और कुछ तीर्थयात्री बहुत रईस भी होते हैं, करोड़ों-अरबों चढ़ाने वाले भी होते हैं और अक्षत चंदन से पूजा करने वाले भी होते हैं, तो हमें सबके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और रोजाना ये जो धार्मिक वाला है, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो, यह बढ़ रहा है। इसकी बढ़ने की तादाद को आंक करके हमें, उसका फ्यूचर प्लान करना होगा। उस फ्यूचर प्लान के तहत देखना होगा कि ये सस्ते-से-सस्ते और साफ-सुथरी रहने की व्यवस्था इनको हो, वहां इनकी सुरक्षा हो, वहां इनको अच्छे से खाने की व्यवस्था हो, अच्छे से दर्शन करने की व्यवस्था हो चाहे वह हमारे मजार हो, जो यहां बहुत से हैं, सूफी स्थान बहुत-से हैं। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे चित्रकूट हो, इस तरह के बहुत हैं, तो इनसे बहुत बड़ी अर्निंग हो सकती है, बहुत-बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। अभी इतना अच्छा कुंभ लगा, 12 सालों के बाद आता है। अगर हम उसको कहीं किसी भी तरह से बिजनेश ओरियंटेड भी करते, कोई ऐसी चीज किए होते कि जिससे कोई आता, देखता, जाता और उससे कोई अर्निंग होती। अगर एक-दो रुपये की भी 50 परसेन्ट लोगों के द्वारा अर्निंग हुई होती, अगर हम कुछ इस तरह से

कार्य-योजना बनाये होते, तो सैकड़ों करोड़ रुपये अलग-से भी अर्निंग हो सकती थी। वह इस तरह नहीं कि आप टैक्स दो, लोगों को इनवॉल्ब करके, हमारे देश की संस्कृति बताने के लिए, हमारे देश का धर्म बताने के लिए, हमारे देश का भाईचारा बताने के लिए, हम अगर ऐसी कोई गैलरी बना दें, वहां कुंभ में, बहुत-बड़ी जमीनें पड़ी हैं, जो हम टैम्पॉरेरी बनाते हैं, बंधे के इस पार। जैसे बाहर के देशों में है, अपने देश की संस्कृति को जानने के लिए, तो अगर वहां कोई जा रहा है, तो वह जाने-समझे, देखे, वहां पर लाइट एण्ड साउण्ड की व्यवस्था हो, इस तरह की चीजें बना करके, तो उसमें अगर दो रुपये लग भी जा रहा है, दिल्ली में म्यूजियम है, लोग पैसा लगाकर जाते हैं, देख कर आते हैं। यदि इन धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई कोई बहुत-बड़ी गैलरी हम बना देते हैं, एक ऐसे धार्मिक स्थल पर जहां पर परमानेन्ट यात्रियों के लिए, तीर्थ दर्शनों के लिए यात्री जो आते हैं, उनके लिए कुछ हो तो उसमें हम अर्निंग भी कर सकते हैं तो यह तीसरा जो हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है, उसके लिए सरकार को एक व्यापक योजना बनानी पड़ेगी।

मान्यवर, अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट को सिर्फ सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं द्वारा खाने-पीने का माध्यम होटल-रेस्टोरेंट से जाना जाता है। मान्यवर, वह अपनी सम्पूर्ण रेवन्यू अपने होटलों से जमा कर लेते हैं आपका पर्यटन का हो सकता है कि घाटे पर हो लेकिन जो गोमती होटल है वह अच्छी जगह पर स्थिति है और भी जो दूसरे आपके होटल और रेस्टोरेंन्ट हैं वह प्राइम लोकेशन में स्थिति हैं। उनका आप उच्चीकरण करें और ठीक से चलायें तो वह हमें अच्छी आमदनी दे सकते हैं। मान्यवर, आपके ऐसे 25-30 होटल हैं जो पिछले दो साल में घाटे पर रहे हैं और व्यवसाय कम दे पायी हैं। मान्यवर, जो आपका नान-प्लान का खर्चा है वह इनकी कमाई से पूरा हो सकता है। मान्यवर, यह बिजनेस के स्थल हैं तो इन्हें बिजनेस के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। आप इनकी सम्पत्तियों को बढ़ायें, उन्हें बेंचने का काम न करें। जितनी सम्पत्ति है अगर आप ठीक से प्लान करें और उसे चलायें तो आप देखेगें कि आने वाले पांच सालों में कितनी आमदनी वह दे देंगे और यह विभाग आपका सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला, रोजगार देने वाला और कारोबार को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इसे ठीक करायें। मान्यवर, इस बजट को कम करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह तो नीति और नियमों के अन्तर्गत रखा है। आप इसके बजट को व्यापक करें। और अपने विभाग को सुदृढ़ करें जिससे यह विभाग अधिक राजस्व अर्जित करने वाला और रोजगार प्रदान करने वाला विभाग बन जाये। धन्यवाद

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन कुमार पाण्डेय)-

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी द्वारा रखे गये पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक अच्छा और बढ़िया बजट प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर मैं अयोध्या विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ढ़ेर सारी शुभ कामनायें और बधाई देना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को हमारी सरकार बनने के बाद वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन स्थली अयोध्या में आये। मान्यवर, वह पावन स्थली अयोध्या ऐसी भूमि है जहां के नाम पर राजनीति करके लोगों ने केन्द्र से लेकर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे। और प्रदेश में कई बार उनकी सरकार रही।

मान्यवर, वह उस पावन-भूमि के नाम पर सत्ता में रहे और सबसे ज्यादा उपेक्षा उन्होंने अयोध्या के विकास की ही की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम पर राजनीति की और सत्ता हासिल की। मान्यवर, मुझे यह बताने में कोई गुरेज नहीं है कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन स्थली अयोध्या का सबसे ज्यादा विकास किसी ने किया है तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। चाहे वह चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग हो या पंच कोसी परिक्रमा हो उस मार्ग को बनवाने और उसके सौन्दर्यीकरण कराने का काम उन्होंने किया।

मान्यवर, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय पर्यटन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी को और आदरणीय मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के रूप में घोषणा की है और बजट में पूरा प्राविधान किया है। मान्यवर, अभी इलाहाबाद में ऐतिहासिक कुम्भ का आयोजन हुआ और उसे पूरे विश्व के मानचित्र पर दिखाया गया। मान्यवर, जो व्यवस्था वहां पर हुई उसके लिए, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी और उस आयोजन समिति के अध्यक्ष परम् आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी श्री ओमप्रकाश सिंह जी को ढेरो शुभकामनायें और बधाई देता हूं। मान्यवर, वहां आये सारे लोगों ने उस आयोजन की प्रशंसा की है, और व्यवस्थाओं का लाभ उठाने का काम किया है। आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि आज जो पर्यटन विभाग का पर्यटन स्थल था इलाहाबाद में उसको बीबीसी जैसे अच्छे चैनल के लोग वहां पर रहे और वहां पर रहकर उन्होंने महाकुम्भ का कवरेज किया उसके लिए हम पर्यटन विभाग को ढ़ेर सारी बधाई देना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं अयोध्या, अयोध्या को धर्मनगरी पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत योजनाओं की घोषणा की और जिसका पूरा बजट बनकरके भारत सरकार को भेजा गया है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मैं वह आपको बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से। मान्यवर, राम की पैड़ी का सौन्दर्यीकरण, गुलाबबाड़ी के बाह्य मार्गों का जीर्णोद्धार, राजघाट अयोध्या का सौन्दर्यीकरण, अयोध्या के कुण्डों का जीर्णोद्धार, गुप्तारघाट के निकट राजकीय उद्यान कम्पनी गार्डेन में पाथवे का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण, राजा दशरण समाधि का सौंदर्यीकरण, सूरजकुण्ड स्थित सूर्य मंदिर का पर्यटन विकास/सौन्दर्यीकरण, लक्ष्मी सागर लालाबाग का सौन्दर्यीकरण, तुलसी उद्यान का सौंदर्यीकरण, पाटेस्वरी देवी मंदिर नियावां का पर्यटन विकास, हजरत शीश पैगम्बर की मजार का पर्यटन विकास, यात्रियों की सुविधा हेतु अयोध्या के बाहर तीन तरफ पार्किंग का निर्माण, पार्किंग स्थल से अयोध्या के दर्शनीय स्थलों तक वाहन की व्यवस्था, साकेत होटल, अयोध्या का उच्चीकरण, फैजाबाद में आधुनिक अतिथिगृह की स्थापना, हनुमान मंदिर सहादतगंज से गुप्तारघाट तक के मार्ग पर शेड सहित बेंचों का निर्माण, चौदहकोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे किनारे यात्री शेड/पेयजल/प्रकाश व्यवस्था/ सुलभ प्रसाधन/ बेंचों का निर्माण, मौलवी अहमदउल्लाह(डंकाशोह) का पर्यटन विकास, फैजाबाद अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड की स्थापना, बन्धु बाबा पुण्यहरि, विल्वहरिघाट का पर्यटन विकास, मां देवकाली मंदिर (फैजाबाद) का पर्यटन विकास, नयाघाट अयोध्या से गुप्तारघाट बन्धे पर प्रकाश/सुलभ प्रशासन/जल/शेड सहित बेंचों का निर्माण।

इतने सारे कार्यों का अयोध्या में पहली बार हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने करने का पूरा प्रयास किया। हम आपके माध्यम से आदरणीय अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय अपने ओम प्रकाश सिंह जी को ढ़ेर सारी बधाई देते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए ढ़ेर सारी बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे अवसर दिया और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का जिन्होंने इतिहास के उन पुराने पन्नों को कुदेर कर हम लोगों के सामने रखा। यह सत्य है कि हम लोगों ने उस जमाने में बहुत अच्छी राजनीति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में की है। हम लोगों ने इन्हें चुनाव लड़ाया नहीं था ये स्वयं उस लायक थे और उस जमाने में चूंकि यह राजनीति करते थे और नौजवानों के बारे में जो यह कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है तो वस्तुतः इनके पीछे बेचू के नौजवान चला करते थे। तो हम लोगों के बीच की उपज हैं यह तो इन्होंने बता दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से इधर आ गया हलांकि यह समझ नहीं आया कि समाजवादी कहीं भी चला जाय समाजवादी ही रहता है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने यह नहीं बताया कि जब इनको हम लोग चुनाव लड़वा रहे थे तो यह किस संगठन से चुनाव लड़ रहे थे अब चूंकि वहां बैठे हैं इसलिए शरमा-शरमा के इस बात को छिपा ले गये लेकिन कोई बात नहीं जहां हैं हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप वाले संगठन में नहीं थे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, छात्र जीवन में हम लोगों ने जिन आदर्शों के साथ जिया है ओम प्रकाश जी उन चीजों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं एक योजना का इन्होंने जिक्र किया रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण का, मूलतः यह योजना शुरू यहां से हुई थी अगर आपको याद हो 2005-06 का कार्यकाल जब आपने पहली बार एक यहां एक आश्वासन दिया था हम लोग रामगढ़ ताल के सौन्दर्यीकरण का विषय लेकर आते थे आपका दिया हुआ वह आश्वासन अब धीमें-धीमें भारत सरकार के राष्ट्रीय झील सम्भरण का हिस्सा बन गया और वह प्रयास जो उस समय हम लोगों ने शुरू किया था आज 125 करोड़ की योजना चल रही है चूंकि आप यहां बैठे हैं मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार पैसा दे रही है और 30 प्रतिशत राज्य सरकार पैसा दे रही है कहीं न कहीं आपके कदम निरीक्षण की दृष्टि से वहां पड़ने चाहिए क्योकि पैसा हमारा भी 30 परसेन्ट जा रहा है केन्द्र सरकार अकेले इसमें पैसा नहीं दे रही है। बहुत बड़ा काम हो रहा है और जिस दिन वह काम पूरा हो जायेगा, शायद जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे, पर्यटन के केन्द्र के रूप में हृद्वयस्थली के रूप में प्रदेश में शायद गोरखपुर स्थापित होगा। इस नाते जिस बात की माननीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, जो पर्यटन हाउस हम लोगों ने वहां बनाया है, अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा पर्यटन हाउस वहां बना है, उसी रामगढ़ ताल झील के बगल में। लेकिन वह कबाड़ की तरह खराब हो रहा है, हम लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने बहुत प्रयास किया कि इसको चलाया जाये। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उसका जिक्र किया और इस बात की उन्होंने सदन में घोषणा भी की, कि पर्यटन हाउस को वह नया स्वरूप देकर चलायेंगे। लेकिन अधिष्ठाता जी, बस एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

पर्यटन के लिये यह महत्वपूर्ण है कि लोग आ सकें और इस दृष्टि से एयरपोर्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे केन्द्रीय मंत्री इस बात का बार-बार जिक्र करते हैं कि गोरखपुर में एक सिविल एयरपोर्ट है जिसे अगर उत्तर प्रदेश सरकार मदद करे या इन्वाल्व हो तो हम लोग उसको एक बड़े एयरपोर्ट का स्वरूप दे सकते हैं। यह जो हम लोग रामगढ़ ताल की योजना बना रहे हैं, बहुधा हम लोग जब स्कीमें बनाते हैं तो सर्वांगींण विकास की योजना एक साथ लेकर नहीं चलते हैं। जब हम इस झील का सौन्दर्यीकरण आगामी दो-तीन साल में पूरा कर लेंगे और बहुत सारे पर्यटक बाहर से और आसपास की जगहों से आना चाहेंगे तो उनके पास आने के रास्ते नहीं होंगे इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि वह लोग जो एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सुविधा अपने सिविल एयरपोर्ट को बड़ा करके दे सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की पहल करनी चाहिये। केन्द्र सरकार इसके लिये सैद्वान्तिक रूप से तैयार है और उनका बयान भी आया था, इस बात की पहल करनी चाहिये कि इस एयरपोर्ट के स्वरूप को बड़ा करके उसे इस लायक बनाया जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वहां भी आ सकें। यह 1700 एकड़ की झील है माननीय मंत्री जी, इतनी बड़ी झील पूरे देश में कही नहीं है और एकदम कंसाइल, सरकुलर साइज की झील है और जितना कुछ उसमें होने जा रहा है उसके बाद वस्तुतः लोग ऊटी और कोडईकैनाल नहीं जायेंगे लेकिन जो सौन्दर्यीकरण की योजना तैयार हुयी है उसके पूरा होने पर दक्षिण भारत से चलकर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और गोरखपुर में आयेंगे, इसलिये माननीय मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह होगा जो माननीय केन्द्रीय मंत्री अजित सिंह जी का जो बयान गोरखपुर के एयरपोर्ट को लेकर आया था, उस को आप मंगवा लें और अगर उसका स्वरूप बड़ा हो जाये तो शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग उस रामगढ़ ताल परियोजना और उस एयरपोर्ट से निकालकर ले आयेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अधिष्ठाता जी, पर्यटन विभाग के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हमारे मंत्री जी ने जो पर्यटन के बारे में चर्चा की उसको मैनें सुना, माननीय मंत्री जी ने इतना स्पष्ट और बुद्धिमता से जो बजट रखने का काम किया है, इसके लिये मैं आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों के बीच में कहना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा बताये गये जिले और पर्यटक स्थलों की जो चर्चा आई, इसको देखने का काम नहीं किया गया, न इनके विकास के लिये बजट देने का काम किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारधारा से माननीय मंत्री जी को जिम्मेदारी दी और सभी जिलों को अच्छे-अच्छे बौद्विक स्थलों का विकास होना हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मंत्री जी हमारा जनपद श्रावस्ती नेपाल बार्डर की

सीमा का जिला विधान सभा भिनगा है। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा जो भी घोषणाएं हुईं उसको पूरा करने के लिए बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन योजना के लिए बहराइच में गए तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता की मांग पर और हमारे अनुरोध पर हमारे भिनगा क्षेत्र में भिभूति नाथ मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इस सदन के माध्यम से अपने मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने भिभूति नाथ मंदिर को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की उसे आप अपने वर्ष 2013-14 के बजट में सम्मिलित करके भिनगा विधान सभा में भिभूति नाथ मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था, सड़क पानी कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें। अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद श्रावस्ती के विधायक जी बैठे हैं उनके क्षेत्र में बौद्ध पर्यटक स्थल भी है। जो बहुत पुराने समय से गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उस पर्यटक स्थल में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप अपने 13-14 के बजट वर्ष में सम्मिलित करके वहां की जनता के वहां के श्रद्धालुओं की भी व्यवस्था कराई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार एक मंदिर है उस मंदिर में श्रद्धालुओं को रहने के लिए पानी, सड़क की व्यवस्था आप अपने बजट 13-14 में सम्मिलित करने की कृपा करें। वहां की भी व्यवस्था कराई जाय अधिष्ठाता महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपने माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं कि आपका बजट इतना अच्छा और पूरे उत्तर प्रदेश को समेटने वाला बजट है इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूं।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने पर्यटन के इस बजट पर हमारे माननीय अखिलेश जी के कटमोशन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि प्रदेश में क्या देश विदेश में भी जनपद मथुरा अपने आप में पर्यटन के हिसाब से अहम स्थान रखता है। पर्यटन के हिसाब से भावना के हिसाब से बहुत बड़ा स्थान रखता है। माननीय अधिष्ठाता जी जनपद मथुरा में पर्यटक चाहे जन्मभूमि आएं चाहे गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आएं चाहे बरसाना आएं चाहें नन्दगांव आएं चाहें गोकुल चाहें बृंदावन आएं महावन आएं उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा स्थान बलदेव भी है। यहां भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का मंदिर है। यहां माता रेवती मैया और बलदाऊ का विशाल मंदिर है। उसी से लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षीरसागर है। क्षीरसागर की अपनी बहुत बड़ी मान्यता है जिस तरह से इलाहाबाद में कुंभ लगा था वहां पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उसी तरह से क्षीरसागर में लोग स्नान ध्यान करते हैं। क्षीरसागर की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है इस क्षीर सागर में गंदगी का साम्राज्य है काई भरी हुई है क्षीरसागर की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हैं एवं यहां पर आने जाने के मार्ग अवरुद्ध हैं। जितने भी पर्यटक आते हैं दर्शनार्थी आते हैं। देशी विदेशी लोग आते हैं वहां जाकर जो वहां के हालात देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और प्रदेश सरकार को कोसते हैं। कहते हैं कि वारे मथुरा मैं चाहूंगा कि हमारे जनपद मथुरा में जो यह पर्यटन का बजट आया है उस मौके पर मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मथुरा में जो बलदेव में दाऊ जी और रेवती मैया मंदिर एवं क्षीरसागर जो बलदेव मंदिर के प्रांगण के बराबर है वहां का जीर्णोद्धार कराया जाय। बलदेव मंदिर के अंदर हुरंगा होता है हुरंगा में लाखों करोड़ों पर्यटक बाहर से आते हैं। तो जब मंदिर के प्रांगण के अंदर हुरंगा होता है तो जितने पर्यटक आते हैं वह विशाल मंदिर की छतों पर बैठते हैं उन छतों पर आने का जाने का उठने का बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही चारों तरफ क्षीरसागर, दाऊ जी मंदिर , बलदेव मंदिर वहां पर जाने के लिए लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, सड़क नहीं है बाहर से लोग गाड़ियों से आते हैं दो-दो कि0मी0 पैदल चलकर पहुंचते हैं। जब लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। यह ठीक है कि ताजमहल भी आते हैं। और जगह भी जाते हैं मान्यवर, ताजमहल तो देखने के लिए एक इमारत है लेकिन मथुरा में जितने श्रद्धालु आते हैं वह परिवार सहित भावना और श्रद्धा से आते हैं। चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या दूसरे अन्य स्टेट हों वह आते हैं, एक-एक हफ्ते रुकते हैं लेकिन उनके लिए कोई ठहरने, उठने बैठने की व्यवस्था नहीं है कि कहां बैठें, कहां सोयें और क्या खायें, यह हालात हैं। आपने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और तमाम आपने उदाहरण दिये लेकिन पता नहीं कैसे जनपद मथुरा के बलदेव में दाऊ जी एवं रेवती मैय्या मन्दिर व क्षीरसागर कैसे छूट गए हैं, इसलिए मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। इसी के साथ-साथ ही जनपद मथुरा में चौरासी कोस की परिक्रमा लगती है और चौरासी कोस की परिक्रमा श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ परिक्रमा लगाते हैं जो कई हफ्ते चलती है रातों दिन परिक्रमा चलती है, वह रात्रि विश्राम भी परिक्रमा मार्ग में ही करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं वह बेचारे स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन हमारी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होती है। हमारे भाई प्रदीप जी यहां पर बैठे हैं उनको पता है कि बाहर से आने जाने वालों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहां न जाने की, न आने की, न उठने की, न बैठने की, न लाइट की कोई व्यवस्था है। मान्यवर, चौरासी कोस की परिक्रमा मार्ग में पर्यटन को बढ़ावा देने के हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उसमें बहन-बेटियां सभी साथ-साथ चलते हैं इसमें सिक्योरिटी की भी बड़ी आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि क्षीरसागर के जीर्णोद्धार एवं सैन्दर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्राविधान इस बजट में करें तथा दाऊ जी और रेवती मैय्या मन्दिर की सीढ़ी, छत व सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में करने का काम करें। जिससे कि जो पर्यटक श्रद्धालु बाहर से आयें उनकी भावना को ठेस न पहुंचे। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्।

*श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट की चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी का जो बजट है, जिसे उन्होंने पेश किया है निःसन्देह वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा बजट है, इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर मैं आता हूं वह बलरामपुर का तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र है, यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, नेपाल बार्डर से बिल्कुल सटा है। वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध देवीपाटन मन्दिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उसको भी पर्यटन का हिस्सा बनायें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां बड़े-बड़े डैम हैं जो फारेस्ट से सटे हुए हैं, भगवानपुर डैम, चित्तौड़गढ़ डैम, अगर वहां पर पर्यटन के हिसाब से विकास किया जाए तो अच्छी आय हो सकती है। बहराइच जनपद में सैय्यद सालार गाजी-ए-मिल्लत की बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है वहां साल में चार-पांच बार दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु आते हैं। वहां पर बहुत बड़ी अव्यवस्था होती है, न उनके खाने की, न उनके पीने की, न रहने की व्यवस्था होती है। अगर वहां भी पर्यटन के हिसाब से विकास किया जाए तो उत्तर प्रदेश सालार की काफी आय हो सकती है। इसी तरह से बरेली शरीफ है, मुरादाबाद शरीफ में सैय्यद सरकार नइमुद्दीन रहमतउल्लाह आलेह की बहुत बड़ी दरगाह है, वहां पर भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पर्यटन के एतबार से इसको भी देख लें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग के कट-मोशन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आगरा और ताजमहल के बारे में कई-कई बार नाम लिया इससे मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं उसी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां पर ताजमहल है। दो-चार बातें सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर ग्लोबल समिट हुई थी, विदेशों से कई लोग आये और हमारे देश से विद्वान भी वहां पर आये थे, वहां पर एक पुलिया पड़ती है ताजमहल के निकट मुगल होटल, सभी जानते होंगे और ताजमहल को देखने के लिए सभी लोग जाते हैं। कई बार मैं यहां कई नियमों में लिख करके दे चुका हूं, वह पुलिया बहुत संकरी है। जब पर्यटक आता है तो वहां पर काफी जाम लग जाता है। जब ग्लोबल समिट हुई थी तो वहां के नगर आयुक्त और प्रशासन ने जो साइड में बहुत गन्दा नाला है उसको बड़े अच्छे-अच्छे ग्रीन होर्डिंग लगाकर पाट दिया गया। यही नहीं, आगरा ताजमहल की बात की जाए तो दिल्ली से कम से 250 से 300 बसें पर्यटकों को लेकरके आती हैं लेकिन आगरा में कोई ठहरता नहीं है। होटल के टैक्स की बात की जाए तो आगरा के होटलों में एक हजार रुपये पर 5 प्रतिशत का टैक्स लिया जाता है। वहीं राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर रु0 3000 से टैक्स स्टार्ट होता है। माननीय मंत्री जी को सुझाव के रूप में बताऊंगा कि अगर रु0 3000 पर टैक्स लिया जाए तो आगरा को फायदा होगा। वैसे आगरा में एक व्यवसाय पेठा और दूसरा जूता रह गया है। मा0 सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ताजमहल की वजह से बहुत सारी इकाइयॉं आगरा शहर से 70 कि0मी0 दूर चली गयी, यह कठिनाई है वहां के लिए। पूरा देशी, विदेशी पर्यटक वहां आगरा को देखने के लिए आता है। (मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा कुछ कहने पर) मान्यवर, बाद में बता दीजिएगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ हैं। एक और लक्जरी टैक्स की मैंने बात की। दूसरा एक पार्क की अचीव पार्क। स्वागत है मेरे ही क्षेत्र में 15 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, एयरपोर्ट ताज इण्टरनेशनल के लिए एक समिति बनायी गयी है मैं चाहूंगा कि बार-बार पूरा देश और प्रदेश यह कहता है कि आगरा में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए जिससे कि वहां के लोगों का भला हो जाए, सभी लोगों का भला हो जाए। मान्यवर, पर्यटक वहां आता है और भारी पर्यटक आता है। एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मैं वहां का विधायक हूं और मैं भी वहां जाता हूं। एक व्यवस्था वहां की जाए, विदेशी पर्यटक मजाक उड़ाता है। वहां पर गाय, भैंस,

सुअर, कुत्ता, ताजमहल के एक कि0मी0 की दूरी पर नहीं, 50 मीटर की दूरी पर लाइन लगाकर निकलते हैं, कभी चार-चार, छः-छः, दस-दस भैंसे मैंने देखी हैं। मान्यवर, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इसकी रोक हो सके। अंग्रेज डर के मारे भागता है कि कहीं सींग न मार दे। एक साल पहले आपने समाचार-पत्र में पढ़ा होगा। (सत्तापक्ष की तरफ से कुछ कहने पर) नहीं वहां पर हाथी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

दुबेश जी अब समाप्त करिये।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

वहां पर टिकट का पैसा बहुत आता है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक सुझाव की बात है। अवस्थापना और पथकर निधि, वैसे तो बहुत सारे मदों से ताजमहल को वहां की सुन्दरीकरण के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन पथकर और अवस्थापना निधि वहां के टिकट का पैसा केवल ताजमहल के चार-पांच कि0मी0 की दूरी पर जो मलिन बस्तियां हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य से आज एक ऐसा रहस्य मालूम हुआ अगर यह 1947 से पहले मालूम हो जाता तो पूरे देश में ही जानवर छोड़ दिये जाते और अंग्रेज भाग जाते देश छोड़कर।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

उसका पैसा केवल वहां पर लगा दिया जाए तो भी सौन्दर्यीकरण हो जायेगा। विदेशी या देशी पर्यटक आता है वहां होटल में रूकने के बाद में वह पैदल घूमने निकल जाता है। वहां से जरा सी दूरी पर राजेश्वर मंदिर है। दो-तीन बस्तियां हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा नगला महादेव, जगजीत नगर, गोबरचौकी, बाग खिन्नी और शहीद नगर। मान्यवर, वहां की सड़कों की हालत यह है..

श्री अधिष्ठाता-

मा0 दुबेश जी इसको आप नगर विकास विभाग के बजट में बताईगा। अभी पर्यटन में बोलिये।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा, मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं आगरा से हूं इसलिए कहना चाहूंगा कि वहां की गलियों की हालत यह है, वहां पर अंग्रेज जाता है। मान्यवर, वहां पर कुछ पैसा दे दिया जाए या ऐसी योजना बना दी जाए कि टिकट का और पथकर का पैसा वहीं पर लगा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी अपनी बात रखें।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

एक बात और सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा वहां पर ए0डी0ए0 के उपाध्यक्ष हमारे देश के पर्यटक से 20 रूपया और विदेशी पर्यटकों से 700 रूपया लेते हैं।

श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस जनपद से आता हूं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस जनपद से आता हूं वह है संत कबीर नगर जो कि इस दुनिया के एक महान संत थे कबीर दास जी मगहर में सारे लोगों ने पढ़ा होगा वह स्थली संत कबीर नगर में है। महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कबीर दास जी की स्थली को देखने बहुत से टूरिस्ट विदेशों से आते हैं उनके वहां पर ठहरने के लिये यू0पी0टी0 से गेस्ट हाउस बनवाया जाय और उनके दोहों पर जो दुनिया भर में रिसर्च किया जा रहा है अभी बजट के समय में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो खजूर के पेड़ लगे हैं यहां पार्कों में। खजूर के पेड़ के ऊपर भी कबीर दास जी ने कहा था कि-

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर
पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।

वही कबीरदास जी सच्चे समाजवादी चिन्तक थे। हर समाज के लोग उनके बारे में अध्ययन करते हैं इसलिये कबीर दास जी की परिनिर्वाण स्थली मगहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि वह बहुत ही बढ़िया काम/नाम होगा और हवाई जहाज अड्डों पर और रेलवे स्टेशनों पर कबीर दास स्थली के फोटो लगाकर कम से कम कबीर दास जी के नाम को आगे किया जाय जिससे देशी और विदेशी लोग वहां पर आयें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कौशाम्बी में निषाद राज की कोठी या किला है उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाय जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 5 अप्रैल को निषाद राज जयन्ती घोषित किया है। उसको भी पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जाय और वहां भी पर्यटन का गेस्ट हाउस बनाया जाय और वहां विकास किया जाय। धन्यवाद।

कुंवर कौशल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर अपने सुझाव रखने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी की तरफ ले चलूंगा जो सरहद पार नेपाल में हैं। लेकिन आज हालात यह है कि हमारे सरहद में सोनौली के अन्दर निरंजना होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से बिलांग करता है वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी दीवारें टूट रही हैं, जंगलें नहीं बन्द हो पाते हैं। जापान, चीन, बर्मा विदेशों से आने वाले लोग किन कारणों से सोनौली में न ठहरकर नेपाल की सरहद में जाकर ठहरते हैं। बड़ी शर्म आती है उस समय कि इतना बड़ा विशाल भारत और हम उनको रहने की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और वह जाकर नेपाल में टूटे-फूटे होटलों में रहने का काम करते हैं। हम ध्यान देना चाहेंगें पर्यटन मंत्री जी का कि उस निरंजना होटल को नया रूप दे करके उसमें इस तरह की व्यवस्था की जाय कि देश विदेश से आने वाले सैलानी जो नेपाल में लुम्बिनी जाते हैं वह उसमें ठहराव करें जिससे हमारे देश के अंदर धन हो। और वहीं बगल में एक बनर्शिया

गांव है जिसमें 8.82 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग के द्वारा इकट्ठा की गई है और वहां बौद्ध का स्तूप है और बगल में रोहिणी नदी बहती है। कहा जाता है कि यह बनर्शिया वही बनर्शिया है जहां महात्मा बुद्ध ने जाकर संदेश दिया था और मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह जाकर उस बनर्शिया की व्यवस्था को देखें और वह जमीन किस तरह से पड़ी हुई है, उस जमीन पर खुदाई करके महात्मा बुद्ध के पुरातत्व की जानकारी करते हुए उसको नया रूपरेखा दें धन्यवाद।

श्री गुलाम मौहम्मद-

अधिष्ठाता साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट पर्यटन विभाग का पेश किया है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, एक शेर अलालामा इकबाल का याद आ रहा है :-

ऐ आबरु द-ए गंगा वह दिन है याद है तुझको,

उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा,

इस देश की सरजमीं ने हमेशा लोगों का स्वागत किया, हमारे प्राचीन इतिहास से लेकर के आज तक हम सबका स्वागत करते रहे हैं और जो-जो लोग यहां आए, जिस-जिस देश के, जिस-जिस कौम के लोग यहां आए, उन्होंने अपनी तहजीब और अपनी सभ्यता के हिसाब से कुछ न कुछ छोड़ा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, हमारे ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो पर्यटकों के लिए केन्द्र साबित होते हैं और पर्यटक उधर आकर्षित होते हैं। मा0 मंत्री जी ने आज का जो पर्यटन विभाग है आज के जो पर्यटन की सुविधायें हैं उन सबका विवरण अपने बजट में दिया। चाहे वह रोप-वे का मामला हो, चाहे बसों का इंतजाम हो, चाहे दूसरी सुविधाएं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज, होटल्स, वह आपने किया है ऐसी सुविधाएं जो विदेशों में मिलती हैं अपने देश की तरफ आकृष्ट करने के लिए वह सब सुविधायें इसमें दी हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैं सुदूर पश्चिम से मेरठ से चुनकर आया हूं। हमारे यहां प्राचीन इतिहास हस्तिनापुर से शुरू होता है। हस्तिनापुर बरनावां यह सब महाभारत के सक्रिट में आते हैं इस पर ध्यान नहीं दिया गया कहीं न कहीं इसको मेंशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व पिछले बजट में भी हमारे यहां शिवपाल जी मेरठ में तशरीफ ले गए थे वहां एक घोषणा की थी और पर्यटन मंत्री चौहान साहब यहां तशरीफ फर्मा हैं पांच करोड़ का बजट, एक लेटर मेरे पास गया था कि अपर गंगा कैनाल पर, भोला की झाल पर, एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। उसका सौन्दर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं है लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या कारण है थोड़ा सा उसको दिखवा लें। इसके अलावा अपर गंगा नहर उस इलाके की जिन्दगी है और उसमें इतना पानी रहता है बारहों महीने, कि उसमें रेफ्टिंग हो सकती है और नौकायन का इंतजाम हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी स्थल ऐसा नहीं है वहां समुद्र का किनारा हो, कोई बड़ी झील भी नहीं है जैसा डाक्टर साहब ने गोरखपुर का जिक्र किया तो अगर वहां नौकायन का इंतजाम किया जाए। दिल्ली बहुत करीब है विदेशी पर्यटक भी आ सकते हैं और दिल्ली और आसपास के लोग नौकायन के लिए आ सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और आय भी बढ़ सकता है। इसके अलावा वहां ऐतिहासिक महत्व के काफी मुकामात वहां हैं चंडी देवी मंदिर,शाह पीर गेट, शाह पीर साहब का मजार, बालेमियां का मजार, वहां मेला भी लगता है नौचन्दी का मशहूर

मेला, ऐतिहासिक मेला, यह ऐसी जगह हैं जहां लोग आकर्षित होंगे और आएंगे, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इन सुझावों को सम्मिलित करें। पूरब से चलते-चलते, पश्चिम को कारवां कुछ धीमा पड़ गया उसकी रफ्तार कुछ वहां भी पहुंच जाए मंजिल कुछ वहां भी पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। शुक्रिया।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं, आपने पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय अखिलेश जी के द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, पर्यटन का विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। यह आस्था और सभ्यता से जुड़ा हुआ विषय है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के सम्बन्ध में बहुत उल्लेखनीय बातें बतायीं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, उनके हाथ में प्रजातंत्र की ताकत है, उस ताकत का इन्हें प्रयोग करना चाहिए। अधिकारियों का रवैया बदलना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी को वर्ष 2012-13 में 5165.48 लाख रूपया मिला और इन्होंने मान्यवर, खर्च कितना किया, इसमें इन्होंने बहुत बखान भी किया। मान्यवर, आधा रूपया ही खर्च कर पाए। इतना बढ़िया महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद इन्होंने खर्च किया 2704.92 लाख और मान्यवर, इस बार भी 5300 लाख का बजट मिला है। मान्यवर, यह बिल्कुल सच है, 4 रुपये में से 3 रुपये इन्हें विदेशी पैसा मिलता है। यहां विदेशी पर्यटक आते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड अलग हो जाने के बाद जल, जंगल, जमीन और राज्य की सार्वभौमिकता यह किसी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यवर, जल चला गया उत्तराखण्ड में, जंगल चले गए उत्तराखण्ड में, हमारे पास जमीन बची है, हमारी इस जमीन में ही अपार सम्भावनाएं पर्यटन की हैं। पर्यटन की अपार सम्भावनाएं तलाशने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, इन्होंने इस पुस्तिका में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को 7 परिपथों में बांटा है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इन 7 परिपथों से माननीय मंत्री जी, काम नहीं चलने वाला है। अभी 4 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता, हमारी आंवला विधान सभा में जो पांचाल प्रदेश है, जहां द्रोपदी का स्वयंवर रचा गया था। द्रोपदी थीम पार्क भी वहां बन रहा है। आज वहां खुदाई हो रही है, कल मान्यवर, वहां 4 हजार वर्ष पूर्व की सभ्यता के अवशेष भी निकले हैं। तो मान्यवर, जब वहां पर उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल जो थे, दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्रा में थी। अहिक्षेत्रा राम नगर में थी, जहां द्रोपदी का स्वयंवर रचा गया। पांडव लोग जब अज्ञातवास पर निकले थे, कुन्ती को जब प्यास लगी थी तो मान्यवर, जब उन्होंने जल पीने को मांगा तो यक्ष प्रश्न हुए। यक्ष सरोवर मान्यवर, हमारी विधान सभा में है, जो झील है, कई किलोमीटर में फैली हुई है तो मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जब पर्यटन के विकास की सम्भावनाएं तलाशते हैं तो मान्यवर, आपको बहुत ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, जब विदेशी पर्यटक आते हैं, उन विदेशी पर्यटकों को अच्छी सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए और मान्यवर, सुरक्षा भी चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं, उन विदेशी पर्यटकों को आप ग्रामीण क्षेत्र में ले जाइये। आप गांव की तरफ उन्हें ले जाओ, दिखाओ कि एक संयुक्त चूल्हे पर गांव के लोग पूरे परिवार का भोजन बना रहे हैं। वहां एक महिला चूल्हे को किस प्रकार से फूंकती है, मान्यवर, आप

एसी की बात करते हैं, पर्यटन की अपार सम्भावनाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों को ले जाइये, जब भारत की सभ्यता पर उसका चिन्तन होगा, भारत की आस्था पर चिन्तन होगा तो मान्यवर, हम चाहते हैं कि आज पर्यटन की जो अपार सम्भावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं और यह जो सभ्यता और आस्था पर टिका हुआ विषय है, उसको महत्वपूर्ण ढंग से यह निकालें।

मान्यवर, बरेली में पांचाल, यह एक परिपथ और बना दें। सातवां परिपथ यह और बना दें। पांचाल और बुन्देलखण्ड परिपथ। पांचाल और बुन्देलखण्ड परिपथ को निर्मित करेंगे तो मेरठ तक का, माननीय विधायक जी ने बात कही थी यह सारा उसमें आ जाएगा। और इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ अधिकारी बनाये हैं। मान्यवर, इनके पास अधिकारी हैं ही नहीं। हमारे बरेली में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सहायक पर्यटन अधिकारी नहीं है। मान्यवर, जब इनके पास अधिकारी नहीं हैं तो यह काम कैसे करेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी द्रोपदी थीम पार्क बन रहा है। उसको पूर्व की सरकार ने बजट आवंटित किया था। बसपा सरकार आयी तो दिया हुआ बजट, वह थीम पार्क अधूरा रह गया। हाथी और पार्कों में खर्च कर दिया। माननीय अधिष्ठता जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह थीम पार्क अभी अधूरा पड़ा है जहां द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया वह अधूरा है उसको पूरा करने के लिए बजट आवंटित करें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

क्या स्वयंवर दोबारा करायेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय राजस्व मंत्री जी यह आपका भी विषय है। द्रौपदी थीम पार्क मैंने शब्द प्रयोग किया है। स्वयंवर कैसे हुआ मछली ऊपर टंगी है कढ़ाव में तेल खौल रहा है अर्जुन उस पर तीर चला रहे हैं वह चीज देखने के लिए नई पीढ़ी को आमंत्रित करने के लिए वह थीम पार्क है। मान्यवर, एक ध्वनि प्रकाश लाइट एवं साउंड की व्यवस्था करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, बोलने को मेरे पास बहुत है। आस्था और सभ्यता के विषय को महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाये। मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मो0 इरफान-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे पर्यटन विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक परम्परा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना पर्यटन का उददेश्य है। पर्यटन विभाग का जहां उददेश्य इसको बढ़ावा देना है वहीं अपने इतिहास को याद रखना भी है। मैं इसके बारे में एक शेर कहना चाहूंगा- ''अपने असलाफ की असमत को बचाया जाये काम भारी है चलो मिलकर उठाया जाये।'' अधिष्ठाता महोदय, हमारा देश, प्रदेश सूफी संतों की धरोहर है उन्होंने जो संदेश दिया आज उनको याद रखना हमारे लिये बहुत जरूरी है। हमारी आस्था उस सब पर टिकी है जो हमारा प्यार का संदेश है वह सबको जानना चाहिए। पर्यटन विभाग के माध्यम से इसका मैसेज सबको पहुंचता है। मेरी विधान सभा बिलारी,

मुरादाबाद जिले में है। उसमें दो मुकाम ऐसे हैं जो सूफी संतों का जीता जागता नमूना ऐसे मिलन का है। एक मकाम बेरनी शिवमंदिर है और एक दरगाह तिसाबा शरीफ है। तिसाबा शरीफ की दरगाह का ताल्लुक सैय्यद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह से है जिन्होंने अपने संदेश के जरिये मेरठ से जिनकी याद में नौचन्दी मेला लगता है। मेरठ, सम्भल, थावला, पूरनपुर और जिनका सबसे आखिरी पड़ाव बहराइच में है उन्होंने जो प्यार का संदेश दिया उनको और उनके संदेश को याद रखना हमारे पर्यटन विभाग का मकसद है। मैं चाहूंगा कि सैययद सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला से जुड़ी जो तिसाबा की दरगाह है उसको पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाये। जिला योजना में उसका जिक्र है। पता नहीं बरेली से उसका अधिकारी न होने की वजह से उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ है। बेरनी शिव मन्दिर उस तलहटी में है जहां राजा बैज .....

(इस समय 4 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

की राजधानी है जहां तकरीबन 7-8 सौ बीघा की झील है। जहां हाजीपुर कमलापति का महल है उसका दुर्ग है। और उसकी तलहटी में झील है पैगा तक है। बेरनी मंदिर उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने शासन जमाने में उन्होंने उसके लिए पैसा जारी किया था। तो मेरी विधान सभा में स्थित दोनों मुकाम बेरनी शिव मन्दिर और तिसाबा दरगाह दोनों को पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाये। वहां लाखों लोग हर साल, अपनी आस्था के तहत दोनों धर्मों के जाते हैं, इससे बेहतरीन और मिसाल नहीं हो सकती है, उस समाज की उस आस्था की, उस प्यार की जो हमारे मुल्क की धरोहर है, हमारे प्रदेश की धरोहर है और हमारे क्षेत्र की धरोहर है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि मेरी इस बात पर, मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाय और उन दोनों मकामों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री राजनारायण बुधौलिया जी, दो मिनट में अपनी बात कह लें, बस हम इसका प्रस्ताव पास करायें। पर्यटन पर बहुत बहस हो गई।

*श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि इस बजट में बुन्देलखण्ड की घोर उपेक्षा हुई। महोदय, मैं महोबा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, पर्यटन विभाग के साहित्य में महोबा का चित्र बहुत अच्छी तरह से लगाया गया, लेकिन चर्चा जीरो है। महोदय, बुन्देलखण्ड पर्यटन के विकास में अगर चाहे सरकार तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। महोदय, महोबा विधान सभा क्षेत्र में ही अकेले 143 पुरातात्विक महत्व के जो स्थल हैं, जो पुरातत्व विभाग की इकाई के सर्वेक्षण में दर्शाये गये हैं। महोदय, बड़े दुःख की बात है कि बजट में इसकी चर्चा नहीं की गई। महोदय, अभी जनप्रतिनिधियों की मांग पर वहां चित्रकूट मण्डल में अनेक गोष्ठियां हुईं, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें जिलाधिकारी महोबा, डी0एम0 चित्रकूट, डी0एम0 बांदा उन्होंनें एक योजना बनाई थी, उसमें पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारी भी पहुंचे थे और दिल्ली से अनेक टूर-आपरेटर भी आये थे, उस योजना को हमारे जिलाधिकारी ने एक स्टीमेट बनाकर के 90 करोड़ का स्टीमेट था पर्यटन विकास के लिए, वह सरकार में लम्बित है। महोदय नियम-51 के तहत भी मैंने इस मामले को उठाया था, उसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था, उसमें उन्होंने उत्तर दिया था, जनपद महोबा जो कि चन्देल शासको एवं वीर आल्हा-ऊदल की सौर्यता का प्रतीक है, जहां पर अनेक चन्देल कालीन धरोहरों के रूप में मन्दिर और मठ, गढ़ी, किलें, झीलें, तालाब इत्यादि स्थित हैं। पर्यटन विभाग सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास हेतु सजग है। महोदय, चिन्ता व्यक्त की थी मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में उन्होंनें स्वीकार किया था कि महोबा बुन्देलखण्ड का प्रमुख स्थल है पर्यटन के रूप में और महोबा के अलावा महोदय बुन्देलखण्ड में आप सब लोग जानते हैं, चित्रकूट है, कालिंजर है, झांसी है, काल्पी है, ललितपुर है, ये बड़े-बड़े स्थान हैं जो पुरातत्व विभाग की जो इकाई है उसने सर्वेक्षण के दौरान उसने पाया है। तो महोदय मेरा अनुरोध है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो, मैं किसी क्षेत्र का विरोधी नहीं हूं, लेकिन महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मामले में भी सरकार गम्भीरता से प्रयास करे।

कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मान्यवर मेरे जिले से राज्यमंत्री जी आते हैं पर्यटन विभाग के राज्यमंत्री जी बेचारे इतने परेशान हैं, बीमार पड़ गये, क्षेत्र में वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वायदे जो पिछले साल किये थे, अब तक नहीं पूरे हुये हैं। मैं आपको याद दिला दूं मा0 मंत्री जी, जरा थोड़ा राज्य मंत्री जी पर उदार हो जाइये। मैं बिजनौर जिले का हूं, हमारे यहां पर अमानगढ़ रेन्ज है। ज्यादातर हमारा वन क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया। अमानगढ़ रेन्ज में आज भी समय-समय पर शेर के आने की खबर छप रही है, हमारे यहां के अखबारों में गायों को मारने की, जानवरों को मारने की, शेर, गुल्दार और हरेक प्रकार के वहां पर जंगली जानवर हैं। अगर उसे कायदे से जैसा आपने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क को आप बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार का बढ़ावा अगर बिजनौर के अमानगढ़ रेन्ज को दिया जाय तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। मा0 राज्यमंत्री जी के वायदे को भी पूरा कर सकेंगे, और क्षेत्र में पुनः इन्हें वापस जाने का मौका मिलेगा। इसी तरह से विदुर कुटी एक बहुत ही रमणीय स्थल है, उसमें भी वायदा किया हुआ है मा0 मंत्री जी का वहां की जनता से भी और जिले के सभी विधायकों से भी कि वहां पर गंगा जल नहीं आ पा रहा है अगर वहां पर गंगा जल की छोटी सी नहर सी बन जाय, पास ही गंगा जी हैं और वहां पर बहुत बड़े-बड़े मेले होते हैं और वहां पर भवन निर्मित है। केन्द्र सरकार द्वारा वहां पर बहुत बड़े आश्रम और भवन निर्मित हैं उनके रख-रखाव के लिए और उसके सौन्दर्यीकरण के लिए यदि विदुर कुटी के लिए आप कुछ हमें भी वित्त दे दें वहीं पर गंगा बैराज है मान्यवर, अभी झील की बात हो रही थी, मुश्किल से दिल्ली से डेढ़ सौ किमी0 दूरी पर अगर गोरखपुर जितना नहीं तो निश्चित रूप से गोरखपुर से कम जल क्षेत्र वहां पर नहीं फैला हुआ है। गंगा बैराज के सामने जो जलक्षेत्र फैला हुआ है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। निश्चित रूप से इण्टरनेशनल इवेण्ट वहां पर किये जा सकते हैं। पर्यटन विभाग से वाटर स्पोर्ट तो आप ही बढ़ायेंगे। पानी तो जहां भी होगा सिंचाई विभाग का ही होगा। नौकाविहार को भी वहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्वॉन डियर सैन्क्चुरी के नाम से तमाम भूमि अधिग्रहीत कर दी गयी है। मगर कोई भी काम वहां पर नही हो पाया है। जब तक आप उसमें पर्यटन की दृष्टि से विकास नहीं करेंगे तो वह तमाम क्षेत्र ऐसे ही रह जायेगा। इसी तरह से बालावाली गंगा जी के किनारे एक बहुत ही रमणीक स्थल है। अंग्रेजो ने उसे डेवलप कराया हुआ है, आज वो भवन खण्डहर बने जा रहे हैं, उसका भी

रख-रखाव और वहां पर थोड़ा सा बढ़ावा देने का कष्ट करें। यही चार, पांच बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री मुहम्मद रमजान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें पर्यटन के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मा0 पर्यटन मंत्री जी ने जो बजट रखा है, वो हमारे प्रदेश के लिये, पर्यटन स्थलों के विकास के लिये बहुत ही अच्छा बजट है परन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद श्रावस्ती, विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती है। श्रावस्ती का नाम विदेशों के मानचित्र में अंकित है लेकिन श्रावस्ती का नाम मा0 मंत्री जी ने कहीं नहीं लिया। उस पर्यटक स्थल पर भूटान, चीन देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं। वहां पर बड़ी अव्यवस्था है। वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी भी गये थे, वहां पर मा0 शिवपाल भइया भी गये थे। वहां पर एक हवाई अड्डा बना है लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं। वो लखनऊ में उतरते हैं और प्राइवेट बस से यहां से आते हैं। वहां पर कोई शौचालय नहीं है। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पानी के लिये ओवरहेड टैंक बनवा दिया जाये और ऐसी रमणीक जगह है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाये कम है। वहां पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है। वहां पर भगवान बुद्ध ने 14 साल तक तप किया है। वो उनका कार्यक्षेत्र था, उन्होंने वहीं से मानवता का संदेश देश विदेश के लिये दिया था, हमारे भगवान बुद्ध जी ने। इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में सीता दोहार है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर लोग कार्तिक पूर्णिमा में, राम नवमी में और भी कई पर्वों पर तमाम लोग वहां पर आते हैं। वहां की सड़क बहुत पतली है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह सड़क मात्र 3 कि0मी0 की है। अगर उस सड़क को 7 मीटर चौड़ा बना दिया जाये तो वहां पर लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हो जायेगी। वहां पर हजार एकड़ की झील है, विदेशों से पक्षी वहां आते हैं। इतना रमणीक स्थल है कि देखने लायक है। बहुत लोग आते हैं वहां पर मन्नत मांगते हैं। वहां पर मन्नत मांग कर बाल उतरवाते हैं तो अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां पर नहाने के लिये जो बनाया गया है उसका भी जीर्णोद्धार किया जाये और वहां पर 7 मीटर चौड़ी सड़क बना दी जाये। इसके अलावा, वहां पर एक बुढ़वा बाबा टिकौली शरीफ हैं। मा0 अध्यक्ष जी, टिकौली शरीफ जो मुसलमानों का बहुत बड़ा स्थल है। वहां पर जब बहराइच शरीफ सैय्यद सलार मसूद गाजी के दर्शन के लिये देश के तमाम लोग आते हैं तो सबसे पहले बुढ़वा बाबा के स्थल पर जाते हैं। वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी जाये और रैनबसेरा बनवा दिया जाये। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रैन बसेरा और पानी की व्यवस्था बुढ़वा बाबा की मजार पर भी कर दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमको बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप सब लोग जो हैं। आप हमें लिखकर दे दीजिये। हम उसको जुड़वा देते हैं, वह प्रोसीडिंग में आ जायेगा† वो आपका बोला हुआ माना जायेगा। आप लोग लिख कर दे दो। हम उसकी दो-दो फोटो स्टेट करा लेंगे। एक मंत्री जी को दे देंगे जिस पर वो विचार कर लेंगे और दूसरा आपकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† देखिये मा0 सदस्यों के निम्नलिखित भाषण नत्थी ''ग'' पृष्ठ-205-227 पर।

प्रोसीडिंग में लिख जायेगा और यह प्रोसिडिंग में लिखा जायेगा तो आपके पास जायेगा, कल आपके पास लिख कर जायेगा तो आप अपने क्षेत्र में बता सकते हैं कि हम लड़े। राणा साहब, आप भी लिखकर दे दीजिए। श्री माथुर साहब, अब आप बोलिए।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, लोकदल का नंबर ही नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं आया तो, वह संख्या के हिसाब से ऐसा है, अब आप बैठिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं चंद सुझाव दूंगा।

(अन्य मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप लोग लिख दें, लिख कर दे दें, हम जुड़वा देंगे, सवेरे आप को लिखा मिल जायेगा आपके घर।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने....

(श्री गजेन्द्र सिंह के बीच में खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कहां से आते हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह-

वहां का जिक्र नहीं आया, अनूप शहर का जिक्र भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

हम जानते हैं, अनूप शहर का चिकन, लखनऊ के चिकन से बढ़िया है क्या। आप बोलिये माथुर साहब।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कुछ सुझाव देने का मौका दिया। मुझे काफी अच्छा लगा कि अपने पर्यटन विभाग के मंत्री, सम्मानीय हमारे ओम प्रकाश सिंह ने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया। मा0 मुख्य मंत्री जी का भी विजन है, वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना हैं और उन संभावनाओं को तलाशे, पर मा0 मुख्य मंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी ने जो कुल 122 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो की बहुत कम है। पर्यटन विभाग की जहां उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाए हैं, इसका कम-से-कम 500 करोड़ का बजट होना चाहिए था और मैं उम्मीद करता हूं कि मा0 शिवपाल जी, मा0 आजम खां साहब, मा0 अम्बिका चौधरी जी बैठे हुए हैं, ये लोग अगली बार पर्यटन विभाग का बजट बढ़वायें, चूंकि जहां तमाम देशों की इकोनॉमी

पर्यटन पर चलती है, वहां उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी काफी सुधार होता। मान्यवर, एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि जैसे केन्द्र सरकार की परियोजनाएं मेगा डेस्टीनेशन स्कीम के अंतर्गत आई, तो मा0 शिवपाल जी के विभाग की जो दो संस्थाएँ हैं, सी0एण्डडी0एस0 नगर विकास मंत्री जी आपकी है और राजकीय निर्माण निगम आपका है, जब काम उनको दे दिया जाता है, तो वह सिर्फ खानापूरी करते हैं। एक पर्यटन विभाग को अपनी निर्माण एजेंसी का गठन करना चाहिए और आपके यहां से डेपुटेशन पर अधिकारी वहां पर आएं, जिससे कि उनका कमीटमेंट हो काम का, काम होने के बाद उसकी कितनी घटिया क्वालिटी होती है।

श्री अध्यक्ष-

आप एक-दो प्वांइट कहिए, अभी और भी बजट है, आप इतना समय पहले बोल भी चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, मेगा डेस्टीनेशन स्कीम में सिंचाई विभाग को घाट बनाने चाहिए, राजकीय निर्माण निगम बना रहा है, उसको एन0ओ0सी0 नहीं मिल पा रही है, और उल्टी-सीधी क्वालिटी का मथुरा में घाटों का निर्माण हो रहा है। मतलब केन्द्र सरकार का पैसा जो आपको दिया गया है, कम-से-कम वह ठीक से तो लगे, इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में आप कर्नाटका और बेंगलौर में जाइये, वहां पर वृन्दावन गार्डन हैं, वृन्दावन गार्डन के लिए मेगा डेस्टीनेशन स्कीम में मथुरा के लिए अभी 18 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार में बचा हुआ है, तो उसके जो प्रोजेक्ट हम कई बार आपको भेज चुके हैं, उसके मामले में आप अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेज रहे हैं डी0पी0आ0। स्थिति यह है कि इसी तरह से मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी से कई बार कह चुका हूं, कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन के अंतर्गत रीवर साइड डेवलपमेंट के डी0पी0आर0 आप केन्द्र सरकार में भेजें, उसमें पर्यटन विभाग को शामिल करें, क्योंकि गंगा-यमुना तहजीब का यह प्रदेश उसके रीवर साइड की हालत बहुत खराब है और केन्द्र सरकार पैसा देने को तैयार बैठी है, जब तक आपके यहां से डी0पी0आर0 नहीं जायेंगे, पर्यटन विभाग इनवाल्व करें अपने आपको नगर विकास विभाग के साथ मिलकर आपको अच्छा खासा पैसा रीवर साइड डेवलपमेंट के लिए मिल जायेगा। मैं इन बातों के साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि जो आगरा के होटल इन्डस्ट्रीज के लिए बताया गया, वहां के होटल खाली पड़े रहते हैं। हमें कोई-न-कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो टूरिस्ट आता है, वह रात को आगरा में रूके और वह टूरिस्ट आता है, चला जाता है दिल्ली में रूकता है। दिल्ली की लॉबी हावी रहती है। इसे गंभीरता से देखने की बात है और इसी तरह से एयरपोर्टस का मामला बहुत गंभीर है इस मामले में मुख्य मंत्री और आपकी सरकार संजीदगी से निर्णय ले और जल्दी ही इस मामले में कार्यवाही करें, जिससे कि पर्यटकों को आसानी हो सके। मान्यवर, मैं फिर से इस अनुरोध के साथ कि हमारे मित्र माननीय पर्यटन मंत्री जी हमारे सुझावों यर विचार करेंगे और पर्यटन विभाग को आगे ले जाने का काम करेंगें। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं अनूप शहर की बात कर रहा हूं उसे पर्यटन के मानचित्र में सम्मिलित करने के लिए कह रहा हूं। मान्यवर, वहां पर पूर्व में घाट बन चुके हैं। अब केन्द्र सरकार वहां नई रेल लाइन

बिछवाने के लिये कार्यवाही कर रही है। यह पर्यटन की दृष्टि से अनूपशहर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। सरकार अपने पर्यटन क्षेत्रों के विकास में अनूपशहर को भी जोड़ने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते हैं कि अनूपशहर को पर्यटन की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय तो वह जोड़ने पर विचार कर लेंगे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, कोसी (मथुरा) से लेकर आगरा, बाह, फिरोजाबाद यह पूरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकता है। यहां जैन धर्म, सिख धर्म के प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र भी है उस दृष्टि से भी विकसित हो सकता है। मान्यवर, हिन्दु धर्म के मानने वालों के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। यहां मुगलकालीन ऐतिहासिक स्थल हैं इस पूरे क्षेत्र में कई सांस्कृतिक स्थल है। इस तरह से प्रथम तो यहां पर धार्मिक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप में पर्यटन स्थल हैं और प्राकृतिक रूप में कीठम झील हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे क्षेत्र को मान्यवर ''हिस्ट्रोरिकल रिलिजियस'' टूरिष्टजोन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहां सांस्कृतिक स्थल भी हैं। सूर्यकोटि स्थल है जो सूरदास एवं रेणुका जी की जन्म स्थली है। मैं चाहता हूं कि इसका समग्र विकास हो। मान्यवर, यह बताया गया कि उ0प्र0 में 4 में से एक पर्यटक आता है जबकि राजस्थान में 5 पर्यटक आते हैं तो मान्यवर यह उत्तर प्रदेश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, इस तरह से उत्तर प्रदेश में 25 प्रतिशत और राजस्थान में चालीस प्रतिशत पर्यटक आते है। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का और विशेषकर जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है उसका पर्यटन की दृष्टि से समग्र विकास करने की योजना बनायी जाये तो काफी पर्यटक यहां प्रदेश में आ सकते हैं। इससे हमारा प्रदेश लाभांवित होगा। मान्यवर इस पर्यटन विभाग को व्यापक बनाया जाये और इसको महत्वपूर्ण बनाया जाये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव हमारे बहुत समझदार माननीय सदस्य ने रखा है। मान्यवर, उनका दोष नहीं है संगत ऐसी मिल गयी है। मान्यवर कहा गया है कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। मान्यवर इस पर 18 माननीय विधायकों ने सुझाव दिये हैं सबकी अपनी-अपनी समस्या है। अब आप बतायें इसके बावजूद माननीय कटौती प्रस्तावक जी ने इस पर एक रुपये कटोती करने का सुझाव दिया है। आप भारत सरकार से इसका बजट बढ़वा देते हैं धनराशियां दिलवा देते तो प्रदेश को कितनी वाहवाही मिलती। मान्यवर, यहां पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं आपने गाजीपुर से गोरखपुर और बनारस रोड की बात कही है।

मान्यवर, एन0एच0आई0 के डायरेक्टर को माननीय मंत्री जी बुलाये थे, 3 साल से है भारत सरकार कितनी अच्छी सरकार है जो कहती है वह करती नहीं है और जो करती है वह कहती नहीं है। 3 साल से डी0पी0आर0 बना रही है उस रोड की और यह सही है डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा और सभी लोगों ने, उस रोड का आज नहीं तो कल वह मील का पत्थर और तारीख का दिन साबित करेगा, गोरखपुर की जो रोड है। लेकिन उसका कार्य होना, न होना आपने

कहा कि जमीन इतना चाहिए था और एक्वायर अधिक किया गया फिर वहां समस्या क्या है लगातार हमारे अधिकारी प्रयासरत हैं अब बहुत कम जगह सिमट कर रह गयी है। अब लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पूर्वांचल के रहने वाले लोग और आपने इस बात का बहुत दबाव भी बनाया इको पार्क, धार्मिक, अत्यात्मिक तीन तरह से पर्यटन होता तो अच्छा है सुझाव भी अच्छा है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा अपने मित्र से कि इसके लिए आप भी जैसा कि आपने एक दिन पहले कहा था वह सही है मैं जानता भी हूं और मैं जब से हूं कम से कम इतने माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया है और होना भी चाहिये पर्यटन का कहीं न कहीं महत्व है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपका सुझाव सर आंखों पर है लेकिन आपका भी दिल दरिया और बड़ा होना चाहिए। कटौती भी रखेंगे, कटौती आप वापस लीजिए, आपकी बात मान रहा हूं, बहुत ठीक से मानेंगे और कराने का भी प्रयास करेंगे। अब कटौती भी करियेगा और चाहियेगा कि काम भी हो। तो मान्यवर, आपके जैसा एक साथी था उसको भौजाई से नफरत था और भाई से मोहब्बत था वह कहता था भैय्या जियें भौजी राड़ हो जाय यह दोनों तो चलेगा नहीं भौजी विधवा तब होंगी जब भैय्या मरेंगे। तो आप चाहे रहे हो कि माल भी मिले और पता भी न चले। दूसरे, बुद्धौलिया साहब 5 साल बोल राधा बोल संगम गा रहे थे कभी पूछे कि यह लोग क्या किये है। बड़ा पर्यटन बुन्देलखण्ड में, हम तो बुन्देलखण्ड में कर रहे हैं। लेकिन यह जो 5 साल पर्यटन में, जाकर देखिये न कि बहन जी कहां खड़ी हैं बहन जी को देख लीजिए आप ही तो कह रहे थे कि एको रोड नहीं बना। हम तो कह रहे है कि आप काहे पर्यटन स्थल मांग रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि वहीं चले जाओ, रोज देखो, वह तो खुद ही पर्यटन स्थल हैं। मैं जरूर चाहूंगा जो हमारे सम्मानित सदस्य अट्टारहों हैं, हां, एक जरूर मैं राय दूंगा कि मगहर के हमारे साथी पप्पू निषाद साहब ने कहा है 2 करोड़ 14 लाख रूपये, मगहर के लिए जो आपने कहा था सिद्धेश्वरनाथ धाम 141 करोड़ सन्त कबीर नगर में तारकेश्वर धाम 1 करोड़ 42 लाख सौराहा के किनारे, पी0डब्लू0डी0 के किनारे प्राचीन पोखरे के लिए ...

श्री अध्यक्ष-

यह सब पढ़ लीजिएगा माननीय मंत्री जी अभी बहुत बजट है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं इन्हीं बातों के साथ आजमगढ़ में कालेश्वर धाम अतरौलिया के पर्यटन सा करके हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी है राष्ट्रीय नेता, पहले इस घोषणा करने के बाद काम नहीं हो पाया था अतरौलिया का उसके लिए, बाराबंकी में महादेवा और नाथ बाबा के धाम बलिया के लिए भृगु ऋषि एक प्रस्ताव था उसको भी इस योजना में रखने के साथ-साथ अपने सम्मानित सदस्यों से इस विश्वास और उम्मीद के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक हमारे आर0एम0डी0 अग्रवाल साहब ने कहा डा0 साहब ने कहा एयरपोर्ट की सुविधा उसके विस्तार के लिए, 2 दिन के अन्दर भारत सरकार में पत्र भेजकर यह सही है कि गोरखपुर का एक शानदार इतिहास और भूगोल रहा है उस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए और उसकी सफलता के लिए जितना भी हो सकता है हम उसके लिए करने का प्रयास करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मित्र भाई अखिलेश जी से चाहूंगा कि कटौती वापस लें और सर्वसम्मति से बजट पास कराने का काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह एक संवैधानिक विधायी प्रक्रिया है, कटौती रखने का और यह शब्द बोलने का। जैसे इन्होंने कहा कि वापस ले लें तो सब कर देंगे तो क्या 500 करोड़ का बजट यह कर देंगे। यह 120 करोड़ का बजट रखे हैं, अगर आप 500 करोड़ का कर दें तो यह प्रक्रिया है, व्यवस्था है। दूसरी बात जो आपने सड़कों के बारे में कहा, आप लोगों के अच्छे संबंध हैं केन्द्र सरकार से, थोड़ा सा आप जोर लगायेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी और माननीय मंत्री जी बहुत सक्षम हैं, एक बार फोन कर देंगे तो सब सड़कें आ जायेंगी और आप भी जा रही है तो हमें पूरा विश्वास है कि आ जायेंगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आपने यह बात रखी थी कि हम लोग बेचने जा रहे हैं, उसमें आप जान जाइये कि 12 बंद इकाई जो हमारी हैं, न उसे बेचने की व्यवस्था है, न बेचने हम जा रहे हैं न बेचने का मकसद और मंशा है। 12 जो हमारे निगम द्वारा टेकओवर कर लिये गये उसमें जैसा मैनें कहा कि इटावा का चालू कराने जा रहा हूं, फिर 11 बचेगें, हम उसमें पी0पी0 के तहत सही है कि यह योजना हम इस तरह चलाना चाह रहे हैं। बेचने वाले और लूटने वाले कौन हैं यह तो आप ठीक से जानते हैं। न हमारा मकसद बेचने का है, न लूटने का है, हम ठीक से सरकार को साफ सुथरा और अच्छी सरकार चलाना चाहते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा सुनने में अलग लगा। मैनें यही कहा था कि बहुत दिनों से बिकने की बात सुनी जा रही है तो उसे बेचा न जाये और उसे पी0पी0 माडल से बढ़ाया जाये, इन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया, वह स्वागत योग्य है। हम बस यह चाहते हैं कि पर्यटन को बहुत उच्च प्राथमिकता पर यह सरकार ले और बहुत सी बातें आई हैं, सारे लोगों ने कटौती में अपना सुझाव भी दिया है कि अगर इसे ठीक से विकसित किया जाये तो हमारे प्रदेश के विकास में, रेवन्यू जनरेशन में और बहुत चीजों में हम इससे कामयाबी पा सकते हैं। अभी माननीय मंत्री जी हमारे पास 6 मार्च का स्टेटमेंट है उसके बाद आपके कम्प्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था, तब तक सिर्फ 33 प्रतिशत बजट रिलीज हुआ था आपके मंत्रालय का। मेरे पास सारे मंत्रालयों का है, सब लोग देखना शुरू कर दिये थे तो हमको लग रहा है कि बंद करना ही बेहतर समझा गया होगा तो वह बेवसाइट बंद कर दिया गया था। लेकिन मैं रोज निकालता था तो 6 तारीख में 33 प्रतिशत बजट आपका निकला था। तो इसे भी देखा जाये कि अगर बजट आप नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा। हालांकि आप अभी नये आये हैं, चूड़ी टाइट करेंगे, हम आपका स्वभाव जानते हैं, चूड़ी टाइट करिये थोड़ा। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि संगम पर एक बार महेश योगी जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, काग्रेंस के रिजीम में फिर बी0जे0पी0 के रिजीम में भी, टण्डन जी भी गये थे डेनमार्क, वहां महेश योगी से मिलकर भी आये थे और वह काफी पैसा यहां लगाना चाहते हैं, इंट्रस्टेड भी हैं, तो आप लोग उनसे भी सम्पर्क करें, वह पैसा लगाकर उसको डेवलप करना चाहते हैं, इस समय वह नहीं है लेकिन उनका जो आर्गनाइजेशन है, वह इस काम को करना चाहता है, इसलिये उसको देख लें और हमारे देवरिया में

जैसा मैं आपको मिलकर दिया भी हूं, महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, ह्वेनसांग भी वहां आया था, लाखों लोग वहां हर साल आते हैं, केन्द्र सरकार ने उसका प्रस्ताव भी मॉगा है तो उसको भेज दें और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को यह सरकार उच्च प्राथमिकता पर ले इससे यू0पी0 का और यू0पी0 के लोगों का बहुत भला होगा। इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि मेरी सारी मांगें मानी जायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह कपिलवस्तु में अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुपूरक बजट में 50 लाख रूपया संग्रहालय बनाने के लिये दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुयी। आप जानते हैं कि वहां भगवान बुद्व की अस्थि निकली है और मैं जब लंका गया था, वहां उस अस्थि को लंका में घुमाया जा रहा था, उसके दर्शन के लिये लोग मीलों तक खड़े रहते थे और चूंकि जो एक संग्रहालय बना था, उसको पिछली सरकार ने भारत सरकार के पर्यटन विभाग को दे दिया। तो एक अलग संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और कुछ रुपये और हैं तो उसको रिलीज कराकर अगर संग्रहालय बनाकर जो अस्थि भगवान बुद्ध की कलकत्ता के म्यूजियम में रखी है उसे लाकर अगर वहां रख दिया जाय तो पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में वहां आएंगे यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सुरेश राणा-

उत्तर भारत में हरिद्वार के बाद सबसे बड़ा ऐसा स्थान जहां लगातार कथाएं चलती हैं गुजरात हो, मध्यप्रदेश हो, दिल्ली हो शुक्रताल वहां की चर्चा बजट में नहीं आई यही मेरा आग्रह है।

श्री ओम प्रकाश-

उसको मैं दिखवा लूंगा और अगर होगा तो अगले बजट में लाएंगे।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी चौरी-चौरा में शहीद स्मारक है वह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है वहां जो शहीदों की मूर्तियां लगी हैं जो प्रतिमाएं हैं अंदर रखी हुई हैं उसकी हालत बहुत खराब है वह टूट गई हैं मुण्डी कहीं और गई है शरीर कहीं और है इस हालात में है। मैंने इसका क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन कुछ नहीं हुआ मैं चाहूंगा कि इसका भी कुछ करेंगे।

श्री ओम प्रकाश-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,22,48,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[5.31 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 91,85,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप मुख्य-मुख्य बात बता दें और तो किताब में छपा होगा।

श्री राजाराम पाण्डेय-

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष-

बेरोजगारी मिटाने की जो आपकी योजनाएं हैं वह बता दें।

श्री राजाराम पाण्डेय-

मान्यवर, छोटा विभाग है। मान्यवर, बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों को अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित कर रही है। यह मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग योजना आपके 2010 से आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है। जबकि सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए एक भी प्रतिशत ब्याज नहीं देना पड़ता है। प्रदेश की योजना 2012-13 में 15 करोड़ 7 लाख का ब्याज उपादान की धनराशि में 194 करोड़ रुपए पूंजीनिवेश से चार हजार उद्योग लगाए गए थे इस चार हजार उद्योग के माध्यम से 77 हजार 6 सौ व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस हिसाब से माननीय मुख्य मंत्री जी की जो बेरोजगार योजना को जो खत्म करने की योजना है खादी ग्रामोद्योग विभाग इस पर बहुत अग्रेतर ढंग से काम कर रहा है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में जो हमारा बजट है 213 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च करके 5 हजार 270 इकाइयों की स्थापना करना, इससे 85 हजार 372 नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मुख्य मंत्री रोजगार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना है इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायतों में हमने अगली व्यवस्था में सोचा है कि एक-एक न्याय पंचायत में कम से कम एक-एक रोजगार सृजित हो जाए। इन रोजगारों में जो लोग उद्योग लगायेंगे उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हमारे विभाग ने किया है ताकि कम से कम जो वह रोजगार लगाना चाहता है उसकी पहले से वह ट्रेनिंग ले सके ताकि उसके विषय में जानकारी हो जाए कि रोजगार किस तरह से लगाया जाए। वर्ष 2012-13 में 5 हजार व्यक्तियों का प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा की गई है। 02 अक्टूबर, गांधी जयन्ती के अवसर पर जो हम 10 प्रतिशत खादी बिक्री पर छूट देते हैं, इस बार हमारी सरकार ने 180 दिनों के लिए छूट प्रदान करने का कार्य

किया है। जिसके माध्यम से 2012-13 में 108 दिन के लिए 10 प्रतिशत की छूट के रूप में दो लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृत्रिम बुनकर जिनको इससे पहले इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, 2 लाख हमारी ग्रामीण योजनाओं में कृत्रिम बुनकर को लाभ होगा। मान्यवर, इसके अन्तर्गत जो महत्वपूर्ण हमारी योजना चल रही थी इसमें 39 करोड़ रुपया, पिछली सरकार ने इनको धन देने का काम नहीं किया था और हमारी सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने इसको समझा और तत्काल प्रभाव से 39 करोड़ रुपया देने का काम किया है इसमें से 25 करोड़ रुपया मिल गया है शेष 14 करोड़ रुपया अगली व्यवस्था में दिया जायेगा। मान्यवर, 47 करोड़ 90 लाख रुपया 2012-13 में हमने दिया है और 2013-14 में यह धनराशि 37 करोड़ 11 लाख रुपए प्राविधानित की गई है, लम्बित प्रीपेड 14 करोड़ रुपया इसमें सम्मिलित है।

मान्यवर, गुणवत्ता के लिए जो मार्केट डिमाण्ड है इसके लिए भी हमारे पास उत्पादन विकास मानकीकरण की गुणवत्ता विनिश्चित योजना की भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे हम गुणवत्ता का भी ध्यान देते हैं। मान्यवर, इस बार महाकुम्भ में खादी बोर्ड द्वारा एक महा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जो बहुत ही सफल रही और इसके पहले जब हम इस विभाग को देखते थे 1997 से ले करके 2007 तक, प्रत्येक वर्ष चाहे कुम्भ मेला हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे अर्द्धकुम्भ हो, प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी लगाने का काम हमारा विभाग किया करता था लेकिन 2007 के बाद से इस प्रदर्शनी लगाने को उचित नहीं समझा गया और बन्द कर दिया गया। मान्यवर, अबकी बार महाकुम्भ में प्रदर्शनी की शुरूआत फिर की गई और आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमने एक महीने में जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों से आये हुए उद्यमी थे चाहे वह खादी संस्थाएं हों और चाहे ग्रामोद्योग के उत्पादन हों, इनकी 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की बिक्री कुम्भ मेले में हुई है। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शनी रही है। इस तरह से मान्यवर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आपके यहां पर ट्रेनिंग मण्डलीय प्रशिक्षण और तमाम जो व्यवस्थायें हैं वह करने को लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

क्या ईंट भट्ठे के लिए भी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड धन देता है ?

श्री राजाराम पाण्डेय-

मान्यवर, यह हमारी नहीं, भारत सरकार की योजना है, खादी कमीशन की योजना है, जिसमें 25 लाख रुपये तक की योजना है उसमें रिबेट के माध्यम से योजना चला रहे हैं और यही रिबेट बाद में चल करके छूट के रूप में परिणित हो जाता है। इस तरह से हमारे प्लान बजट में 43 करोड़, 83 लाख 23 हजार रुपये और नॉन-प्लान में 51 करोड़, 83 लाख 57 हजार रुपये, टोटल मिला करके 95 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये की हमारी बजट योजना है। इस तरह से मैं चाहता हूं कि खादी एवं ग्रामोद्योग बहुत छोटा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विभाग में बिना कटौती किये हुए यह बजट पास करें।

श्री अध्यक्ष-

यह एक अरब का भी बजट नहीं है बहुत छोटा है इसलिए फेरन लाल जी संक्षेप में कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म कर दीजिए। आगे कारागार का बजट है जिसमें हम, आप सब हो आये हैं।

*श्री फेरन लाल-

मान्यवर, बड़ा बजट नहीं है, छोटा बजट है तो हम छोटा ही प्रस्ताव रखेंगे लेकिन प्रस्ताव से पहले सदन में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य पहले आप कटौती का प्रस्ताव रख दीजिए उसके बाद जो कहना है वह कहिये।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, इससे संबंधित नहीं है, इसलिए उसे पहले रखना चाह रहा था।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने का जो मौका दिया है इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, इस विभाग का जो मूल उद्देश्य है कि समाज के उस तबके को जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगारपरक स्कीमों से प्रशिक्षण देकर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग जो कम पूंजीनिवेश से संचालित होते हैं उन्हें स्थापित कराना है। मान्यवर, प्रशिक्षण देकर उनकी रूचि और क्षमता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कम पूंजीनिवेश वाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करना है और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा समय-समय पर विभागीय नीति व योजनाओं के अनुसार उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें जागरूक करना है। मान्यवर, ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना तथा उनको पुरस्कृत करना भी है। मान्यवर, जो विभाग की नीति है वह तो स्पष्ट और पारदर्शी है लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर प्रतीत नहीं होती है। जो विभाग की योजनायें हैं जैसे उत्पादित माल की उचित बिक्री का प्रबन्ध करना, बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना व व्यावसायिक उपादान व सब्सिड़ी दे करके यूनिटें स्थापित करना, ये जो योजनायें हैं जो विभाग की नीति है, जो विभाग का उद्देश्य है कि समाज में जो सांमन्जस्य बैलेंस करने के लिये एक बहुत बड़ा तबका जो हर सुख सुविधाओं से उपेक्षित है उसके हिसाब से जो बजट की व्यवस्था की गई मान्यवर, वह पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। लेकिन नीति कितनी भी अच्छी हो, कानून कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको लागू करने वाले की नीति नेक नहीं है तो कानून और नीति मात्र एक किताबी पुलिन्दा साबित होता है। मान्यवर, वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार एवं अन्य प्रतिभाशाली युवा वर्ग के लोग रोजगार से जुड़ें। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग जो हमारे देश का भविष्य है वह लाचार, मजबूर और इनके मात्र एक हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते का मोहताज रहे और इनके गुनगान करता रहे। मान्यवर, सरकार विभागीय नीतियों के अनुरूप गम्भीर प्रतीत नहीं होती है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसी बजट में उदाहरण है जैसे कौशल एवं सुधार प्रशिक्षण योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमियों को परम्परागत बुनकर एवं कारीगरों को उनके कौशल सुधार के नवीनतम तकनीकी के उपकरण के लिये व्यवस्था की जाती है। मान्यवर, 2011 में जब बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो सरकार ने 72 लाख रुपये की व्यवस्था करके 3600 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया था। मान्यवर, इसी बजट पुस्तिका के पेज 28 के अनुसार वर्तमान सरकार ने वर्ष 2012-2013 में उक्त धनराशि को घटाकर मात्र 50 हजार रुपये करने का काम किया है और उसमें 25 उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। मान्यवर, यह विभागीय नीति के अनुरूप काम करना नहीं है। अब मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी ने अपने समय में 72 लाख की व्यवस्था करके 3600 उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। मान्यवर, यह सरकार घड़ियाली आंसू बहाने वाली है और समाजवाद का चोला पहिन कर दलितों और पिछड़े बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। इनका सारा समय प्रदेश में दंगे, [x x x], फिरौती, [x x x], अवैध खनन करवाने में व्यतीत होता है। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) क्या आपके समय में दंगे नहीं हुए, क्या [x x x] नहीं हुए, क्या अवैध खनन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह [x x x] और [x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा सेवा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप उनसे आग्रह करें कि लिखा हुआ पढ़ना है, वह पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। मान्यवर, उसकी कापी दे देंगें, हम पढ़ लेंगे। नियम-नहीं है लिखा हुआ पढ़ने की। दूसरी बात यह है कि आप कटौती रख रहे हैं खादी की और ज्यादा बहक रहे हैं। शाम का समय है, कोई दूसरा समय हो तो सम्भालिये अपने को। इस वक्त बहकना ठीक नहीं है, यह शाम का समय है। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

[x x x] और [x x x] इससे क्या मतलब ?

श्री फेरन लाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अभी माननीय सदन के सदस्यों ने मान्यवर शहरी कांसी राम योजना में आवास में जो लोग रहते हैं जो पात्र हैं, उनमें ऐसा काम होता है इसकी तरफ इंडीकेट किया गया है और कहीं से कोई टिप्पणी नहीं हुई है, यह भी कार्यवाही का अंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप बोलिये, जो लिखा है पढ़ दीजिये ना। जल्दी खत्म करिये।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, प्रतिवर्ष 20 से 25 प्रतिशत महगाई जनसंख्या वृद्धि होती है हर स्कीम की धनराशि में 30 से 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होना चाहिए जो सरकार ने बजट में व्यवस्था नहीं की है। इसके

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अलावा उत्पादित माल की उचित बिक्री की व्यवस्था करना इस हित में भी सरकार गम्भीर प्रतीत नहीं होती है।

एवं विपणन में भी..

श्री अध्यक्ष-

कितना पढ़कर बोल रहे हैं। कटमोशन में कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाता है उसमें आंकड़े लिए जाते हैं अब इतना आप पढ़ दिए हैं कुछ आप जो मौाखिक सुझाव देना चाहते हैं वह दे दीजिए। आप जो जानते हों उसको आप मौखिक कहिए। पूरा कटौती नहीं पढ़ा जाता है, जो आंकड़े जरूरत है वह ले लीजिए।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, विभागीय नीति का जो उद्देश्य है कि जो अधिकतम..(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलो, सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव दो ना।

श्री फेरन लाल-

मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि यह बजट जन भावनाओं पर खरा नहीं है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी अब हम पास करा रहे हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रु0 91,85,30,000 (91 करोड़, 85 लाख, 30 हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार)

*कारागार तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

मैं अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,01,73,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हालांकि मुझे अपने विभाग का बजट पेश करने का अवसर बहुत बाद में मिला है अब समय भी बहुत कम है..(शोर) हमने जो अपने विभाग की पुस्तिका वितरित की है उसमें पूरा ब्यौरा है। जेलों का इतिहास बड़ा इतिहास है, लगभग पौने दो सौ वर्ष से जेलों की व्यवस्था हुई है। 1844 में पहली जेल आगरा में स्थिति हुई थी। मान्यवर, मैं जेलों की जो स्थिति है जो ऐतिहासिक पक्ष है उसमें मैं शुरू में चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि मैं समाजवादी आन्दोलन से आया हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। 1968 में मैं पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आन्दोलन में जेल गया था, 45 साल पहले, और तबसे फिर दर्जनों बार आन्दोलन में शामिल रहा, जेल गया, लखनऊ में दिल्ली में, मेरठ में, एक बार मैं 34 साल पहले शिमला की जेल में भी रहा, वहां पर भी लोकतंत्र को बचाने का बड़ा सवाल था। हमारी पार्टी के नेता और हमारे समाजवादी पार्टी आन्दोलन के जो विचारक रहे हैं उनका गहरा रिश्ता रहा है। (शोर) रिज मैदान शिमला में हैं वहां राजनारायण जी को सभा करने की इजाजत नहीं मिली थी। 78 की बात है, मैं उस वक्त एमएल था, तब उसके विरोध में हमने सत्याग्रह किया था। मैं और शरद यादव वहां गए थे। हम लोग युवा संगठन चलाते थे, उन दिनों मैं युवा जनता का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह सारे समाजवादी जो इधर बैठे हैं, किसी न किसी बहाने बहुत दिन जेल में बिता चुके हैं। आप जेल के बारे में बताइये और बजट पास कराइये।

*श्री राजेन्द्र चौधरी-

मान्यवर, आपातकाल में हमारे नेता और श्री मुलायम सिंह यादव जी, आजम साहब और हम लोग जेल में रहे हैं। जेल में कई तरह के अनुभव होते हैं और मान्यवर, आप भी आपातकाल में रहे हैं, आपका भी समाजवादी आन्दोलन से सम्बन्ध रहा है और जेल में रहे हैं। सबसे जो दुखद स्थिति है, जेलों की और विशेष तौर पर लखनऊ में जो जेल का विध्वंस हुआ, वह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना हो गयी थी। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि लखनऊ जेल में काकोरी काण्ड के जो नायक थे, वह इसमें थे, सान्डर्स वध में लाहौर में वहां के लोग भी यहां आकर बन्दी हुए थे, उसमें डा0 लोहिया 1957 में भी बन्द हुए थे। यह लखनऊ जेल का मैं मोटा-मोटा इतिहास आपको बता रहा हूं। नेता जी भी उस जेल में रहे हैं। लेकिन उस जेल को तोड़ दिया गया। जो आजादी का इतिहास है, उसको मिटाने की कई तरह से कोशिश की जाती रही है और यह कोशिश ऐसा नहीं कि पिछली सरकार ने की है और सरकारों ने भी की है, जिन्होंने आपातकाल लगाया। जिस तरह से जो आजादी की सांस आज हम ले रहे हैं और यहां बैठ करके बात कर रहे हैं, सरकार है, लोकतंत्र है, संविधान है, यह उन्हीं की देन है, जिन्होंने यातनाएं सही हैं, जेल की यातनाएं भोगी हैं और अपना जीवन, अपनी जवानी जेल में, बेड़ियों में, हथकड़ियों में बितायी है, उनके कारण आज हम यहां आए हैं। मैं आपसे इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं, डा0 लोहिया हमारे नेता रहे हैं, समाजवादी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन के अगुवा रहे हैं, समाजवादी विचारक रहे हैं। वह लाहौर जेल में थे और 1942 के आन्दोलन में, गांधी जी तो 1944 में रिहा हो गए थे लेकिन लोकनायक जय प्रकाश नारायण और डा0 लोहिया बिल्कुल अन्त तक बन्द रहे और 1946 में जब अन्तरिम सरकार हो गई थी, तब आगरा जेल से डा0 लोहिया की रिहाई हो पायी, लाहौर से आगरा उन्हें लाया गया था। मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बनी हुई है और डा0 लोहिया ने भी 1957 में लखनऊ जिला जेल में जब वह थे, तब एक पत्र लिखा था तत्कालीन जेल मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। जेल की दुर्दशा के बारे में और किस तरह नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इसकी चर्चा भी उन्होंने अपने उस पत्र में की थी। उस पत्र के जरिए उन्होंने जो व्यवस्था है, वह एक किताब की शक्ल में थी, वशिष्ट और .. की जो किताब है, यह जिला जेल लखनऊ में लिखी हुई, उनके पत्र की किताब है।

मैं आपसे यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विभाग का बजट है और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पिछली सरकार में जेलों में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं और अधिकारियों की हत्याएं हुई हैं, जेल का राजनैतिक इस्तेमाल हुआ है। अब समाजवादी सरकार में जो हमारे पास जेल मैनुअल है, हालांकि उसमें कुछ संशोधन आयेगा, वह बाद की बात है लेकिन उस जेल मैनुअल के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। वहां कृषि का भी काम होता है, उद्योग का काम भी होता है, नारी बन्दी निकेतन भी वहां पर है, उनको भी शिल्पकारी का काम दिया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक विकास करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए, खेल-कूद भी है, प्रवचन भी है, योगा भी है, इन सब पर भी हमारा खर्चा होता है। हमारी जिम्मेदारी है, एक तो न्यायालय से जो भी निर्देश मिलते हैं, उनके मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। दूसरा जो नागरिक अधिकार हैं। जो राष्ट्रीय अधिकार आयोग है उनका अनुपालन हमें करना पड़ता है और तीसरा जिस तरह का वातावरण जेलों में रहता है कई तरह के अपराधी भी उसमें रहते हैं, कई तरह के भ्रष्टाचारी भी उसमें रहते हैं और कुछ तो राजनीति में रहते हुए भी इस तरह के काम करते हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका वर्गीकरण करना और उस हिसाब से जेल की व्यवस्था को बनाये रखना यह एक बड़ा काम है और इसलिए मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि जिस तरह की जेलें उत्तर प्रदेश की हैं किस जेल में कौन शहीद जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया वह रहे हैं उन्हें फांसी लगी है और विशेष तौर पर लखनऊ जिला जेल में चाहे वह काकोरी काण्ड के जो शहीद हुए जो नायक थे वह रहे हैं उनकी याद में एक म्यूजियम बनना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने उस म्यूजियम के लिए भी जो जेल की म्यूजियम है जिसमें शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का उनका उल्लेख होगा एक स्मारक होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बन जाएगा। जेल के जरिये उन्हें एक सबक मिलेगा कि किस तरह से आजादी मिली है। तो हम यह चाहते हैं कि जहां आज यह प्रशिक्षण शिविर भी है वह बहुत मुश्किल से बचाया। पिछली सरकार इसको हड़प करना चाहती थी। जिस तरह से जिला जेल, आदर्श कारागार उन्होंने नेस्तनाबूद किये और वहां पर पत्थर लगा दिये लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने प्रयास करके उसको बचाया। डा0 सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण केंद्र है और उसके साथ ही हमारा मुख्यालय भी अब बनने जा रहा है। इसी तरह से हम स्थान देखकर जो इको पार्क के नाम पर है उसमें जेल म्यूजियम की स्थापना करने पर भी विचार कर रहे हैं उसमें वह तमाम

नायक होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्ला खां इन सबका उल्लेख होगा, उनकी पट्टिकायें होंगी, स्तम्भ होंगे, स्मारक होंगे और वह आजादी के आन्दोलन का इतिहास भी होगा। डा0 लोहिया जी इसमें रहे हैं सारे लोग जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया उसमें रहे हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाजवादी सरकार है वह कानून के हिसाब से चलती है। कानून का राज आज उत्तर प्रदेश में है और उसी आधार पर हम जेलों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वहां चाहे महिला कैदी हैं, चाहे पुरूष कैदी हों, विचाराधीन कैदी हों सबका जो भी नागरिक अधिकार है और जो भी मैनुअल में जिसका उल्लेख है वह तमाम सुविधायें और उन्हें जो अधिकार हैं वह उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमने जो बजट पेश किया है उसको पारित कराने में हमारी मदद करें।

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव कौन रखेगा। मौर्या जी ने श्री राजनारायण बुधौलिया जी का लिखकर दिया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

डा0 साहब रखेंगे, यह तय हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

तय हो गया है। ठीक है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। अध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य है कि मैंने जेल की बहुत लम्बी यात्रा नहीं की। जब पिछली सरकार इन लोगों की थी तो मुझे 9 दिन जेल में रहना पड़ा था 2006 में।

श्री अध्यक्ष-

आप छात्र आन्दोलन में जेल नहीं गये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जाते-जाते बच गये। आपको याद होगा कि जब एक बार राजनारायण जी चर्बी काण्ड के लिए आन्दोलन किये थे तो हम लोगों ने उनके साथ कचेहरी चौराहे पर रात भर का अनशन किया था। और इस बात की पूरी संभावना बनी थी कि जाना पड़ेगा लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन इन लोगों ने 9 दिन भेज दिया। नौ दिन मैं वहां रहा, लेकिन सौभाग्यशाली रहा कि मा0 न्यायाधीश तक ने यह कहा कि इस प्रकार से मेरे जैसे आदमी को इस सरकार ने नौ दिन जेल भेज दिया, उन्होंने एफ0आई0आर0 क्वेश कर दिया और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं रह गये। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के रूप में, संगठन का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी एक पहचान रही है और जेल आन्दोलन का राजनैतिक जीवन में क्या महत्व होता है, डा0 लोहिया के पूरे आन्दोलन का उन्होंनें बहुत विस्तृत वर्णन किया, हम सब उस सारे पक्ष से बहुत भली-भांति परिचित हैं। वह म्यूजियम भी बनाने चाहते हैं, यह भी प्रसन्शनीय है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी भूमिका निर्वहन किया होगा या आपात काल के दौरान जिसने देश के दूसरे स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी सहभागिता की होगी। समाज में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लोग जान सकें, इसके लिए इन आदर्शों को स्थापित करना एक प्रशंसनीय कार्य होगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कार्य कुछ और भी है, जेल को लेकर के हम लोगों की अवधारणायें भी समिति हैं और संकुचित हैं, जमाना था वह महत्मा गांधी का जब वह कहा करते थे कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह अपराध एक बीमार मन की उपज होती है।

महात्मा गांधी ने, जो हर विषय पर बहुत मौलिक चिन्तन किया करते थे, उस जमाने में उन्होंनें कहा था कि अपराध एक बीमार मन की उपज होती है, इसलिए हमें जेल की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, जहां हम ऐसे बीमार मन को ऐसा माहौल दें कि उसका इलाज हो सके, उसकी सही देख-रेख हो सके। जेल से जब वह निकल कर के आये तो समाज का एक जिम्मेदार, सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सके, लेकिन यह महात्मा गांधी की सोंच थी, अध्यक्ष जी। देश उनके समय गुलाम था, मैकाले का जमाना था, उन्होंनें एक कमेटी बनाई, अंग्रेज राज्य करते थे और अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि जो भारत की जेल में जाय उसको ऐसा कर दो कि दोबारा वह इस देश की आजादी के लिए कभी दोबारा खड़ा न होने पाये और उन्होंनें ऐसी जेलों की रचना कर दी, जिसमें जेल में भेजे जाने के बाद, जेल में जाने वाले को सुधारना, कहीं कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था, उन्हें दण्डित करना, उनके हाथ-पैर तोड़ना और उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देना कि दोबारा इस देश की लड़ाई के लिए कभी वह खड़ा न होने पाये। दुर्भाग्य यही रहा कि मैकाले की परम्परा जो चलती रही, आते-आते मा0 जेल मंत्री जी जानते होंगे 1894 में प्रिजन ऐक्ट बना दिया गया और आज देश को आजाद हुए अध्यक्ष महोदय, 65 साल से अधिक हो गये होंगे मैं जोड़ कर नहीं बता रहा हूं, शायद 66 साल हो गये हैं। जेल केन्द्र का विषय अब नहीं रह गया है, किसी जमाने में जेल केन्द्र का विषय हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में ही जब यह सब नीतियां लागू हुईं तो जेल को प्रान्त का विषय बना दिया गया। आज यह स्टेट का विषय है, 65 साल हो गये हम सब के लिए अध्यक्ष महोदय, यह शर्मिन्दगी का विषय होना चाहिए कि आज भी आजादी के इन 66 सालों के बाद भी हम अंग्रेजों के द्वारा बनाये गये उस प्रिजन ऐक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं और उसका फल यह है कि जो आज जेल में जाता है, इस बात की अधिकांशतः गारण्टी तैयार हो जाती है कि वह पहले से बड़ा और पहले से अधिक व्यवहारिक अपराधी बन कर के निकल आयेगा। लड़ाई अध्यक्ष महोदय, जेल और कारागार विभाग की यहां पर है, लड़ाई इस आधार पर है कि हम किसी व्यक्ति को जेल भेजते क्यों हैं। जेल भेजने का आधार हमें लगता है कि उसको दण्डित करना है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, जेल भेजने के दो ही आधार बनेंगें, एक सुसभ्य समाज में खुली हवा में घूमना जो उस समाज के लिए खतरा हो, जेल में रहेगा तो समाज में शान्तिपूर्ण माहौल रहेगा और दूसरा, जेल में ऐसी परिस्थितियां दी जांय कि जब वह जेल से बाहर निकले तो वह एक जिम्मेदार नागरिक होकर,

सामान्य नागरिक की तरह जीवन जिये, लेकिन जो परिस्थितियां अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इतने सालों में जेल में दी हैं, हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं, जिस प्रकार के गैंग जेल में आपरेट होते हैं, वह नए लोग जो जेल में पहुंचते हैं। किस प्रकार से ये गैंग उन्हें अपने कैडर में जोड़ लेते हैं और कैसे अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मा0 मंत्री जी कुछ लोग जेलों के बारे में यह कहते हैं कि जेलें ही अपराध की आधुनिक सफलतम पाठशालायें हैं और वहां अपराध का सबसे अच्छा प्रशिक्षण मिल जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसा होगा। उनके कारण हैं, अभी इस बजट पर जब मेरी बुधौलिया से हो रही थी तो मैंने इस बजट को अध्यक्ष महोदय पलटने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, सरकार के अपने स्वयं के आंकड़े क्या कह रहे हैं। आप सरकार के स्वयं के आंकड़ों को देख लीजिये। पृष्ठ संख्या-5 पर लिखा है कि कुल मिलाकर क्षमता 47518 कैदियों को रखने की है और इसके बाबत कुल मिला करके 80 हजार 19 कैदी करागारों में पड़े हुये हैं और ये रेशियो जिसको हम लोग ऑक्युपेंसी रेशियो कहते हैं, वह 168 प्रतिशत है और अगर इस आंकड़े को हम लोग थोड़ा सा पलट दें। इसी सरकार ने अपने पिछले पृष्ठ में लिखा है सिद्धदोष कनविक्टेड कैदी 26985 हैं और विचाराधीन 53373 हैं अर्थात् ये करीब करीब 30 और 70 का रेशियो है। अध्यक्ष महोदय, समस्या यहीं पर है। आज की जेलें जिसके बारे में मान्यता ये है कि अगर एक आदमी वहां रहे तो उसे 40 स्क्वायर फीट जमीन मिलनी चाहिये। ये सब जेल के ऐक्ट के अन्तर्गत है। ये पुराने जेल ऐक्ट के हिसाब से है नये जेल ऐक्ट की बात नहीं कर रहा हूं और स्थिति यह है कि हम में से जो भी बैरक्स में जा करके देखते होंगे। भले कभी जेल में न गये हों, हम सब कभी न कभी जेल का निरीक्षण करने या अपने किसी परिचित से मिलने जाते हैं। एक एक बैरक में जिस तरह से 150-150, 200-200 लोग ठूँसे जाते हैं। जिस प्रकार से वे जमीनों पर पड़े रहते हैं, जाड़ा हो तो, गरमी हो तो, जिस प्रकार से उनको किसी प्रकार की सुविधायें नहीं दी जातीं। पूर्व कारागार मंत्री जी यहां हुआ करते थे, आज के दिन वो कारागार मंत्री नहीं हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जेल की जीवन्त स्थिति का वर्णन किया था कि जेल में कैसा खाना मिलता है, दाल खोजनी पड़ती है। ये उनकी भाषा थी कि दाल खोजनी पड़ती है पानी में और उन्होंने अपने एक अनुभव का वर्णन किया था कि कोई एक कैदी था। मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने नाम भी बताया था। शफीकुर्रहमान था, क्या था तो वो बीमार था, वो चाहते थे कि इसका इलाज करा लें, उनके जैसा प्रभावशाली आदमी उस जेल में रहकर के प्रयास करता रहा। जेल का सिस्टम ऐसा था कि वो इलाज नहीं करा पाये और शफीकुर्रहमान की वहीं मौत हो गयी। ये स्थिति हम लोगों ने आज के आधुनिक जेल की बनायी है। अगर यह जो संख्या 53373 है। यह संख्या जेल में न रही होती तो हमारी क्षमता जो 47000 की थी, उस क्षमता से कहीं बहुत कम कैदी, उन जेलों में रहे होते और अध्यक्ष महोदय, यह क्षमता तो तब है। यह संख्या 26 हजार तो इसलिये है कि सत्य यह है कि हम भारत के या उत्तर प्रदेश के अपराध पर चर्चा चाहे जितनी कर लें। 20 करोड़ की जनसंख्या में 26 हजार की संख्या 10 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय, 01 लाख की जनसंख्या में अमेरिका में 700 लोग जेल में रहते हैं। 01 लाख की जनसंख्या में आस्ट्रेलिया में 900 लोग जेल में रहते हैं और हमारी 01 लाख की जनसंख्या में जेल में रहने वालों की संख्या 20 है। ये बताता है कि हमारे समाज के अपराधीकरण के बारे में हम जितनी चर्चा करते हैं। अभी फिर भी भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर अवस्था

होगी। अन्यथा कहीं इससे बहुत अधिक संख्या में लोग जेलों में निवास कर रहे होते। अगर इस 53373 की हम व्यवस्था कर सकते जो छोटे-मोटे अपराधों के लिये जेल में चले जाते हैं। मुझे याद है राजा भइया का बयान और उसी समय एक बहुत बड़े फिल्मी हीरो का बयान आया था। मा0 योगेश जी आपको याद होगा, बहुत क्रांतिकारी भाषा में उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो लोग अण्डर ट्रायल पड़े हुये हैं, बेल बॉण्ड न होने के नाते पड़े रहते हैं। मैं उन सब लोगों को निकलवा दूंगा। एक भी आदमी के लिये उन्होंने प्रयास नहीं किया। आपको याद होगा कि राजा भइया जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि अण्डर ट्रायल कैदी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत छोटी-छोटी राशि जमा नहीं कर पाते इसीलिये उनकी बेल नहीं हो पाती और इसीलिये पड़े रहते हैं। यह व्यवस्था इस सरकार को करनी होगी, उन लोगों को चिह्नित करना होगा। मा0 मंत्री जी, आपके व्यक्तित्व और कृतत्व से हम सब परिचित हैं। आप इस विभाग में आये हैं तो हम लोग मानकर चलते हैं कि अगर आपके रहते यह विभाग नहीं सुधरा तो बड़ा मुश्किल होगा किसी और के द्वारा सुधारा जाना, क्योंकि आप चीजों की तह तक जा सकते हैं। इस बात को जानने की कोशिश करिए, ऐसे-ऐसे लोग जो 5-5 साल से बिना मतलब के वहां पड़े हुए हैं, सब संख्याएं हैं, मैं उन आंकड़ों को पढ़ना नहीं चाहता, दसियों हजार से भी अधिक इस तिरपन हजार में ऐसे लोग हैं, जो 3 साल, 4 साल और 5 साल से बिना मतलब के वहां पड़े हुए हैं। अगर यह सरकार खाली इतना प्रयास कर लें कि किस प्रकार से इन लोगों को जेल से बाहर निकाला जा सके तो शायद हम जेल की व्यवस्था का सुधार करने में बहुत सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी जेल मैनुअल की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, जेल मैनुअल 2003 में आया था। मार्डन जेल मैनुअल जो पहली बार भारत सरकार के स्तर पर एक जांच कमेटी बनने के बाद बना वह 2003 में लागू हुआ था, चूंकि उस समय तक यह विषय राज्य सरकार को हो गया, ये फाइलें घूमती रहीं, अध्यक्ष महोदय, एक मॉडल प्रिजन ऐक्ट भी बना है, आज तक न तो हम एक नये मॉडल प्रिजन एक्ट को बना सके और न ही हम लोग एक मार्डन जेल मैनुअल को बना सके। उसका फल क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटे-छोटे प्राविधान उसमें किये गये थे। इस प्रकार के प्राविधान थे, जैसे आपने सम्पूर्णानंद का नाम लिया, मा0 मंत्री जी, आपके संज्ञान में होना चाहिए कि इस देश में पहली खुली जेल सम्पूर्णानंद जी के नाम पर चकिया में बनायी गई थी। अगर उस खुली जेल की अवधारणा को हम लोग लागू कर पाये होते तो यह जो 53 हजार अंडर ट्रायल्स हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सिद्ध दोष लोगों को आप खुली जेल में डाल दीजिए, हो सकता है कि कानून-व्यवस्था के लिए एक समस्या पैदा हो जाए, लेकिन ये जो अंडर ट्रायल कैदी हैं। इन 53 हजार लोगों को अगर हम लोगों ने अलग-अलग जगहों पर खुली जेल बनाकर डालने का प्रयास किया होता, तो न तो यह सिद्ध दोष लोगों के साथ रह कर के, इन अंडर ट्रायल्स में अध्यक्ष जी, ये वे लोग हैं, जो बहुत छोटे-छोटे अपराधों के लिए अंदर होते हैं, और ये लोग जब इन सिद्ध दोष लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं, ये जो अंदर रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये इन विचाराधीन लोगों को अपने कोरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम अगर उनसे अलग कर पाते, जेल के माहौल से एक अलग माहौल दे पाते तो शायद इन 53 हजार लोगों में से कितने अपराधी बनेंगे इन अपराधियों के बनने की प्रक्रिया में हम रोक लगा पाते। इसलिए मा0 मंत्री जी आप से आग्रह करूंगा आप तो सत्ता के इतने नजदीक हैं, कि

तर्कसम्मत तरीके से अगर कोई भी मांग आप मा0 मुख्य मंत्री के पास प्रस्तुत करेंगे तो नहीं का शब्द नहीं निकलने वाला। इसलिए पूरे देश में अगर हमने पहली खुली जेल की अवधारणा ली थी, तो आपके नेतृत्व में यह काम होना चाहिए। यह बहुत ही क्रांतिकारी काम होगा, बहुत प्रगतिशील काम होगा, अपराध नियंत्रण पर, मानवीय विकास पर इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इतिहास में आप एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जायेंगे मा0 मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आप संक्षेप करें।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा। जब खुली जेल की अवधारणा होगी तो सीधी सी बात है पैरोल जल्दी मिलेगा, लोग अपने घरों पर ज्यादा जा पाएंगे, सजाओं को हम लोग कम करने की स्थितियों में होंगे, उनका जीवन चूंकि अपने परिवार से और निकटतम स्थिति पर होगा, स्वाभाविक रूप से हम लोग अपराध बढ़ने की प्रक्रिया में भी बहुत कुछ नियंत्रण कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बातों पर नहीं जाऊंगा लेकिन एक सत्य है, सरकार के अपने खर्चों का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, एक आदमी पर तकरीबन उसके रहने पर, उसके कपड़े पर, उसके खाने-पीने पर, मा0 मंत्री जी 30 से 40 रुपये का खर्चा यह सरकार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कर रही है। सालाना खर्चा 11-12 हजार रूपया है। आज के इस युग में मा0 अध्यक्ष जी, आप समझ सकते हैं कि इतने सारे भ्रष्टाचार के बीच में अगर, कोई ईमानदार व्यक्ति जेलर बन करके चीजों को देना भी चाहे, तो 30-45 रुपये की इस व्यवस्था में वह चाह कर भी चीजों को नहीं दे सकता। इसलिए प्रयास होना चाहिए, यह हमारा दायित्व है। अगर अध्यक्ष महोदय, जेल में रहने वालों के जो आंकड़ें हम लोगों के पास हैं, एक चिकित्सक होने के नाते जो हम लोगों ने अध्ययन किया, हम लोग जानते हैं कि जेल में रहने वाले लोगों की अगर खून की जांच कराई जाए, मा0 मंत्री जी, आधे से अधिक कैदी ऐसे होते हैं, जिनको खून की बहुत अधिक कमी होती है। इसलिए कि लंबे समय तक वह जेल में रहते हैं और हम उन्हें खाना तक नहीं देते। यह बहुत बड़ा अध्यक्ष महोदय, अपराध है, जो हम जिम्मेदार लोग, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, यह हमें हक नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान बहुत साफ कहता है और मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस बात को बहुत कहा है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करने ही जा रहा हूं। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस बात को बहुत साफ कहा है कि यह जो हमारे मन में भ्रम है कि जेल में जाने के बाद एक आदमी, आदमी नहीं रहता है। मान्यवर, इसमें उसको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए अगर वह उससे बिगड़े जो आपको समझना चाहिए कि आपका जेल सिस्टम प्रभावी तरीके से काम कर रहा है? मान्यवर, उच्चतम् न्यायालय ने इस बात को कहा है और उन्होंने बड़े-बड़े अपराधों के सन्दर्भ में मान्यवर चिन्हित किया है, परिभाषित किया है। मान्यवर, यह कहा है कि जेलों में निरुद्ध कैदियों को

मौलिक सुविधायें मिलनी चाहिए, जैसे पढ़ने-लिखने की सुविधा मनोरंजन की सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि यह सुविधायें मिलना उनका मौलिक अधिकार है। मान्यवर, आप लोग इसको हंसी-मजाक में लेंगें कि डॉ0 साहब कैदियों के लिए सुविधाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो परिस्थति जन्य अपराध करते हैं और जेल में बन्द हो जाते हैं, लेकिन उनको अपराधी न बनाया जाय इसलिए उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह सुविधायें मिलनी चाहिए। मान्यवर छोटी सी विसंगति इस बजट साहित्य में दिख रही है इसमें तुलनात्मक अध्ययन का चार्ट दिया गया है। मान्यवर, इसमें सिद्ध दोष और विचाराधीन कैदियों को मिलने वाले भोजन के बारे में कहा गया है मान्यवर, ऑटे के बारे में लिखा है कि पूरे एक माह में दो किला सौ ग्राम सिद्ध दोष कैदी को और एक किलो छः सौ ग्राम विचाराधीन कैदी को मिलेगा। मान्यवर, यह अन्तर है आंटा तो सबको बराबर मात्रा में मिलना चाहिए चाहे वह कैसा कैदी हो। मान्यवर, मैं जेल नहीं गया हूं लेकिन मैं इस पर विधिवत् बात कर सकता हूं मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कारागार विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, पिछले वर्ष भी लगभग इसी समय कारागार विभाग का बजट रखा गया था, और मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था। मान्यवर, उस समय कारागार मंत्री के रूप में माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी ने बजट रखा था और लम्बी चर्चा हुई थी। मान्यवर उन्होनें अपने जेल के अनुभवों से सदन को अवगत कराया था और जेल के अन्दर जो गरीब और निरीह लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका कच्चा चिट्ठा रखने का काम किया था। मान्यवर, उनको जेल का लम्बा अनुभव था। वह राजशाही परिवार के हैं लेकिन उनको जेल का अनुभव है। मान्यवर, उसी आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार ने पहले उनको कारागार मंत्री बनाया था और यह महत्वपूर्ण विभाग दिया था। मान्यवर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने छापे मारी की थी और जिससे अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया था और जेलों में सुधार हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर कार्यकुशलता जेलों की कम हो गयी और वहां भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। मान्यवर, उनको कारागार मंत्री पद से हटाया गया और दूसरा विभाग दिया गया ऐसा क्यों हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में जो घोषणायें की थीं उन पर अमल नहीं हुआ अभी डॉ0 अग्रवाल साहब ने कुछ बातें रखी हैं। मान्यवर माननीय कारागार मंत्री जी बहुत भले आदमी है, और वह आज यहां पर कारगार मंत्री के रूप में आये हुए हैं और उन्होंने अपना बजट रखकर, एक अच्छा परिचय अपना दिया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल विभाग पूर्णतः निरंकुश है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार में कोई अच्छे काम नहीं हुए। बहन मायावती की सरकार थी जब मैं कहना चाहूंगा बहन जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहन मायावती जी ने बहुत कुछ निर्णय लिये थे। मान्यवर, जब बहन मायावती जी की सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में स्थापित हुई उस समय कारागारों में प्रदेश के कुख्यात माफिया और अपराधियों का आतंक था, बोलबाला था। उन माफियाओं के कारण जेल में बन्द गरीब, निरीह लाचार बंदियों में एक दहशत का माहौल था। उस समय अधिकारी भी असहाय थे कुछ करने में, उसी समय बहन मायावती जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया था 26.6.2007 का, जिसमें प्रदेश की समस्त जेलों को गृह विभाग के अधीन करने का काम किया था। उस शासनादेश को करने के बाद जेल में बन्द माफियाओं में, कुख्यात अपराधियों में बहन जी ने नकेल कसने का काम किया था लेकिन समाजवादी सरकार में लगता है उस शासनादेश का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है लिहाजा उस शासनादेश पर पुनः विचार कर लें लेकिन माननीय सदस्यों के सुझाव पर। मान्यवर, उस समय जेल में बन्द हमारे अनेक साथियों ने बड़े अच्छे सुझाव रखे थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जो जेले आ गयी थीं उनको बाहर करने का काम किया गया। महोदय, अभी माननीय राधा मोहन जी ने बताया कि जेल में बंदियों की संख्या बहुत अधिक है, जेल के विस्तारीकरण की बात हुई थी, नये जेलों के निर्माण की बात हुई थी। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि नये जेलों के निर्माण की बात कही गयी थी मैं जनपद महोबा से आता हूं जिला महोबा बने 18 साल हो गये। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने महोबा को जिला बनाया था लेकिन वहां जेल नहीं है वहां आज भी उप जेल है। जिला कारागार महोबा के लिए आज तक जमीन चयनित नहीं हो पाई। तो महोदय, नये कारागारों का निर्माण हो, नई बैरको का निर्माण हो, भोजन में कटौती न हो, गुणवत्ता अच्छी हो, रहन सहन की व्यवस्था अच्छी हो, इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनपद महोबा में नई जेल का निर्माण हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितनी जेलें बनी खास करके मेरे जनपद बलरामपुर में हम लोग गये थे जेल का दौरा करने एक दिन, जेल की दीवारे सब फट गयी हैं उसकी जांच कराई जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, आज आपने जेल बजट पर प्रस्तुत कटौती पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय कारागार मंत्री जी जो पूर्व कारागार मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इसी सदन में उन्होंने आगरा की जेलों में जितने भी बाथरूम टवायलेट हैं सभी में पानी की व्यवस्था कराने का उन्होंने वायदा किया था उसे पूरी तरह से उन्होंने पूरा करा दिया और उन्होंने इसी सदन में एक वायदा किया था कि मैं प्रदेश की जेलों से जो जाली से मुलाकात होती है और कारण अधिकारी पैसे की वसूली करते हैं इस व्यवस्था को भी हटवाने का प्रयास करूँगा। और आज मैं इसके लिये भी उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जाली की व्यवस्था भी हटवा दी है अब सभी बंदी अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन, अपने बेटे बच्चे के साथ बैठकर आमने सामने बात करते हैं। इसी के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नये कारागार मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और इन सुझावों को अगर वह इस बजट में शामिल कर लें और इसे करायें तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी, कि हिन्दुस्तान में

बहुत से सूबों में यह व्यवस्था लागू है, जो 26 हजार सजायाफ्ता बंदी हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 14 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उन बंदियों को 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन छोड़ा जाता है और माननीय राजा भइया ने भी वायदा किया था कि मैं इस प्रक्रिया को चला रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि यह इस उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। लेकिन अब वह हट गये हैं, किसी कारणवश। अब माननीय कारागार मंत्री से मैं यह चाहूंगा कि सभी बंदियों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिये और 14 वर्ष जो भी सजा काट ले, भारत में 9 स्टेट ऐसे हैं, जहां पर 14 वर्ष जब बंदी सजा काट लेता है तो उसे छोड़ दिया जाता है लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में आज जो यह डा0 साहब बता रहे थे कि 80 हजार बंदी हैं, इसका एक कारण यह है कि यहां सजायाफ्ता बंदी का कोई समय ही नहीं है, यहां 27 साल, 28 साल, 29 साल तक के बंदी बंद हैं और जो छूट ही नहीं रहे हैं तो इस तरह से जेलों में जगह नहीं है। अगर यह 14 वर्ष वाले फार्मूले को हमारे स्टेट में भी लागू कर लिया जायेगा तो 210 या 215 बंदी हर साल दया याचिका के नाम पर छूट जाया करेंगे और वह समाज में जाकर फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सकेंगे, यह हमारी मॉग माननीय मंत्री जी से है। दूसरी बात, पूर्व मंत्री जी ने एक वायदा किया था और कई जगह मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कह दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश की जेलों में पी0सी0ओ0 जिस तरह तिहाड़ जेल में है और अन्य जेलों में पी0सी0ओ0 की सुविधा है उसी तरह लगवाऊँगा ताकि जो बंदी अपने माता पिता या वकील से बात करना चाहे तो सेल पी0सी0ओ0 से पहले उसमें पैसा डाले और बात कर लें और प्रशासन चाहे तो सारी बातों को रिकार्ड कर लें।

माननीय अध्यक्ष जी, यह पी0सी0ओ0 अगर लग जाये तो इससे बंदियों को बहुत सकून हो जायेगा और वह अपने परिवार से जो बिल्कुल अलग-थलग महसूस करते हैं, वह ठीक हो जायेगा और उससे उनको सहूलियत मिल जायेगी क्योंकि वह भी इंसान हैं और उनको यह हक मिलना चाहिये कि वह अपने परिवार से अपने लोगों से बात कर सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि पी0सी0ओ0 खुलवाने के लिये अगर आप कोई व्यवस्था कर सकें तो इसको शीघ्र कराने की व्यवस्था करायें। रही बात अभी हमारे बसपा के साथी विधायक ने बसपा सरकार ने जो अच्छे काम किये गये थे जेलों में, उनकी तारीफ की है, माननीय मंत्री जी ने भी यहां जेल हटाये जाने के बारे में कहा है कि जेल हटाकर 35 किमी0 दूर चली गयी है, इत्तिफाक से मैं एक महीने 10 दिन से यहां लखनऊ जेल में बंद हूं और विधान सभा सत्र की वजह से मुझे आगरा से फोर्स यहां लाई और यही हूं। यहां जितनी भी मुलाकात आती है, दिन भर जो गरीब मुलाकाती हैं, मुलाकात करते हैं 400-500 लोग और दिन भर गाली बकते हुये जाते हैं कि हर बंदी का डेढ़ सौ, दो सौ रूपया लग जाता है, 35 किमी0 दूर पहुँचने में, आटो, गाड़ी का भाड़ा देते-देते। यह जेल दूर तो बन गयी है और यह बहुत गलत है। इसके साथ-साथ बहुत ही खराब उसकी हालत है, एक साल हुआ उस जेल को चालू हुये, लेकिन आप मंत्री जी जॉच करा लें कि वहां इस वक्त क्या अव्यवस्था है। मतलब अभी एक बंदी ने जो खाने की थाली होती है, उससे पूरी मेन वॉल को काट दिया था, बुरा हाल है, एक बीस और एक पच्चीस के मसाले से उसकी जुड़ाई हुयी है और यह जेल 10 साल में गिर जायेगी इसलिये माननीय मंत्री जी आप इसकी गुणवत्ता की जांच करा लें तो पता लग जायेगा कि लखनऊ जेल में कितने बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की गई है। कमीशनखोरी के आधार पर जेल को खड़ा किया गया है। साथ ही साथ

माननीय मंत्री जी मैं आपसे एक और मांग करना चाहता हूं कि 53-54 हजार बंदी विचाराधीन बंदी हैं। जिनको सजा नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी हमारे जेल मैनुअल में यह प्राविधान है कि जिस तरह से आप सिपाही भर्ती करते हैं डिप्टी जेलर भर्ती करते हैं, जेलर भर्ती करते हैं आप चाहें तो नाई भी भर्ती कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वीपर भी भर्ती कर सकते हैं। क्योंकि जेलों में डेली 80 हजार आदमी अगर बाथरूम जा रहा है तो उसकी सफाई कौन करेगा उसकी सफाई वही बंदी करता है इसलिए इसके लिए भी स्वीपर की व्यवस्था होनी चाहिए और नाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे लखनऊ जेल में 3 हजार बंदी हैं लेकिन नाई एक है। तो एक नाई तीन हजार बंदी की दाढ़ी कैसे बनाएगा। बन्दी का बाल बढ़ा होता है गंदगी रहती है उससे और गंदगी फैलती है और बीमारी फैलती है। तो नाई की भर्ती और स्वीपर की भर्ती करने का मेरा सुझाव है अगर इसको बजट में लेकर और बड़े पैमाने पर भर्ती कर ली जाय तो इससे गरीबों को रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा और बंदियों को भी एक सुविधा मिल जाएगी कि नाई है और दाढ़ी बाल कर दिया। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी अभी आपने 72 घण्टे पैरोल पर उस व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए आदेश दिया है कि जिसके परिवार में शादी हो, बेटी की हो ,बहन की हो, भाई की हो, किसी की हो लेकिन इस पैरोल को डी0एम0 महोदय तय करेंगे इसमें यह हो रहा है आप पता करा लीजिए माननीय मंत्री जी कि कोई भी डी0एम0 और एस0पी0 जब बंदी की बात आती है चाहे वह 27 साल से बंद है कि इनको 72 घंटे के लिए छोड़ा जाय तो वह लिख देता है कि शांति भंग की संभावना है। यह व्यवस्था सुपरिंटेंडेंट के ऊपर कर देनी चाहिए कि सुपरिंटेंडेट बंदी को पुलिस कस्टडी में चाहे तो 72 घण्टे के लिए पैरोल पर शादी ब्याह मरने जीने में छोड़ सकता है। इससे यह होगा कि सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी वह पुलिस को व्यवस्था में भेज सके।पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति जब दो-तीन दिन के लिए जा रहा है तो उससे शांति भंग की संभावना ही नहीं है लेकिन एक फार्मूला रटा-रटाया है उसी रटे रटाए फार्मूले पर वह लिखकर डी0एम0/एस0पी0 भेज देते हैं। यह व्यवस्था रिपोर्ट के कारण माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है लेकिन हो नहीं रही है। इसलिए मैं उनका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह माननीय मंत्री जी बहुत सी महिलाएं हमारे प्रदेश की जेलों में बेचारी सड़ रही हैं, परेशान हैं और बूढ़ी हो गई हैं 20-20 साल से 15-15 साल से जेलों में हैं तो खासतौर से महिलाओं के लिए मैं यह चाहूंगा कि उन महिलाओं को 14 साल के बजाय 8 साल की सजा पर छोड़ दिया जाय। बंदी पुरुष के लिए 14 साल की सजा और बंदी महिलाओं के लिए 8 साल सजा कर दी जाय। और इसके बाद उनको समाज में जीने का हक दिया जाय। हां मगर उन महिलाओं को छोड़कर जिन्होंने अपने पति की हत्या कराई है उन्हें न छोड़ा जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मुख्तार अंसारी-

प्रेमवश में फंसकर जिन्होंने पति की हत्या कराई है उन महिलाओं को छोड़कर। ऐसी महिलाएं जो छोटी मोटी बातों में ,दहेज में फंसा दी जाती हैं पूरे घर की घर। हमारे यहां 7 महिला एक ही परिवार की हैं तीन बेटी, मां उनकी खाला सब जितनी हैं पूरा घर बंद है। ऐसे लोग जो बंद हैं तो कब तक सजा काटेंगे तो इन पर दया होनी चाहिए। उनको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो एक अच्छा

माहौल पैदा होगा। इसी के साथ साथ माननीय अध्यक्ष, अभी बसपा सरकार की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी एक अहमद लड़का है उरई जेल में बंद था यहां लखनऊ से मेरे गाजीपुर का रहने वाला है उसका ट्रांसफर बसपा सरकार में लखनऊ से उरई जेल करा दिया। उसके पास से फोन बरामद हो गया और माननीय मंत्री जी उसको इस बुरी तरह से मारा गया, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

फोटो को नहीं प्रदर्शित कीजिए, आप उसको हमारे पास भेज दीजिए, हम सरकार को भेज देंगे।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल मोबाइल बरामद करने के लिए इतना मारा गया, इतना मारा गया कि 200 चोटें पोस्टमार्टम में आईं और वह वहीं मर गया जेल में। यह बसपा सरकार की तानाशाही है, इसमें न्यायिक जांच हुई है और इसमें मानवाधिकार आयोग ने भी जांच की है। वह जेल के बड़े अधिकारियों को पैसा दे करके उस जांच को यहां लखनऊ में दबवाये हुए हैं। उस जांच को पटल पर मंगा लें और देख लें, उस न्यायिक जांच में स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों ने.....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है जो अभी सदन के सामने आया है और सरकार भी इसका गम्भीरता से संज्ञान लेना चाहेगी। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस गम्भीर मामले को विशेष रूप से देखें और कोई समिति गठित कर दें। सदन में यह बात आनी चाहिए कि आखिर वाकया क्या था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है, हम कल-परसों समिति गठित कर देंगे, जो इस मामले को देखेगी।

श्री मुख्तार अंसारी-

बहुत अच्छा है। माननीय मंत्री जी, इससे सच्चाई साफ हो जायेगी कि केवल एक मोबाइल बरामद होने पर उसको कितना दण्ड दिया गया कि मौत हो गई। मान्यवर, जेल मैनुअल में है कि अगर कोई गलत चीज किसी बन्दी के पास से बरामद होती है तो उसे कूचकर तोड़ दिया जाता है और उस बन्दी को तन्हाई में डाल देते हैं या फिर उसकी मुलाकात किसी से एक-आध हफ्ते तक नहीं करने की परमीशन दी जाती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह मुख्तार अंसारी का भांजा लगता है उसको 200 कुछ लाठियों से मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया और जेल के बाहर बम पटक कर दिखाया गया कि उसके आदमी ने बम फोड़ा है। मान्यवर, इसमें जांच हुई है, न्यायिक जांच हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो कहा है वह सारे तथ्य सदन के सामने आ जायेंगे। अब कृपया समाप्त करें।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, थोड़ी सी एक-दो बातें और हैं जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं बाकी हम लिख करके माननीय मंत्री जी के पास भेज देंगे। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मेरा घर गाजीपुर है, वहां से 800 किलोमीटर दूर बसपा की तानाशाही सरकार ने ट्रांसफर कर दिया था। रात के दो बजे छापा डाला और दो बजे हम लोग बैरक में 22 लोग थे, बाइसों लोगों का ट्रांसफर हो गया और आज लगभग साढ़े तीन साल बीत गये हम लोग बाइसों आदमी दूसरी-दूसरी की जेलों में पड़े हुए हैं। अपने गाजीपुर जनपद की जेल जहां हमारे मुकदमें चलते हैं वहां हमारे 7 मुकदमें हैं, आगरा में मेरा एक भी मुकदमा नहीं है, 800 किलोमीटर दूर मुझे आना-जाना पड़ता है। कल मैं हाउस में नहीं था, बज्र वाहन से जाने का मतलब है कि 14 घण्टे का समय लगता है वह 40-50 की स्पीड से चलती है। बहुत समय बरबाद होता, सरकार का पैसा बरबाद होता है, फोर्स का पैसा लगता है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे गाजीपुर में नहीं रखना चाहते हैं तो नजदीक की किसी जेल में कर दें ताकि मैं अपने मुकदमों की पैरवी कर सकूं, मैं अपने परिवार और बूढ़ी माँ से मिल सकूँ। कोई कारण नहीं, बिना कारण मुझे आगरा जेल में तन्हाई में बन्द रखा है, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि तन्हाई से हम निकलवा देंगे लेकिन आज तक हमें तन्हाई से नहीं निकाला गया है, मैं साढ़े तीन साल से तन्हाई में बन्द हूं। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं मैं एक सदस्य हूं इसके बारे में आप सोचिये, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया है, मुख्तार अंसारी जी जेल में थे उनके अपने अनुभव थे वह उन्होंने बताये और अच्छे सुझाव भी दिये, अब इसमें बहस समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर भारतेन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद्। अभी जैसे कि मेरे साथी बोले कि जेल अधिनियम-अभी तक नहीं बना है और जो नई जेल लखनऊ में बनी है, उसका हाल हमें बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1850 में बिजनौर में जेल बनी है वह कितना बदहाल है। जेल के बैरक की छतें टूटी हुई हैं, किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, दीवारों में दरार आ गयी है, इस वजह से सारे कैदियों को एक बैरक में डाल दिया गया है। अभी-अभी आपके सामने ऑकड़े प्रस्तुत हुए हैं कि जहां एक आदमी रखा जाना चाहिए वहां 17 आदमी रखे जा रहे हैं। जो महिला विंग है वहां पर बच्चों के लिए क्रैश नहीं है। ऐसी बहुत सी महिलायें हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनके लालन-पालन के लिए क्रैच नहीं है इसलिए क्रैच बनवाना बहुत आवश्यक है। महिला सेल में रात्रि के लिए शौचालय नहीं है शौचालय बहुत दूर है, महिलाओं को अंधेरे में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जेल की दीवार बिल्कुल जीर्णशीर्ण हो गयी है। अभी-अभी एक महीना पहले एक कैदी को निकाल कर ले जा रहे थे, जेल की दीवार इतने बुरे हाल में है कि वहीं पर बदमाशों ने आ करके उसकी हत्या कर दी। सब अखबारों में यह खबर छपी, सबको यह जानकारी है कि बिजनौर में जेल की दीवार तक नहीं ठीक हो पायी है। कर्मचारियों के जो क्वार्टर हैं वह बुरे हाल में हैं। बिल्कुल टूट

गये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछली दफा भी लगभग यही बातें मैंने रखी थी, मगर बिजनौर के 1850 की निर्मित जेल में अब भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। मेरी गुजारिश है कि कृपा करके बिजनौर की जेल को ठीक कराने का काम करें और मान्यवर, जितनी भी पुरानी जेलें हैं उन पर खासतौर से गौर करें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, कारागार मंत्री जी द्वारा जो बजट का प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लखनऊ जेल जिसे ''ईको पार्क'' का रूप दिया गया मैं उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह जेल ऐतिहासिक जेल है जब 1930 में साइमन कमीशन लखनऊ आया था तो पं0 जवाहर लाल नेहरू और तमाम नेताओं ने जो मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंनें इसी हजरतगंज में साइमन कमीशन का विरोध किया था और काले झण्डे दिखाने का काम किया था। उन पर लाठीचार्ज हुआ था, पं0 गोविन्द वल्लभ पंत जो बाद में मुख्य मंत्री हुए वह उनको बचाने के लिए उन पर गिर गये थे जिससे उनके सिर पर चोट आयी थी जिसके कारण उनका सिर हरदम हिलता रहा। मान्यवर, जब डा0 राम मनोहर लोहिया ने 1967 में हिन्दी आन्दोलन किया, हिन्दी को बढ़ाने के लिए हिन्दी आन्दोलन की कॉल दी और अंग्रेजी हटाने की बात की तो मा0 अध्यक्ष जी, उस वक्त मैं एल-एल0बी0 प्रथम वर्ष का छात्र था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम अपने विद्यार्थी साथियों के साथ इसी मंकी ब्रिज पर गिरफ्तारी दी थी और 15 दिन इस लखनऊ जेल में कैद रहा था। उस समय चौधरी साहब की सरकार थी। पी0डी0ए0 में कर्मचारी नेता पी0एन0 शुकुल और शिवकुमार मिश्रा वगैरह बंद थे, हम लोग 15 दिन हिन्दी आन्दोलन के समर्थन में जेल में रहे। जब हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ हमारे हाथ में रंग की एक कूची थी, रंग की एक बाल्टी थी हम लोग मंकी ब्रिज पर कम से कम 50 लोग हम सब छात्रनेता गिरफ्तार हुए थे और जेल गये थे। आज जो स्थिति है जब आपात काल लगा तो हम लोग 19-19 महीने जेल में बंद रहे।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाह रहे हैं जेल के बारे में, वह भी तो कहो।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

माया त्यागी काण्ड हुआ, चौधरी चरण सिंह जो आन्दोलन के खिलाफ रहते थे उन्होंने कॉल दी और हम लोग माया त्यागी कांड में जेल गये। हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह जी ने जब मंहगाई मूवमेण्ट के खिलाफ आन्दोलन किया तो उसमें हम लोग जेल गये और बनारस में 42 दिन हम लोग बंद रहे।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, इस जेल को दिन में हलफनामा दिया गया इस सरकार के द्वारा, हाईकोर्ट में एफीडेविट दिया गया कि जेल नहीं गिरेगी परन्तु रात के अंधेरे में बड़ी बेदर्दी के साथ बुल्डोजरों से

लखनऊ जिला जेल गिरा दी गयी, सेण्ट्रल जेल, आदर्श जेल गिरा दी गयी और उसको तब्दील कर दिया गया ऐसी जगह जिसका माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया है और उस जेल का यह हालत है, हम मा0 शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में अभी हम लोग पिछली सरकार के दमनकारी रवैये के कारण जेल गये थे माननीय शिवपाल सिंह जी, हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग 3 दिन वहां जेल में कैद रहे। उस जेल की बड़ी हालत खराब है। मान्यवर, मेरी गुजारिश है कि जो ऐतिहासिक जेल है जिसकी दीवारों पर वह इतिहास लिखा है, तमाम नेता हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के मेरे चचा, ताऊ स्वर्गीय राम नारायण शुक्ल भी इस जेल में रहे हैं बाबू त्रिलोकी सिंह, पं0 राम पाल त्रिवेदी और तमाम नेता इस जेल में रहे हैं। हम लोगों ने आपातकाल में 19 महीने इस जेल में रहकर काटा है। मैं चाहता हूं कि इस जेल को ईको पार्क जिस पर 20 रूपया वहां का टिकट है उसको खत्म किया जाय। कौन लोग जाते हैं वहां पर ईको पार्क में ? वही लोग जाते हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दें कि इसको ईको पार्क की जगह कारागार का म्यूजियम बना दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बजट के समर्थन में अपनी बात कहता हूं धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी बैठो ना। अरे क्या इस पर बोलेंगें ? आपका काम नहीं है, आपके नेता का काम है। बंशी सिंह पहाड़िया आप बोलो।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

और उस जेल को तुड़वाया जिसने और नई जेल बनवाई वह जेले गिरने वाली है, उसमें भ्रष्टाचार है। इस जेल में उसको बंद करके क्योंकि उनका मामला आ रहा है, उनको इसी जेल में रखा जाय और यह लोग भी जो सामने बैठे हैं, इन लोगों को इस जेल में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये आप। पहाड़िया जी बाप बोलिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) भइया तुम जेल पर क्यों बोल रहे हो तुम्हें तो कुछ दिन बाद जाना ही है, अंदर जाकर देख लेना। (हंसी) रहा समाजवादी के लोगों का, तो इन्हें धन्यवाद करना चाहिए हमारी पार्टी का कि इन्हें तपा तपाया नेता बना दिया 1975 में जेल भेज के। धन्यवाद करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे जेल के बारे में जो आदरणीय मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव रखा उसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन में ...

श्री अध्यक्ष-

कुछ दो चार सुझाव दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशी सिंह पहाड़ियां-

कुछ सुझाव के तौर में कह रहा हूं मैं जेल तो नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

तब क्या सुझाव दोगे। बैठो बैठो। जब जेल नहीं गये तो क्या सुझाव दोगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि खाने पीने की जो वहां की व्यवस्था है और जो वहां पैसा लेने का प्रचलन है। अध्यक्ष जी, जो जेल में पैसा लेने का प्रचलन है, उसकी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरे जिले के जेल मंत्री थे ब0स0पा0 सरकार में। मान्यवर, अभी इन्होंने लखनऊ जेल की चिन्ता व्यक्त की। मेरे जिले में 16 साल से जेल बन रही है, अभी वह बन नहीं चुकी है। लखनऊ जेल 10 साल में गिरेगी अभी मुख्तार भाई ने कहा। हमारी बनने से पहले न गिर जाय। एक तो उस जेल का निरीक्षण करवाया जाय और जेल को चालू कराने के लिये जो यह..

श्री अध्यक्ष-

आप ही से उद्घाटन हो उसका।

(हंसी)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, हम तो 22 साल से सोच रहे हैं उद्घाटन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अध्यक्ष जी, जेलों से हो रहे अपराधों के संचालन में, बंदी रक्षकों के कत्ल में अभी डा0 राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो बात कही मैं सरकार से अपील करता हूं कि जेलों के कक्षों की संख्या बढ़ायें या जिन जिलों में जेल नहीं है वहां जेलों का नया प्राविजन किया जाय और जेलों में आम आदमी या कुछ आदमी जो झेल लेते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि वहां हो रही पहले से ही लुटाई, हम आपकी सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। समय कम हुआ है, एक साल और देंगें अभी आपको। लेकिन खाने के मामले में, पैसे के मामले में, अपराधों के संचालन के मामले में, पानी और शौचालय के मामले में मेरा सुझाव है कि जो सभी सदस्यों ने कहा है उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने म्यूजियम की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जेल में जो फॉसी की व्यवस्था की जा रही है, उसको वहां न किया जाय। उसको मैं चाहता हूं उस जेल से हटाकर दूसरे किसी जेल में किया जाय। वहां पर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को जो वहां पर फॉसी दी गई थी उस जगह को रखा गया है, वहां म्यूजियम बनाकर ऐसे शहीद के सम्मान में उस जगह को सुरक्षित रखा जाय और उसको म्यूजियम बनाकर संजोने का काम किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसको गम्भीरता से लेकर के इस बात को रखा जाय। धन्यवाद।

श्री अनीसुर्ररहमान-

मान्यवर, मैं मात्र दो सुझाव दूंगा मुरादाबाद के बारे में, बहुजन समाज पार्टी ने तीन टुकड़े मुरादाबाद के किए हैं। पहली मर्तबा अमरोहा बना, दूसरी मर्तबा संभल बनाया गया 14 साल के बाद, लेकिन जेल का बिल्कुल इंतजाम नहीं किया गया। छः सौ कैदी की कैपिसिटी मुरादाबाद जेल की है और इस समय 2100 कैदी मुरादाबाद जेल में मौजूद हैं। पूरी तरह से जेल के अन्दर हाहाकार है, बहुत

ज्यादा परेशानी है मैं आपके माध्यम से, सरकार यहां बैठी है माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह अनुरोध करूँगा कि संभल और अमरोहा में जितनी जल्दी हो सके कारागार बनवाये जाएं। ताकि हमारे यहां की जेलों में कैदियों की संख्या कम हो सके। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध और करूँगा मा0 मंत्री जी से कि जमाने से जेल विजिटर नियुक्त नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश के अन्दर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जेल विजिटर के रूप में वहां नियुक्त करें ताकि वह लोग जेल में जाएंगे तो वहां पर सुधार होगा। कोई आदमी जेलों के अन्दर जाकर देखने वाला नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

क्या वहां से हाथ हिला रहे हैं आपके कहने से बोलेंगे।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं जिस तरह से सिविल पुलिस के लोगों को मंडल परिवर्तन करके,ब0स0पा0 सरकार ने हटा दिया था,ठीक उसी तरह से उन्होंने जेल के सिपाहियों और बन्दी रक्षकों के लिए यह आदेश कर दिया था, तो सिपाही लोगों का तो सपा सरकार ने कर दिया। यू0पी0 पुलिस का तो जेल विभाग के जो सिपाही हैं उनको भी सिविल पुलिस की तरह जो दूर भेजा गया है उनको अपने जिले के आसपास रहने के लिए व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि बन्दी रक्षक भी पड़ोसी जनपदों में रह सके नौकरी कर सकें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, जो दो-तीन बातें बहुत सारे लोगों ने कहीं उसको जोड़ते हुए,मा0 मंत्री जी,न्यायालय जब सजा देती है रिग्रेस इमप्रजेन्मेन्ट को, तो हम अक्सर जो महसूस करते हैं लोग, हार्ड पनिशमेंट और हार्श पनिशमेंट, दोनों के बीच के अन्तर को नहीं समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया रुकनी चाहिए। उनसे मेहनत कराना है लेकिन उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाना है। जो प्रक्रिया इस समय चलती है दूसरी चीज जिसकी चर्चा मुख्तार अंसारी जी कर रहे हैं आइसोलेशन करीब-करीब पूरी तरह मा0 न्यायालयों ने अमानवीय माना है। अतिरिक्त तब, जब उस व्यक्ति के जेल से भाग जाने का डर न हो, मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं कि किन परिस्थितियों में यह आइसोलेट किए गए हैं यह प्रशासन जाने, लेकिन आइसोलेशन की प्रक्रिया अमानवीय मानी गई है और जब तक कि अन्तिम विकल्प न हो किसी व्यक्ति को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा- क्योंकि **जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई,** बहुत प्रैक्टिकल सजेशन इस बात का आया था कि यह जो अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स है जिनसे हम कोई काम नहीं कराते हैं इसके नाते उनके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होता है। दस साल , पन्द्रह साल, बीस साल जेल में रह गए, अगर हम कोई कला उन्हें सिखा देते, तो वह बाहर निकलकर और बेहतर जीवन जी लेते, इसलिए यह जो सैद्धान्तिक अन्तर है जो मैं समझ पाया, कंविक्टेड और अण्डर ट्रायल के बीच का एक डिफरेन्स बनाया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग की दृष्टि से, और उनसे काम कराने की दृष्टि से इस डिफरेन्स को भी बदलना चाहिए। लाभ के अवसर या व्यक्तिव विकास के अवसर जो हम कंविक्टेड प्रिजनर्स को देते हैं वह अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स को मिलना चाहिए। क्योंकि मैं डाक्टर हूं अध्यक्ष जी,एक बार मैं डा0 के सेल में गोरखपुर गया था हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेडिकल फेसिलिटी जेलों के अन्दर बहुत बेहतर की जाए। ढेर सारी बीमारियां हैं, जो डाक्टर अध्यक्ष जी, वहां पोस्ट होता है, वह डाक्टर

करीब-करीब जेलर का, अब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा वही होता है। इसलिए जेल के डाक्टर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज मिलना चाहिए जिससे वह जेलर के अन्तर्गत रहेगा, लेकिन अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपनी बुद्धि और विवेक से,वहां के जो कैदी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति वास्तविक निर्णय ले सके। साथ ही जो वहां गन्दगी का माहौल बना है वह इसलिए बना है क्योंकि यह सारा दायित्व जेल अधिकारियों के पास होता है। जैसे नगर निगमों में हम हैल्थ इन्वायरमेंट सेनीटेशन के अधिकारी रखते हैं, यह अगर हम कार्य वहां के डाक्टरों को दे सकें और उनके इंचार्ज में, सफाई आदि की व्यवस्था करायें तो स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से सुझाव आए हैं और उसमें कुछ सुझाव बहुत कारगर हैं, उस पर हम अमल करेंगे। जहां तक 14 वर्ष के बाद रिहा करने की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक अभी निर्णय भी आया है कि राज्य सरकारों को या मुख्य मंत्री जी को या महामहिम राज्यपाल को एकमुश्त छोड़ने का 14 साल की अगर उनकी सजा हो गयी है, उनको यह अधिकार नहीं हो सकता और यह जो सजायाफ्ता है, सिद्धदोष कैदी है, उसको भी यह अधिकार नहीं है कि 14 वर्ष पूरा होने के बाद उसको छोड़ा ही जायेगा। यह उसके आचरण पर निर्भर करेगा। जहां-जहां दया याचिकाएँ आ रही हैं, हमारी कोशिश है कि हम उन पर गंभीरता से विचार करके उन्हें छोड़ने का फैसला करते हैं। सभी जेलों में हम वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी 7 जेलों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था हुई है और जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगभग 1 लाख कैदियों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए रिमाण्ड पर उनकी बातचीत हुई है। जहां तक जो अण्डर ट्रायल हैं, वह स्किल्ड हो जायें, इसके लिए हम लगातार वहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे एक साथी ने महोबा जेल की जो बात की है, महोबा में पहले से उप कारागार है, लेकिन हम इसे जिला जेल बनाने जा रहे हैं। ओवर क्राउडिंग के बारे में डा0 साहब ने सुझाव दिए हैं, तो यह दिक्कत तो है। चूंकि जेलों की क्षमता उतनी नहीं है, दोगुना उनके ऊपर भार आ गया है तो हम इसलिए नयी जेल बनवा रहे हैं और लगभग 17 जेल बनवाने जा रहे हैं, उनमें से कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ के बारे में हम जल्दी ही फैसला करेंगे। गोरखपुर में जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जिक्र किया है, मैंने शुरू में ही जब मैं बजट पर बोल रहा था तभी कहा था कि लखनऊ में हम एक म्युजियम बनायेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जेलें हैं, जहां-जहां क्रान्तिकारियों को फॉसी हुई है या सजा भोगी है, वहां पर उनका स्मारक बनायेंगे, वहां पर उनका इतिहास भी दर्ज करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात डाक्टर साहब ने उठाई थी और मैंने अपने अधिकारियों को कहा था कि जो अण्डर ट्रायल हैं, उनको कम आटा दिया जाता है, 540 ग्राम और जो सिद्धदोष कैदी हैं, उन्हें 700 ग्राम दिया जाता है। यह मुझे अमानवीय लगा और मैंने कहा भी था तो अधिकारियों ने यह कहा कि पहले से एक व्यवस्था है। वह शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा आटा देते हैं, लेकिन चावल बराबर देते हैं। चूंकि यह मानवीय पक्ष है और बहुत संवेदनशील पक्ष है, इस पर हम बात करके विचार करेंगे, इसमें कुछ फैसला करेंगे। यह आपने बहुत ठीक मुद्दा उठाया है। मान्यवर, लखनऊ जेल का जो मैंने जिक्र किया था और जो हमारे साथियों ने इस बीच में बताया था कि किस तरह से लखनऊ जेल में, मुझे याद है, जब हम लोग एक तानाशाह सरकार के खिलाफ आन्दोलन में थे और सड़कों पर थे तो हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी भी बहुत से सैकड़ों नौजवानों के साथ लखनऊ जेल में यह भी बन्द

किए गए थे और जिस तरह की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था वहां उस वक्त बताई गई थी और यह भी जो उस जेल का निर्माण हुआ है, उसमें कितना घोटाला हुआ होगा, किस तरह से वह जेल अभी भी जर्जर है, 10 साल क्या वह कब तक खड़ी रहेगी, मैं कह नहीं सकता तो मैं सदन में इस बात का आश्वासन देता हूं कि उस घोटाले की हम जांच करायेंगे, बहुत जरूरी है। उसमें भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है क्योंकि वह जेल जिस तरह से बनायी गयी है और जिस तरह से यहां से हटायी गयी है, दोनों आपराधिक कृत्य हैं। जो पिछली सरकार थी, उसने यह काम किया है। हम इस पर विचार करेंगे और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके उसकी जांच के लिए क्योंकि यह बहुत आवश्यक है, चूंकि उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, हम यह मानते हैं और हमारे पार्टी के नेताओं ने उस वक्त भी कहा था कि हम लोग वहां बन्द थे, वह 35 किलोमीटर दूर है, यह एक सवाल है। लेकिन जो वहां का निर्माण हुआ है उसमें ही घोटाला हो गया है उसमें सीमेंट का ही पता नहीं है। किस तरह से वहां पर उस जेल में एक डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या भी हो गयी। तो इस तरह से हम उसकी जांच करायेंगे। जो सफाई कर्मियों और बारबर के बारे में जो बात की है तो मैं इस पर भी विचार करूंगा। अध्यक्ष जी यह जो मेरी दाढ़ी है यह मेरठ जेल की निशानी है आपातकाल की। वहां पर जो कैदी दाढ़ी बनाने के लिए आता था उसके पास जो उस्तरा था उसकी पत्ती पर बिल्कुल जंग लगा हुआ था और कई साथियों के वह पहले से खून निकाल चुका था। मैं उसमें डरा और मैंने कहा कि मैं दाढ़ी नहीं बनाउंगा। उसके बाद मैंने मेरठ से कैंची मंगाई और फिर मैं यह कैंची से कराने लगा। मेरठ जेल के बाद मैंने दाढ़ी नहीं बनवायी। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर से नाई या सफाईकर्मियों की व्यवस्था हो सकती है। यह जो महिलाओं की दुर्दशा का मामला है यह बात सही है कि जेल में जो महिलायें हैं वह बहुत दिक्कत में हैं। मैं 20 साल तक की उनकी रिपोर्ट मंगा रहा हूं। उसमें और क्या हो सकता है सरकार इस पर फैसला करेगी।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मंत्री जी बोल रहे हैं दखल का तो सवाल नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की दाढ़ी का भी कोई इतिहास है ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मैं वही मुस्कुरा रहा था। चौधरी साहब जब से दाढ़ी रखे बढ़ाये ही नहीं तो कहां इरेजर और अस्तुरे की बात आ गयी। इसलिए बोलने के लिए कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष की दाढ़ी में तिनका अक्सर फसा हुआ रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी दाढ़ी का भी कोई ऐसा ही इतिहास है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए कोई इतिहास नहीं है। अब जल्दी खत्म करिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने जैसे शंका जाहिर की है मैं सौ फीसदी सत्य बता रहा हूं कि यह दाढ़ी आपातकाल जेल की ही है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

मान्यवर, दूसरा उरई जेल का मामला है उस पर माननीय आजम साहब ने कहा है उस पर भी जो कमेटी बनेगी और जिस पर जांच आएगी। इसके साथ ही तन्हाई का जो मामला है इस पर भी हम बात करेगे किस तरह से इतनी देर तक वह तन्हाई में रखते हैं। और इको पार्क के मामले में बोल चुका हूं लेकिन किस तरह से एक ऐतिहासिक जेल को तोड़ दिया और दर्द नहीं हुआ, ऐसे लोग सत्ता में आये जो कभी जेल नहीं गये, संघर्ष नहीं किया, आन्दोलन नहीं किया और अपनी इन्होंने किताब भी छपा ली- मेरी संघर्ष यात्रा। मेरी संघर्ष गाथा। अब कौन सी इनकी नेता की संघर्ष की गाथा है। यह हम समझ ही नहीं पाये। कोई संघर्ष जीवन में किया ही नहीं। तो यह सारे जो अभी सवाल आये हैं। मैं सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये। और जैसा मैंने अभी कहा हम उस पर अमल करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मित्र ने इस पर कटौती प्रस्ताव किया है तो इसमें कटौती क्यों करना चाहते हैं। पहले ही यह लोग जेलों की दुर्दशा करके गये हैं। तो इसमें कटौती न करें और 06,01,73,60,000 रुपये की धनराशि का जो मेरा प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग(कारागार) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 06,01,73,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[7.07 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब सदन को एक सूचना देनी है-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 मार्च, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 20 मार्च, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के बाद विधायी कार्य लिया जाय।

2-दिनांक 21 मार्च, 2013 को केवल नियम-51, 300 व 301 के अन्तर्गत की सूचनायें ली जाएं।

3-दिनांक 22 मार्च, 2013 को प्रश्नकाल व शून्य प्रहर न हो। केवल नियम-51 व 301 के अन्तर्गत की सूचनायें ली जाएं।

4-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 के पुरःस्थापन, विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 21 मार्च, 2013 के स्थान पर अब दिनांक 22 मार्च, 2013 को मध्याह्न 12.00 बजे ली जाएं।

5-दिनांक 20 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

मार्च, 2013

20 बुधवार
1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं उसका पारण।

21 गुरुवार
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार-चर्चा जारी।

22 शुक्रवार
1-11.00 बजे पूर्वाह्न
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर जारी चर्चा पर विचार एवं मतदान।

2-12.00 बजे मध्याह्न
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
4-विधायी कार्य (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[7..10 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 70 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के 57 जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपना वेतन और भत्ता सर्वशिक्षा अभियान के फण्ड से आहरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री अब्दुल मशहूद खां की जनपद-बलरामपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक के निर्माण में मिलावटी मेटेरियल का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना कुंवर भारतेन्दु सिंह की उत्तर प्रदेश के मण्डल/जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री जियाउद्दीन रिज़वी की जनपद-बलिया को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के मडिहान क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में किसानों से खरीदे गये धान का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की आईकावा इन्टरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गई करोड़ों रु0 की ठगी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के निवासी नूर बानो के पति श्री फैज मोहम्मद शमी की पुलिस द्वारा की गई हत्या की जांच कराये जाने एवं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की मुरादाबाद के नगर पंचायत काठ में कब्रिस्तान से पड़ियों वाली पुलिया तक 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन आबादी के ऊपर से हटाकर रास्ते के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की सहारनपुर के ग्राम शेरमऊ में स्थापित उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को शुगर वेज बोर्ड के अनुसार लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी के अन्तर्गत ग्राम घोसी एवं ग्राम कांठगांव में ससुर खदेरी नदी पर बने जीर्ण-शीर्ण पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रम संख्या	नाम
1	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
2	श्री राजेश यादव,
3	श्री तस्लीम अहमद,
4	डा0 मुहम्मद अयूब,
5	श्री प्रमोद तिवारी,
6	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
7	श्री अगयश राम सरन वर्मा,
8	सुश्री सावित्री बाई फूले,
9	श्री गजराज सिंह,

क्रम संख्या	नाम
10	श्री सुधाकर सिंह,
11	श्री अमरपाल शर्मा,
12	श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद,
13	श्री अजय कुमार लल्लू,
14	डा0 अरुण कुमार,
15	श्री प्रदीप माथुर,
16	श्री अभय नारायण सिंह पटेल,
17	श्री रामहेत भारती,
18	श्री आशीष कुमार यादव,
19	श्री बब्बन सिंह चौहान,
20	श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
21	श्री बजरंग बहादुर सिंह,
22	श्री सन्त प्रसाद,
23	साध्वी निरंजन ज्योति,
24	श्री गंगा सिंह कुशवाहा,
25	श्री सतीश महाना,
26	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,
27	श्री विजय कुमार दुबे,
28	श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
29	श्री कालीचरन सुमन,
30	श्री जय प्रकाश अंचल,
31	श्री धर्मराज यादव 'सुरेश यादव',
32	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,
33	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी,
34	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
35	श्री उमेश पाण्डेय,
36	श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
37	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
38	श्री रविन्द्र भडाना,
39	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
40	श्री गुटियारी लाल दुवेश,
41	श्री राधेलाल रावत,
42	श्री विजय बहादुर यादव,
43	श्री संजय कपूर,

क्रम संख्या	नाम
44	श्री भीम प्रसाद सोनकर,
45	श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,
46	श्री राम चन्द्र यादव,
47	श्री दीपक पटेल एडवोकेट,
48	श्री धर्मपाल सिंह,
49	श्री रोशन लाल वर्मा,
50	श्री संजय प्रताप जायसवाल,
51	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
52	श्री शमशेर बहादुर,
53	श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा',
54	श्री अली यूसुफ अली,
55	श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज,
56	श्री फेरन लाल अहिरवार,
57	श्री अजय मिश्र 'टेनी',
58	श्री राजबली जैसर,
59	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह उर्फ नन्दू चौधरी तथा
60	श्री सन्तराम कुशवाहा।

[7.13 बजे] जनपद उन्नाव के प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति करनईपुर के किसानों द्वारा अदा की गयी ऋण की धनराशि को समिति के सचिव द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

साधन सहकारी समिति लि0 करनईपुर के ग्राम पाण्डेपुर के ऋणी सदस्यों की प्रारम्भिक जांच की गयी ...

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

मोहम्मद आजम खां-

[जिसमें 14 सदस्यों से समिति सचिव श्री शिवनायक सिंह द्वारा कुल 1,83,119.00 रु0 अपनी बीमारी के इलाज हेतु लेना स्वीकार किया गया है। कृषक सदस्यों से प्रारम्भिक जांच में तस्दीक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने पर यह बात अक्षरशः सत्य पाई गई है। समिति अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह जो ग्राम पाण्डेयपुर के ही रहने वाले हैं, ने भी सचिव द्वारा दिये गये बयान को सत्य बताया है।

2-सचिव ने अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि उक्त समिति के सदस्यों द्वारा अधिक ऋण लगाये जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की जा रही है वह सत्य है। मेरी बीमारी पर अत्यधिक खर्च हो जाने के कारण श्री सुखराम, श्री गुरुचरन एवं श्री गुरु दयाल सहित कुल 14 कृषक सदस्यों को स्वीकृत ऋण की धनराशि रु0 1,83,119.00 मेरे द्वारा स्वयं ले ली गई, जिसकी अदायगी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।

3-सचिव द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि वह स्वस्थ्य हो रहा है कोई व्यवस्था करके उक्त सभी सदस्यों का ऋण मय ब्याज के समिति को वापस करेगा और यदि मैं उक्त धनराशि वापस नहीं करता हूं तो मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी।

4-अध्यक्ष, साधन सहकारी समिति लि0 करनईपुर वि0खं0 बीघापुर उन्नाव द्वारा अपने बयान दिनांक 15-03-13 में उल्लेख किया गया है कि सचिव श्री शिवनायक सिंह द्वारा दी गई सूचना/बयान जिसमें 14 सदस्यों से कुल 1,83,119/- रु0 लेना स्वीकारा गया है, उक्त सभी सदस्य मेरे गांव पाण्डेयपुर के हैं। मेरे संज्ञान में सचिव द्वारा दी गई सूचना सत्य है।

5-प्रकरण के संज्ञान में आने पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उन्नाव के आदेश दिनांक 15-03-13 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-66 के अन्तर्गत विस्तृत निरीक्षण हेतु श्री यशवन्त सिंह, अपर जिला सहकारी अधिकारी/तहसील प्रभारी बीघापुर एवं श्री संजय पाण्डेय, उप महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उन्नाव की दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट तीन दिनों में प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उन्नाव के आदेश दिनांक 15-03-13 द्वारा आरोपित सचिव के निलम्बन की कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति, साधन सहकारी समिति लि0, करनईपुर को आदेशित किया गया है एवं आरोपित सचिव के हस्ताक्षर की भी मान्यता समाप्त कर दी गई है। उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-66 के अन्तर्गत निरीक्षण आख्या/जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्यवाहीं की जायेगी।]

जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा की परीक्षा मूल्यांकन पद्धति से छात्र-छात्राओं में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडर विश्वविद्यालय में ....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[आगरा द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा की परीक्षा के मूल्यांकन से अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी परीक्षा कापी का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाता है। न ही अन्य विश्वविद्यालय की तरह छात्र-छात्राओं की संतुष्टि के लिये उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रति उपलब्ध कराई जाती है। जिसके कारण विद्यालय प्रशसन की मूल्यांकन पद्धति पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं व छात्र हित में पारदर्शिता न होने के समय-समय पर आरोप लगाये जाते रहे हैं। इस मूल्यांकन पद्धति को लेकर छात्र-छात्राओं में काफी रोष है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में कुल सचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से आख्या प्राप्त की गई। विश्वविद्यालय की आख्या दिनांक 16-3-2013 के अनुसार डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की परिनियमावली में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रति कराये जाने की भी व्यवस्था नहीं है। किन्तु छात्र अंकों की संतुष्टि हेतु निर्धारित फीस जमा कर स्कूटनी करा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन का कार्य सक्षम परीक्षकों द्वारा छात्रों के अनुक्रमांक को छिपाकर कराया जाता है। इस प्रकार अंक देने में पूर्ण पारदर्शिता रहती है।]

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ पूछना है?

श्री दलवीर सिंह-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर पूछिये।

श्री दलवरी सिंह-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह पूछना है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया है रिवैल्यूशन की, कापी दिखाने की, आगरा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मोनोपाली चल रही है वी0सी0 की और इतना घोर बेइमानी कर रहा हो वह मान्यवर, कि हर तरह से अपने रिकार्ड को अपने पास रख के बड़े बाबू और छोटे बाबू सब हेराफेरी में लगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि रिवैल्युएशन की प्रक्रिया वहां अन्य यूनिवर्सिटियों की भांति शुरू करायी जाये और कापी दिखाने का भी ये जो प्रचलन अन्य विश्वविद्यालयों में है, वो आगरा यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे इसकी सही सूचना तो नहीं है लेकिन शायद कापी दिखाने का चलन सभी जगह से खत्म हो गया है लेकिन अगर है और जगहों पर है तो विचार किया जा सकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में अन्य जनपदों के अतिरिक्त अलीगढ़ व आगरा मण्डल के गरीबों को वितरित किये जाने वाले सरकारी मिट्टी के तेल की हो रही कालाबाजारी एवं पेट्रोल व डीजल में मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रामवीर उपाध्याय जी, हैं ? नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में..

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना निम्नवत् है :-

''उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं (सिविल) के ज्येष्ठता सूची में निगम की सेवा नियमावली (इंजी0/आर्कि0) 1980 एवं संशोधित के अनुसार ज्येष्ठता का आंकलन नियमित सेवाओं पर ही आंकलित की जायेगी पूर्व में की गई तदर्थ/मस्टर रोल/अप्रेन्टिस पर की गई सेवाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा। शासनादेश संख्या-405/(1)/44-2-1992 के पश्चात् वर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों से कनिष्ठ रहेंगे।

अनारक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं द्वारा प्रबन्ध तंत्र/शासन प्रशासन के सहयोग से गलत तथ्यों के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं से ऊपर अनारक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची निर्धारण करने से आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उप अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाये रखने हेतु मा0 मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्य :-

मा0 सदस्य की उपर्युक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-405(1)/चौवालिस-2-1992, दिनांक 01 मई, 1992 के अनुसार निगम के निदेशक मण्डल की 86वीं बैठक दिनांक 31-08-1994 में ज्येष्ठता के नियम-को निर्माण निगम की सेवा नियमावली में अंगीकृत किया गया है, जिसके अनुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सेवानियमावली (इंजी0/आर्की0), 1980 यथा संशोधित एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 में निहित प्राविधानानुसार निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3026/प्रब(का)/ज्येष्ठता-उप अभियन्ता (सिविल)/रानिनि/12, दिनांक 9-8-2012 द्वारा उप अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गई है।

जहां तक अनारक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं द्वारा प्रबन्ध तंत्र/शासन प्रशासन के सहयोग से गलत तथ्यों के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं से ऊपर अनारक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में जनशक्ति नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के पदों का पुनर्गठन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2512/23-8-94-266सी0बी0/88, दिनांक 02-07-94 के प्रस्तर-5 के उप प्रस्तर-2 में दी गई व्यवस्थानुसार ही निगम में उप अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की दिनांक 09-08-2012 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उप अभियन्ताओं (सिविल) को बैकलॉग अन्तर्गत वर्ष 1997 में विनियमित किये गये अनुसूचित जाति के उप अभियन्ताओं (सिविल) की भांति निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 05-03-2013 द्वारा क्रमानुसार अवस्थित कर ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।]

जनपद महोबा में पावर लाइन के विद्युतीकरण में किसानों की तैयार फसलों को उजाड़े जाने एवं पीड़ित किसानों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है कि बुन्देलखण्ड जैसे गरीब क्षेत्र....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में किसान वैसे ही अनेक दैवीय आपदाओं से परेशान है। इस समय जब फसल कटने को तैयार है, ऐसे समय में भारत सरकार के ऊर्जा विभाग की एक योजना के अन्तर्गत ग्वालियर (मध्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश) से सतना (मध्य प्रदेश) तक एक हाईटेंशन लाइन डाली जा रही है, जिससे भारी भरकम टावर लगाने में किसानों की काफी भूमि अधिग्रहीत करके तथा तैयार फसल को मशीन द्वारा रौंद कर विद्युतीकरण कराया जा रहा है, जिसका किसी भी प्रकार का मुआवजा बाहुबली ठेकेदारों एवं विद्युत विभाग द्वारा न करके किसानों का घोर उत्पीड़न-शोषण किया जा रहा है। यह योजना पावर ग्रिड सतना संभाग के अधिकारियों की निगरानी में चलाई जा रही है। विद्युत विभाग के ठेकेदारों की इस कार्यवाही से जनपद के प्रभावित पीड़ित किसानों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से सतना (मध्य प्रदेश) तक की लाइन का निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा बनाई जा रही है। अतः सूचना में उल्लिखित बिन्दु के सन्दर्भ में कार्यवाही भारत सरकार के नियंत्रणाधीन पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 द्वारा की जा सकती है। उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, बी0-9, कुतुब इन्स्टीट्यूटशनल एरिया, कटवारिया सरायं, नई दिल्ली को ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15-03-2013 प्रेषित किया गया है।]

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड अखण्डनगर के ग्राम पंचायत पाराबासूपुर में 2005-2006 से 2010-2011 तक विकास कार्यों हेतु प्राप्त धन में की गयी अनियमितता में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जगन प्रसाद गर्ग जी, हैं ? नहीं हैं।

जनपद बस्ती स्थित कुआनों नदी को जल प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि बस्ती जनपद में कुआनो नदी का.....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जल बभनान शुगर मिल तथा बस्ती शहर के किनारे स्थापित अन्य फैक्ट्रियों के अवशिष्ट एवं अन्य रासायनिक कचरा कुआनों नदी में डालने जाने के कारण नदी का जलप्रदूषित एवं काला होता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रहा है। नदी का जल देखने में गंदे नाले का जल प्रतीत होता है। बस्ती शहर एवं आसपास के मृतकों की अन्येष्टि कर्म कुआनों नदी के तट पर स्थापित अन्त्येष्टि स्थल मूड़ घाट पर किया जाता है। अन्त्येष्टि क्रिया के बाद स्थान की बाध्यता के कारण मृतक के परिजनों को नदी के गन्दे एवं प्रदूषित जल में स्नान करने के लिये मजबूरन बाध्य होना पड़ता है, जबकि नदी में स्नान करना एक प्रकार से जल जनित रोगों को दावत देना है। कुआनों नदी के जल प्रदूषण को लेकर समाचार-पत्रों से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई, परन्तु शासन, प्रशासन के द्वारा इस गम्भीर प्रकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आख्या के आधार पर स्थिति यह है कि जनपद बस्ती में कुआनों नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले दो उद्योग क्रमशः मै0 सुयश पेपर मिल, बस्ती एवं मै0 गोविन्दनगर शुगर, वाल्टरगंज, बस्ती को चिन्हित किया गया है। मैं0 सुयश पेपर मिल, बस्ती द्वारा वेस्ट पेपर का प्रयोग कर मीडिया क्राफ्ट पेपर एवं टिशू पेपर का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03-01-2013 को क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया है। उद्योग की उत्पादन क्षमता वर्तमान में लगभग 100 मी0टन/ दिन क्राफ्ट पेपर एवं 10 मीट्रिक टन/दिन टिशू पेपर की है। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बार स्क्रिन, कैमिकल मिक्सिंग कम क्वेलाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेयरिफायर, एरियेशन टैंक, सेकेण्ड्री क्लेयरिफायर, एवं स्लज डाइंग बैड स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया एवं एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा 26 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0 की मात्रा 138 मि0ग्रा0/ली0 एवं टोटल सस्पेंडेड सालिड की मात्रा 90 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

उद्योग मै0 गोविन्दनगर शुगर, वाल्टरगंज, बस्ती द्वारा 6000 मीट्रिक टन/दिन गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 10-1-13 को किया गया। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बार स्क्रिन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, कैमिकल मिक्सिंग टैंक, इक्वैलाइजेशन टैंक, प्राइमरी सेकेण्ड्री क्लेयरीफायर, स्लज डाइंग बैड एवं सैंड फिल्टर एवं कार्बन फिल्टर स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत पाया गया एवं एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में बी0डी0ओ0 की मात्रा 27 मि0ग्रा0/ली0 सी0ओ0डी0 की मात्रा 122 मि0ग्रा/ली0 एवं टोटल सस्पेंडेड सालिड की मात्रा 28 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

जनपद गोण्डा स्थित मै0 बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 यूनिट बभनान (शुगर डिवीजन) द्वारा 10000 टन गन्ने की क्रशिंग प्रतिदिन कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग का उद्यतन निरीक्षण दिनांक 14-12-12 को क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु आयल एवं ग्रीस ट्रैप, इक्वेलाइजेशन टैंक, कैमिकल डोजिंग टैंक, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेयरीफायर, एरियेशन टैंक, सेकेण्ड्री क्लेयरीफायर, कार्बन व सैण्ड फिल्टर एवं स्लज डाइंग बैंड स्थापित हैं एवं निरीक्षण के समय एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा 26 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0 की मात्रा

238 मि0ग्रा0/ली एवं टोटल सस्पेंडेड सालिड की मात्रा 24 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उद्योग की आसवानी इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में शीरे का प्रयोग कर अल्कोहल उत्प्रवाह किया जाता है उद्योग के उत्पादन क्षमता 60 कि0ली0/दिन की है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह (स्पेन्टवाश) के शुद्धिकरण हेतु प्राथमिक श्योधन के उपरान्त पक्के लैगून में एकत्र किया जाता है जिसके उपरान्त रिवर्स ओसमोसिक प्लांट के माध्यम से निम्नकृत कर आ0ओ0 रिजेक्ट को प्रेस मड के साथ मिलाकर 12 एकड़क क्षेत्रफल पर बायो कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से जैविक खाद बनाने का कार्य किया जाता है। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को शून्य कर दिया जाता है जिससे प्रदूषित उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित होने की सम्भावना नहीं रहती है।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार कुआनों नदी बस्ती शहर की सीमा से होते हुए घाघरा नदी में मिलती है जिसमें बस्ती शहर के नाला एवं नालियों का गन्दा पानी गिरता है जिसमें बस्ती शहर का सृजित सीवेज/गन्दा पानी नाला एवं नालियों के माध्यम से नदी में मिलता है।

उक्त घरेलू जल मल से कुआनों नदी को जल प्रदूषण से मुक्त करने हेतु यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती शहर की सीवरेज योजना को दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक प्रेषित किये जाने की योजना है। इस योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य सम्पादन के उपरान्त नदी को बस्ती शहर के सीवरेज एवं गन्दे पानी के प्रदूषण से मुक्त किया जाना सम्भव होगा।

कुआनों नदी की जलगुणता का अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अमहट घाट, रोड ब्रिज बस्ती पर किया गया है वर्ष 2011 एवं 2012 के औसत आंकड़ों के अनुसार घुलनशील आक्सीजन की मात्रा क्रमशः 7.2 एवं 7.1 मि0ग्रा0/ली0 तथा बी0ओ0डी0 की औसत मात्रा क्रमशः 7.8 एवं 8.6 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई जिसके अनुसार उक्त बिन्दु पर नदी का जल सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ-25 पर)

संलग्नक-1

विधान सभा प्रश्न संख्या-16

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री पूरन प्रकाश द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तरालेख की अनुपरक सामग्री

जनपद मथुरा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 77 मार्गों पर कराये गये अनुरक्षण कार्यों पर 87.09 लाख एवं 2012-13 में 88 मार्गों पर कराये गये अनुरक्षण कार्यों पर 25.10 लाख व्यय किया गया। स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	फेज	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	निरीक्षण का दिनांक
1	4	यू0पी0 5008	बन्दी से मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	20/05/11
2	4	यू0पी0 5008	मखदूम फार्म से नगला मखदूम	26983.00	14561.00	19/04/11
3	4	यू0पी0 5008	फरह अछनेरा से नगला हृदय	35078.00	18930.00	19/04/11
4	4	यू0पी0 5008	रैबपुरा जाट से नगला धर्मपाल	28333.00	15290.00	19/04/11
5	4	यू0पी0 5008	फरह ओल से गढ़ी रामबल	44220.00	103662.00	16/09/11
6	4	यू0पी0 5008	रसूलपुर से झपरा	105234.00	56790.00	19/04/11
7	4	यू0पी0 5008	बी0सी0आर0 रोड से नगला पिसावा	51268.00	27667.00	16/09/11
8	4	यू0पी0 5009	टेटीगांव खेर रोड से आसफाबाद	46597.00	46597.00	14/09/11
9	4	यू0पी0 5009	रायपुर से कोशल गढ़ी	18930.00	18930.00	15/09/11
10	4	यू0पी0 5009	तिलका गढ़ी से भगवान गढ़ी	64070.00	64070.00	15/09/11
11	4	यू0पी0 5009	ल्योही से ब्योही	81544.00	81530.00	14/09/11
12	4	यू0पी0 5010	होमपुरा से नगल माडा वाया चौथैया	112407.00	0.00	19/04/11
13	4	यू0पी0 5011	वहोटा से नगला रदोई	85904.00	85904.00	16/09/11
14	4	यू0पी0 5011	नगला देवरिया रोड गढी आशा वाया सेहतू	21551.00	21551.00	20/05/11
15	4	यू0पी0 5011	सादाबाद-मथुरा रोड से नगला काजी	29706.00	29705.00	21/05/11
16	4	यू0पी0 5011	आबरैनी से गढ़ी शीशा	32035.00	32035.00	20/05/11
17	4	यू0पी0 5011	कोल से नगला देवकिशन	159191.00	85905.00	10/11/10
18	5	यू0पी0 5012	बलदेव जुगसना रोड से नगला विधि	82197.00	48444.00	20/05/11
19	5	यू0पी0 5012	माठ नौहझील रोड बरोठ से सुहागपुर	0.00	127292.00	21/04/11

क्र0 सं0	फेज	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	निरीक्षण का दिनांक
20	5	यू0पी0 5012	बांगना से काकरगढ़ी	43204.00	25464.00	--
21	5	यू0पी0 5013	हाथिया से नगला रामफल	42871.00	25265.00	14/10/12
22	5	यू0पी0 5013	रोकली से नगला कपिया	106230.00	62604.00	21/04/11
23	5	यू0पी0 5013	बलदेव से सेहत	35832.00	21116.00	20/02/13
24	5	यू0पी0 5013	मथुरा सादाबाद से नगला सेवा	22130.00	13043.00	20/02/13
25	5	यू0पी0 5013	बलदेव जुगसना से नगला कुंजी	40906.00	24222.00	20/05/11
26	5	यू0पी0 5013	धर्मपुरा से इकदन्ता	38993.00	22950.00	13/10/12
27	5	यू0पी0 5014	शोक-अगीग-बारपा से नैनोपट्टी	87378.00	71843.00	19/04/11
28	5	यू0पी0 5014	मथुरा सौंख रोड से फीडर	86326.00	70977.00	19/04/11
29	5	यू0पी0 5014	गोबर्धन-सौंख रोड से नगला वेरू	103170.00	84826.00	23/09/10
30	5	यू0पी0 5015	नावली इखु से मसंद गढ़ी	56908.00	33539.00	14/09/11
31	5	यू0पी0 5015	पी0बी0एम0बी0 रोड से ढकुकपुर	65340.00	38508.00	21/05/11
32	5	यू0पी0 5015	पी0बी0एम0बी0 रोड से नगरी	79461.00	46829.00	20/04/11
33	5	यू0पी0 5015	सुजावली से भीकागढ़ी वाया राजागढ़ी	74192.00	43724.00	20/04/11
34	5	यू0पी0 5016	मात नौहा झील रोड से नगला मौजी	26706.00	26700.00	05/12/12
35	5	यू0पी0 5016	माट जैसवा रोड से नगल सीताराम	52317.00	29810.00	21/02/13
36	5	यू0पी0 5016	माट जैसवा रोड से गढ़ी हुलासी	98119.00	40990.00	21/02/13
37	5	यू0पी0 5016	एन0एच0-2 से बेगमपुर	26706.00	26700.00	19/04/11
38	5	यू0पी0 5017	फरहा अछमेरा रोड से धानाखेमा	0.00	8690.00	19/04/11
39	5	यू0पी0 5017	कराहारी पब्बीपुर से बांस ढोकला	0.00	12551.00	21/04/11
40	5	यू0पी0 5017	पी0बी0एम0बी0 ढहरुआ से कल्याणपुर	0.00	20341.00	21/02/13
41	5	यू0पी0 5017	डडीसरा से डडीसरी	0.00	36354.00	21/04/11
42	5	यू0पी0 5017	हसनपुर पारखेरा रोड से सैदगढ़ी	0.00	9175.00	15/09/11
43	5	यू0पी0 5017	हसनपुर से मुकन्दगढ़ी	0.00	25967.00	--
44	5	यू0पी0 5017	हसनपुर से जरैलिया	0.00	21414.00	--
45	5	यू0पी0 5017	पी0बी0एम0बी0 रोड से पिरसुआ नगला	0.00	15580.00	21/05/11

क्र0 सं0	फेज	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	निरीक्षण का दिनांक
46	5	यू0पी0 5017	रायामाठ रोड से ढकपुरा	0.00	12984.00	21/05/11
47	5	यू0पी0 5018	माट ग्रांट से सौर	22359.00	0.00	21/05/11
48	5	यू0पी0 5018	पी0बी0एम0बी0 रोड से इटोरा	38824.00	0.00	21/05/11
49	5	यू0पी0 5018	अडीग से परमोदरिया	21738.00	0.00	27/03/11
50	5	यू0पी0 5018	एन0एच0-2 से भदाया बुर्जकुपा	24843.00	0.00	13/10/12
51	5	यू0पी0 5018	नुरुल्लापुर (नगला हृदय) से मिर्जापुर	12471.00	0.00	13/10/12
52	5	यू0पी0 5018	उसीखुर्द से सेंहां	49686.00	0.00	20/04/11
53	5	यू0पी0 5018	सौख कुम्खेर रोड से नगला आशा	13043.00	0.00	19/04/11
54	5	यू0पी0 5018	फीडर से नगला धाम	37264.00	0.00	19/04/11
55	5 अति	यू0पी0 5019	अडीग बोरपा से शीशराम	50586.00	0.00	14/10/12
56	5 अति	यू0पी0 5019	पीथोरा से बादना	365713.00	0.00	29/03/11
57	5 अति	यू0पी0 5019	के0एन0डी0जी0 रोड से हाथिया	147540.00	0.00	14/10/12
58	5 अति	यू0पी0 5020	टैकीगांव से खेररोड	320923.00	0.00	21/04/11
59	5 अति	यू0पी0 5020	अडीग से बोरपा	145868.00	0.00	14/10/12
60	5 अति	यू0पी0 5021	नन्दगांव से नन्दगांव कामा रोड वाया साचोली	1002100.00	0.00	20/04/11
61	5 अति	यू0पी0 5022	पी0बी0एम0बी0 रोड से मावली	192857.00	0.00	21/02/13
62	5 अति	यू0पी0 5022	टेटीगांव से खंजरा बांस	236972.00	0.00	05/12/12
63	5 अति	यू0पी0 5022	बलदेव से जुगसना	162294.00	0.00	20/05/11
64	5 अति	यू0पी0 5022	बी0सी0आर0 रोड से बेबी आटस	226698.00	0.00	16/09/11
65	5 अति	यू0पी0 5023	फतेहा (बेरी) से ओल	167034.00	0.00	16/09/11
66	5 अति	यू0पी0 5023	मीरपुर से ऐवलगढ़ी	299259.00	0.00	14/09/11
67	5 अति	यू0पी0 5023	नीहझील से रायपुर	63165.00	0.00	15/09/11
68	5 अति	यू0पी0 5023	बांगना से मानागढ़ी	34623.00	0.00	20/03/11
69	6	यू0पी0 5024	बलदेव से जुगसना	147563.00	0.00	20/05/11
70	6	यू0पी0 5024	फतेहा से ओल वाया बेरी	82640.00	0.00	13/10/12
71	6	यू0पी0 5025	बरसाना से नाहरा	117498.00	0.00	26/03/11
72	6	यू0पी0 5025	बी0सी0आर0 रोड से देवी आटस	52637.00	0.00	20/01/12
73	6	यू0पी0 5026	पी0बी0एम0बी0 रोड से मावली	17370.00	0.00	21/02/13
74	6	यू0पी0 5026	टैकीगांव से खंडरा बांस	107426.00	0.00	05/12/12

क्र0 सं0	फेज	पैकेज संख्या	मार्ग का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	निरीक्षण का दिनांक
75	6	यू0पी0 5026	मीरपुर से ऐदलगढ़ी	219372.00	0.00	05/12/12
76	6	यू0पी0 5027	बादना से मानागढ़ी	189583.00	0.00	28/03/11
77	6	यू0पी0 5027	पिथौरा से बादना	70989.00	44144.00	29/03/11
78	6	यू0पी0 5028	नौहझील से रायपुर	265005.00	0.00	15/09/11
79	7	यू0पी0 5029	अकबरपुर से शेरगढ़	115403.00	0.00	04/12/12
80	7	यू0पी0 5030	बलदेव से मई खण्डूली	132098.00	94958.00	20/02/13
81	7	यू0पी0 5030	फरहा अछमेरा रोड से कोह	39587.00	76710.00	13/10/12
82	7	यू0पी0 5031	बी0बी0के0 से कन्जोली घाट	146552.00	133093.00	21/01/12
83	7	यू0पी0 5032	एन0एच0-2 से खरोठ वाया हताना	271300.00	0.00	30/03/11
84	7	यू0पी0 5033	गोबर्धन से पलसी (सींह)	339128.00	0.00	14/10/12
85	7	यू0पी0 5034	कोसी से शाहपुर (चौदरस तक)	217439.00	0.00	04/12/12
86	7	यू0पी0 5035	फरह परखम से ओल	92996.00	226695.00	21/01/12
87	7	यू0पी0 5036	बलदेव से सेहत	188136.00	183913.00	20/02/13
88	7	यू0पी0 5037	गुहेटा तीन विस्सा से कोशी शाहपुर वाया सुपाना	128385.00	0.00	20/01/12
			योग :	**8709004.00**	**2510515.00**	

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई,
ग्रा0अ0वि0, मथुरा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-24 का उत्तर पीछे पृष्ठ-29 पर)

जनपद लखीमपुर में आर्सेनिक प्रभावित ग्राम सभाओं की विकास खण्डवार सूची

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	आर्सेनिक प्रभावित ग्राम सभा का नाम	आर्सेनिक प्रभावित ग्राम का नाम	आर्सेनिक प्रभावित बस्ती की सूची
1	2	3	4	5
1	निधासन	धर्मापुर	धर्मापुर	8
2	निधासन	खैराना	खैराना	8
3	धौरहरा	अमेठी	अमेठी	7
4	धौरहरा	रसूलपुर	रसूलपुर	1
5	धौरहरा	जंगलवाली	जंगलवाली	3
6	धौरहरा	परसा	परसा	3
7	धौरहरा	कलुआपुर	कलुआपुर	1
8	रमियाबेहड़	सुजानपुर	सुजानपुर	13
9	रमियाबेहड़	गुलरिया तालुकेदार	गुलरिया तालुकेदार	1
10	रमियाबेहड़	नैनापुर	नैनापुर	1
11	रमियाबेहड़	तेलियार	तेलियार	4
12	रमियाबेहड़	जंगलमटेरा	जंगलमटेरा	5
13	रमियाबेहड़	जटपुरवा	जटपुरवा	1
14	ईशानगर	दिलावलपुर	लालपुर	2
15	ईशानगर	परसिया	परसिया	5
16	ईशानगर	दरिगापुर	दरिगापुर	1
17	ईशानगर	भुरजनिया	भुरजनिया	1
18	ईशानगर	सरपतहा	नकहिया	1
19	ईशानगर	रुद्रपुर सालिम	रुद्रपुर सालिम	5
20	ईशानगर	मिलिख	मिलिख	4
21	ईशानगर	मिर्जापुर मल्लापुर	मिर्जापुर मल्लापुर	3
22	ईशानगर	चहलार	चहलार	1
23	ईशानगर	पलिया	फकीरेपुरवा	1
24	ईशानगर	पलिया	पलिया	1
25	ईशानगर	लौकाही ईशानगर	लौकाही ईशानगर	7

1	2	3	4	5
26	ईशानगर	बिरसिंगपुर	बिरसिंगपुर	6
27	ईशानगर	ईशानगर	ईशानगर	9
28	ईशानगर	कैरातीपुरवा	कैरातीपुरवा	8
29	ईशानगर	ओझापुरवा	ओझापुरवा	3
30	पलिया	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	5
31	पलिया	मझगई	मझगई	7
32	पलिया	कोठिया	कोठिया	2
33	पलिया	बबौरा	चौरी	1
34	पलिया	बबौरा	बबौरा	2
35	पलिया	पलियाकलां	पलियाकलां	6
36	पलिया	गदियाना	गदियाना	4
37	पलिया	सुमेरनगर कालोनी	सुमेरनगर कालोनी	3
38	पलिया	घोला	घोला	3
39	पलिया	भगवन्तनगर	भगवन्तनगर	3
40	पलिया	बेला	गुलरा	2
41	पलिया	फरसहिया	फरसहिया	1
42	पलिया	मरुआपश्चिम	मरुआपश्चिम (छेदीपुरवा)	2
43	पलिया	मिलिनिया	मिलिनिया	1
44	पलिया	बसन्तापुर कलां	बसन्तापुर कलां	1
45	पलिया	मकनपुर	मुजहा	1
46	पलिया	पटिहन	पटिहन	1
47	पलिया	निबुआबोझ	बिजौरिया	1
48	पलिया	सिंगाहीखुर्द	सिंगाहीखुर्द	3
49	पलिया	बसन्तापुर खुर्द	बसन्तापुर खुर्द	1
50	पलिया	मिरचिया	मिरचिया	1
			योग :	**165**

नत्थी 'ग'

(देखिये मा0 अध्यक्ष जी के आदेश पृष्ठ-156 पर)

श्री उमाशंकर-

मान्यवर आपने मुझे अखिलेश प्रताप सिंह के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जब मा0 पर्यटन मंत्री जी अपना बजट भाषण दे रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि मा0 मंत्री जी हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे राजनीतिक अभिभावक भी। मान्यवर, जिस दिन से पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मा0 मंत्री जी को मिला उसी दिन से पूर्वांचल के लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है कि अब पूर्वांचल में भी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा परन्तु मा0 मंत्री जी ने अपने पूरे बजट भाषण में पश्चिमांचल का ही जिक्र किया है इससे हमें निराशा हुई है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल की वो काशी जी धरती जहां देश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं काशी के चाहे विश्वनाथ मंदिर हो चाहे गंगा आरती हो चाहे सारनाथ का मंदिर गेट हो चाहे रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला हो चाहे संत रविदास जी की जन्म स्थली हो। मान्यवर, यही नहीं हमारे बलिया जनपद का भी अपना एक इतिहास है चाहे भृगुजी का मन्दिर हो, बालेश्वर जी, चाहे कपिलेश्वरी माता, चाहे मंगला भवानी, चाहे सहतवार के चरन राम जी बाबा जी का स्थान हो इसके साथ ही रसड़ा विधान सभा में श्रीनाथ बाबा एवं श्री रोशन शाह जी चाहे विष्णु धाम मुड़ैड़ा हो चाहे चन्द्रवार आदि धर्म हो, परमपूज्य श्री खाकी बाबा का स्थान हो या चन्डी भाई सलेमपुर चन्डी मां उचेड़ा का स्थान हो। मान्यवर, इन स्थानों को भी विकसित करके पर्यटन की परम्पराएं सम्भानाओं को विकसित किया जा सकता है एवं भावनाओं के साथ भी आस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है।

श्री महावीर सिंह राणा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी विधान सभा बेहट में मां शाकुम्भरी देवी का विशाल मन्दिर है सिद्ध जी हैं। लाखों व्यक्ति आते हैं पर्यटन विभाग का डाक बंगला एवं दर्शन एवं पार्क बनवाया जाये। हथिनी कुण्ड बैराज यमुना नदी पर पार्क का निर्माण कराया जाये।

सहारनपुर जनपद में ग्राम कुआखेड़ा में गंगा नहर व यमुना नहर मिलती हैं। वाया (संगम बन गया है) अतः यहां लाखों व्यक्ति स्नान करने के लिये आते हैं। इस काम को पर्यटन विभाग विकास कराने का कष्ट करें ताकि जनपद सहारनपुर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास किया जा सके।

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। उसके लिए शुक्रिया। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित दो बातें आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा। मान्यवर, एक तो कांठ तहसील में ग्राम लाड़लाबाद में करूला नदी के किनारे प्रकटेश्वर शिव मन्दिर है। वहां पर भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं। यह स्थान अविकसित है। इस स्थान को पर्यटन विभाग से सौन्दर्यीकृत एवं विकसित कराने का कष्ट करें। मा0 अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र में दूसरा स्थान ग्राम अगवानपुर, तह0 मुरादाबाद में हजरत शाह बाबा की खोले वाली ज्यारत है। इस मजार पर सैकड़ों बीघा भूमि है। यह मजार भी लोगों की आस्था का केन्द्र है। यहां पर भी काफी तादाद में लोग हर मजहब हर धर्म के आते हैं। यह स्थान भी अविकसित है। इस मजार का भी सौन्दर्यीकरण किया जाना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि पर्यटन विभाग द्वारा मा0 मंत्री जी उक्त दोनों स्थानों का सौन्दर्यीकरण, विकास एवं पहुंच मार्ग बनाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अमित गौरव यादव-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान जनपद एटा में स्थित खानकाहे बरकतिया दरगाह शरीफ मारहरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि यह दरगाह लगभग 400 साल पुरानी है और इस दरगाह में देश-विदेश के लाखों लोग प्रतिवर्ष अक्टूबर तथा दिसम्बर में उर्स के मेले पर आते हैं। एक अहम बात यह है कि इस्लाम धर्म के पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब तथा उनके नवासे हसन और हुसैन की दाढ़ी के बाल यहां सुरक्षित हैं इसके अतिरिक्त हजरत मोहम्मद साहब के दामाद के वस्त्र कुर्ता इत्यादि भी सुरक्षित हैं। उल्लेख करना है इस्लाम धर्म के मानने वाले देश व विदेश के श्रद्धालुओं में अत्यधिक मान्यता है और प्रतिवर्ष उर्स के मौके पर कई लाख की भीड़ एकत्र होती है। इतनी मान्यता होने के बावजूद अभी भी मारहरा में दरगाह के स्थान पर आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है, सड़कों की दशा, शौचालय, जलापूर्ति, सरायं, धर्मशाला इत्यादि की समुचित व्यवस्था के अभाव में दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि दरगाह शरीफ को पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधा का विकास कर दिया जाय तो जहां एक ओर यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य सरकार को कुछ शुल्क इत्यादि भी प्राप्त हो जायेंगे। ऐसी दशा में यहां यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि यह एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और पर्यटन की सुविधा विकसित होने से अल्पसंख्यक के मन में सम्मान का भाव जागेगा। वर्णित स्थितियों में अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि उक्त दरगाह का सर्वेक्षण कराकर तथा स्थानीय जानकारी प्राप्त करके पर्यटन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास कराने का कष्ट करें। यदि इस संदर्भ में बजट में प्राविधान न किया गया हो तो प्रथम अनुपूरक में इसे सम्मिलित करवाने का कृष्ट करें ताकि प्रदेश सरकार के लोकतांत्रिक जवाबदेह नीतियों का लाभ इस उपेक्षित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त हो सके।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं मा0 अखिलेश जी के पर्यटन विभाग के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इलाहाबाद ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। इन सभी दृष्टिकोण से यहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। अभी कुम्भ-2013 में पूरी दुनिया तथा देश से लगभग 10 करोड़ यात्री तीर्थयात्री पर्यटक इलाहाबाद आये।

यहां गंगा-यमुना पवित्र नदियों का संगम है। इन नदियों के किनारों को विकसित करके आकर्षित किया जा सकता है। यहां पर शिवकुटी में अतिप्राचीन शिवजी का मंदिर व शिव कचहरी है। इसी तरह दारागंज में प्राचीन नागवासु की मंदिर तथा सृष्टि उत्पत्ति के समय उत्पन्न ''कमलनाथ जी'' गणेश जी का मंदिर है। इन स्थानों की सड़कों का सी0सी0 निर्माण, सौन्दर्यीकरण अतिआवश्यक है। प्रसिद्ध नारायणी आश्रम शिवकुटी की सड़कों का सी0सी0 निर्माण होने पर अधिक पर्यटक आकर्षण होगा।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारियों की तीर्थस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी के सामने पूर्व का आक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय का म्योर कालेज है। यहां के सड़क पटरियों का विकास व सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है।

श्रृंगवेरपुर धाम का अपना महत्व है। आनन्द भवन, स्वराज्य भवन, अकबर का किला, भारद्वाज ऋषि का आश्रम दर्शनीय महत्वपूर्ण स्थल है।

अन्त में आपको कटौती प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, उ0 प्र0 पर्यटन के प्रस्ताव पर आपने मुझे लिखित सुझाव दिये जाने की इजाजत दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह जी मंत्री उ0 प्र0 पर्यटन ने जो बजट प्रस्ताव रखा उसमें कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। श्री दाऊ जी महाराज का जेवर में एक दोतिहानि स्थान है। देवी मन्दिर व सकल वर्ष का तीर्थ स्थल बाबा जावल ऋषि की जन्म स्थली है वही खुर्जा में भगवान सिद्धेश्वर का धार्मिक मन्दिर पुराने कुन्ड हैं इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाय।

(2) खुर्जा विधान सभा क्षेत्र के गांव रूकनपुर (Rukanpur) डाक डोसा ऐतिहासिक मन्दिर व सादपीठ है। उसे पर्यटक क्षेत्र की सूची में शामिल करें और इसका बजट बढ़ाया जाय।

(3) खुर्जा शहर के नजदीक अगवास रेलवे फाटक पर जर्जर होटल है उसे चालू किया जाय।

श्री जयप्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

मा0 मंत्री जी ने जिस तरह से प्रदेश के सभी महल पूर्ण शहरों जिसमें आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद आदि शहरों को पर्यटन उद्योग को विकसित कराना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी उसी तर्ज पर जनपद बलिया में विश्व स्तरीय बाबा भृगुमुनि की तपो भूमि बलिया में महीनों दिन तक ददरी मेला लगता है उसको विकसित किया जाय तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पयर्टक धाम के रूप में विकसित खपड़िया बाबा स्थल, महराज बाबा स्थल, नरहरि बाबा स्थल, सुदिप्टी बाबा स्थल जहां महीनों दिन तक लगातार मेला लगता है के साथ ही लगटू बाबा की समाधि स्थल को भी विकसित कराकर पर्यटक को औद्योगिक विकास के रूप में बढ़ावा दिया जाय जिससे वहां लोगों का आवागमन बढ़ सके।

मा0 अध्यक्ष जी इसी के साथ बलिया में यादवों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में ब्रह्माईन में बना मां दुर्गा मन्दिर जो बीर लोरिक की पुजमान रही उसका समुचित विकास व बीरलोरिक का अखाड़ा जहां पर मां दुर्गा जी का छोटा मन्दिर (बोहा में) विद्यमान है। उसको भी विकसित कराये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, इसके साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

पर्यटन विभाग के बजट पर जनपद अलीगढ़ के निम्न स्थलों को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाकर इनका विकास कराया जाय।

1-मंगलायतन तीर्थधाम

2-भोजताल तीर्थधाम

3-शेखा झील पंक्षीविहार

4-धरणीधर ताल तीर्थधाम

5-खेरेश्वर धाम तीर्थधाम

6-भूमिया बाबा तीर्थधाम।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संचालित ट्रेनिंग सेन्टर को उच्चीकृत कर नये ट्रेनिंग कोर्स शुरू कराया जाय व जी0टी0 रोड एन0एच0-91 पर स्थिति पर्यटन विभाग की बन्द पड़ी होटल इकाई को पुनरोद्धार कराकर शीघ्र चालू कराये।

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

महोदय, कृपया सादर अनुरोध कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में ग्राम चन्दकर विकास खण्ड फिरोजाबाद जैन धर्म का बहुत ही विशाल मन्दिर है वहां पर उत्तर भारत के विभिन्न भागों से जैन धर्मावलम्बी आते हैं। पास में यमुना के किनारे पसीना वाले हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मन्दिर है। जहां पर भी हजारों तादाद में धर्मावलम्बी दर्शन करने आते हैं। इस दृष्टिकोण से उक्त स्थान पर्यटन स्थान घोषित कराने की कृपा करें।

श्री हेमराज वर्मा-

महोदय आपके माध्यम से मा0 पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जनपद पीलीभीत में उत्तराखण्ड एवं नेपाल बार्डर पर चूका बीच है जो कि पीलीभीत के विशालतम वन क्षेत्र के किनारे स्थित है तथा खूबसूरत वन के बीच से ही होकर पर्यटकों के जाने से और भी आकर्षक है। महोदय उक्त चूका बीच लगभग 72 वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा बीच है उक्त चूका बीज पर हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं तथा यहां आने वाले पर्यटक इसे मिनी गोवा की संज्ञा देते हैं। परन्तु पर्यटकों के रुकने, खाने-पीने की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों को असुविधा होती है। आपसे अनुरोध है कि उक्त चूका बीच को देश के मानचित्र पर लाने तथा उक्त चूका बीच को ईको टूरिज्म के रूप में विकसित कराने का कष्ट करें जिससे यह देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सके तथा प्रदेश की इन्कम का एक बड़ा स्रोत बन सके।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, कृपया 282-बलहा विधान सभा क्षेत्र, जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मझांव, विकास खण्ड मिरीपुरवा, तहसील नानपारा जो धर्मापुर का तालाब जिसकी लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 है के निकट बसा हुआ है। मान्यवर, मझांव में एक संत कुटी है जो गुरूदीनदास साहिब के नाम से प्रसिद्ध है जो कोटवा घराने के नाम से जानी जाती है। गुरूदीन साहिब प्रसिद्ध संत यदुवंशी थे। जिनकी पांच चेलों सहित पांच समाधि स्थापित हैं। उस स्थान पर हर महीने पूर्णिमा तथा अमावस्या को भण्डारे व मेले होते रहते हैं। चैत के रामनवमी के दिन बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। तालाब के पानी से स्नान करके पूजा अर्चना करते रहते हैं। चूंकि तालाब हर वर्ष बरसात होने से मिट्टी के कटान से समतल होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में तालाब की गहराई एवं उसकी सफाई तथा तालाब के ऊपर आने-जाने के लिये एक पुल का निर्माण एवं गरीब रेन बसेरा बनना नितान्त आवश्यक है जिससे श्रद्धालु जो पूजा अर्चना एवं मेले के लिए आते हैं उनकी रुकने की सुविधा हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए जनहित में शासन को आदेशित करने का कष्ट करें।

श्री रामपाल यादव-

मा0 अध्यक्ष, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से बजट का समर्थन करता हूं।

कृपया ध्यान जनपद सीतापुर में विश्वप्रसिद्ध मां लालिता देवी का मन्दिर नीमसार (मिश्रिख) में है जिसका जिक्र तुलसीदास जी ने अपनी रामचरित मानस में लिखा है कि जिससे इसके महत्व का पता चलता है।

''नैमिष वर तीर्थ विख्याता।
विश्व विदित साधन सिद्धि दाता।।

को बजट में पर्यटन में शामिल कराने की कृपा करें तथा मेरे विधान सभा में महान सूफी संत हजरत गुलजार शाह बाबा की प्रसिद्ध मजार पर प्रतिवर्ष हजारों लोग जियारत करने आते हैं, कृपया पर्यटन विकास विभाग से रहने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज पर्यटन विभाग के प्रस्तुत बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन करते हुए शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में तत्कालीन करहरपुर स्टेट के राजा हरि प्रसाद मल्ल ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सरयू उस पार से तोप के गोले दागकर नरहरपुर किले को नेस्तनाबूद कर दिया गया था राजा हरि प्रसाद मल्ल हजारों सैनिकों के साथ शहीद हो गये थे। उन्होंने शहीद होना स्वीकार किया था परन्तु ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता स्वीकार नहीं किया था। आज भी वो टीला खण्डहर नदी के किनारे मौजूद हैं जो मानव काज के अन्तिम पड़ाव जनसहयोग से मुक्तिदल जो निर्मित हुआ है उसके पास ही स्थित है मुक्तिदल पर देशी-विदेशी सैलानी पर्यटक देखने आते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक इस शहीद स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर दिया जाये तो राजा हरि प्रसाद मल्ल को श्रद्धांजलि भी होगी तथा स्मारक स्थल पर्यटन के रूप में विकसित होने से नयी पीढ़ी को उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा से अवगत का अवसर मिलेगा। साथ ही मुक्ति दल जिसे पर्यटन विभाग ने गोरखपुर/पूर्वांचल के प्रमुख पर्यटक स्थलों की सूची में सम्मिलित किया था उसे पुनः पर्यटन विभाग अपनी सूची में लेकर उसे विकसित करने का कार्य करे वर्तमान में मुक्तिदल पर देश में पहली बार बायोमास, गैसीगरण सिस्टम से शव दाह करने का सिस्टम डेवलप हो रहा है जो वायु प्रदूषण जल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगा वह अनूठा प्रयोग उपयोगी के साथ लोगों को अपने-अपने प्रान्त एवं जनपद में स्थापना कराने के लिए प्रेरित करेगा। पर्यटन विभाग राजा हरि प्रसाद मल्ल की शहीद स्थल के साथ-साथ मऊ जनपद के दोहरीघाट में जहां राम परशुराम मिलन हुआ था प्रसिद्ध सन्त मौहारी जी महराज की तपस्थली है जहां राम जानकी के चरण पड़े थे। बड़हलगंज परतापुर जो राष्ट्रीय राज मार्ग बौद्ध परिपथ 29 पर स्थित है जिस रास्ते बड़े पैमाने पर सैलानी आते-जाते हैं ऐसे में शासन से मांग करता हूं कि नरहरपुर स्टेट खण्डहर किला/टीले को शहीद स्मारक बनाकर राजा हरि प्रसाद मल्ल की आदमकद प्रतिमा बनवायी जाये तथा मुक्ति दल को पुनः पर्यटक स्थलों की सूची में सम्मिलित किया जाये। साथ ही विन्ध्यवासिनी देवी अष्टभुजी मंदिर के बीच रोपवे लगाने की व्यवस्था करायी जाये जिससे दर्शन की सुविधा तो मिलेगी ही। पर्यटन की दृष्टि से भी वह क्षेत्र विकसित होगा।

श्रीमती सीमा-

महोदय, हमारा जनपद प्रदेश का बड़ा जनपद है। शाही किला बहुत ही विख्यात है। पूरे शहर में एक भी पार्क नहीं है। अतः शाही किला को पर्यटन की दृष्टिकोण से तथा एक बड़ा पार्क बनवाने हेतु प्रार्थना करती हूं।

मेरी विधान सभा मुंगरा बादशाहपुर में सई नदी के धीर दास पुल के नीचे नवरात्र में मूर्तियों का विर्सजन होता है। कृपया वहां पर सीढ़ी एवं पक्के घाट का निर्माण करवाने की तथा सुजानगंज में गौरीशंकर धाम बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सावन में तथा शिवरात्रि में कांवरियों के लिए विश्रामलय तथा साज-सज्जा एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु निवेदन करना चाहती हूं।

श्री राम चन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय पर्यावरण सम्बन्धी बजट का स्वागत करते हुए विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के ब्लाक अखण्डनगर के ग्राम रूपईपुर में स्थित केन्हाइन तालाब के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कन्हाइन तालाब गोरखपुर रूपगढ़ तालाब से कम नहीं है उसका सुन्दरीकरण होने पर्यावरण क्षेत्र का बहुत अच्छा हो जायेगा। कन्हाइन तालाब में हमेशा कमल खिला रहता है। तालाब के चारों तरफ वृक्ष लगवा कर उसका सुन्दरीकरण कराया जाय।

मान्यवर, पर्यटन विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही अच्छा बजट है जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में दो पर्यटन स्थल बहुत पहले से घोषित हुए हैं। दोनों पर्यटन स्थल

1-विजेथुआ राजापुर हनुमान जी का मन्दिर जहां पर हनुमान जी ने काजनेम का वध किया था। उसका विकास होना आवश्यक है।

2-धोपाप घाट जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वधकर धोपाप गोमती नदी में स्नान किया था। विकसित होना चाहिए। वेजबाई शिव मन्दिर नाथ के मठ को पर्यटन केन्द्र में रखा जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह-

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर जो पुरा गंगा के किनारे बसा होने के कारण छोटी काशी के नाम से जाना जाता है जबकि हरिद्वार के बाद उ0प्र0 में मात्र अनूपशहर एक ऐसी जगह जहां नगर के बीच से होकर गंगा नदी बह रही है और उसके साथ-साथ यहां ऐतिहासिक पुराने मंदिर उ0 प्र0 के अनूपशहर में ही स्थित है। यहां पर गंगा स्नान व मंदिर के लिए भारत के कई प्रदेशों के लोग प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में गंगा स्नान कर ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हैं।

1-माण्डु घाट	-	माण्डव ऋषि की तपस्थली, अनूपशहर।
2-सिद्ध बाबा मन्दिर	-	गुरू गोरखनाथ की तपस्थली जहां प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं।
3-आहार	-	भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के पिता की राजधानी।
4-आहार अम्बकेश्वर	-	महाभारतकालीन शिव मन्दिर है जिसका निर्माण पाण्डवों ने कराया था। इस मन्दिर पर साल में दो बार शिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में दूर-दूर से कांवस्थी आकर कांवर चढ़ाते हैं।
5-अवन्तिका देवी मन्दिर	-	श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण स्थल।
6-छोटी काशी अनूपशहर	-	राजा अनूप द्वारा बसाया गया अनूपशहर विगत में अनेकों महान तपस्वी संतों का पर्यटन स्थल।
7-बाबा खडग सिंह गुरुद्वारा	-	आहार के निकट ही यह प्राचीनतम गुरुद्वारा है यहां पर पंजाब के स्वर्ण मन्दिर के बाद सिख समुदाय का दूसरा पवित्र स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु आते हैं।

8-भैरिया हरिद्वारपुर	-	महर्षि भृगु तपो स्थली।
9-कर्णवास देवी मन्दिर	-	महाभारत कालीन दानवीर/योद्धा कर्ण की वह शिला जहां पर दानवीर कर्णदान दिया करते थे तथा यह प्राचीन देवी मन्दिर है।
10-साखनी	-	मुस्लिम सम्प्रदाय की ऐतिहासिक व प्राचीन मस्जिद व ईदगाह है। ईद, मोहर्रम व अन्य सालाना उर्स के अवसर पर देश-विदेश के तमाम जायरीन आते हैं।

<u>विकास के लिए मांग-पत्र</u>

1-क्षेत्र के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए कम से कम 18 घण्टे बिजली पूर्व की भांति डबल शेड्यूल में उपलब्ध कराई जाये व नगर जहांगीराबाद, अनूपशहर व औरंगाबाद में रमजान के मौके पर डबल शेड्यूल में विद्युत उपलब्ध कराई जाये।

2-अनूपशहर क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कराई जाये जिससे क्षेत्र की जनता व अनूपशहर में गंगा नदी पर बने पुल से जुड़े बदायूं, मुरादाबाद की जनता ही लाभान्वित हो सके (इस कार्य के लिये जमीन उपलब्ध है।)

3-अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई भी कृषि विद्यालय नहीं है। अतः इस क्षेत्र के विकास के लिये एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराई जाये। (इस कार्य के लिये जमीन उपलब्ध है।)

4-अनूपशहर क्षेत्र में सब्जी व फलों के अनुरक्षण के लिये कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों की उपज की अच्छी कीमत दिलाने के लिये अनूपशहर/जहांगीराबाद में एक सरकारी कोल्ड स्टोर की स्थापना कराई जाये।

5-अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है लेकिन कृषि उपज बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीज समय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिससे किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि उपज बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

6-क्षेत्र में पेयजल के संकट को समाप्त करने के लिये 500 हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्र में लगवाये जायें जिससे गरीब जनता को लाभ मिल सके।

7-अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में गरीब किसानों के खेतों की सिंचाई के लिये 2000 फ्री बोरिंग करायी जाय। जिससे गरीब किसानों के खेतों की सिंचाई समय पर हो सके।

8-अनूपशहर को बुलन्दशहर प्राधिकरण में जोड़ने की पत्रावली शासन में चल रही है। अनूपशहर को प्राधिकरण में जोड़वाकर वहां का विकास कराने के आदेश करने की कृपा करें।

9-किसानों के विकास के लिये बैंकों द्वारा फसली ऋण देने की जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाये। जिससे किसानों को फसली ऋण आसानी से मिल सके इसके लिये ग्रामीण बैंक को निर्देशित किया जाये।

10-क्षेत्र के प्रत्येक विकास परिवार से शिक्षित बेरोजगारों में से कम से कम एक बेरोजगार की सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाये।

11-गन्ना किसानों को खेतों से गन्ना चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए खराब मार्गों के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

12-बुलन्दशहर, अनूपशहर जिला सम्पर्क मार्ग का शेष बचा 20 कि0मी0 का मार्ग का निर्माण कराने की कृपा करें।

13-अनूपशहर, जहांगीराबाद में शासन से रोडवेज डिपो नये बनवाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन से आदेश करवा कर डिपो बनवाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

14-अनूपशहर, जहांगीराबाद व औरंगाबाद नगर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिये खेल स्टेडियम बनवाने की कृपा करें।

15-अनूपशहर, जहांगीराबाद में शासन स्तर पर फायर स्टेशन बनने की कार्यवाही चल रही है। जमीन उपलब्ध करा दी गई है। अतः फायर स्टेशन बनवाने के आदेश पारित कराने की कृपा करें।

श्री राम सरन-

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 140 श्रीनगर के भवन एक प्राचीन मंदिर व तीर्थ स्थल जो जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में है। यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त मन्दिर के तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें। साथ ही एक प्राचीन शिवजी मन्दिर जो लिल नाथ धाम के नाम से जाना जाता है की स्थिति भी काफी जर्जर स्थित में है का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें।

श्री इन्दल कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी आपने पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं आपका ध्यान लखनऊ शहर में बंगला बाजार स्थित महाराजा बिजली पासी किला को पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें क्योंकि पासी समुदाय के तमाम राजा महाराजा रहे हैं और ऊदा देवी पासी तथा तमाम समाज के लोगों का आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है और समाजवादी पार्टी में पासी समाज के लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिये और आपकी सरकार बनी समाजवादी पार्टी में 24 विधायक पासी समाज के लोग हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि महाराजा बिजली पासी किला का पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें।

श्री अताउर रहमान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पर्यटन विभाग का बजट मा0 मंत्री जी ने उ0 प्र0 को एक अच्छा बजट दिया है। लेकिन इस बजट में बरेली शरीफ छूट गया है। आला हजरत फाजिले बरेलवी को मानने वाले दुनिया में बड़ी तादाद में लोग हैं। आला हजरत के उर्स में बीसियों लाख लोग बरेली आते हैं। जिनको रहने-खाने की व्यवस्थाओं में बहुत परेशानियां होती हैं। साल के बारो महीने पूरी दुनिया से आला हजरत की मजार शरीफ पर लोग हाजिरी देने आते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि बरेली को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का कष्ट करें। क्योंकि 80% मुसलमान आला हजरत को मानने वाले हैं। इससे एक अच्छा संदेश जायेगा।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

महोदय, पर्यटन विभाग से मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो ऐसी जगह है जहां पर बराबर दूर-दूर के लोग स्नान एवं दर्शन करने आते हैं। इसकी महत्ता को समझते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निम्न धार्मिक स्थानों को विभाग में जोड़ दिया जाये।

1-बाबा गोविन्द साहब का स्थान।

2-बाबा ब्रह्मचारी जी का स्थान जो धीनपुर ग्राम सभा में पड़ता है। महती कृपा होगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आपका ध्यान तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के कुछ निम्नलिखित स्थलों को पर्यटन स्थली में शामिल कर विकसित करने के सन्दर्भ में :-

(1) नगर पंचायत सेवरही में बहुत ही पुरानी विष्णु जी का मंदिर है। जिसकी मूर्ति नीलम के पत्थरों की बनी है। उस मंदिर से मूर्ति चोरी कर लिया गया था तथा चोर पकड़े गये तथा मूर्ती प्राप्त कर पुलिस ने उसे देवरिया जेल में मूर्ति पड़ी है। इस विष्णु जी की मूर्ति को पुनः उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर स्थापित कर पर्यटन स्थल में घोषित करने का कष्ट करें।

(2) तमकुहीराज में मजार है जो काफी विकसित है। जहां उर्स के मौके पर काफी भीड़ लगती है। उसको भी विकसित कर पर्यटन स्थल घोषित करने का कष्ट करें जिसको मस्तान बाबा का मजार कहा जाता है।

उक्त के सन्दर्भ में आग्रह है कि इन मन्दिर तथा मजार को जीर्णोद्धार कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

मान्यवर,

(1) वाराणसी की पहचान मन्दिर, साहित्य, संगीत गंगा से है, पर्यटक का आकर्षित होने के कारण भी हैं।

वाराणसी रामचरित्र मानस का रचना हुआ है। वाराणसी में रामचरित्र मानस संग्रहालय स्थापित किया जाये।

(2) मन्दिरों की पहचान है वाराणसी इसलिए वाराणसी शहर छोटे-बड़ों मन्दिरों का जीर्णोद्धार के लिए फण्ड दिया जाय।

(3) वरुणा नदी शास्त्री घाट से राजघाट नदी की गहराई बढ़ायी जाय जिससे कि पर्यटक शास्त्री घाट (वरुणा घाट) नाव के माध्यम से राजघाट होते दशाश्वमेघ घाट जा सके।

पी0एस0यू0पी0-एल0 90 विधान सभा (175)-03-09-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।